राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] षष्टम विधान सभा के पंचम सत्र का दसवां दिवस [संख्या 8

बुधवार

7 मार्च, 1979

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न 1 श्री मनोहरसिंह मेहता।

मांडलगढ़ का गोवरा टैंक एवं इससे निकलने वाली नहर

159. **श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ क्षेत्र में गोवरा टैंक ऐसा है जिस पर कम से कम खर्च हुआ है और अधिक से अधिक लाभ दे रहा है ?

(2) क्या इस तालाब की नहर पक्की नहीं होने से एक तरफ इस तालाब के पानी का भयंकर रूप से दुरुपयोग होता है और क्षमता से सिंचाई भी कम होती है ?

(3) अब यह नहर कब तक पक्की करवा दी जायगी ?

गृह मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) गोवरा तालाब मेवाड़ रियासत के समय बना था। उस समय की कीमतों के अनुसार व्यय उचित ही था। यह बांध औसत अनुमान के अनुसार सिंचाई कर रहा है।

(2) जी नहीं। पानी का कोई दुरुपयोग नहीं होता। इस बांध की नहर की कुल लम्बाई 446 चेन है, जिनमें से 270 चेन पक्की है।

(3) अभी कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा बाकी है जो बना नहीं है। क्या आप यह मानते हैं कि जब इससे बहुत सिंचाई हो सकती है, बिना पैसा बढ़ाये ही पिलाई हो सकती है तो आप इसके लिए क्या करने का विचार रखते हैं ?

श्री सम्पतराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना शत प्रतिशत सही है। लेकिन वित्तीय साधनों

(श्री सम्पतराम)

को देखते हुए हर जगह यह कर देना संभव नहीं है। वैसे हम जितना जल्दी हो सकेगा उसके लिए प्रयत्न करेंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप इसलिए तो नहीं हिचकिचा रहे हैं कि जैतपुर के बाँध में घोटाले हुए थे और बाँध टूट गया था, इसलिए आप नहीं कर रहे हैं ?

श्री सम्पतराम : वह पहले बना था। उसमें अच्छा माल नहीं लगा होगा, हम अच्छा बना रहे हैं।

श्री बालचन्द आर्य (डग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिड़ावा में भी..........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, चिड़ावा का प्रश्न नहीं है। प्रश्नकर्ता सप्लीमेण्ट्री कर चुके हैं।

नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 160

माननीय श्री रामदेव सिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

माननीय श्री बजरंगलाल शर्मा

मुख्य मन्त्री की राजस्थान के बाहर की यात्रा

161. **श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क)** : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पिछले एक वर्ष की अवधि में मुख्य मन्त्री कब-कब राजस्थान से बाहर रहे ? कहाँ कहाँ रहे ? प्रवास का कारण क्या था ? उस प्रवास और यात्रा पर कितना व्यय राज्य कोष से यात्रावार व प्रवासवार हुआ ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पिछले एक वर्ष की अवधि में वे जयपुर में कुल कितने दिन रहे ?

सहकारिता मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) :
(1) मुख्य मन्त्रीजी द्वारा राजस्थान से बाहर की गई राजकीय यात्राओं का विवरण संलग्न है।

(2) पिछले एक वर्ष में 206 दिन जयपुर में रहे है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, संलग्न क्या है, यह बताया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : यह आवश्यक नहीं है, बहुत लम्बी सूचना है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने का कष्ट करें कि 206 दिनों के अलावा कितने दिन दिल्ली में रहे और कितने दिन राजस्थान के बाहर रहे ?

(व्यवधान)

आप भैरोंसिहजी के चमचे मत बनिये।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को अभी सूचना दी गई है इतने कम समय में उसकी स्टडी करना सम्भव नहीं है। कम से कम एक दिन पहले देनी चाहिए जिससे हम सप्लीमेण्ट्री क्वेश्चन कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बजरंगलालजी, इस प्रकार का प्रावधान नहीं है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : इस प्रकार का भी प्रावधान नहीं है कि स्टडी करने का मौका ही नहीं मिले।

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं पूछना चाहते हैं तो ठीक है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जोधपुर हाउस में कितने दिन ठहरे और कितने दिन राजस्थान से बाहर रहे ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 110 दिन वे दिल्ली में रहे, 27 दिन तक राजस्थान के विभिन्न स्थानों का प्रवास किया, पटना दो दिन, कलकत्ता तीन दिन, इब्राहीम पट्टी (यू. पी.) एक दिन।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मुझे दी गई है उसके अनुसार मुख्य मन्त्रीजी का खर्च का हिसाब 1400 रु० रहा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि 1400 रु. में इतने दिन काम कैसे चला ? अगर यह काम चल गया, यह बात सही है तो क्या अन्य मन्त्रीगण भी इतने से काम चला सकते हैं ? दूसरी बात यह है कि 8-6 से 25-2 तक 100 के करीब दिन होते हैं। यह कहा गया कि 80 दिन का खर्चा नहीं लिया। यदि खर्चा नहीं लिया तो यह खर्चा किसने वहन किया ? यह बताया जावे।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी द्वारा दिल्ली प्रवास किया गया, 30-6-77 से 2-6-78 तक जो यात्रायें की गईं उसके सम्बन्ध में ही है। 3-6 से आगे का बिल तैयार नहीं हुआ है। जो बिल तैयार हुए हैं उन्हीं के आधार पर यह सूचना दी गई है। अभी तक दो यात्रा बिल बने हैं –एक बिल 618/- का दूसरा 561/- का और तीसरा 357 रु. का। 30-6 से आगे के बिल अभी तैयार नहीं हुए हैं इसलिए इसकी सूचना अभी देना सम्भव नहीं है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को जो सूचना दी गई है उसमें लिखा गया है कि 19-10-78 के बाद की यात्रायें राजकीय प्रयोजन से नहीं बताई गई हैं। शेष यात्राओं का प्रयोजन नहीं बताया गया है। तो क्या फरवरी के अन्त तक सभी यात्रायें निष्प्रयोजन की गईं ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सूचना दी गई है उसमें प्रयोजन राजकीय लिखा हुआ है। सब में राजकीय लिखा हुआ है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यह सूची प्रस्तुत करना चाहता हूं ताकि यह देखा जा सके कि माननीय मन्त्री जी सत्य के करीब हैं या मैं जो कुछ कह रहा हूं वह शत प्रतिशत सत्य है। यह सूची दी जा चुकी है, इसमें अब कोई हेराफेरी की गुंजाइश नहीं है। आपके सामने लाकर दिखा दूं।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय, आपने जो प्रतिलिपि दी है, उसमें 19-10-78 तक तो "राजकीय प्रयोजन के लिए" डिट्टो मार्क लगा रखा है। उसके बाद यह डिट्टो मार्क

(4)

(श्री उपाध्यक्ष)

नहीं है। हो सकता है यह क्लेरीकल एरर हो।

श्री कैलाश मेघवाल : यह टाइप की कोई मिस्टेक हो सकती है। मैंने जो जवाब दिया है वह सही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : प्रतिलिपियों में भी डिट्टो मार्क होना चाहिये।

श्री गुलमोहम्मद (जौहरी बाजार) : उत्तर देने के पहले आपको यह देखना चाहिए कि कोई टाइपिंग एरर तो नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : कभी कभी कार्बन सेट करने में भी गलती रह जाती है, उससे भी यह हो सकता है।

एक माननीय सदस्य : क्या सारे मामलों में ऐसी ही टाइपिंग मिस्टेक्स होती हैं ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : इसमें यह कहा गया है कि 3.6.78 से आगे की यात्राओं पर व्यय राजकोष से नहीं उठाया गया है। अभी आपने यह बताया कि इन यात्राओं के बिल्स पेश नहीं किये गये। तो यह स्पष्ट बता दें कि इन यात्राओं पर किये गये व्यय को राजकोष से उठाना ही नहीं है या केवल बिल्स पेश करने में देरी हुई है और राजकोष से पैसा उठाने का इरादा है ? यदि राजकोष से पैसा उठाने का इरादा है तो मुख्य मन्त्री के यात्रा बिल्स 3-6-78 से लेकर आज तक क्यों नहीं पेश किये गये ? विलम्ब का कारण क्या है ? एक यह भी बता दें कि यह जो बिल उठाये जाते हैं उनमें गाड़ी के पेट्रोल का व्यय भी शामिल होता है या नहीं ? Total expenses incurred by the State on the Chief Minister and also the expenses incurred in going and coming back. यह सारा बता दें।

इसमें यह भी नहीं बताया गया है कि यात्राएं किस प्रकार की गईं। हवाई जहाज के द्वारा की गईं या रेलगाड़ी के द्वारा की गईं अथवा कार के द्वारा की गईं ? रेल से यात्रा की, तो उसका बिल आ जाता है, लेकिन कार के खर्चे का कोई बिल नहीं बनता। इसी प्रकार यदि स्टेट प्लेन में जाते हैं, तो उसका बिल भी बनता है। यदि सामान्य हवाई जहाज से जाते हैं, तो उसका बिल बनता है। हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे किसान मुख्य मंत्री पर कितना खर्च होता है ? यदि माननीय मंत्री महोदय मुकम्मल जवाब दें तो कृपा होगी।

श्री मदन सिंह दांता (दांता रामगढ़) : क्या इसमे डाक्टर्स जो इलाज करते हैं उसका खर्च भी शामिल है ?

श्री एच. एन. शर्मा : मंत्री महोदय खुद ही मुकम्मल नहीं हैं, उत्तर मुकम्मल कैसे देंगे ?

श्री कैलाश मेघवाल : मुख्य मन्त्री महोदय के राजकीय कार्य के लिये की गई यात्राओं के बिल्स 3-6-80 तक के तैयार हुए हैं, उनका तो ब्योरा दे दिया है। उसके बाद जो राजकीय यात्राएं की गई हैं, उनके भी निश्चित रूप से बिल्स सबमिट किये जायेंगे और नियमानुसार पैसा उठाया जायेगा। जो नियम बने हुए हैं, मन्त्रियों और मुख्य मन्त्री के लिये टी. ए. रूल्स, उनके अनुसार बिल बनेंगे। जो बिल्स अभी

(श्री कैलाश मेघवाल)
नहीं बने हैं. उनके बारे में मैं अभी निवेदन नहीं कर सकता।

श्री बजरंग लाल शर्मा : यह सारा सिद्धान्त का प्रश्न है। जनता सरकार, जो गरीबों की सरकार है, के सदर की यात्राओं पर कितना खर्चा आता है और किस प्रकार से होता है, वह बड़ा अहम सवाल है, चरित्र का सवाल है। कृपा करके इस प्रश्न को स्थगित करें। माननीय मन्त्री महोदय को सूचना उपलब्ध हो जाये, उसके बाद में इसका उत्तर दे दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : यह वेलिड सप्लीमेंट्री है इसका जवाब नहीं आ रहा है। सदन को जवाब प्राप्त करने का राइट है। माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है कि हवाई जहाज, रेल और कार द्वारा कौन-कौन सी यात्रा की गई ? इसकी गलत सूचना दी गई है।

श्री कैलाश मेघवाल : कोई गलत सूचना नहीं दी गई है। अगर आप पूछ लेते कि यात्रा किस माध्यम से की गई, तो उसका जवाब दे दिया जाता। वह अलग से प्रश्न है। वह अलग से पूछ लें। उसका भी विवरण दिया जायेगा।

श्री बजरंग लाल शर्मा : जो सूचना दी गई है, वह भी पर्याप्त नहीं है इसलिये स्थगित कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जैसा कि प्रश्न पूछा गया था उसके स्कोप के अन्दर उत्तर दिया गया है। आपने जो सप्लीमेंट्री पूछा है, उसकी जब तक यात्रा बिल तैयार नहीं हो जाते हैं, मन्त्री महोदय कैसे सूचना दे सकते हैं ? यात्रा बिल्स बन जायें, उसके बाद ही आप पूछ सकते हैं।

श्री बजरंग लाल शर्मा : अभी इस सत्र में काफी समय पड़ा हुआ है, आप बिल्स बनवा लीजिये और इसी सत्र के अन्दर जवाब दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसके बारे में कोई आश्वासन दे सकते हैं क्या कि मुख्य मन्त्री जी के यात्रा बिल्स कब तक बन जायेंगे ?

श्री कैलाश मेघवाल : बहुत जल्दी। बिल्स तैयार होने पर यह सूचना दी जा सकेगी।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया कि साल में 206 दिन मुख्य मन्त्री जयपुर में रहे, 110 दिन देहली में रहे और 27 दिन बाहर यात्रा की। इनका टोटल तो 349 दिन आता है। बाकी के 16 दिन कहां रहे ?

एक माननीय सदस्य : 16 दिन भूमिगत रहे।

श्री कैलाश मेघवाल : वैसे तो निजी यात्राओं के बारे में जवाब विधान सभा में देना आवश्यक नहीं है, फिर भी मैं बता दूं कि 16 दिन मुख्य मन्त्री मैसूर, कर्नाटक और महाराष्ट्र में रहे।

श्री उपाध्यक्ष : जो सूचना माननीय मन्त्री ने दी है वह दिनांक 9-3-78 से 25-2-79 तक है। हो सकता है कि उसके कारण 16 दिन का डिफरेन्स हो।

श्री मूलचन्द डागा : सोलह दिन का घाटा कैसे रहा ?

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने निवेदन किया कि 16 दिन मुख्य मन्त्री ने व्यक्तिगत कार्य, चुनाव कार्य या पार्टी के कार्य से बाहर व्यतीय किये। इस प्रकार पूरे 365 दिन हो जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, आर्ग्यूमेंटेटिव क्वेश्चन्स न पूछें।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, 3-6-78 से आज तक बिल्स प्रस्तुत नहीं किये गये, इतने विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रश्न संख्या 162

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट। श्री एच. एन. शर्मा।

ग्राम पंचायत रावत भाटा के सचिव के विरुद्ध कार्यवाही

163. **श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं)** : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रावत भाटा के सचिव द्वारा कोई रकम की अनियमितता बरती गई है? अगर हां, तो कितनी रकम की अनियमितता बरती गई अथवा गबन किया गया है?

(2) क्या राज्य सरकार गबन करने वाले सचिव के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है? अगर हां, तो क्या कार्यवाही कर रही है?

पंचायत मंत्री (श्री दिग्विजयसिंह) : (1) जी हां, श्री चन्द्रसेन भूतपूर्व सचिव द्वारा 7,449.25 पैसे का गबन किया जाना ग्राडिट की रिपोर्ट के आधार पर पाया गया है।

(2) जी हाँ, पुलिस में एफ. आई. आर. दिनांक 8-10-78 को दर्ज कराई जा चुकी है और पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है।

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आडिट के द्वारा कब सरकार को जानकारी मिल चुकी थी और विभाग का आडिट कब कराया गया था? दूसरे यह मन्त्री महोदय बता दें कि गबन करने वाला कर्मचारी क्या आज भी विकास विभाग में कार्य कर रहा है? तीसरे मंत्री महोदय यह बता दें कि 8-10-78 को जब पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज कराई थी उसके बाद चार महीने से ज्यादा समय हो गया, अब तक पुलिस ने क्या कार्यवाही की है? अगर कार्यवाही नहीं की है और चालान पेश नहीं किया है तो विकास विभाग उस पर क्या एक्शन ले रहा है?

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय यह 4-4-77 से 25-8-77 तक की अवधि का है। जब आडिट ने यह मामला पकड़ा और राज्य सरकार के सामने आया तो 16-9-78 को पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज कराई थी। और यह कर्मचारी इस समय है या नहीं. इसकी जानकारी मैंने करने की कोशिश की है किन्तु इसकी मेरे पास सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसकी पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज करा दी। पुलिस कार्यवाही कर रही है। अब पुलिस चालान

(7)

(श्री दिग्विजयसिंह)

क्यों नहीं पेश कर रही है ? पुलिस विभाग को हम अपने विभाग की ओर से कहेंगे कि वह जल्दी से जल्दी चालान पेश कर दे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कर्मचारी ड्यूटी पर है या नहीं ?

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसलिए पहले ही कहा कि मैंने इसकी पूर्व जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी लेकिन इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। मैं मालूम करके कि वह ड्यूटी पर है या नहीं, इसकी जानकारी करके अवगत करा दूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : क्या जानकारी करने के बाद भी एक घण्टा भी उसको रखेंगे ?

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वह वहां है या नहीं तो यह तो मालूम हुआ है कि वह रावतभाटा में नहीं है।

श्री मदन सिंह दांता : सर्विस में है तो उसको हटायेंगे या नहीं ?

श्री दिग्विजयसिंह : अगर सर्विस में है तो निश्चित रूप से हटा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री लालूदास।

फलासिया क्षेत्र के विद्युतीकरण की योजना।

164. **श्री लालूदास (फलासिया)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र फलासिया में विद्युत सुविधा किन कारणों से कम है ? इस पिछड़े इलाके में विद्युत योजना के अन्तर्गत कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में जो कोटड़ा फलासिया, झाडोल में विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है, वह बहुत ही धीमी गति से चल रहा है ? यह निर्माणाधीन कार्य अब कब तक पूरा हो जायेगा ?

सिंचाई मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (1) विषम क्षेत्रीय भू-भाग की दुर्गमता एवं सक्षम विद्युत प्रसारण लाइनों के अभाव के कारण फलासिया विधान सभा क्षेत्र में विद्युत सुविधा कम है। इस पिछड़े इलाके में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 100 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

(2) जी हां, कार्य के लिए उपलब्ध सामान की अपर्याप्तता, क्षेत्रीय दुर्गमता, सुलभ रास्तों का अभाव तथा सामान लाने ले जाने में कठिनाइयों आदि के कारण कार्य की गति धीमी चल रही है। योजनाओं का कार्यकाल वर्ष 1981–82 के अन्त तक का है।

श्री लालूदास : उपाध्यक्ष महोदय, फलासिया, कोटड़ा तहसील में 120 गांवों में विद्युत की योजना है, तो क्या वहां सामान नहीं मिल रहा है और सारा कार्य रुक रहा है ? मन्त्री महोदय बतायें कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री सम्पतराम : इस योजना के तहत पंचायत समिति झाडोल के साथ कोटड़ा के भी 111 गांव लिये गये हैं। जो विद्युत

(श्री सम्पतराम)

प्रसारण लाइन हैं उनको फैलाया जा रहा है। यह कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी उस लाइन को पूरा करके जो योजनाबद्ध कार्य है विद्युतीकरण का उसकों हाथ में लिया जाये।

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि झाडोल और कोटड़ा तहसीलों में अभी वर्तमान में कितने गांवों में बिजली है ?

श्री बहादुरसिह : उपाध्यक्ष महोदय, क्या आगे के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण की कोई नीति सरकार ने निर्धारित की है ?

एक माननीय सदस्य : अगर कोई लाइन एक किलोमीटर की दूरी पर किसी गांव से है तो क्या उसको बिजली दे दी जायेगी ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि इस वर्ष के अन्त तक कितने गांवों में बिजली पहुंचा देने की योजना थी और अब तक किसी भी गांव में बिजली पहुंची है ? दूसरे, जिस गति से आपका काम चल रहा है उस गति से क्या इन 111 और 60 याने 171 गांवों में बिजली पहुंच जायेगी ?

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि वह ऐसा कठिन इलाका है कि दूसरे क्षेत्र में उन्हीं साधनों से और उन्हीं वाहनों से कार्य किया होता तो 12 आना काम हो सकता था, जब कि इस इलाके में 4 आना ही काम नहीं हो सका है। अभी 18 गांवों में विद्युतीकरण करने का प्रोग्राम है। उसमें कार्यक्रम चल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम, जो योजनाबद्ध है, को पूरा करने की कोशिश करें।

श्री कौशल किशोर जैन : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। कोटड़ा और झाडोल तहसील के एक भी गांव का विद्युतीकरण हो गया है क्या ?

श्री लालूदास : किन किन गांवों में कितने समय में विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, गांवों के नाम तो हैं नहीं लेकिन एक फेज प्रोग्राम है, उसके तहत कार्यक्रम चल रहा है। अगर मानयीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उन गांवों की सूची भी दे दूंगा।

श्री कौशल किशोर जैन : कोटड़ा और झाडोल तहसीलों में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां विद्युतीकरण की योजना है ? कांग्रेस के जमाने में पूरा क्षेत्र अविकसित रहा है।

श्री सूर्यप्रकाश (खैरवाड़ा) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो विद्युतीकरण किया जा रहा है उसके अन्दर कितने सिंचाई के लिये कनेक्शन दिये जा रहे हैं ? इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय वर्तमान दिनों में जो विद्युतीकरण किया जा रहा है, क्या वर्तमान सरकार उसको कर पायेगी योजना के अनुसार ?

श्री मदनसिंह दांता : बजट भाषण में तो तारीफ कर रहे थे और इतनी जल्दी आज ही कोस रहे हो।

श्री सूर्यप्रकाश : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया, कितने कनेक्शन सिंचाई के लिए दिए गए ?

श्री लालूदास : मंत्री महोदय ने कहा कि गांवों में विद्युतीकरण होने जा रहा है, लेकिन गांवों के नाम नहीं दे रहे हैं तो हम क्या कहेंगे जाकर।

श्री उपाध्यक्ष : किन किन 18 गांवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है, कृपया इसकी सूची दे दें।

नैक्स्ट। श्री नवलराम बच्चाणी।

वैद्यों के वेतनमान

165. **श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम)** : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आयुर्वेद के वैद्यों को नये वेतनमान देने के लिए आयुर्वेद विभाग से राज्य सरकार के पास कोई सिफारिश आई है ? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उस सिफारिश पर कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हाँ, तो क्या ?

राज्य मन्त्री, आयुर्वेद (श्री भैरवलाल कालाबादल) : (1) जी हां, सूचना की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) मामला अभी विचाराधीन है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री नवलराय बच्चाणी : माननीय उपाध्यक्ष जी, कितने दिनों में वैद्यों के वेतनमान के लिए कुछ निर्णय होगा ? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि पिछले थोड़े समय में आयुर्वेद विभाग के मन्त्री बार बार बदलते रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बच्चाणीजी, प्रश्न पूछें। आप सप्लीमेन्ट्री पूछें।

श्री मूलचन्द डागा : यह बदलेंगे नहीं, यह तो रहेंगे।

श्री नवलराय बच्चाणी : माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके लिए निश्चित समय दिया जाये कि विचाराधीन कब तक चलता रहेगा ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : क्या वैद्यों के वेतनमान के लिए छात्रों ने आन्दोलन किया था, उस आन्दोलन को समाप्त करने के लिए आश्वासन दिया था ? जिन वेतनमान की आयुर्वेद विभाग ने सरकार को सिफारिश की उसके अनुसार वेतनमान दे दिवे जायें, तो कितने रुपयों का आपको अधिक धन जुटाना पड़ेगा ?

श्रीमती उजला आरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगी कि कितनी बार किस किस मन्त्री के समय में इस प्रश्न पर कब कब

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

और क्या क्या आश्वासन दिये गये हैं ? मन्त्री महोदय बताने की कृपा करें।

श्री कौशलकिशोर जैन : मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि राजस्थान सरकार गुजरात की तरह वैद्यों का वेतनमान डाक्टरों के वेतनमान की तरह करने का विचार रखती है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : मामला विचाराधीन है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : विरोधी तारीफ कर रहे हैं........

श्रीमती उजला अरोड़ा : मन्त्री महोदय यह भी बतावें कि सन् 1936 में एक निर्णय लेकर कविता लिखी थी, 'काला बादल रे अब तो बरसा दे बदलती आग ने'। यह आप आग कब बरसा रहे है ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : क्या विद्यार्थियों ने कोई आन्दोलन किया था ? क्या कोई कमेटी बनाई गई थी ? उस कमेटी ने क्या सुझाव दिये ? वैद्यों के वेतनमानों के बारे में क्या सिफारिश की ? सिफारिशों को क्रियान्वित करने में कितने धन की आवश्यकता है ?

श्री भैरवलाल कालाबादल : भागीरथसिंह जी जोशी, अध्यक्ष, इन्डियन मेडिसन बोर्ड के अनुसार प्रथम एवं द्वितीय ग्रेड की वेतन शृंखला देना........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आयुर्वेद मन्त्री महोदय, इस पत्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : He is the only perfect Minister.

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया यह बता दीजिए कि वेतनमानों में संशोधन करने से कितने रुपयों की आवश्यकता होगी ?

श्री कौशलकिशोर जैन : वेतनमान बढ़ाये जायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : विचाराधीन है।

श्री गुलाबचन्द कटारियां : 14 लाख का घाटा करके भी उनके वेतनमान........

श्री उपाध्यक्ष : यह मामला भी विचाराधीन है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वेतनमान देने की मन्शा है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या 166

श्री मन्जूर अली।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री श्योपतसिंह मकासर।

राजस्थान तथा भाखड़ा की नहरों पर बनाये गये एस्केप

167. **श्री श्योपतसिंह मकासर** (हनुमानगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री श्योपतसिह मकासर)

(1) राजस्थान तथा भाखड़ा क्षेत्र की नहरों पर कितने व कहां कहां एस्केप बनाये गये हैं ?

(2) क्या इन एस्केप के पानी छोड़ने के लिए एरियाज रिजर्व किये गये हैं ? यदि हां, तो कहां कहां कितने एकड़ में ?

(3) क्या भाखड़ा क्षेत्र की करणी ब्रांच नहर में ढाबा गांव के पास एस्केप बना हुआ है ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त एस्केप से सैकड़ों बीघा जमीन डूब जाती है ? यदि हां, तो उन किसानों को क्या मुआवजा दिया गया ?

(5) उपरोक्त एस्केप का पानी किस चक में छोड़ा गया ? पिछले पांच साल की फसलों का ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

गृह मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (1) राजस्थान नहर परियोजना के अन्तर्गत आठ व भाखड़ा नहरों पर दो एस्केप बनाये गये हैं, जो निम्न प्रकार हैं:—

1–राजस्थान फीडर की बुर्जी 6,28,600 पर ।

2–राजस्थान मुख्य नहर की बुर्जी 1,65,000 पर ।

3–राजस्थान मुख्य नहर की बुर्जी 5,07,000 पर ।

4–सूरतगढ़ शाखा की बुर्जी 1,86,500 पर ।

5–पूगल शाखा की बुर्जी 96,600 पर ।

6–बीकानेर लूनकरणसर लिफ्ट नहर की बुर्जी नं० 35,000 पर ।

7–बीकानेर लूनकरणसर लिफ्ट नहर की बुर्जी 1,00,000 पर ।

8–बीकानेर लूनकरणसर लिफ्ट नहर की बुर्जी नं० 4,43,000 पर ।

9–भाखड़ा में करनसिंह ब्रांच आर० डी० 20,000 ।

10–भाखड़ा में सादूल ब्रांच आर० डी० 1,42,000 ।

(2) (अ) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत बनाए गए इन एस्केपों का पानी छोड़ने के लिए क्षेत्र निर्धारित किए हुए हैं, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

1–एस्केप राजस्थान फीडर की बुर्जी 6,28,600 पर:—

इस एस्केप का पानी घग्घर डाइवर्शन नहर में छोड़ा जाता है, अतः एस्केप पानी के लिए अलग से क्षेत्र निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

2–राजस्थान मुख्य नहर की बुर्जी 1,65,000 पर

(12)

(श्री सम्पतराम)

इस एस्केप में से छोड़ा गया पानी घग्घर डाइवर्शन स्कीम के अन्तर्गत बने रिजवीयर में जाता है, अतः एस्केप के पानी के लिये अलग से क्षेत्र निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

3–राजस्थान मुख्य नहर की बुर्जी 5,07,000 **पर**

इस एस्केप के लिए 1500 एकड़ एरिया रिजर्व किया गया है ।

4–सूरतगढ़ शाखा की बुर्जी 1,86,500 **पर**

इस एस्केप के लिए श्योपुरा वितरिका एस. एच. पी. डी. का 309.16 एकड़ एवं लांगेवाला वितरिका (एल. बी. डब्ल्यू.) का 114.69 एकड़ क्षेत्र निर्धारित है ।

5–पूगल शाखा की बुर्जी 96,600 **पर**

इस एस्केप के लिए 85 एकड़ एरिया रिजर्व किया गया है ।

6–बीकानेर लूनकरणसर लिफ्ट नहर की बुर्जी 35,000 **पर ।**

7–बीकानेर लूनकरणसर लिफ्ट नहर की बुर्जी 1,00,000 **पर ।**

8–बीकानेर लूनकरणसर लिफ्ट नहर की बुर्जी 4,43,000 **पर ।**

इन तीनों एस्केपों के लिए एरिया रिजर्व नहीं है, परन्तु डिप्रेशन में क्रमशः 200 एकड़, 150 एकड़ एवं 300 एकड़ में पानी जाता है।

(ब) भाखड़ा क्षेत्र की नहरों पर बने एस्केपों के कोई एरिया रिजर्व नहीं है ।

(3) जी हां । ढाबा ग्राम से करीब 3 किलोमीटर दूर पर एक एस्केप बना है ।

(4) जी हां । केवल करनीसिंह ब्रांच की ग्रार. डी. 20 वाली एस्केप से बहने वाले पानी से अधिक से अधिक 170 एकड़ भूमि में पानी फैलता है । इस पानी से फसल को हानि हो सकती है । हानि होने पर उस भूमि को सिंचाई कर शुल्क से मुक्त किया जाता है ।

(5) एस्केप का पानी चक 1 डी. एन. जी. व चार ओ. पी. डी. के चकों के कुछ हिस्सों में फैलता है उस भूमि की फसलों का ब्यौरा निम्न है । पिछले पांच वर्षों में सिर्फ एक वर्ष 1977-78 में दिनांक 15-2-77 से 18-2-77 तक कुल 120 घन्टे पानी चला जो 145 एकड़ रकबे में फैल गया था । कुल सिंचाई कर मुक्ति 26 एकड़ को दी गई थी क्योंकि 26 एकड़ में ही फसल को हानि हुई थी ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है कि जो इमर्जेन्सी पीरियड में पानी टूट जाये उसके लिए एस्केप रखा गया है बाकी सारे एस्केपों के लिए एरिया रिजर्व किए हैं । करणीसर एस्केप और भाखड़ा के लिए एरिया रिजर्व क्यों नहीं किया ? एरिया रिजर्व नहीं करने की वजह

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

से काश्तकारों की फसल डूब गई है उनको मुग्रावजा दिया कि नहीं ? मुग्रावजा नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया ?

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि यह एक टेम्प्रेरी फेज है। मैंने ग्रभी ग्रापके माध्यम से सदन को निवेदन किया, मैंने कहा, पांच वर्षों की स्थिति इस प्रकार रही है। ग्रब भाखड़ा के पानी का यूटिलाइजेशन नहीं होने की वजह से पानी काफी ग्राता है ग्रौर पानी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। सिंचाई कर माफ कर दिया जाता है। माननीय सदस्य की भावना से मैं सहमत हूं। राज्य स्तर तक इस वारे में विचार करेंगे। पानी फसल को नष्ट कर देता है। ग्रापने कहा, राज्य सरकार को विचार करके फैसला करना चाहिए तो हम इस पर विचार करेंगे ग्रौर कोई न कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या 168.

श्री रामकरण सिंह।

(ग्रनुपस्थित : कृपया ग्रागे देखें)

श्री ग्रब्दुल ग्रजीज।

राज्य में नये ग्रायुर्वेद व यूनानी दवाखाने

169. **श्री ग्रब्दुल ग्रजीज (मकराना)** : क्या ग्रायुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत वर्ष राज्य में कितने ग्रायुर्वेदिक एवं यूनानी दवाखाने खोले गए तथा इस वर्ष कितने खोलने की योजना है ?

(2) राज्य सरकार मकराना में यूनानी दवाखाना कब तक खोलेगी ?

राज्य मन्त्री, ग्रायुर्वेद (श्री भैरवलाल कालाबादल) : (1) वित्तीय वर्ष 1978–79 में 6 ग्रायुर्वेदिक ग्रौषधालय खोले गए हैं।

वित्तीय वर्ष 1979–80 में 66 व 20 ग्रौषधालय खोलने का राज्य सरकार विचार रखती है। योजना के ग्रन्तिम रूप के पश्चात् ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(2) राज्यादेश क्रमांक प०/(6) वि० स्वा०/76 भाग–6 दिनांक 27-7-78 द्वारा मकराना में यूनानी ग्रौषधालय खोल दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : ग्रब तो खुल गया है। धन्यवाद तो दे दो।

श्री मोहम्मद जहूर (कामां) : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उसको चलाने के लिए ग्रापके पास पर्याप्त धन है ?

श्री हजारीमल सारण (सरदारशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यूनानी ग्रौर ग्रायुर्वेदिक ग्रौषधालय खोलने का ग्राधार क्या है ?

श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर) : माननीय मन्त्री महोदय यह बतावें कि मकराना में जो यूनानी दवाखाना खोला है,

(श्री टीकमचन्द कान्त)

वह माननीय कृषि मन्त्री जी की सिफारिश पर खोला है या कैसे ?

श्री लालशंकर डेंडोर (सागवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय यह बतावें कि डूंगरपुर जिले में 6 महीने तक औषधालय चलाया गया, उसको बाद में किन आधारों पर बन्द कर दिया गया ?

श्री हजारीमल सारण : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। राज्य में यूनानी और आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का आधार क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री सूरजपाल सिंह।

निरीक्षकों का स्थायीकरण

170. **श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) :** क्या वित्त मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि वाणिज्य कर विभाग में निरीक्षकों में से एक भी निरीक्षक स्थायी नहीं है ? अगर हाँ, तो इसका क्या कारण है ? इसके लिए कौन दोषी है ?

(2) इन निरीक्षकों को कब तक स्थायी कर दिया जाएगा ?

वित्त मन्त्री (श्री आदित्येन्द्र) : (1) यह सही नहीं है। विभाग में 58 निरीक्षक स्थायी हैं।

(2) विभाग के वाणिज्यिक कर निरीक्षकों की वरिष्ठता का प्रश्न विवादास्पद होने के कारण वरिष्ठता निर्धारण का मामला लोक सेवा आयोग को कुछ बिन्दुओं पर उनकी सहमति के लिए भेजा गया है। सहमति प्राप्त होने पर अस्थायी निरीक्षकों को स्थायी करने की कार्यवाही की जावेगी।

श्री सूरजपाल सिंह : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में कुल कितने निरीक्षक हैं ? उनमें से कितने स्थायी हैं, कितने एडहाक बेसिस पर हैं ? एडहाक बेसिस वालों को स्थायी नहीं करने का क्या कारण है ? काफी समय पहले ए. सी. टी. ओ. के प्रमोशन हो चुके हैं किन्तु उनका स्थायीकरण नहीं किया गया है। इस विधान सभा में तीन बार प्रश्न देने के बाद भी और आपके द्वारा निरन्तर इस विधान सभा में आश्वासन देने के बाद भी कि जून में डिपार्टमेन्टल प्रमोशन कमेटी विठा देंगे, दिसम्बर में विठा देंगे, अभी तक कोई कमेटी नहीं बिठाई गई है। आपने जवाब दिया है कि 52 स्थायी निरीक्षक हैं, यह सूचना गलत है। कृपया मुझे बताने की कृपा करें कि कुल कितने परमानेन्ट हैं, कुल कितने एडहाक बेसिस पर हैं और कुल कितने वाणिज्य विभाग में निरीक्षक हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें प्रश्न यह है कि जितने निरीक्षक लगाए गए हैं उनकी संख्या जितने ए. सी. टी. ओ. का प्रमोशन होता है उसके अनुसार नहीं है। इसलिए पूर्ण पक्षपात हैं। ए. सी. टी. ओ. बढ़ाए हैं पिछले दो-तीन

(श्री रघुनाथ विश्नोई

साल में उसके अनुपात में नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रघुनाथ जी, जो प्रश्न है वह निरीक्षक का है। इसमें ए. सी. टी. ओ. कहां से आ गए ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : जब तक स्थाई नहीं होते हैं तब तक ए. सी. टी. ओ. से प्रमोशन नहीं होता है। उनका कोई आधार तो होना चाहिए--यह मतलब है।

श्री सूरजपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने यह सूचना दी है कि परमानेन्ट इन्सपेक्टर्स 58 है। उनकी सूची बता दें। एक भी इन्सपेक्टर परमानेन्ट नहीं है। सारे अस्थायी है। आपका जो जवाब है, वह बिल्कुल गलत है। 52 की जो सूची है, वह बता दीजिए। जहां तक मुझे जानकारी मिली है सेल्स टैक्स विभाग में एक भी इन्सपेक्टर स्थायी नहीं है।

श्री शिवचरण सिंह : 52 इन्सपेक्टर्स में से कितने कमिटेड हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : 52 नहीं 58 हैं।

पंचायत मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : ये कमिटेड क्या है ?

श्री आदित्येन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो जानकारी दी है·······

एक माननीय सदस्य : माइक पर बोलिये, सुनाई नहीं देता है।

श्री आदित्येन्द्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो जानकारी दी गई है, वह ठीक है। कुल 58 स्थायी निरीक्षक हैं। कुल निरीक्षकों के पद 285 हैं, उनमें से 195 परमानेन्ट पद हैं और बाकी के शेष 90 पद अस्थायी हैं। इन 195 में से 58 पर स्थायी कर दिये गए हैं।

श्री सूरजपाल सिंह : ये जो 58 परमानेन्ट किये है, ये प्रश्न पूछने के बाद तो नहीं किये हैं ? बाद में कर दिये होंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : कर तो दिये आपका तो मतलब हल हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गुलाब चन्द।

उदयपुर के सेमारी गांव में अनियमित कनेक्शन

171. **श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)** : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जलदाय विभाग द्वारा सेमारी गांव उदयपुर जिला में लगे हुए अनियमित कनेक्शन, जो गैर कानूनी हैं, के बारे में जांच की गई है ? यदि हां, तो जांच में कितने कनेक्शन अनियमित पाये गये ?

(2) इस अनियमितता के कारण किन-किन कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दोषी ठहराया गया ? उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही क्या की गई ?

(3) इस घटना के बाद क्या अन्य गांवों में भी इस प्रकार के जाली कनेक्शन की

(16)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जांच की गई ? यदि हो, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

राज्य मन्त्री, जन स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : (1) जी हां, 28 (अठाईस) जल सम्बन्ध अनियमित पाये गये ।

(2) प्रारम्भिक जांच से श्री रामजीलाल सहायक को दोषी पाया है । अतः नियमानुसार विभागीय जांच के आदेश दे दिये गये हैं । आरोप पत्र दे दिया है ।

(3) जी हां, जिले के सभी गांवों की इस तरह की जांच चल रही है ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, वहां के सरपंच, वहां के जे.ईएन. को 6 महीने पहले सूचना दी थी कि सेमारी गांव में फर्जी कनेक्शन लगे हुए हैं उसके बाद भी उन्होंने जांच नहीं की । उसके बाद एक्स.ईएन. को सारे बिल ले जाकर दे दिए फिर भी जांच नहीं की गई । बाद में जब अनियमितता पाई गई तो रामजीलाल को चार्जशीट देकर सस्पेन्ड किया गया किन्तु उनको पुनः सेवा में लगा दिया गया है । मन्त्री महोदय बताने की कृपा करें कि क्या यह सत्य है ?

श्री महबूब अली : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि उसको री-इन्स्टेट कर दिया गया है । जो अनियमित कनेक्शन पाये गये थे, उनकी जांच हो रही है और विधिवत विभागीय जांच के आदेश दे दिये गये हैं । 28 कनेक्शन अनियमित पाये गये थे, उनको रेगुलराइज कर दिया गया है और जितने पैसे बनते थे, वे ले लिए गये हैं । जब आपका प्रश्न आया तो जांच के आदेश भेज दिये गए हैं । जाँच से जो दोषी पाये जायेंगे........

(व्यवधान)

इस प्रकार के भ्रष्टाचार का काण्ड हमने चार महीने तक लगातार प्रयत्न करने के बाद पकड़ा । उसके बाद इन्होंने जांच की, दोषी पाया, फिर भी उस व्यक्ति को वापस री-इंस्टेट कर दिया गया । क्या यह आपकी इस मनोवृत्ति का सबूत नहीं है कि आप भ्रष्ट और बेईमान को बचाना चाहते हैं ?........

(व्यवधान)

इससे बड़ा सबूत आपको और क्या चाहिए । जांच की गई और फर्जी कनेक्शन पकड़े गए, फर्जी रसीदें पकड़ी गई जिनसे पैसा वसूल हो रहा है उसमें सारे अधिकारी इन्वोल्व्ड हैं । अधिकारियों को बचाने के लिए यह सारा दबाव था........

(व्यवधान)

श्री मदन सिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ओब्जेक्शन है । कल बजट भाषण पर वाद विवाद में जब भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे तो यही सदस्य कह रहे कि भ्रष्टाचार खतम हो गया और अब अपने मुंह से ही यह कह रहे हैं ।

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि 28 इल्लीगल कनेक्शन थे, मेरा आरोप है कि 52 फर्जी कनेक्शन हैं, आज की तारीख में भी मौजूद हैं । जब आरोप पत्र

(श्री एच. एन. शर्मा)

दे दिया तो फिर वापस री-इंस्टेट क्यों कर दिया

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : उसको बरखास्त क्यों नहीं किया गया ?

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, किस के कहने से आपने उसको री-इंस्टेट किया ? 28 फर्जी कनेक्शन पाये जाने के बाद भी उसको री-इंस्टेट क्यों किया गया ? क्या इसका कारण यह नहीं है कि उसके बहनोई जे. ईएन. हैं इसके कारण से ऊपर के अधिकारियों ने मिल कर उसको बचाने का प्रयास किया है ?

श्री मदन सिंह दांता : You are right.

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि गत सत्र में पहले के चीफ इन्जीनियर राजवंशी के बारे में बताया गया था....

श्री श्योपतसिंह मकासर : इससे रेलेवेन्सी नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह रेलेवेंट नहीं है ।

मेजर श्री फतहसिंह : जब प्राइमाफेसी केस था, 28 कनेक्शन गलत लगाए थे तो फिर री-इंस्टेट क्यों किया गया ? इसका मतलब है कि आप भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं....

(व्यवधान)

श्री हजारीमल सारण : क्या अब भी वापस सस्पेंड करेंगे....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय को बोलने दीजिए ।

श्री महबूब अली : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि 28 कनेक्शन अनियमित पाये गये । इसके लिए जिम्मेदार आदमी उसका हैल्पर रहा था, कांतिलाल जिम्मेदार पाया गया । उसके खिलाफ विभागीय जांच इन्स्टीट्यूट कर दी गई है और जांच चल रही है । जांच का निर्णय आने पर उसके अनुसार जो निर्णय होगा उसके आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी ...

(व्यवधान)

मुझे सुन लीजिए ।

मेजर श्री फतहसिंह : क्या रिपोर्ट आने तक सस्पेंड कर दिया जाएगा ?

श्री महबूब अली : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, यह तथ्य है । जो कुछ कह रहा हूं वह सही है । हम इसमें कुछ भी छिपाना नहीं चाहते लेकिन....

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय, जब जांच करने के पहले आरोप पत्र दे दिया गया तो क्या सस्पेंड नहीं किया जा सकता है ? अगर सस्पेंड किया जा सकता है तो क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(18)

श्री महबूब अली : मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिए कह दूं कि उस व्यक्ति को दुबारा सस्पेंड कर दिया जाएगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री नूरा : सवाल यह नहीं है। अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया ?

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, अधिकारियों के शामिल होने के कारण दो साल से फर्जी कनेक्शन दिये गए। सारे अधिकारी इसमें इन्वोल्व्ड थे, उन्हें भी सस्पेंड करना चाहिए।

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मान्यता है कि एक छोटा सा कर्मचारी हैल्पर इतनी बड़ी अनियमितता नहीं कर सकता। दो साल तक फर्जी कनेक्शन नहीं चल सकते हैं। दो वर्ष तक फर्जी कनेक्शन कायम रहने से स्पष्ट है कि उसके ऊपर के अधिकारी भी इस अनियमितता में दोषी थे....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक पूरक क्वेश्चन है....

श्री उपाध्यक्ष: श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री बहादुर सिंह (नोहर) : क्या इन फर्जी कनेक्शनों के लिए मंत्री महोदय के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : मंत्री महोदय जिम्मेदार नहीं हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि अगर हैल्पर दोषी है तो जो जूनियर इंजीनियर और दूसरे इंजीनियर हैं वे शराब पीकर पड़े रहे और हैल्पर अनियमितता करता रहा ?

श्री रामेश्वरदयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न है....

(व्यवधान)

मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि इस हैल्पर को आपने वापस सर्विस में लिया वह माननीय मंत्री महोदय के आदेश से लिया या अधिकारियों के आदेश से लिया ? किस के आदेश से वापस सर्विस में लिया यह बताया जाय, नम्बर वन ?

दूसरा मैं यह पूछना चाहूंगा कि जो आपका जवाब है कि २८ इल्लीगल कनेक्शन पाये गये, तो क्या यह बात सही है कि २८ नहीं वहां पर ५२ कनेक्शन इल्लीगल पाये गये ? क्या आपका स्टेटमेंट जो २८ का है वह सही है या ५२ का जो आरोप है वह सही है ? इन दो सवालों को स्पष्ट करें कि जो अधिकारी वहां पर थे....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री हजारीमल सारण : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक बहुत जरूरी सप्लीमेंट्री है। कृपा करके मुझे पूछने दें।

मंत्री महोदय यह भी जवाब देने का कष्ट करें कि उस कर्मचारी को री-इंस्टेट आपके हुकम से नहीं किया गया, अन्य अधिकारियों ने किया तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे ?

श्री एच.एन शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो साल तक यह अनियमितता चलती रही····

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये।

श्री एच.एन. शर्मा : दो साल तक रकम वसूल नहीं हुई तो क्या रकम वसूल की जाएगी। जो अधिकारी वहां पर रहे हैं वे भी अनियमितता करने के दोषी हैं, बड़े अधिकारी भी बराबर के दोषी हैं तो उन बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करनी चाहिए····

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरीसिंह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए सारे मामले की जांच कर ली जाएगी। एक से ज्यादा जितने भी आदमी इसमें इन्वोल्वड होंगे उन सब को सजा मिलेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदस्यगण और भी किसी मामले को सामने लायेंगे तो हम तुरन्त कार्यवाही करेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : You will do it. I know it.

मेजर श्री फतहसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो री-इन्स्टेट किया गया था क्या इसको आज ही सस्पेंड कर दिया जाएगा ?

श्री हरीसिंह : मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसको आज फिर से सस्पेंड कर दिया जाएगा। और भी किसी पर अगर मामले बनते हैं, केसेज बनते हैं तो उनको भी सस्पेंड कर दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किनारे आते-आते मेरा क्वेश्चन रह जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कौशलकिशोर जैन।

श्री मदनसिंह दांता : मंत्री महोदय ने ईमानदारी से बात कह दी फिर क्या चाहते हैं।

महावीर इन्सुलेशन प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा

172. **श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) महावीर इन्सुलेशन प्राइवेट लि० भीलवाड़ा का 1974–75, 1975–76, 1976–77 का हानि लाभ क्या था ?

(2) इन तीन वर्षों में महावीर इन्सुलेशन प्राइवेट लि० द्वारा कितना टैक्स जमा कराया गया ?

(2) इस संस्थान को इन तीन वर्षों में कितना कोयला रियायती दर पर दिया गया ?

(4) क्या टैक्स चोरी का कोई केस इस संस्थान के खिलाफ बना है ?

वित्त मंत्री (श्री ग्रादित्येन्द्र) : (1) वाणिज्यिक कर अधिनियम में किसी व्यवसायी (डीलर) से हानि-लाभ का ब्यौरा प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है ।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय मंत्री महोदय सुनाई नहीं दे रहा है । माइक पर बोलिये ।

श्री ग्रादित्येन्द्र : (2) राजस्थान बिक्री कर के अन्तर्गत वर्ष 1974–75 में रुपये 1,099.84, वर्ष 1975–76 में रुपये 14 पैसा 55 एवं वर्ष 1976–77 में 2,034 रुपये 67 पैसे कर राशि के रूप में जमा कराये हैं एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1974–75 में रु० 42,418.77 पैसा, वर्ष 1975–76 में रु० 38,036.20 पैसा वर्ष 1976–77 में रु० 60,737.85 पैसा, कर राशि के रूप में जमा कराये हैं ।

(3) उद्योग विभाग से सूचना संकलित की जा रही है ।

(4) जी नहीं ।

श्री कौशलकिशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय मैं एक डाक्यूमेन्ट सदन की मेज पर रखना चाहता हूँ । यह डाक्यूमेन्ट 3 अप्रेल, 1975 का है । इसकी एक लाइन यहाँ सदन में पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ । यह पत्र इस संस्थान के मालिक श्री रामचन्दानी ने उनके जनरल मैनेजर को लिखा है ।

"My dear DP,

1. We show the stocks of Mica Waste & Coal, and clay as minimum as possible. This can be possible at this stage as we are not maintaining issue register. I feel that we have stocks worth about 2 lacs value, clay mica and coal."

आखिर में यह लिखा है :—

"The above points are very important, and I sincerely hope you will do in most confidant way. Do not write me any thing on this subject. You have only to act as per this letter.

Yours sincerely
RAMCHANDANI."

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूँगा कि प्रश्न के खण्ड (3) के जवाब में यह कहा गया है कि उद्योग मंत्रालय से इसकी जानकारी मंगाई जा रही है । मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दस साल से इस संस्थान ने लाखों रुपयों का कोयला रियायती भाव पर लिया था, वह कोयला ब्लेक में बेच दिया । इसी प्रकार लाखों रुपये के टैक्स की चोरी की गई है इस संस्थान द्वारा, उसका एक उदाहरण मैं यहां देना चाहूँगा । उपाध्यक्ष महोदय, इस

सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा क्योंकि यह एक बड़ा स्केन्डल है, इसकी जांच करवाई जाए और इस सदन को आश्वस्त करने की कृपा करें।

श्री आदित्येन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। फिर भी इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करके सदन को बतला दी जायगी।

एक माननीय सदस्य : ऐसी जानकारी मंत्री महोदय तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसी जानकारी यहां पर विधायक लेकर आते हैं तो क्या इससे वर्तमान सरकार के प्रति असन्तोष व्यक्त नहीं होता ?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया है कि माननीय कौशल किशोर जी जो भी सूचना देंगे, उसके आधार पर जांच करवा लेंगे।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सीकर जिले की नल कूप समूह योजना

160. **श्री रामदेवसिंह (मूंडवा)** : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले में नलकूप समूह योजना कहां-कहां प्रारम्भ की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम बिड़ोली, पचायत समिति धोद, जिला सीकर ने भी नल कूप समूह योजना प्रारम्भ करने की मांग की है ? यदि हां, तो यह स्कीम कब तक प्रारम्भ कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) भू-जल विभाग द्वारा सीकर जिले में समूह नल कूप योजना कहीं भी प्रारम्भ नहीं की गई हैं।

(2) जी हां। ग्राम पंचायत बिड़ोली, पंचायत समिति धोन्द, जिला सीकर ने समूह नल कूप योजना प्रारम्भ करने की मांग की है। इस क्षेत्र का विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा किया गया है। सर्वेक्षण प्रतिवेदन की प्रति, बोर्ड से प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सर्वेक्षण प्रतिवेदन से समूह नल-कूप योजना की सम्भावनाओं का अध्ययन किया जावेगा यदि समूह नल कूप निर्माण की सम्भावना हुई तो तदनुसार योजना तैयार की जायेगी।

झालावाड़ जिले के चिकित्सालयों में डाक्टरों का अभाव

162. **श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (मनोहरथाना)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में कितने डाक्टरों के स्थान हैं और वर्तमान में कितने काम कर रहे हैं ?

(2) कितने चिकित्सालय ऐसे हैं जहां पर दो दो साल से कोई डाक्टर नहीं है ?

(3) उक्त रिक्त स्थानों पर डाक्टरों को भेजने की व्यवस्था कब तक हो जावेगी ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में स्वीकृत व कार्यरत डाक्टरों का ब्यौरा निम्न प्रकार है।

स्वीकृत	56
कार्यरत	46
रिक्त पद	10

(2) ऐसा कोई चिकित्सालय नहीं है जहां दो साल से कोई डाक्टर न हो।

(3) प्रश्न के भाग 1 में दर्शाये गये पदों को भरने हेतु चिकित्सकों से आवेदन पत्र दिनांक 31–1–1979 तक मांगे गये थे, इसके पश्चात निदेशालय के पत्र क्रमांक 932 दिनांक 22–2–79 द्वारा कार्मिक विभाग को अस्थाई नियुक्ति हेतु सहमति के लिए निवेदन किया जा चुका है। सहमति प्राप्त होते ही रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

सवाई माधोपुर जिले में बांधों से जारी होने वाली नहरें

166. **सैयद मन्जूरअली (सवाई माधोपुर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर जिले में सिंचाई विभाग के बन्धों से जारी होने वाली नहरों की (पानी शुरू करने से पहले) तले की सफाई पर कुल कितना खर्च हुआ है ?

(2) क्या फी किलोमीटर इस प्रकार की नहरों के तले की सफाई का खर्च निर्धारित है ?

(3) क्या नहरों में पानी शुरू करने के पहले इस सफाई का सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर या अन्य उच्चाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाता है ? और क्या यह निरीक्षण रिकार्ड में रहता है ?

(4) क्या सवाई माधोपुर जिले में उक्त मजकूर नहरों के तलों की सफाई का निरीक्षण किया गया है ? यदि हां, तो किस अधिकारी ने और किन किन तारीखों में ?

(5) क्या यह काम वर्क चार्ज पर करांया गया है या टेन्डर पर कराया गया है ? ठेकेदारों के नाम व निवास स्थान के पतों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) बन्ध सूरवाल, मानसरोवर, मूई, भगवतगढ़ से जारी होने वाली नहरों के तलों की सफाई (पानी छोड़ने से पूर्व) का काम अगर मस्टर–रोल पर कराया गया हो तो मस्टर–रोल की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में विभाग के बांधों से जारी होने वाली नहरों की मरम्मत पर दिनांक 1–4–78 से 31–10–78 तक कुल रु० 26,244/– खर्चा हुआ है।

(2) जी नहीं।

आवश्यकतानुसार नहरों के तलों की मरम्मत की जाती है।

(3) आवश्यकता व नियमानुसार उच्चाधिकारियों व अन्य अधिकारियों द्वारा

निरीक्षण किया जाता है जो रिकार्ड में रहता है।

(4) इस खण्डीय कार्यालय के अधिनस्थ नहरों की सफाई एवं मरम्मत का निरीक्षण किया गया है संलग्न सूची में दर्शाई गई है।

(5) उपरोक्त कार्य ठेकेदार द्वारा व विभाग द्वारा करवाया गया है। ठेकेदारों से करवाये गये कार्यों की सूची एवं उनके नाम मय निवास स्थानों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(6) इन बांधों की सफाई एवं मरम्मत का कार्य मस्टर–रोल व ठेकेदारों द्वारा कराया गया है। मस्टर–रोल की सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

खनिज धातुओं सम्बन्धी हवाई सर्वेक्षण

168. **श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली)** : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खेतड़ी से अजमेर तक और भीलवाड़ा से बांसवाड़ा तक हवाई सर्वेक्षण 1967 से 1972 तक किया गया था? क्या इस सर्वेक्षण का अभिप्राय जमीन में छुपी हुई धातुओं का जैसे तांबा, शीशा, चांदी, जस्ता और पानी की धाराओं का ज्ञान करना ही था?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा करोड़ों रुपये से किये गये इस सर्वेक्षण व डाटा का कभी इस्तेमाल किया गया है?

उत्तर

(1) हां, भू-भौतिकी हवाई सर्वेक्षण वर्ष 1967 से 1972 तक खेतड़ी से अजमेर तक और भीलवाड़ा से बांसवाड़ा तक जमीन में छुपी हुई अलौह धातुओं की अनोमलि क्षेत्र ज्ञात करने हेतु किया गया था।

(2) इस डेटा का राज्य सरकार द्वारा तो उपयोग नहीं किया गया है, किन्तु भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा उक्त सर्वेक्षण से प्राप्त विभिन्न तकनीकी आंकड़ों से प्राप्त सूचना के आधार पर राजस्थान के चुने हुये अनोमलि क्षेत्रों में छिद्रण किया गया तथा उसके उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुये हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विद्युत मण्डल द्वारा सामान की खरीद

83. **श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में सुमत प्रसाद एण्ड सन्स, जी–6, विनय मार्ग सी स्कीम, जयपुर, कुन्दन ट्रेडिंग कम्पनी, ई 2, गोखले मार्ग, सी स्कीम, जयपुर, मैसर्स पदम प्रसाद एण्ड कम्पनी, चौरू हाउस, जयपुर नाम की फर्में हैं? यदि हां, तो इन फर्मों के श्रम विभाग द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रेशन नम्बर क्या–क्या हैं और कब यह फर्में रजिस्टर्ड हुईं एवं यह कब तक नवीनीकृत हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त फर्म से विद्युत मण्डल द्वारा दिसम्बर 1972 से अब तक सामान खरीदा गया? यदि हां,

तो किन-किन तारीखों को क्या-क्या सामान कितनी कितनी राशि का खरीदा गया है ?

(3) क्या यह सही है कि लुधियाना स्थित बेरी एण्ड कम्पनी के नाम से डी. जी. एस. एण्ड डी. रेट अप्रूव थे ? अगर हां तो किस सरकारी विभाग से और विद्युत् मण्डल द्वारा जनवरी, 1975 में क्या कोई आदेश देकर सामान खरीदा गया ? अगर हां, तो कितनी राशि का कितना सामान एवं किस तारीख में खरीदा गया ?

(4) क्या यह सही है कि विद्युत् मंडल द्वारा स्पोर्ट्स का सामान 13–3–75 को मैसर्स ए. के. स्पोर्ट्स से खरीदा गया था ? यदि हां, तो उक्त सामान खरीदने के नाम से टेण्डर मांगे गये थे या नहीं ? अगर मांगे गये तो कितने टेण्डर आये थे ? टेण्डर की एक एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या उक्त फर्म का उत्तर प्रदेश श्रम विभाग (शोप इन्सपेक्टर) के यहां पंजीयन है ?

उत्तर

(1) माह अगस्त, 1973 में प्रश्न में वर्णित फर्म जयपुर में थीं। इन फर्मों की वर्तमान में विद्यमानता एवं अन्य सूचना के बारे में विद्युत मण्डल को जानकारी नहीं है।

(2) विद्युत मण्डल ने वर्ष 1973 व 1975 में उक्त फर्मों से सामान खरीदा था जिसका विवरण सूची 'अ' में अंकित है।

(3) जी हां। लुधियाना स्थित बेरी एण्ड कम्पनी के नाम से डी.जी एस. एण्ड डी. रेट अप्रूव थे। बेरी एण्ड कम्पनी ने अपने पत्र दिनांक 28–1–1975 द्वारा सूचित किया कि राजस्थान में मैसर्स पदम प्रसाद एण्ड कम्पनी उनके अधिकृत विक्रेता हैं। अतः विद्युत मण्डल ने मैसर्स पदम प्रसाद एण्ड कम्पनी, जयपुर से आदेश दिनांक 20/21–2–75 के तहत 25,000 जर्सियां खरीदी थीं जिनकी कुल रकम 8,58,740.00 रुपये है।

(4) जी हां। मैसर्स ए. के. स्पोर्टस मेरठ सिटी को दिनांक 13–3–75 को स्पोर्ट्स का सामान खरीदने के आदेश दिये थे, परन्तु उक्त फर्म ने विद्युत मण्डल को कोई भी सामान सप्लाई नहीं किया। अतः इस कारण उक्त फर्म की जमा राशि 1000/– रु० भी जब्त करली गई। स्पोर्ट्स का सामान खरीदने के लिए टेण्डर मांगे गये थे। कुल 9 टेण्डर प्राप्त हुए थे जिनका तुलनात्मक विवरण संलग्न है।

(5) यह सूचना विद्युत मण्डल में उपलब्ध नहीं है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

विद्युत मण्डल द्वारा कृषि कुओं पर फ्लेट रेट लागू करने का मामला

84. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूनी):– क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विद्युत मण्डल ने राजस्थान में कृषि कुओं पर फ्लेट रेट कब से लागू की

है तथा प्रति हार्स पावर क्या दरें निश्चित की हैं ?

(2) अगर उपभोक्ताओं ने पूर्व में अन्य खातेदारों या भाइयों की हिस्सेदारी के कुएं में होते हुए भी सुविधा की दृष्टि से एक ही हिस्सादार ने अपने नाम से विद्युत् कनेक्शन ले लिया और कुल हिस्सेदारों का कुआं एक ही है व जमीन भी शामिल है लेकिन विद्युत् मण्डल की फाइल में अन्य हिस्सेदारों के नाम नहीं हैं तो उनसे विद्युत्-मण्डल किस तरह फ्लेट रेट निश्चित करेगा ?

विद्युत मण्डल ने राजस्थान में कृषि कुओं पर मीटर्ड सप्लाई के विकल्प में फ्लेट रेट दिनांक 1–1–79 से लागू की है। प्रति हार्स पावर फ्लेट रेट निम्न प्रकार है–

(1) 3 हार्स पावर तक कनेक्टेड लोड	रु० 120/– प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष चार्जिग 10/– प्रति हार्स पावर प्रति माह।
(2) 3 हार्स पावर से अधिक तथा 5 हार्स पावर तक कनेक्टेड लोड	रु० 144/– प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष चार्जिग 12/– प्रति हार्स पावर प्रति माह।
(3) 5 हार्स पावर से अधिक तथा 7·5 हार्स पावर तक कनेक्टेड लोड	रु० 180/– प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष चार्जिग 15/– प्रति हार्स पावर प्रति माह।
(4) 7·5 हार्स पावर से अधिक तथा 10 हार्स पावर तक कनेक्टेड लोड	रु० 204/– प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष चार्जिग 17/– प्रति हार्स पावर प्रति माह।

यदि कोई व्यक्ति किसी कुएं में विक्रय, विरासत या लिक्वीडेशन द्वारा हकदार/खातेदार हो गये हैं तो उस कुएं का विद्युत् कनेक्शन, जो अब तक किसी और के नाम था, विद्युत प्रदाय की सामान्य शर्त –20 एफ और 5– के अन्तर्गत उनके नाम हस्तान्तरण कराया जा सकता है। इस तरह के कनेक्शन हस्तान्तरण हो जाने के बाद जो हकदार बनते हैं वे संयुक्त रुप से फ्लेट रेट का विकल्प दे सकते हैं। अगर किसी ऐसे एक खातेदार ने किसी कुएं में बिजली का कनेक्शन अपने ही नाम अलग से ले रखा है और कुएं में औरों का भी खातेदारी हक है तो ऐसे मामले में विद्युत प्रदाय की सामान्य शर्तें जो समाविष्ट वैधानिक प्रावधान के अनुसार अन्य खातेदार इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकते क्योंकि उसका विद्युत मण्डल से एक अनुबन्ध कायम है जिसको निरस्त करना आवश्यक हो जाता है। जब तक यह अनुबन्ध कायम रहता है, अन्य खातेदारों का उसमें, जहाँ तक विद्युत मण्डल से सम्बन्ध है, कोई हक नहीं बनता। इस तरह के मामले या ऐसी परिस्थिति में फ्लेट रेट का विकल्प देने के लिए, केवल यही तरीका रहता है कि वह उपभोक्ता – अपना विद्यमान (Existing) अनुबन्ध नियमानुसार विद्युत मण्डल को नोटिस देकर समाप्त करे और ऐसा अनुबन्ध समाप्त होने के पश्चात्

वह उपभोक्ता स्वयं एवं अन्य खातेदारों के नाम से नया कनेक्शन लेने के लिए एप्लीकेशन/रिक्वीजीशन/एग्रीमेन्ट फार्म भरे जिसमें कि फ्लेट रेट का विकल्प दें। ऐसा एप्लीकेशन/रिक्वीजीशन/एग्रीमेन्ट फार्म प्राप्त होने के बाद ऐसे सभी खातेदार व्यक्तियों के नाम नया कनेक्शन देने के बाद उनको फ्लेट रेट पर विद्युत प्रदाय कर दी जायगी।

पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र की विद्युतीकरण की योजना

85. **श्री ईश्वर चन्द (पिड़ावा)** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के ऐसे कौन कौन से गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंचाई गयी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण की कोई योजना पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के सम्बन्ध में राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

(3) क्या पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र (झालावाड़) की विद्युत् संबंधी आवश्यकताओं का ग्रामवार सर्वे किया जा चुका है ? यदि हाँ, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि नहीं, तो कब तक इस क्षेत्र का पूरा सर्वे करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में 9 गांव अविद्युतीकृत हैं जिनकी सूची 'अ' सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) विद्युत मण्डल की सामान्य विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1978–79 में 21 गांव पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत हुए हैं। आर० ई० सी० की योजना इस क्षेत्र में उच्च प्रसारण क्षमता उपलब्ध नहीं होने के कारण विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। अभी ग्रामवार सर्वे नहीं हुआ है तथा उस क्षेत्र के समीप 132 के० वी० का ग्रिड सब स्टेशन स्थापित होने से पूर्व कोई संभावना नहीं है।

जसवंत सागर बांध की मरम्मत

86. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत):– क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला जोधपुर का जसवंत सागर बांध किस सन् में क्षतिग्रस्त हुआ तथा इसकी मरम्मत कब की गई ? इसमें अलग-अलग मद में कितनी कितनी राशि स्वीकृत व खर्च हुई तथा क्या कार्य विभाग द्वारा कराया गया या ठेकेदारों द्वारा ? यदि ठेकेदारों द्वारा हुआ तो उनके नाम, पते व कार्य की मात्रा व राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त बांध में उस वर्ष नहरों की कितनी क्षति हुई, तथा उनके रिपेयर अथवा पुन: निर्माण के लिए कितना कितना खर्चा विभाग या ठेकेदारों द्वारा (नाम सहित) किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3 उपरोक्त बांध रिपेयर में जो ठेके अलग अलग मद के दिये गये (खोदना मिट्टी या मुड डालना, पत्थर की दीवार बनाना, लीड कितना मिट्टी खोदना एवं किन किन काश्तकारों से मिट्टी खरीदना आदि) यानि पूरे स्पेसिफिकेशन जो ठेके में दिये गये थे, तथा जो काम जिस प्रकार जितनी मात्रा में किया गया ? मय ठेके के रकम की अदायगी तथा काम किन किन अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया गया की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त रिपेयर के ठेके कार्य माफिक टेण्डर की शर्तों के नहीं होने से रिपेयर के स्थान से बांध भरने के बाद रिसाव होता गया तथा काश्तकारों के खेतों में पानी भरने लगा तथा काश्तकारों के द्वारा एतराज करने पर रिसाव के पानी को आगे निकालने के लिए एक छोटी नहर बनानी पड़ी ? इस नहर पर कितना तथा कब किस मद में खर्च हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे।

उत्तर

(1) जसवन्त सागर बांध वर्ष 1976 में क्षतिग्रस्त हुआ। इसकी मरम्मत का कार्य वर्ष 1976-77 व 1977-78 में किया गया।

मद 533 पूंजी नियोजन में वर्ष 76-77 में रु० 12.18 लाख व 1977-78 में 2.20 लाख रु० व्यय किये गये इसका कार्य ठेकेदार व विभाग द्वारा कराया गया है । कराये गये कार्य का विवरण तालिका 'अ' में दर्शाया गया है।

(2) नहरों की लगभग 130 चेन में क्षति हुई तथा इन नहरों के पुनर्निर्माण पर 8.65 लाख रु० व्यय किये गये। ठेकेदारों की तालिका 'ब' संलग्न है।

(3) बांध बनाने का पूरा विवरण तालिका 'स' मे व मिट्टी जो काश्तकारों के खेतों से ली गयी भुगतान विवरण सहित तालिका 'द' में संलग्न है। काम की अदायगी तथा काम सहायक अभियन्ता जोधपुर द्वारा प्रमाणित किया गया।

(4) जी नहीं।

कार्य ठेके की शर्तों के अनुसार ही करवाया गया। वर्ष 1976 में बांध के नीचे की भूमि का स्तर निचला होने के कारण वर्षा का पानी भरा था न कि रिसाव के कारण। इसको निकालने हेतु एक छोटी नाली का निर्माण किया गया जिस पर रु० 10,000/- व्यय हुआ।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

माध्यमिक विद्यालय खाटोली के अध्यापक का बकाया वेतन

88. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री हरीकरण नागर, सहायक अध्यापक मा. वि. खाटोली हाल वरिष्ठ अध्यापक टोंक ने सन् 1976–77 में बी. एड. किया है तथा जिनका अवकाश स्वीकृत हो चुका है ? यदि हां,

तो उनके स्वीकृत अवकाश का वेतन अभी तक नहीं मिलने का क्या कारण है तथा स्वीकृत अवकाश की यह धन राशि कुल कितनी है ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त अध्यापक को शीघ्र वेतन भुगतान किये जाने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) सहायक अध्यापक श्री हरिकरण नागर ने 1977 में बी० एड० प्रशिक्षण किया तथा इनका अवकाश स्वीकृत हो चुका है। स्वीकृत अवकाश का वेतन रु० 1228.87 पैसे उन्हें ड्राफ्ट द्वारा दिनांक 6-2-79 को भिजवा दिया गया है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रौढ़ शिक्षा कार्य

89, **श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, उच्चतर माध्यमिक स्कूल और कालेजों की संख्या कितनी है और इनमें निजी कितने हैं ? वर्तमान सरकार ने कितने स्कूल कालेज नये खोले हैं ?

(2) राजस्थान में कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चालू हैं तथा इस साल कितने लोगों को शिक्षित करने की योजना है तथा इस कार्य हेतु केन्द्र सरकार से कितनी धन राशि उपलब्ध होगी ?

(3) राजस्थान में प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है तथा कितने ऐसे छात्र हैं जो प्राथमिक स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं ?

(5) प्रौढ़ शिक्षा में पढ़ाने का कार्य किन किन संस्थाओं के जिम्मे किया गया है ?

(5) क्या बेकार पढ़े लिखे नौजवानों को इस काम पर लगाने का राज्य सरकार विचार कर रही है, जब तक उन्हें नौकरी न मिल जावे ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 20,734 प्राथमिक, 5084 उच्च प्राथमिक, 1585 माध्यमिक, 487 उच्च माध्यमिक एवं 113 कालेज हैं। इनमें से क्रमशः 700, 256, 125, 119 तथा 51 निजी संस्था हैं। वर्तमान सरकार ने 1778 प्राथमिक 732 उच्च माध्यमिक, 608 माध्यमिक विद्यालय तथा 11 स्नातक एवं 15 स्नातकोत्तर महा विद्यालय नये खोले हैं।

(2) विभिन्न जिलों में चल रहे प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की निश्चित जानकारी प्राप्त की जा रही है, किन्तु ऐसा अनुमान है कि वर्तमान में लगभग 3000 केन्द्र चल रहे हैं। इस वर्ष यदि योजना में प्रस्तावित 9015 केन्द्र प्रारम्भ हो जाते तो लगभग 2,62 लाख व्यक्ति शिक्षित हो जाते किन्तु वर्तमान में चल रहे केन्द्रों की संख्या को देखते हुए इनकी सख्या संभवतः 90,000 से अधिक नहीं हो सकेगी। इस कार्य के लिए अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार केन्द्रीय सरकार

से लगभग 64–00 लाख रुपये की राशि उपलब्ध होने की आशा है।

(3) राजस्थान में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने योग्य 6–11 आयुवर्ग के 43–65 लाख बच्चे हैं जिनमें से 26–42 लाख बच्चे विद्यालयों में पढ़ने आवेगें। इस प्रकार अभी 17–23 लाख बच्चे विद्यालयों में पढ़ने नहीं आये।

(4) प्रौढ़ शिक्षा का कार्य राज्य सरकार विश्व विद्यालय, महा विद्यालय एवं नेहरू युवक केन्द्र कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न जिलों में ऐच्छिक संस्थायें भी यह कार्य कर रही हैं, जिनकी सूची संलग्न है।

(5) प्रौढ़ शिक्षा में पढ़ाने का कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति पर प्रतिबन्ध नहीं है. जो भी व्यक्ति रुचि सम्पन्न है व उचित योग्यता रखता है, वह यह कार्य कर सकता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें।)

जयपुर शहर की गृह निर्माण समितियां

90. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) जयपुर शहर में ऐसी कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं जिनको वर्तमान सरकार ने भूखण्ड आवंटित किये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) गृह निर्माण सहकारी समितियां, जयपुर शहर में कितनी पंजीकृत हैं तथा इनमें से ऐसी कितनी समितियां हैं जिनका भूखण्ड आवंटन संबंधी कार्य पूर्ण हो चुका है और ऐसी कितनी समितियां हैं जिनका भूखण्ड संबंधी कार्य पूरा नहीं हुआ है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) विवेकानंद कालोनी में आपात-काल में कितने अनुसूचित जाति के कब्जे थे उनको सबूत के आधार पर भूखण्ड आवंटन कब तक कर दिया जावेगा?

(4) जयपुर शहर में ऐसी कितनी कच्ची बस्तियां हैं जिनका सर्वे दुबारा तथा सुनवाई भी दुबारा हुई है और उनको भूखण्ड आवंटन भी किया गया है? क्या अब कचरा बस्ती में भी दुबारा राज्य सरकार का सर्वे तथा सुनवाई कराने का विचार है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में न्यास द्वारा 55 गृह निर्माण सहकारी समितियों को भूमि आवंटन की गई है जिनकी तालिका 'क' संलग्न है।

(2) जयपुर शहर में कच्ची बस्तियों में 89 गृह निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत हैं जिनकी तालिका 'ख' संलग्न है। इनमें से 55 गृह निर्माण सहकारी समितियों को आवंटन की कार्यवाही की गई है। 35 समितियों का आवंटन का कार्य पूर्ण हो चुका है तालिका 'ग' संलग्न है तथा 20 समितियों का पूर्ण नहीं हो सका है तालिका 'घ' संलग्न है।

(3) कचरा कच्ची बस्ती में गठित विवेकानन्द गृह निर्माण सहकारी समिति के क्षेत्र में 30 व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति के निवास करते हैं जिनमें से केवल 2 व्यक्तियों के दावे स्वीकृत होने के योग्य पाये गए हैं लेकिन भूखण्ड रिक्त नहीं होने के कारण आवंटन नहीं किया जा सका है। शेष व्यक्तियों के दावे वर्तमान नियमान्तर्गत स्वीकृत होने योग्य नहीं हैं।

(4) सर्वे राज्य सरकार के द्वारा जिलाधीश के माध्यम से सन् 1971 में कराया गया था। उसके बाद राज्य सरकार द्वारा कोई सर्वे नहीं कराया गया है। जहां तक कचरा कच्ची बस्ती में दुबारा सर्वे कराने का प्रश्न है वर्तमान में पुन: सर्वे कराने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। 32 समितियां ऐसी हैं जिनमें सुनवाई दुबारा हुई है। तालिका 'द' संलग्न है। (सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें।)

उदयपुर की शिक्षण संस्थाएं

91. **श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर नगर में चलने वाली राजकीय शिक्षण संस्थायें जो किराये के भवन में चलती हैं, उनकी संख्या कितनी है? उनका किराया कितना है? ऐसे विद्यालयों की संख्या कितनी है जो सरकारी भवन में चलते हैं?

(2) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राज्य सरकार ने उदयपुर नगर में कितने विद्यालय भवन नये बनाये अथवा पुराने भवनों में नया कंस्ट्रक्शन किया है? विद्यालयवार खर्च की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि सरकारी विद्यालय भवनों की दशा ठीक नहीं होने के कारण ही पब्लिक स्कूलों का उदयपुर में जाल बिछा हुआ है जिससे उदयपुर के निर्धन एवं मध्यम वर्ग का भारी शोषण हो रहा है? क्या राज्य सरकार इस शोषण से मुक्ति दिलाने के लिये नगर परिषद् को बाध्य करेगी कि वह अपने बजट का दस अथवा पांच प्रतिशत नये भवनों के निर्माण पर व्यय करे?

उत्तर

(1) किराये के भवन में चलने वाली राजकीय शिक्षण संस्थाओं की संख्या 77 है। उनका किराया 1,63,589 वार्षिक है। सरकारी भवनों में चलने वाले विद्यालयों की संख्या 17 है।

(2) एक सैकण्डरी स्कूल (छात्रा) जिस पर 80,000 खर्च किया गया।

(3) जी नहीं।

विद्यालयों को अनुदान

92. **श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने 1-8-1975 को 71 विद्यालयों का अनुदान बन्द किया था?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्या-

(श्री माधोसिंह कछवाह) :

लयों का अनुदान बन्द करने के बजाय यदि प्रशासक नियुक्त किया जाता तो वह अधिक उपयुक्त रहता ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त 71 विद्यालयों में से कितनी संस्थाएं ऐसी हैं जिन्हें पुनः राजकीय अनुदान स्वीकृत कर दिया गया ? जिन संस्थाओं को पुनः अनुदान स्वीकृत किया गया उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) श्री बाल विद्यापीठ पुत्री पाठशाला, सूरसागर, जोधपुर (48 वर्ष पुरानी) का अनुदान 1–8–75 से बन्द करने के बजाय यहां प्रशासक नियुक्त क्यों नहीं किया गया ?

(5) क्या राज्य सरकार कथित पाठशाला को तुरन्त राजकीय पाठशाला घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। अनुदान नियमों के अन्तर्गत प्रशासक नियुक्त करने की व्यवस्था तब ही सम्भव होती है जब प्रबन्धकारिणी समिति में विवाद हो।

(3) इन संस्थाओं में से ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसे अभी तक पुनः अनुदान स्वीकृत किया गया हो।

(4) इसका उत्तर बिन्दु संख्या दो में दिया जा चुका है।

(5) जी नहीं। ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

ग्राम सांकड़, तहसील सांचौर की माध्यमिक पाठशाला

93. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सांकड़ तहसील सांचौर में एक माध्यमिक पाठशाला है जहां पर पाठशाला भवन निर्माण हेतु ग्रामवासियों ने जन सहयोग से धन इकट्ठा कर दो कमरों का निर्माण करवाया है ? अगर हां तो ग्रामवासियों ने उक्त कमरों के निर्माण में कुल कितनी धनराशि इकट्ठी कर खर्च की है ?

(2) क्या यह भी सही है कि माध्यमिक पाठशाला क्रमोन्नत होने के बाद राज्य सरकार ने पाठशाला भवन निर्माण में अब तक कुछ भी अनुदान की रकम नहीं दी है ? अगर हां, तो क्यों ? अब उक्त पाठशाला भवन निर्माण में, जो अभी तक अपूर्ण पड़ा है राज्य सरकार कब तक कितना अनुदान देना उचित समझेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम पुर एवं ग्राम चीतलवाना में माध्यमिक पाठशाला भवनों का अभाव है ? अगर हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों की माध्यमिक पाठशाला भवन निर्माण हेतु अनुदान मंजूर कर पाठशाला भवन निर्माण करवाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में अनुदान देकर उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक पाठशाला भवन निर्माण करवाने के बारे में सरकार

(श्री रघुनाथ विश्नोई) :

की क्या नीति है एवं भविष्य में क्या नीति रहेगी ?

(5) ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी पाठशाला भवनों की मरम्मत हेतु अनुदान देने में राज्य सरकार की क्या नीति है एवं भविष्य में क्या नीति निर्धारण की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। लगभग 18,000) रुपये खर्च किये हैं।

(2) इस वर्ष राजकीय माध्यमिक विद्यालय बालक सांकड़ जिला जालौर हेतु 60,000) रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा अनाज भी दिया गया है।

(3) जी हां। अगले सत्र में भवन निर्माण के सम्बन्ध में वित्तीय प्रावधानों के अनुसार विचार किया जावेगा।

(4) काम के बदले अनाज में इस प्रकार के भवन बनाये जाने की योजना चालू है।

(5) इसका उत्तर प्रश्न 4 में दे दिया गया है।

उदयपुर जिले के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सहायक सामग्री (पाठन) हेतु आवंटित धनराशि

94. **श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) विगत दो वर्षों में उदयपुर जिले के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सहायक सामग्री (पाठन) हेतु कितनी राशि बजट में आवंटित की गई तथा उससे क्या-क्या सामग्री क्रय की गई ?

(2) जिले में चलने वाली प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं को पिछले दो वर्षों में कितनी-कितनी राशि का सामान इश्यू किया गया ? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सहायक सामग्री (पाठन) हेतु वर्ष 76–77 में 31,790 रुपये की राशि आवंटित की गई तथा इसमें से 26,865·82 रुपये का सामान खरीदा गया जो संलग्न सूची की तालिका अनुसार विद्यालय को दिया गया। इसी प्रकार वर्ष 77–78 में 38,050 रुपये आवंटित किये गये तथा इसमें से 23,929·20 रुपये का सामान खरीदा गया। सूची संलग्न है। इसी प्रकार वर्ष 77–78 में जन जाति प्रकोष्ठ (विद्यालयों में 2,15,200 रुपये आवंटित किये गये उसमें से 1,38,360 रु० 6 पै० का सामान खरीदा गया।

(2) सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उदयपुर के विद्यालयों का निरीक्षण

95. **श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले 5 वर्षों में उदयपुर नगर में चलने वाले सरकारी प्राथमिक उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण कब किया गया ? विद्यालय वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर में चलने वाली राजकीय शिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण जिले में कार्यरत राजकीय शिक्षण संस्थाओं की तुलना में कम किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(2) चूंकि यह प्रश्न जिले के सभी प्राथमिक उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों से सम्बन्ध रखता है, जो 500 से अधिक है, अतः वांछित तुलनात्मक आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें ।)

झुन्झुनू जिले के ग्रामों की जल प्रदाय योजनायें

96. **श्री नवरंगसिह (नवलगढ़)** : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झुन्झुनू जिले की विभिन्न ग्रामों की कितनी जलदाय योजनायें चालू की जा चुकी हैं और कितनी योजनायें विचाराधीन हैं ? मय ग्रामों के नामों के सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) नवलगढ़ पंचायत समिति के कौन कौन से ग्रामों की जलदाय योजनायें राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ? क्या इस संबंध में मन्त्री महोदय ने कोई पत्र लिखकर भी जानकारी दी है ?

उत्तर

(1) झुन्झुनू जिले के 98 ग्रामों को विभिन्न जलदाय योजनाओं द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है । जिला आयोजना समिति द्वारा 136 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं । इन प्रस्तावों पर नई योजनायें स्वीकृत करते समय विचार किया जावेगा ।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) नवलगढ़ पंचायत समिति के लिए जिला आयोजना समिति द्वारा प्रस्तावित 13 ग्रामों की जल प्रदाय योजनाओं पर नई योजना स्वीकृत करते समय विचार किया जावेगा । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । जी हां ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें ।)

नोखा क्षेत्र के खारे पानी वाले गांवों में पेय जल की व्यवस्था

97. **श्री उदाराम हटीला (नोखा)** : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री उदाराम हटीला)

विधान सभा सुरक्षित क्षेत्र नोखा में जनता सरकार ने अब तक जिन जिन ग्रामों में खारा पानी है वहां पर पेयजल की क्या व्यवस्था की है तथा आगामी कार्यक्रम में किन किन ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराना है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सुरक्षित विधान सभा क्षेत्र नोखा में सम्मिलित ग्रामों की सूची विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। नोखा तहसील के 5 एवं कोलायत तहसील के 7 समस्याग्रस्त ग्रामों में वर्ष 1977–78 एवं वर्ष 1978–79 में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है, व नोखा तहसील की एक योजना वर्ष 1978–79 में स्वीकृत की गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

जिला आयोजना समिति द्वारा प्रस्तावित ग्रामों की सूची जिन पर नई योजनायें स्वीकृत करते समय विचार किया जायेगा, सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)।

प्रशासनिक खर्चे में कमी

98. **श्री मूलचन्द डागा (पाली)** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1975–76, 76–77 तथा 77–78 में कुल कितना प्रशासनिक खर्चा मय तनख्वाहों के क्रमशः हुआ और प्रशासनिक खर्चा कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार प्रशासनिक खर्चे में कमी करने के लिए प्रशासनिक नॉन-प्लान एक्सपेंडीचर में कोई सक्रिय कदम उठायेगी ? यदि हां,तो क्या क्या और नहीं तो, क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार का प्रशासनिक खर्च का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:—

वर्ष	प्रशासनिक व्यय	वृद्धि का प्रतिशत
1975–76	170.63 करोड़ (वास्तविक व्यय)	–
1976–77	193.63 करोड़ (वास्तविक व्यय)	13.48
1977–78	218.63 करोड़ (बजट अनुमान)	12.91
1978–79	243.32 करोड़ (बजट अनुमान)	11.29

(2) प्रशासनिक नोन-प्लान एक्सपेंडीचर में कमी हेतु वर्ष 77–78 से वित्त विभाग ने व्यय के पुनरावलोकन की पद्धति चालू की है। विभागीय प्रतिनिधियों के साथ वर्ष में 2 बार वित्त विभाग व्यय का पुनरावलोकन करता है तथा प्रशासनिक

(वित्त मन्त्री)

व्यय की गति पर नियंत्रण रखता है।

मलेरिया विभाग के कर्मचारियों के वेतन भत्ते की बकाया राशि

99. डा. गंगासहाय (कठूमर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में मलेरिया विभाग के कितने कर्मचारियों के यात्रा भत्ता बिल भुगतान हेतु कब से कितनी धनराशि के किस कारण से पड़े हैं? जिले वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राजस्थान में मलेरिया विभाग में कुल 3,009 कर्मचारियों के यात्रा भत्ता बिल गत 1974 से अब तक कुल राशि रुपये 7,45,933–42 के विभिन्न कारणों से बकाया हैं जिनकी जिले वार सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें।)

चितलवाना डिस्पेन्सरी का भवन

100. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चितलवाना डिस्पेंसरी, जिला जालोर की इमारत की मरम्मत कितने सालों से नहीं करवाई गई है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त डिस्पेंसरी की मरम्मत कई सालों से नहीं करवाने के कारण इमारत की हालत जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है?

(3) क्या राज्य सरकार अब उक्त डिस्पेंसरी की इमारत की विशेष मरम्मत वर्षा से पूर्व करवाना उचित समझेगी? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) डिस्पेंसरी चितलवाना की मरम्मत आवश्यकतानुसार प्रतिवर्ष कराई जाती रही है। वर्ष 76–77 में 4,000/- रु. एवं वर्ष 77–78 में 5,000/- रु. व इस वर्ष में भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 4,175/- रु. इसकी मरम्मत के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

(2) जी नहीं।

(3) डिस्पेंसरी की आवश्यकतानुसार मरम्मत हेतु इस वर्ष 1978–79 में भी 4,175/- रु. की राशि स्वीकृत की जा चुकी है जिससे मरम्मत कार्य सम्पन्न भी कराया जा चुका है।

जिला जालोर का खनिज सर्वेक्षण

101. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालोर का खनिज की दृष्टि से पूर्ण सर्वेक्षण नहीं

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो कब किया गया ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त जिले का अब पूर्ण खनिज सर्वे कराने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक करवा दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) जिला जालौर में कौन-कौन से महत्वपूर्ण खनिज अभी निकाले जा रहे हैं ? उनसे सालाना कितनी आमदनी हो रही है ? खनिजवार आमदनी के हिसाब से सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) जालौर किले का रंग रंगीला ग्रेनाइट पत्थर के खनन् के लिए सरकार ने अब तक क्या-क्या कदम उठाये हैं एवं भविष्य में कब तक क्या-क्या कदम उठाए जावेंगे ? ग्रेनाइट पर निर्भर जालौर में कब तक क्या उद्योग लगाया जावेगा ?

(5) क्या यह सही है कि जालौर किले के नीचे ग्रेनाइट संगमरमर के पत्थर के खनन् से किले के नीचे बसे हुए पुराने मकानों को क्षति पहुंच रही है ? अगर हां, तो मकानों की सुरक्षा हेतु अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये हैं एवं भविष्य में कब तक क्या क्या कदम उठाये जावेंगे, ताकि लोगों को मकानों की क्षति नहीं उठानी पड़े ?

उत्तर

(1) नहीं। जिला जालौर में राज्य के खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा खनिज सर्वेक्षण का कार्य वर्ष 1974-75, 1975-76, तथा 1976-77 में किया गया है जिसके फलस्वरूप कराडा क्षेत्र में फ्लोराईट के नये भण्डार खोजे गये एवं तरह-तरह के रंगों की ग्रेनाईट चट्टानों का भी जालौर के निकट पता लगाया गया जिस पर राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा खनन् कार्य किया जा रहा है।

(2) हां। राज्य सरकार के खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा जिले में आगे भी सर्वेक्षण एवम् पूर्वेक्षण कार्य करने की योजना है। इस वर्ष में भी भीनमाल तहसील के डोरा क्षेत्र में खनिज सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। यद्यपि भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है फिर भी सभी क्षेत्रों में प्रारम्भिक खनिज सर्वेक्षण 1988 तक पूरा कर लिये जाने की योजना है।

(3) जिला जालौर में जो महत्वपूर्ण खनिज निकाले जा रहे हैं वे ग्रेनाईट एवं फ्लोराईट है। जिससे राज्य सरकार को वर्ष 1977-78 में फ्लोराईट से अधिशुल्क के रूप में 28,864.32 रुपयों की आय हुई एवं ग्रेनाईट से 14,712 रुपयों की आय हुई।

(4) ग्रेनाईट पत्थर के खनन् कार्य हेतु राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम को खनन पट्टे दिये हैं एवं वे ही खनन कार्य कर रहे हैं तथा ग्रेनाईट उद्योग भी उनके द्वारा वहां पोलिसिंग हेतु स्थापित है।

(5) जालौर जिले में कालका जी के मन्दिर के निकट निगम की ग्रेनाईट पत्थर की खाने स्थित हैं। वहां पर कभी कभी

(खनिज मंत्री)

मलवा हटाने के लिये हलका ब्लास्टिंग किया जाता है। इस ब्लास्टिंग से खान पर स्थित निगम के दफ्तर वगैरह के भवन पर कभी भी कोई कुप्रभाव नहीं हुआ है व इस लाईट किस्म के ब्लास्टिंग से अन्य मकानों पर कुप्रभाव की कोई सम्भावना नहीं है।

लीज क्षेत्र में हुई दुर्घटनाओं की सूचना

102. **श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची):** क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि लीज की शर्तों के अनुसार खनिज क्षेत्र में हुए एक्सीडेन्ट की सूचना शीघ्रातिशीघ्र खनिज विभाग को देना लाजमी है ?

(2) क्या लीज की शर्तों के अनुसार लीज क्षेत्र में कहीं भी व किसी भी तरह के एक्सीडेन्ट की सूचना देना अनिवार्य है ?

(3) चूने की लीज के पट्टाधारियों ने 1955 से 1978 तक सोजत तहसील में कब कब एक्सीडेन्ट की सूचना विभाग को दी ? उक्त एक्सीडेन्ट में कितने एक्सीडेन्ट खनिज करते हुए व कितने एक्सीडेन्ट खनन कार्य के अलावा लीज क्षेत्र में पट्टाधारियों की ट्रक से हुए ? उक्त सूचना एक्सीडेन्ट के कितने समय बाद दी व एक्सीडेन्ट का नतीजा क्या था ?

(4) जिन जिन खनिज पट्टाधारियों ने इस शर्त की अवहेलना की उस पर विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) हां।

(2) हां।

(3) कार्यालय खनिज अभियन्ता जोधपुर व सहायक खनिज अभियन्ता कार्यालय सोजत सिटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार चूने की लीज के पट्टाधारियों से दुर्घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(4) किसी दुर्घटना की सूचना सम्बन्धित पट्टाधारियों से प्राप्त नहीं होने से कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

चूने की खानों से सम्पूर्ण खनन

103. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूने के पत्थर के पट्टाधारी खनन कार्य अव्यवस्थित व अवैज्ञानिक रीति से करते हैं जिससे उक्त खनिज का केवल मात्र ऊपर ऊपर का खनिज ही निकाला जाता है व जमीन में गहरा खनिज निकालने का कोई प्रयास नहीं किया जाता तथा उस माईन में वेस्ट मेटेरियल डाल दिया जाता है ? क्या यह सही है कि यह नीति राष्ट्र के हित में नहीं है ?

(2) उक्त खनन पट्टाधारी राष्ट्र हित में जब तक चालू खानों से सम्पूर्ण पत्थर न निकाल लें तब तक दूसरी जगह खनन शुरू न करने दिया जाय, इस हेतु राज्य सरकार की क्या नीति है ? अगर कोई स्पष्ट नीति नहीं है, तो क्या राज्य सरकार राष्ट्र हित में इस पर स्पष्ट नीति बनाकर इसे कब तक लागू करेगी ?

उत्तर

(1) यह सामान्यतया सही नहीं है।

(2) यह नीति संभव नहीं है

जोधपुर जिले में चूने के पत्थर की लीज

104. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर डिवीजन में चूने के पत्थर की लीज किन किन व्यक्तियों को 1955 से कितने कितने समय के लिये कितने कितने क्षेत्र की किन किन तारीख से दी गई उसकी रजिस्ट्री किस तारीख को हुई तथा खनन कार्य किस तारीख से शुरु हुआ ?

(2) प्रश्न के भाग (1) में बताई गई लीज के मालिकों ने प्रति वर्ष कितने कितने क्षेत्र में खनन कार्य किया और वह क्षेत्र सम्पूर्ण क्षेत्र का कितना प्रतिशत है ?

(3) प्रश्न के (1) भाग में बताये गये पट्टाधारियों ने लीज की शर्तों की किस किस ने कब कब व किस किस शर्त की अवहेलना की व उस पर विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

(4) प्रश्न के भाग (1) में बताई लीज के नवीनीकरण के प्रार्थना-पत्र कब कानूनन पेश किये जाने चाहिए थे व कब कब पेश किये गये व सरकार ने उन पर कब कब नवीनीकरण के आदेश दिये व कितने समय के व उक्त आदेश जिन नियमों के तहत दिये गये उनमें नवीनीकरण कितने समय के लिये किये जाने का प्रावधान था ?

(5) सन् 1955 से आज तक प्रति वर्ष पट्टाधारियों द्वारा प्रति वर्ष कितना लाइम स्टोन खोदा गया तथा इनके द्वारा कितनी रायल्टी बनती थी तथा वह कब कब जमा करवाई गई ? लेट जमा कराने पर क्या कार्यवाही हुई ?

(6) क्या यह भी सही है कि बड़े लीज होल्डर को रायल्टीज कनेक्सशन प्रोसीजर में अनियमितता करने का काफी मौका रहता है ? जिससे सरकारी खजाने को लोस पहुंचता है उसके चैकिंग वगैरह बाबत, सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

उत्तर

क) अटवडा क्षेत्र में सन् 1955 से व इसके पूर्व भी खनन कार्य किया गया है। वर्तमान में पट्टाधारी का खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र का 133 प्रतिशत है। क्षेत्र में अनेकों खड्डे हैं। जिनमें पूर्व में खनन कार्य किया जाकर उन्हें बन्द कर दिया है तथा कुछ ऐसे भी खड्डे हैं जिनमें अस्थायी तौर पर खनन कार्य बन्द है। ऐसे पुराने खड्डों का क्षेत्रफल कुल स्वीकृत क्षेत्र का लगभग 10% से 15% है।

ख) मंडला क्षेत्र में सन् 1955 से व इसके पूर्व भी खनन कार्य किया गया। वर्तमान में पट्टाधारी का खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र का 0172 प्रतिशत है। क्षेत्र में ऐसे अनेकों खड्डे हैं जिनमें पूर्व में खनन कार्य किया जाकर उन्हें बन्द कर दिया है तथा कुछ ऐसे भी खड्डे हैं जिनमें अस्थायी तौर पर खनन कार्य बन्द है। ऐसे पुराने खड्डों

(खनिज मन्त्री)

का क्षेत्रफल कुल स्वीकृत क्षेत्र का लगभग 8% से 10% है।

ग) ग्राम रघिया तहसील सोजत क्षेत्र में खनन कार्य दिनांक 15–12–70 से प्रथम वार शुरू हुआ है। वर्तमान में 19509 वर्गमीटर क्षेत्र में कार्य चालू है जो कुल स्वीकृत क्षेत्र का 0–133 प्रतिशत है। पिछले 3 वर्षों में स्वीकृत क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 4 से 6 प्रतिशत क्षेत्र खनन कार्य के लिये काम में लिया गया है।

घ) ग्राम वरना जिला जोधपुर में विभागीय प्लॉट संख्या-2 में खनन कार्य दिनांक 3–1–68 में प्रथम बारशुरू हुआ है। वर्तमान में पट्टेधारियों का खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र का 4–66 प्रतिशत है। पिछले वर्षों में स्वीकृत क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का लगभग 12 प्रतिशत क्षेत्र खनन कार्य के लिये काम में लिया गया है।

ङ) ग्राम बोरूंदा, जिला जोधपुर में विभागीय प्लॉट संख्या 11 में खनन कार्य दिनांक 8–7–76 से प्रथम वार शुरू हुआ है। वर्तमान में पट्टाधारी का खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र का 5–43 प्रतिशत है। पिछले वर्षों में स्वीकृत क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10 प्रतिशत क्षेत्र खनन कार्य के लिये काम में लिया गया है।

च) ग्राम भिरवासनी, जिला जोधपुर में विभागीय प्लॉट संख्या 5 में खनन कार्य दिनांक 24–6–74 से प्रथम वार शुरू हुआ है। वर्तमान ः पट्टेधारी का खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र का 6–35 प्रतिशत है। पछले वर्षों में स्वीकृत क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का लगभग 8 प्रतिशत क्षेत्र खनन कार्य के लिये काम में लिया गया है। नागौर जिले की सूची संलग्न है।

नहीं। चूंकि समय समय पर खनन क्षेत्रों का एवं खनिज वाहनों का अचानक निरीक्षण किया जाता है। ऐसे अनेक स्थानों पर जहां से खनिज वाहनों पर निकलते हैं विभाग द्वारा नाके एवं चैकपोस्ट स्थापित हैं। राज्य सरकार ने विभाग में उडनदस्तों का भी गठन किया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पीपल्दा क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों की बकाया राशि

105. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा):– क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पीपल्दा क्षेत्र की किन-किन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के किन-किन व्यक्तियों पर 5000/– रु. तथा अधिक की राशि बकाया है तथा कितने साल से? प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, जाति तथा ग्राम की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त राशि के अभी तक वसूल नहीं होने का क्या कारण है?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त बकाया राशि को शीघ्र वसूल कर सहकारिता में व्याप्त अनियमितता को दूर करेगी?

उत्तर

(1) पीपल्दा क्षेत्र की जिन-जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जिन व्यक्तियों पर 5000/– तथा अधिक की राशि बकाया है उसकी सूची मय विवरण के संलग्न है।

(2) वसूली के प्रयत्नों के बावजूद भी सदस्यों द्वारा स्वेच्छा से ऋण की रकम वापसी न करना, वसूली न होने का मुख्य कारण है।

(3) जी हां। राशि की वसूली हेतु राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम 1965 की धारा 117 एवं 118 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है एवं राशि वसूल हो रही है एवं अब तक 1·41 लाख की वसूली हो चुकी है।

(सूची व विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

पंजीयक सहकारी समितियां, राजस्थान के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी

106. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई):—क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान के प्रधान कार्यालय में कितने अधिकारी व कर्मचारी दस साल से इसी कार्यालय में काम कर रहे हैं ? नाम व पदवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त कार्यालय में कितने अधिकारी व कर्मचारी ऐसे हैं जो दो ढाई साल से इसी कार्यालय में नौकरी कर रहे हैं ? नाम व पदवार सूची सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान के प्रधान कार्यालय में गत 10 वर्षों से कार्यरत एक अधिकारी एवं 97 कर्मचारियों की सूची 'अ' एवं 'ब' संलग्न हैं।

(2) प्रधान कार्यालय में गत दो वर्ष से अधिक कार्यरत 2 अधिकारियों एवं 47 कर्मचारियों की सूची 'स' एवं 'द' संलग्न हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

रतनगढ़ तहसील की विभिन्न सहकारी समितियों पर बकाया ऋण

107. **श्री जगदीशचन्द्र शर्मा** (रतनगढ़): —क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रतनगढ़ तहसील में गत दो वर्षों में विभिन्न सहकारी समितियों को कितना ऋण दिया गया ? कृपया प्रत्येक सहकारी समिति की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) ऐसी कितनी सहकारी समितियां हैं जिनमें दो वर्ष से अधिक का ऋण बकाया है और ऋण की वसूली न होने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) रतनगढ़ तहसील में गत दो वर्षों में

(सहकारिता मन्त्री)

विभिन्न सहकारी समितियों को रु. 3726190/- ऋण दिया गया। ऋण की सूची 'अ' संलग्न है।

(2) उक्त तहसील में कुल 10 ऐसी सहकारी समितियां हैं जिनमें दो वर्षों से अधिक की ऋण राशि बकाया है।

वसूली न होने का मुख्य कारण इस क्षेत्र में समय समय पर अकाल पड़ना व मजदूरी हेतु ऋणी सदस्यों का नहरी क्षेत्र पर कार्य करने चले जाना आदि रहा है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

उदयपुर जिले की पाठशालाओं में अध्यापकों के रिक्त पद

108. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं। ये पद कब से रिक्त हैं तथा उससे कितनी राशि पिछले दो वर्षों में लेप्स हुई है?

(2) इस समय तक जिला शिक्षा-अधिकारी, उदयपुर के कार्यालय में कितने थर्ड ग्रेड के लिये प्रशिक्षित अध्यापकों के प्रार्थना-पत्र सेवा प्राप्ति के लिए विचाराधीन पड़े हैं?

(3) क्या यह रिक्त पद गृह पंचायत समिति वार मेरिट लिस्टें बनवाकर भरे जा सकते हैं?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। पंचायत समिति झाडोल कोटडा एवं धरियावद से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर के कार्यालय में 531 प्रशिक्षित अध्यापकों के आवेदन पत्र विचाराधीन बताये गये हैं।

(3) नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

जयपुर जिले की पंचायत समितियों के निलंबित कर्मचारी

109. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने कोई ऐसे आदेश जारी किये थे जिनमें यह व्यवस्था है कि अधिक लम्बे समय तक निलम्बित रहे कर्मचारी को कार्यवाही के दौरान उनके अन्य पद पर बहाल कर दिया जाय? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर जिले की पंचायत समितियों के कुछ कर्मचारी निलम्बित हैं? यदि हां, तो पंचायत समिति के कौन कौन कर्मचारी किस कारण निलम्बित हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(3) क्या उपरोक्त कर्मचारियों को भी उक्त आदेशानुसार बहाल किया जायगा ? यदि हां, तो किन किन को कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा इस आशय के आदेश प्रसारित किये गये हैं कि जहां तक सम्भव हो किसी अधिकारी/कर्मचारी को 6 माह से अधिक समय तक निलम्बित न रखा जावे। यदि किसी राज्य कर्मचारी को 6 माह से अधिक समय तक निलम्बित रखा जाना आवश्यक हो तो विभागाध्यक्ष/सचिव इस बाबत आवश्यक प्रमाण पत्र देंगे कि उन्होंने मामले का गहराई से अध्ययन कर लिया है और राज्य कर्मचारी/अधिकारी का निलम्बन आवश्यक है। सम्बन्धित आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां। सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) विभिन्न कर्मचारियों के अलग अलग मामलों में गुणावगुण (मेरिट्स) आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

(आदेश की प्रति व सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों का प्रतिशत

110. श्रीमती नारंगीदेवी (किशनगंज) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में कुल कितने सरकारी कर्मचारी हैं ?

(2) इनमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है ?

(3) क्या यह सही नहीं है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद बड़ी संख्या में खाली हैं ?

(4) राज्य सरकार इन पदों पर भर्ती के लिए क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभाग में 7600 राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से 4472 तकनीकी एवं 3128 गैर तकनीकी कर्मचारी हैं।

(2) विभाग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारीयों का प्रतिशत निम्न प्रकार है :—

	अनु. जाति	अनु. जनजाति
तकनीक	1.23%	0.63%
गैर तकनीक	9.43%	3.64%

(3) यह सही है कि आरक्षित तकनीकी पद (वैद्य, हकीम, होम्योपैथिक, डाक्टर तथा कल्पद–धात्री) बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं। इन पदों का खाली रहना एवं प्रतिशत कम होने का कारण योग्यताधारी आशार्थियों का उपलब्ध नहीं होना है।

(4) कल्पद-धात्री पदों पर निर्धारित योग्यताधारी आशार्थी उपलब्ध कराने हेतु उदयपुर में अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के

(मुख्य मन्त्री)
लिए पृथक केन्द्र जुलाई, 78 से प्रारंभ किया जा चुका है।

वैद्य पद पर इन जातियों के आशार्थी उपलब्ध कराने हेतु मेरिट लिस्ट बनाते समय इन्हें तीन अंक अधिक देकर प्रवेश दिया जाता है।

आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा में अधिकारियों के सृजित पद

111. **श्री उमरावसिंह गूजर (महुआ)** : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सितम्बर, 77 से सितम्बर, 78 तक किस किस श्रेणी में कितने अधिकारियों के पद राजस्थान राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा में सृजित किये गये ? पूर्व में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद थे एवं अब कितने पद हैं ? क्या सेवा में अधिनस्थ कर्मचारियों में भी इस अवधि में कोई वृद्धि हुई ? यदि नहीं, तो क्या योजनाबद्ध विकास कार्यलय अधिकारियों के पद बढ़ाने से ही है और यही इस राज्य की योजना का उद्देश्य है ?

(2) उक्त अवधि में कितने अधिकारियों की नियुक्ति व पदोन्नति हुई और उनमें अनुसूचित जाति जनजाति के कितने अधिकारी थे ? यदि रोस्टर प्रणाली से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की गई तो राज्य सरकार भविष्य में उनके लिए पद रिक्त क्यों नहीं रख रही है ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान सांख्यिकी सेवा में अत्यधिक असंतोष व्याप्त है और नियम के विरुद्ध कार्यवाही करने से गरीब व्यक्तियों को अपने न्यायोचित अधिकारों प्राप्त करने के लिए सेवा अधिकरण में अपील में जाना पड़ा ? इस विभाग में जहां पर गंभीर अनियमितताएं हो रही हैं उन्हे रोकने के लिए राज्य सरकार क्या उपाय सोच रही है ?

उत्तर

पदोन्नति में आरक्षण दिनांक 10-2-75 से लागू किया गया है। सितम्बर, 1977 से सितम्बर, 1978 तक निम्न पदों पर पदोन्नतियां की गई हैं—

1–निदेशक के पद पर	1
2–संयुक्त निदेशक के पद पर	7
3–उप निदेशक के पद पर	11
4–सहायक निदेशक के पद पर	23
5–सांख्यिकी अधिकारी के पद पर	34

चूंकि नियुक्तियां कलण्डर वर्ष से मानी जाती हैं। अतः प्रत्येक वर्ग में निम्न पद केरीफारवर्ड किये गये हैं—

1–निदेशक		शून्य
2–संयुक्त निदेशक	अनुसूचित जाति का	1
	अनुसूचित जनजाति का	1
3–उप निदेशक	अनुसूचित जाति	2
	अनुसूचित जनजाति	2
4–सहायक निदेशक	अनुसूचित जाति	5
	अनुसूचित जनजाति	5
5–सांख्यिकी अधिकारी	अनुसूचित जाति	5
	अनुसूचित जनजाति	4

(आयोजना मन्त्री)

उक्त पद इस वर्ष तक केरीफारवर्ड किये गये हैं तथा इस वर्ष भी यदि इन जातियों के अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होंगे तो अगले वर्ष 1980 में सब आरक्षित पद समाप्त हो जावेंगे तथा आरक्षण पुनः लागू किया जावेगा।

आयोग को वर्ष 1978 के लिये दस पदों का मांग पत्र भेजा गया है जिसमें एक एक पद दोनों जातियों के लिये पूर्व वर्ष के भी भेजे गये हैं। वर्ष 1978 का कोटा प्रत्येक जाति का दो–दो का था। वर्ष 1978 के कोटा के विरुद्ध आयोग से चयनित व्यक्तियों की सूची प्राप्त नहीं हुई है।

जी हां। असन्तोष है व उसके कारणों में जाकर उसके निराकरण का प्रयत्न किया जा रहा है। नियम के विरुद्ध कुछ कार्यवाही हो जाने की शिकायत है जिसका परीक्षण करवाया जा रहा है। आवश्यकता हुई तो विधि विभाग की सलाह से आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा में सितम्बर, 1977 से पूर्व के तथा सितम्बर, 1977 से सितम्बर, 1978 तक सृजित पदों एवं वर्तमान पदों की स्थिति निम्न प्रकार है—

	सितम्बर, 77 से पूर्व के पद	सितम्बर, 77 से सितम्बर, 78 तक सृजित पद	मौजूदा पद
निदेशक	2	—	2
सं.निदे.	3	5	8
उप.निदे.	24	3	27
सहा नि.	30	4	35 (एक पद सितम्बर, 78 के बाद सृजित हुआ)
सां.प्रधि.	67	4	73 (2 पद सितम्बर, 78 के बाद सृजित हुये हैं)

जी हां। अधिनस्थ सेवा में इस अवधि में निम्न प्रकार पदों का सृजन किया गया है—

1—सांख्यिकी सहायक	9
2—सांख्यिकी निरीक्षक	26
3—संगणक	6

उक्त अवधि में 20 अधिकारियों की नियुक्ति की गई तथा 76 अधिकारियों को पदोन्नत किया गया। नियुक्त अधिकारियों में 2 अनुसूचित जाति एवं 1 अनुसूचित जनजाति का अधिकारी नियुक्त किया गया है जिनके नाम निम्न प्रकार से हैं—

1—श्री के.एल. मीणा, अनुसूचित जनजाति

2—श्री के.सी. खाण्डा, अनुसूचित जाति

3—श्री एस. एम. रेगर, ,,

पदोन्नत अधिकारियों में केवल एक ही अधिकारी अनुसूचित जाति का पदोन्नत किया जा सका है जिसका नाम श्री रामप्रसाद है, जिसको सांख्यिकी अधिकारी से सहायक निदेशक पदोन्नत किया है क्योंकि इस सेवा के अन्तर्गत आने वाले पदों पर पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित

(श्री उमरावसिंह गूजर)
जनजाति के व्यक्तियों के निर्धारित कोटे के अन्तर्गत उपलब्ध न होने के कारण रोस्टर प्रणाली के अनुसार पदोन्नतियां नहीं की जा सकी तथा यह पद अग्रिम तीन वर्ष तक आगे बढ़ाये जाते हैं।

खाद्य एवं रसद विभाग के राज-पत्र में प्रकाशित आदेश

112. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बड़ी सादड़ी) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में दिनांक 1 अप्रेल, 1970 से लेकर अब तक खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा किस किस प्रकार के आदेश, कब कब और क्यों प्रसारित किये गये ? कृपया आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) ये आदेश राज-पत्र में कब कब प्रकाशित हुये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

1 अप्रेल, 1970 से लेकर अब तक खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा प्रसारित आदेशों की सूची संलग्न है। प्रकाशन की तिथि व प्रकाशन के कारण भी संलग्न सूची में अंकित हैं। ये आदेश राजपत्र में प्रकाशित हैं।

ये आदेश जब-जब राजपत्र में प्रकाशित किये गये का ब्यौरा प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में प्रेषित सूची में अंकित कर दिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति

113. **श्रीमती नारंगीदेवी** (किशनगंज) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में कितने छात्रों को समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति दी जा रही है ? इनमें स्नातकोत्तर स्नातक, मैट्रिक से नीचे कक्षाओं के छात्रों की संख्या कितनी कितनी हैं ?

उत्तर

विभाग द्वारा उत्तर मैट्रिक तथा पूर्व मैट्रिक के जितने छात्रों को वर्ष 1977-78 में छात्रवृत्ति दी गई हैं उसकी सूचना निम्न प्रकार है—

	अनुसूचित जाति	जनजाति	विमुक्त एवं घुमन्तु जाति	अन्य पिछड़ी जाति	अपाहिज छात्रवृत्ति	योग
पूर्व मैट्रिक	48,716	29,586	248	1,829	1,060	81,439
उत्तर मैट्रिक	6,254	3,500	91	—	300	10,145
कुल योग	54,970	33,086	339	1,829	1,360	91,584

रतनगढ़ तहसील के व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन

114. **श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़):** क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

रतनगढ़ तहसील क्षेत्र के कितने लोगों को वृद्धावस्था पेन्शन राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की जा रही है? सहायता की राशि एवं व्यक्ति का नाम तथा पता दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

उत्तर

रतनगढ़ तहसील के जिन-जिन लोगों को वृद्धावस्था पेन्शन दी जा रही है उनके नाम तथा पते तथा सहायता की राशि संलग्न सूची में अंकित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 39 देखें)

श्रद्धांजलि

स्व. श्री प्रेमसिंह सिंघवी व श्रीमती प्रभा मिश्रा को श्रद्धांजलि

श्री उपाध्यक्ष : सदस्यगण, मुझे एक दुखद सूचना आपको देनी है ! हमारी इस विधान सभा के सदस्य श्री प्रेमसिंह सिंघवी, जो छबड़ा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे और जिन्होंने बाद में त्याग पत्र दे दिया था, का असामयिक निधन हो गया है। इस सम्बन्ध में शासन पक्ष की ओर से एक शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।

श्री राम नारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती प्रभा मिश्रा का भी निधन हो गया है जो कि इस विधान सभा की सन् 1957 से लेकर 1977 तक, बीस वर्ष तक बराबर सदस्या रही हैं। यह पहले शोक प्रस्ताव में आ जाना चाहिए था। ऐसा मालूम होता है कि सत्ता पक्ष इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। सत्ता पक्ष से प्रार्थना करूँगा कि इसको भी शोक प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : (संसदीय मामलात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है कि चौथी विधान सभा और वर्तमान विधान सभा के सदस्य, जिन्होंने बाद में इस्तीफा दिया था, श्री प्रेमसिंह सिंघवी साहब, जब कि वे भोपाल लड़के की शादी में गये थे, हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया है।

वे बहुत कम उम्र के थे। जिन माननीय सदस्यों का उनसे थोड़ा बहुत सम्पर्क रहा है वे यह जानते हैं कि वे बड़े मिलनसार, विनोद प्रिय व्यक्ति थे। इस सदन की कार्यवाही और इस सदन की अनेक समितियों में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

दुर्भाग्य से उनका निधन असामयिक तो है ही लेकिन एक ऐसे अवसर पर हुआ है जबकि खुशी का सारा माहौल दुःख में बदल गया। चूंकि माननीय मुख्य मन्त्री जी उनके दाह संस्कार में शामिल होने के लिए चले गये हैं, इसलिए मैं इस दुखद भूमिका को निभा रहा हूँ और उनके स्थान पर यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ।

(श्री सूर्य नारायण चौधरी)

मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन उनके शोकाकुल परिवार को संवेदना सन्देश प्रेषित करे कि हम सब लोग यह प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्राप्त हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती प्रभा मिश्रा, जो कि इस सदन की सदस्या रही हैं और मन्त्रिमण्डल की भी सदस्या रही हैं, सामाजिक क्षेत्र के अन्दर और विशेष रूप से नारी जगत में एक विशेष योगदान रहा है, उनके प्रति भी यह सदन अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि भगवान दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवार को यह शक्ति दे कि उनके निधन को सहन कर सके।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय कल रात को अकस्मात हृदय गति रुक जाने से श्री प्रेम सिंह सिंघवी का निधन हो गया, यह एक दुखपूर्ण समाचार है। वे अपने पुत्र श्री प्रतापसिंह के पाणि-ग्रहण संस्कार में भोपाल गये हुए थे और वहां पर उनका स्वर्गवास हो गया।

श्री सिंघवी चौथी और छठी विधान सभा के सदस्य थे। चौथी विधान सभा में उनका जो योगदान रहा है, वह सदन के लिए एक दिलचस्पी की बात रही है। उनके भाषण में हमेशा एक व्यंग्य का पुट रहता था जिसे सुनना सदन पसन्द करता था।

उनका बहुत बड़ा परिवार है। उनके पुत्र, पुत्रियों की संख्या 9 है। इतनी कम उम्र में उनका देहावसान हो जाना उनके परिवार के ऊपर बहुत बड़ा वज्रपात है। वे मूल में जैसलमेर के निवासी थे। उनके दादाजी छबड़ा आये थे। इस नाते उधर के लोगों से उनका काफी सम्बन्ध रहता था। उनके निधन से कोटा जिले के सार्वजनिक जीवन में जो स्थान रिक्त हुआ है, उस रिक्तता की पूर्ति की जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता है।

वे मिलनसार, प्रसन्न चित्त और मधुर स्वभाव वाले व्यक्ति थे। निश्चित रूप से सदन को भी उनके निधन से दुःख है।

उनकी आत्मा की चिर शान्ति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। उनके शोक संतप्त परिवार, जिसके उपर इतना बड़ा दुःख पड़ा है, के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान उसे इस दुःख को सहने का धैर्य और शक्ति प्रदान करे। हम शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं।

श्रीमती प्रभा मिश्रा शालीनता और ह्युमेनिटी की प्रतीक नारी बहुत लम्बे अर्से तक इस सदन की माननीय सदस्या रहीं, 20 साल तक लगातार माननीय सदस्या रहीं। इस सदन की कई समितियों की वे चैयरमैन भी रहीं। इस प्रान्त के सार्वजनिक जीवन में भी अपने रचनात्मक कार्यों से, सेवा भाव से उन्होंने अपना एक प्रमुख स्थान बना लिया था। उनका निधन हुए 2–3 माह का समय हो गया है, फिर भी इस सचिवालय को इसकी सूचना नहीं मिली।

48

(श्री परसराम मदेरणा)

उनकी आत्मा के प्रति भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह उसे चिर शांति दे। उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में श्री प्रेमचन्द जी सिंघवी के अचानक स्वर्गवास हो जाने का समाचार मिला। कुदरत की बड़ी अजीब नियति है कि जब सारा परिवार सारे मित्र शादी की खुशी में मग्न थे, ऐसे मौके पर उनका निधन हो जाना बड़ा ही दर्दनाक है। मुझे उनका हंसमुख चेहरा याद आता है, मुझे बहुत ही कम उनके साथ रहने का अवसर मिला फिर भी जब भी मिले मैंने उनका हंसमुख चेहरा देखा। इस्तीफा देने के बाद भी कभी आते तो वही हंसमुख और मिलनसार चेहरा उनका होता था। जब उनके बारे में ऐसी खबर आये तो वाकई यह बहुत दुखद खबर है।

हम प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुःख को सहने की शक्ति मिले। हमारे इस सदन के प्रस्ताव से भी उनके परिवार को शक्ति मिलेगी।

इसके साथ ही साथ श्रीमती प्रभा मिश्रा के साथ 1957 में मुझे भी सदस्य के तौर पर रहने का अवसर मिला। वे बहुत ही संजीदा, जिम्मेवार कार्यकत्री थीं। उन्होंने राजनैतिक क्षेत्र ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य किया है। अजमेर में उनके कार्य बेमिसाल हैं।

उनके सारे परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : श्री प्रेमसिंह सिंघवी के आकस्मिक निधन का जो समाचार आया है इस पर एकाएक यकीन नहीं हो रहा है। 3-4 दिन पहले जब मैं यहां नहीं था तो मेरी लड़की को शादी का निमन्त्रण पत्र देकर गये थे और साथ में अपने हाथ से लिखा हुआ पत्र देकर गये थे कि आप निश्चित रूप से शादी में आयें। यकीन नहीं आ रहा है कि एकाएक उनका निधन हो गया है।

पिछली दफा तो हम सदन में साथ ही थे। वे जनसंघ के सदस्य बनकर आये थे लेकिन कभी उनके दिमाग में मिलते समय ऐसी कोई बात नहीं होती थी। बिलकुल हम लोगों के बीच में रहते थे। उनकी बहुत कम उम्र थी लेकिन उनकी हंसी, दिल्लगी, मजाक की दस साल पुरानी सारी बातें हमको याद आती हैं। जब भी वे मिलते हमेशा दोस्ताना ताल्लुकात रहते। इस दुखद घटना से सदन को तो खैर दुःख होगा ही लेकिन कोटा डिविजन के सदस्य कार्यकत्ताओं को बड़ी भारी क्षति हुई है। छबड़ा जैसे रिमोटेस्ट कार्नर में रह कर भी उन्होंने अपना स्थान बना लिया था। अपना स्थान बनाने के बाद खुद आकर मुख्यमन्त्री जी को अपना इस्तीफा दे गये, ऐसे व्यक्ति का आकस्मिक निधन होना सिर्फ विधान सभा के लिए ही नहीं समाज के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है।

हम उनकी आत्मा की शांति की भगवान से प्रार्थना करते हैं। उनका काफी बड़ा परिवार है उनके पीछे एक बड़ा बच्चा है,

(श्री शिवचरण सिंह)

एक लड़की की शादी हुई है और छोटे लड़के भी ऐसे नहीं हैं कि उनकी गृहस्थी के सारे कामों को सम्भाल सकें। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनके परिवार को यह भार सहन करने की शक्ति दे, विधान सभा ऐसे प्रस्ताव पारित करे, हम लोग कुछ भी करें, उनकी स्मृति हमारे मस्तिष्क में रहेगी।

प्रभा बहन और मैं 10-15 साल से राजनैतिक जीवन में साथ रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में और नारियों के सुधार की दिशा में जो काम किया और आजादी की लड़ाई में उनका जो योगदान रहा उसके बारे में जितनी चर्चा करें वह कम है। कितनी मितभाषी थीं, कितना अच्छा उनका व्यवहार था। उनके सारे कार्यों की हम चर्चा करना चाहें तो हम नहीं कर सकते।

उनका आकस्मिक निधन हो जाय और हमारे सचिवालय को 3-4 महीने तक मालूम नहीं पड़े यह बड़े खेद की बात है। जब कि जिलाधीशों को आदेश है फिर भी पता नहीं हो, यह इस बात का संकेत है कि राजनैतिक जीवन के लोगों के प्रति प्रशासन कितना तटस्थ है। समाज सेवी महिला वे थीं और सार्वजनिक जीवन में उन्होंने काम किये, फिर भी उनके बारे में प्रशासन सूचना नहीं दे यह बड़े खेद की बात है।

मेरा मकान उनके बहुत नज़दीक था। मुझे याद है उनका स्नेह।

मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिये भगवान से प्रार्थना करता हूं। उनकी बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी। मैं प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उनके परिवार को यह दुःख सहन करने की शक्ति दे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जन्म और मृत्यु ईश्वर के हाथ है लेकिन कभी-कभी मौत बेरहम हो जाती है और प्रकृति बेरहमी का रूप प्रकट करती है ऐसे समय में, इस प्रकार की खुश-हाली और खुशी के समय।

मेरा सौभाग्य है कि मैं श्री प्रेमसिंह जी के साथ रहा हुआ हूं। उनके कारण किसी भी महफिल में रौनक पैदा हो सकती थी। वे बड़े हंसमुख और बात के धनी थे। स्पष्ट बात कहते थे और मन से साफ थे। इस प्रकार के व्यक्ति ने अपनी पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए बिना किसी स्वार्थ के अपने पद को छोड़ दिया और उन्हें जिता कर खुशी जाहिर की। आज हम यह सुन रहे हैं कि वह अपने पुत्र की शादी में भोपाल गये और वहां पर ही उनका अन्तिम संस्कार हुआ।

मैं अपनी ओर से और मेरी पार्टी की ओर से उनकी आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि आप अपनी ओर से संदेश भेजें तो मेरा और मेरी पार्टी का नाम भी उसमें अंकित किया जाय।

मैंने, श्रीमन्, प्रभा मिश्रा को देखा है। सादगी उनके बदन पर थी, उनकी वाणी में थी और उनके काम में थी। वह सत्ता में

(श्री मूलचन्द डागा) :

रहकर भी ऐश्वर्य की जिन्दगी बिताना नहीं चाहती थीं। सत्ता उनके लिए सेवा का एक कारण था। मैं समझता हूं कि श्रीमती प्रभा मिश्रा ने अजमेर में ही नहीं राजस्थान में नारी जगत में जो स्थान प्राप्त किया है, और जिस तरीके से मन्त्री के पद पर रह कर काम किया वह एक उदाहरण है।

आज उनको मेरी और मेरी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति मिले और जो उनका परिवार है उसको यह महान् दुःख सहन करने की शक्ति मिले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और मेरी पार्टी की ओर से संवेदना के कुछ शब्द अंकित करने की प्रार्थना करता हूं।

श्री नूरा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय प्रेमसिहजी सिघवी की मृत्यु का समाचार मिला, यह बहुत ही दुखद है। उनके जीवन के बारे में तो जब वे चुनकर आये थे तो काफी नजदीक से परिचय मिला। यही नहीं उन्होंने अपनी पार्टी से चुनकर आने के बाद भी अपना पद त्याग कर एक बहुत बड़ी जगह अपनी पार्टी में बनाई। जहां पर शादी–विवाह का मौका हो उस मौके के ऊपर ऐसा होने से उनके परिवार के ऊपर कितने दुःख की मार पड़ी होगी वह हम भली भांति समझते हैं। यह बहुत ही दुःखद घटना है, इसलिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से संवेदना प्रकट करता हूं।

साथ ही प्रभा मिश्राजी अजमेर जिले में महिलाओं और आम लोगों की सेवा में रात–दिन जुटी रहने वाली कार्यकत्री थीं। उनके कार्यकलाप उनके इलाके में और विधानसभा में सराहनीय रहे हैं। उनका स्वर्गवास होने पर मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि उनके परिवार को यह महान दुःख सहन करने की शक्ति दे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रेमसिह सिघवी के आकस्मिक निधन का समाचार बड़ा ही दुःखद समाचार है। श्री प्रेमसिहजी सिघवी जब अपनी इस छठी विधान सभा में पुनः निर्वाचित होकर आये थे तब मेरा भी कुछ समय एक पड़ौसी के रूप में उनसे सम्बन्ध रहा था। मुझे आज भी उनकी मुक्त हँसी और जिंदादिली याद है। बहुत ही मधुर, सहज और सरल प्रकृति और मस्त तबियत के वह हमारे माननीय सदस्य रहे हैं। जब वह अपनी विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र देने आये थे तब भी बड़े निश्चल भाव से और बहुत ही प्रसन्न वातावरण में हमने काफी बात की थी। कोई भी अहसास नहीं था कि वह हमारी विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य के नाते इतनी जल्दी इस संसार से भी त्याग पत्र दे देंगे। विधि की यह बड़ी क्रूर विडम्बना है। जिसके विधान को हम नहीं बदल सकते हैं। हमारे एक बहुत ही अच्छे साथी और युवक साथी हमसे इतनी जल्दी विदा हो गये, यह बहुत ही दुःखद घटना है। जब भी श्री प्रेमसिहजी अपने यहां आते थे तो सभी से मिलते थे और उनके मन में उत्साह रहता था। अब

(श्री उपाध्यक्ष)

सभी विधान सभा के सदस्यों को उनका प्रेम ही स्मृति के रूप में याद रहेगा ।

हम भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी ग्रात्मा को शान्ति प्रदान करे ग्रौर उनके भरे पूरे परिवार को यह विपत्ति सहन करने की क्षमता प्रदान करे। उनके परिवार ग्रौर कौटुम्बिक जन हैं उनके प्रति हम इस शोक प्रस्ताव के द्वारा संवेदना प्रकट करते हैं ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा का निधन बहुत ही दारुण ग्रौर दुःखद घटना है। राजस्थान जैसे पिछड़े प्रान्त में नारी क्षेत्र में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने राजनैतिक ग्रौर नारी क्षेत्र में जो रचनात्मक कार्य करके बताया है उससे ही दरग्रसल में नारी क्षेत्र में हमें यहां पर थोड़ी बहुत जागृति देखने को मिली है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि श्रीमती प्रभा मिश्रा जैसी विदुषी ग्रौर ग्रादर्श रूप में कार्य करने वाली महिला इस सदन की सदस्य रही हैं। उनका ग्रभाव हमारी विधान सभा के लिए तो निरन्तर बना रहेगा, लेकिन राजस्थान के लिए वह एक ऐसा ग्रभाव है जिसकी पूर्ति निकट भविष्य में सम्भव नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मृतात्मा को चिरशान्ति मिले ग्रौर उनके परिवार को इस दारुण दुःख को सहन करने की शक्ति दे ।

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि दो मिनट मौन खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करें ।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों की ग्रात्मा की शांति के लिये प्रार्थना की तथा उन्हें श्रद्धांजलि ग्रर्पित की)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्वश्री रामनारायण चौधरी, जयकृष्ण, रामदेवसिंह, जगतारसिंह कंग, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से मालवीय रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, जयपुर में एक छात्र के कत्ल को लेकर उत्पन्न होने वाले रोष के विषय में ।

इस स्थगन प्रस्ताव के विषय में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर निर्णय लिया जावेगा ।

मुझे राज्य में विभिन्न स्थानों पर ग्रोला वृष्टि से हुए फसलों के नुकसान तथा राज्य में ग्रकाल की स्थिति के विषय में भी कुछ स्थगन प्रस्तावों की सूचना मिली है ।

मैं चाहूंगा कि इस विषय पर कार्य सलाहकार समिति की बैठक में विचार करके कुछ समय इन विषयों के लिए भी निर्धारित कर दिया जावे ।

मुझे ग्रौर भी माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनको व्यवस्था

(श्री उपाध्यक्ष)

में शामिल नहीं किया गया है। मैं चाहूंगा कि जिन स्थगन-प्रस्तावों को व्यवस्था में शामिल नहीं किया है उन पर किसी प्रकार का विचार व्यक्त नहीं करें।

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगन प्रस्ताव, जिनकी सूचना दी जा चुकी हो, का व्यवस्था में उल्लेख

श्री मदनसिंह दांता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव जो हमने दिये हैं कम से कम उनका ऐलान तो होना चाहिए कि किसके बारे में था।

श्री नूरा : हमें मालूम हुआ है कि कई प्रस्ताव आपके पास आये थे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वे इसी से सन्तुष्ट हो जायं कि उनका नाम ले लिया जाय तो जिन स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था नहीं दी जाती है उन पर विचार नहीं किया जाय।

श्री मदनसिंह दांता : यह ठीक नहीं है। यह परम्परा नहीं रही है। आज इण्डियन एक्सप्रेस के पहले पेज पर मैंने यह एम० पीज के सम्बन्ध में देखा है कि वह डिफाल्टर है, वह बिजली और टेलिफोन के बिल नहीं देते हैं। बिलों को जमा नहीं कराने पर आम जनता में उनके प्रति घृणा फैलती है। कान्स्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया के आर्टीकल ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदनसिंहजी, मैं निवेदन करूंगा....

श्री मदनसिंह दांता : आप बीच में डिस्टर्ब न करें।

श्री उपाध्यक्ष : अखबारों में तो बहुत सी खबरें प्रकाशित होती हैं उनको लेकर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा अगर करना चाहें तो कोई पार नहीं होगा।

श्री मदन सिंह दांता : आज तक जितने भी पहले एम. पी. हुए हैं.....

श्री उपाध्यक्ष : किसी माननीय सदस्य का नाम अगर है, तो वह पार्लियामेण्ट का प्रश्न है। उसकी पार्लियामेण्ट में चर्चा करें।

(व्यवधान)

आप पहले ही खड़े हो गये हैं।

श्री मदनसिंह दांता : धारा 14 के अन्तर्गत, कोई भी हो........

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में तो आप प्रधान मन्त्री जी को प्रतिवेदन दे दें।

श्री मदनसिंह दांता : यह जन जागरण पार्टी है। आपको जगाकर ही रहेगी। चाहे रिक्शावाला हो चाहे कोई बड़ा आदमी डिफाल्टर हो। यह लॉ के अन्दर डिसपैरिटी हो रही है। एम. एल. ए. और एम. पी. बिल नहीं चुकाते हैं, डिफाल्टर हो रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रान ए पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर है वह यह है कि इस ग्रासन से स्थगन प्रस्तावों के बारे में जो व्यवस्था दी गई है उसके बारे में जो ग्रापने फर्माया है, विरोधी पक्ष के सदस्य होने के नाते हमारा यह हक है कि उसके बारे में हम ग्रापसे वापस रिक्वेस्ट करेंगे। नियमों के ग्रन्तर्गत, नियम 50 के ग्रन्तर्गत जो स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं देते हैं जैसे कि बीकानेर टेम्पोज का मामला है, कल ही ग्रध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि उसके बारे में बोल सकेंगे । खेतसिंहजी ने भी स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में सूचना दी थी । ग्राज ही यह इस प्रकार की बात हुई है। ग्रगर गवर्नमेण्ट इस प्रकार की बात करे कि स्थगन प्रस्ताव हम नहीं उठायें, तो यह बात ग्रलग है। हमारा जो राइट है उसके बारे में व्यवस्था तो ग्राप ही देंगे। ग्राज यह नये तरीके की बात ग्रासन से हुई है। यह विरोधी पक्ष के हकों पर कुठाराघात हुग्रा है। ऐसा प्रश्न है, उस पर पब्लिक एजीटेशन करेगी। मेरा निवेदन है कि ग्रासन के पाइण्ट ग्राफ व्यू से व्यवस्था दीजिए।

श्री नूरा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है कि उदयपुर में हड़ताल हो गई है ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : ग्रध्यक्ष महोदय ने कल कहा था कि ग्राप बोल सकेंगे। वह इनफार्मेशन तो दे सकते हैं। फिर ग्राप घण्टी बजायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : मैंने कल ग्रध्यक्ष महोदय से बातचीत की थी। उन्होंने यह ग्राश्वासन दिया था कि स्थगन प्रस्तावों पर विचार व्यक्त करने का ग्रवसर देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रापका जो स्थगन प्रस्ताव है·······

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : कल मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था। कल ही मैंने चैम्बर में जाकर ग्रध्यक्ष महोदय से बात की थी ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी, ग्रापका स्थगन प्रस्ताव उपस्थित हुग्रा है। गृह मन्त्री जी इसके बारे में विचार विमर्श करके जानकारी देंगे । इसके बारे में चर्चा करना ग्रभी उचित नहीं रहेगा । मैं माननीय गृहमंत्री जी से निवेदन करुंगा कि चर्चा के पहले वह माननीय गुप्ता जी ग्रौर माननीय परसराम मदेरणा जी से चर्चा कर लें ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैंने तीन बिन्दुग्रों पर स्थगन प्रस्ताव दिया है। नियम 50 के ग्रन्तर्गत यह महत्वपूर्ण प्राब्लम्स हैं ।

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

दैनिक नवज्योति के 4 मार्च के इश्यू में गृह मन्त्री जी का स्टेटमेन्ट ग्राया है। वह तथ्य, जिनको वह सदन में नहीं लाना चाहते हैं, स्टेटमेण्ट में छपे हैं। जोधपुर ग्रौर बीकानेर में घटनायें घट रही हैं। हम रेस्पोंसिबिल सदस्य होने के नाते, एक राजनैतिक नेता होने के नाते ऐसी स्थिति पैदा नहीं करना चाहते हैं जिससे हम लोगों की हानि हो। माननीय गृह मन्त्री जी का बयान जिन मुद्दों पर ग्रखबारों में छप चुका है, उन मुद्दों पर हम चर्चा नहीं करें तो मैं समझता हूं कि हम ग्रपनी ड्यूटी को ग्रन्जाम नहीं देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह वैसा नहीं है, जिस पर हम चर्चा नहीं कर सकते है। ग्रगर ठीक समय पर सरकार का ध्यान ग्राकर्षित नहीं करें तो निश्चित ही राजस्थान की हालत खराब होने वाली है। इससे पुलिस में ग्रनुशासन हीनता होगी।

श्री उपाध्यक्ष : मैं ग्रापको यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय ग्रध्यक्ष महोदय ने यह विचार प्रकट किया था कि जानकारी गृह मन्त्री जी देंगे, उसके बाद में चर्चा कर सकेंगे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : हम ग्रा जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : चेम्बर में ग्रा जायें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापने जो व्यवस्था दी है, वह शिरोधार्य है। मगर इस प्रकार की व्यवस्था माननीय ग्रध्यक्ष महोदय ने पिछले सत्र में भी दी थी। मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि उनके प्रिडीसीसर ने इस सम्बन्ध में व्यवस्था दे रखी है। ऐसी व्यवस्था हमारे ग्रधिकारों पर प्रभाव डालेंगी। ग्राज ग्रापने जो व्यवस्था दी है, उसका परिणाम यह होता है कि सदन के माननीय सदस्य, जो स्थगन प्रस्ताव देते हैं या नोटिस देते हैं, उन पर ग्रपने विचार व्यक्त नहीं कर सकेंगे। पहले जो यह व्यवस्था रही है ग्रौर पिछले चार सत्रों में चाहे सदस्यों को स्थगन प्रस्तावों के जरिये जानकारी लेनी हो, चाहे सरकार से वक्तव्य लेना हो, चाहे स्थगन प्रस्तावों को ग्रस्वीकार किया हो —उन्होंने इस बात की ग्रनुमति दे रखी है कि माननीय सदस्य ग्रविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर थोड़े समय के लिए ग्रपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ग्राप की व्यवस्था का परिणाम यह होगा कि जितने भी नोटिस के जरिये ग्रर्जेण्ट मैटर की सूचनायें देंगे उनमें से जिन पर व्यवस्था दी जाये, उन पर चर्चा हो। बाकी विचाराधीन रह जाते हैं उनके बारे में या तो ग्रापके कक्ष में ग्राकर बात की जाये या ग्राप ग्रपना माइण्ड ग्रप्लाइ करके बाद में व्यवस्था देंगे। परिणाम यह होगा कि ग्रविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न सदन में लाना चाहते हैं, वह नहीं ला पायेंगे। निश्चित तौर से जो प्रश्न ग्रविलम्बनीय लोक महत्त्व का है उस पर चर्चा की जानी चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 27 सालों में

(श्री परसराम मदेरणा)

सदन की कार्यवाही केवल दो दफा स्थगित हुई है। यहां पर हमको अवसर मिला है अपने विचार अभिव्यक्त करने का। उस अभिव्यक्ति पर यहाँ अंकुश लगाया जा रहा है। मैं आपसे बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो व्यवस्था दी है इस पर आप कृपा करके पुनर्विचार करें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इससे पहले कि कुछ चर्चा इस पर हो, मैं अपने विचार रखना चाहूंगा। माननीय मदेरणा साहब ने जो विचार व्यक्त किए, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी व्यवस्था दी गई है वह माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने विवेक से दी है। मैंने तो उसको सदन की जानकारी हेतु प्रस्तुत किया है। माननीय सदस्य कोई उत्तर चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आपने पढ़कर भी नहीं सुनाये।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता ने जो बात सदन में उठायी है, उसके बारे में आपने फरमाया कि अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय को शायद पूर्व में दी जा रही व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी नहीं दी गई हो। पूर्व में भी यह प्रश्न आ चुका है और यह जानकारी दी जा चुकी है कि जितने भी स्थगन प्रस्ताव आवें वे पढ़कर सुनाये जावें जिससे जो भी उन पर अध्यक्षीय व्यवस्था हो वह मालूम हो सके। स्थगन प्रस्ताव जो भी आते हैं वे पढ़कर सुनाये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय ने जो भी व्यवस्था आपको कहने के लिए दी है तो मैं ऐसा समझता हूं कि पूर्व की व्यवस्थाओं की जानकारी के अभाव में ही शायद ऐसा हो सका है। जितने भी स्थगन प्रस्ताव आवें उससे सदन के माननीय सदस्यों को अवगत कराया जाना जाहिये। आपका यह कहना कि अध्यक्ष महोदय ने यह जानकारी दी है, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रति आदर रखता हुआ यह निवेदन करूंगा कि इस समय आप आसन पर बिराजमान हैं, आपको इस पर व्यवस्था देनी है। आप उपाध्यक्ष होते हुए भी आसन पर होने से अध्यक्ष का काम कर रहे हैं, आप यह नहीं कह सकते कि अध्यक्ष महोदय से चैम्बर में मिल लीजिये। आपको व्यवस्था देनी होगी क्योंकि आप इस समय आसन पर बिराजमान हैं। सदन में जो स्थगन प्रस्ताव रखे जाते हैं, उस पर भले ही आप चर्चा करने की अनुमति नहीं दें, यह दूसरा प्रश्न है। लेकिन जितने भी स्थगन प्रस्ताव आवें वे सदन के सामने रखे जाने चाहिये। अगर नहीं रखे जाते हैं तो यह एक अच्छी परम्परा नहीं होगी।

श्री मूलचन्द डागा : मैं रूल 10 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। रूल 10 यह कहता है-

"The Deputy Speaker or any other member competent to pre-

(श्री मूलचन्द डागा)

side over a sitting of the House under the Constitution or these rules shall, when so presiding, have the same powers as the Speaker when so presiding and all references to the Speaker in these rules shall in these cirumstances be deemed to be references to any such person so presiding.

तो मैं यह अर्ज कर रहा था–

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई विवाद का विषय नहीं है ।

श्री मदनसिंह दांता : तो फिर विवाद किस बात का है ? Why do you have Deputy Speaker on the Chair then ?

श्री मूलचन्द डागा : मैंने एक लोक महत्त्व का प्रश्न रखा । मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं, बड़ा ही महत्त्वपूर्ण सवाल है, और हजारों व्यक्तियों के जीवन का सवाल है । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कर्तव्य है कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्या इस सदन के सामने रखूं और सरकार का ध्यान आकर्षित करूं । अगर सदन में उसको नहीं रखने दिया जाय तो उसका रीजन देना चाहिए । यह लोक महत्त्व का विषय है । आपको मैंने नोटिस दिया है, मेहनत करके, सुबह नौ बजे आकर दिया है । आपने पाबन्दी लगाई है मैंने उसकी पालना की है । मैंने यह बताया कि लाखों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है ।

(व्यवस्था–सूचक–घण्टी)

दो दिन पहले भी मैं अध्यक्ष महोदय से मिला था । अध्यक्ष महोदय ने कहा था मैं इस प्रश्न को महत्त्व दूंगा, पेय जल के सवाल को महत्त्व दूंगा । श्रीमान् यह पेय-जल का सवाल है—

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, ये प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर पर नहीं बोल रहे हैं, अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहे हैं ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस व्यवस्था को ऐसे अनुभव करता हूं जैसे हमारे कोड़ा मारा हो, आपकी व्यवस्था देने के बाद हम ऐसा अनुभव करते हैं—

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कुछ भी बोलें, लेकिन यह कहना कि हमारे कोड़ा मारा, यह एक्सपर्शन है । It is aspertion on the chiar.

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : किसी भी व्यवस्था से हमारे को चोट पहुंचती है तो वह फिजिकल नहीं है । कोड़ा मत कहिये, हथोड़ा कहिए, एक क्विन्टल भारी हथोड़ा–

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटी जी, आप तो साहित्यिक रुचि रखने वाले हैं ।

(श्री उपाध्यक्ष)

जिस सन्दर्भ में जो बात कही जाती है, वह कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ : मान्यवर, आपने जो भी व्यवस्था दी है उसकी बहस में मैं नहीं जाना चाहता। हाउस में जो ट्रेडिशन्स रहे हैं उसके बारे में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। आज तक जितनी रूलिंग दी गई हैं एडजोर्नमेन्ट मोशन्स के बारे में, यह कन्वेन्शन एस्टेब्लिश किया गया है कि वे रीड आउट किये जाते हैं और स्पीकर अपनी व्यवस्था सुनाते हैं। कई बार स्टेटमेन्ट भी दिलाये जाते हैं, जानकारी के लिए भी भेज देते हैं और आउटराइटली रिजेक्ट भी करते हैं।

माननीय सदस्य जो स्थगन प्रस्ताव पेश करते हैं उनको एक बार बोलने का मौका दिया जाता है चाहे इन्ट्रोडक्शन के स्टेज पर चाहे बाद में वह इसलिए कि जो मैटर अर्जेन्ट इम्पार्टेन्स के हैं उनके लिए उनको अधिकार दिया गया है कि वे उन पर बात कह सकें, यह कन्वेंशन एस्टेबिलश हो गया है कि उस बारे में माननीय सदस्य जानकारी दें।

श्री मूलचन्द डागा : Here lies the beauty.

श्री शंकरलाल (जैतारण) : ऐसा निष्पक्ष व्यक्ति चाहिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंहजी, आप कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह व्यवस्था हटा दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : (विरोधी पक्ष के नेता) : माननीय उपाध्यक्षजी अभी तक जो कन्वेंशन रहा है, एस्टेब्लिश्ड प्रेक्टिस रही है उसकी जानकारी श्रम मंत्री ने दी। हम उनके बहुत आभारी हैं कि लम्बी अवधि तक इस ओर बैठने के फलस्वरूप उनके स्मृति पटल पर जो बात अंकित रही है उसकी जानकारी सदन को दी। आप फर्मा रहे थे कि अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी वह आपने पढ़ी। अब जो प्रिसाइड कर रहे हैं वही स्पीकर हैं देश के संविधान में। सभी व्यवस्थाओं को आज यहां उल्टा किया जा रहा है, हमारे हितों पर अन्ततोगत्वा प्रहार हो गया है। बांसवाड़ा व भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो जोधपुर में पुलिस हड़ताल चल रही है उस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। अगर यह सही है तो गृह मंत्री वक्तव्य देने को तैयार हों। सत्ता पक्ष और ट्रेजरी बैंचेज जिस विषय को अर्जेन्ट पब्लिक इम्पार्टेन्स का मानते हैं उसे इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य भी अर्जेन्ट पब्लिक इम्पार्टेन्स का मानते हैं लेकिन आपकी व्यवस्था का परिणाम यह है कि न तो वे वक्तव्य दे सकेंगे न हम विचार प्रकट कर सकेंगे। गृह मंत्री वक्तव्य देने को तैयार हैं, वक्तव्य दिलाना या नहीं, यह आसन पर निर्भर करता है। आसन उस मामले में जानकारी प्राप्त करने के लिए सदन के बिजनेस को स्थगित नहीं करता मगर वह

(श्री परसराम मदेरणा)

सरकार को आदेश देता है कि इस मामले में वक्तव्य दिया जाए। इसलिए वक्तव्य हो या नहीं, पहले या बाद में, आप वक्तव्य नहीं दिलायें और हमारे स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार करें तो अस्वीकार करते ही हमें बोलने का अधिकार है। कन्वेन्शन के अनुसार हमारा यह हक है कि हम लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठायें। व्यवस्था यह है कि वक्तव्य के बाद बोलने का अवसर दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय ने ब्लैक एण्ड व्हाइट में व्यवस्था देकर, पूर्व की व्यवस्थाओं को सुपरसीड कर दिया है। आपने सदन को सूचित किया है उसमें जो अन्तर्द्वन्द कनफिलक्ट है उस सम्बन्ध में रूलिंग रिर्जव रखते हैं तो अध्यक्ष महोदय से बात की जा सकती है और रिर्जव नहीं करते हैं तो परिणाम यह होगा कि पहले की सभी व्यवस्थायें सुपरसीड हो जाती हैं। उसके बाद में जो एस्टेब्लिश्ड प्रेक्टिस थी, जो परम्परा थी, वह समाप्त होने जा रही है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि आप इस पर पुनर्विचार करें।

श्री ईश्वरचन्द्र : पहले की सारी व्यवस्थायें अगर देखें....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पहले की व्यवस्थायें भी देखी हैं। लेकिन प्रस्तुत व्यवस्था की मुझे जानकारी है, मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि यह सही है कि आसन पर चाहे उपाध्यक्ष बैठें, चाहे सभापति बैठें, जहां तक सदन की प्रोसीडिंग्स चलाने का प्रश्न है, उनकी पावर्स स्पीकर के समान हैं। फिर भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको स्पीकर महोदय अपने विवेक के आधार पर कन्वेन्शन के रूप में, प्रेसीडेंट के रूप में डवलप करते हैं। अध्यक्ष महोदय थोड़ी देर बाद आ जायेंगे। मैं भी जो माननीय सदस्यों ने चर्चा की है, वे भावनायें उनके सामने व्यक्त करूंगा, मदेरणाजी भी उनसे मिलें। जो व्यवस्था निश्चित मामलों में पर्टीक्यूलर केसेज में उन्होंने दी है, वह व्यवस्था काफी विचार करके दी है, मैं उसमें परिवर्तन करना अपेक्षित नहीं समझता।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमने जो स्थगन प्रस्ताव दिए हैं वे कल के लिए रखे हुए समझे जाये ? उनकी गति क्या है, मर जायेंगे या जिंदा रहेंगे ? अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में जाकर बैठते हैं तो आज जो हमने स्थगन प्रस्ताव रखे हैं या कल रखे थे, उनकी वेल्यू सारी खतम हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय व्यवस्था कर देंगे, उनसे आप पूछ सकेंगे।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह परम्परा जो सदन में रही है....

श्री शंकरलाल : आज के स्थगन प्रस्तावों की जो भी जिंदगी होगी वह 5 बजे तक होगी। कल की कार्यवाही के लिए वे जिंदा नहीं रह पायेंगे। आज ही व्यवस्था देकर उन पर चर्चा की जा सकती है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरा स्थगन प्रस्ताव जिंदा है ?

श्री उपाध्यक्ष : जब तक आप जिंदा हैं, आपके स्थगन प्रस्ताव भी जिंदा होंगे ?

श्री किशनसिंह भाटी : अध्यक्ष की दी हुई व्यवस्था आप नहीं बदल सकते।

श्री श्योपतसिंह मकासर : बड़ा महत्व पूर्ण सवाल था, हजारों से कुर्कियां वसूल की जा रही हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : इस तरह टेरेराइज करने से थोड़े ही काम चल सकता है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : लोगों की खड़ी फसलें नीलाम हो रही हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रामकृष्णदासजी, आप विराजिए।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : लॉ एण्ड आर्डर जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर मेरा स्थगन प्रस्ताव था। स्पीकर महोदय द्वारा उस पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ, यह मेरा आग्रह है....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके विचारों को ध्यानपूर्वक देखूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : पिछले 25 वर्ष की परम्परा के बारे में श्रम मंत्री ने आपके सामने निवेदन किया, विरोधी दल के नेता ने यहां तक कहा कि चूंकि आप आसन पर हैं आपको अध्यक्ष जैसी पावर्स हैं। आप सोचते हैं कि स्पीकर द्वारा दिए हुए निर्णय को आप कैसे ओवर रूल करें। उन्होंने निवेदन किया कि आप रूलिंग रिजर्व में रखें ताकि जब अध्यक्ष महोदय आएं तो वह उस पर विचार करें। आप उसके लिए तैयार नहीं और आप चाहते हैं कि अध्यक्ष ने जो व्यवस्था दी उसका पालन करें तो हम उसको हरगिज मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, यह हमारा अधिकार है....

(व्यवधान)

हम निश्चित तौर से बोलेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : हमारे राइट्स और भी हैं जो इस किताब में हैं।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : क्या कोई माननीय सदस्य कह सकता है कि हम सदन का काम नहीं चलने देंगे ?

कई माननीय सदस्य : Yes, Yes.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री हरिदेव जोशी (बांसवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में कुछ भ्रम हुआ है। ऐसा लगता है कि एक साधारण भ्रम के आधार पर यह विवाद खड़ा हो गया है। जो लैंग्वेज रोज एडजोर्नमेन्ट मोशन के ऊपर और काल अटेंशन-मोशन के ऊपर यहां पर रखी जाती है उसी लैंग्वेज के अन्दर आज भी एडजोर्नमेन्ट मोशन के अन्दर अध्यक्ष महोदय के निर्णय हैं। उस लैंग्वेज में अध्यक्ष महोदय ने पहली मर्तबा निर्णय नहीं दिये हैं। आप उपाध्यक्ष महोदय जब से हैं तब से नहीं, अभी वर्तमान

(श्री हरिदेव जोशी) :

अध्यक्ष हैं जब से अध्यक्ष हैं तब से नहीं बल्कि पिछले 25 वर्षों से यही सैंट लैंग्वेज पढ़ी जाती है। आप प्रोसीडिंग्स को उठा कर देख लीजिए। उसके बाद में प्रत्येक सदस्य, जिस किसी ने भी एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया है या काल अटेन्शन मोशन दिया है और जिसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, कुछ समय दिया जाता है चाहे वह समय दो मिनट का हो या पाँच मिनट का हो या एक घण्टे का हो····

एक माननीय सदस्य : बासी कढ़ी में उफान आ रहा है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री हरिदेव जोशी : और उपाध्यक्ष महोदय, वह प्रोसीडिंग्स का पार्ट है। आज 25 वर्षों में पहला मौका है कि एडजोर्नमेन्ट मोशन को अस्वीकार करने के बाद में बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि या तो कुछ भ्रम हुआ है या आपको सेक्रेटेरियट ने, मैं समझता हूं, इस मामले में प्रापर्ली गाइड नहीं किया है। स्थिति वही है जो श्रम मन्त्री जी ने राज्य सरकार की ओर से कही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस हाउस के स्मूथ वर्किंग के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि विरोधी पक्ष की आवाज को घोटा नहीं जाय और उनको बोलने का अधिकार दिया जाय। गवर्नमेंट कहती है कि बोलने दिया जाय और जो पहले से परम्परा चली आ रही है उसको चलने दिया जाय, तब चेयर की ओर से विरोधी पक्ष के विचार नहीं आने देना एक प्रकार से विरोधी पक्ष की आवाज को घोटना है और दबाना है।

(1.03 म० प०)

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, पिछले 25 वर्षों में आप भी विरोधी पक्ष में बैठकर जिस प्रकार से अपनी आवाज को यहां पर रखते रहे थे उसी प्रकार हमारी आवाज को भी रखने का अधिकार दिया जाय, ऐसा मैं मानकर चलता हूं ···

श्री किशनसिंह भाटी : सदन के ऐसे अनुभवी सदस्य कह रहे हैं कि विरोधी पक्ष की आवाज को कुचला जा रहा है चेयर के द्वारा, यह तो एसपर्शन है चेयर के लिए क्लियर कट।

श्री हरिदेव जोशी : यह एक तथ्य है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था I would be the last person जो कि चेयर के लिए कोई अभद्रतापूर्वक बात कहे। मैं तो केवल सजेस्ट कर रहा हूं कि ऐसा करने से ऐसा हो जायगा। हमेशा एडजोर्नमेन्ट मोशन को अस्वीकार करने के बाद में कुछ समय बोलने के लिए देते रहे हैं और आप भी इस अधिकार का उपयोग करते रहे हैं। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि विरोधी पक्ष में बैठकर जो अधिकार आपने एन्जाय किये हैं वह हमें भी एन्जाय करने दिये जाय।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्षजी, स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में

(श्री परसराम मदेरणा) :

आज आपने जो निर्णय दिया और जिसकी जानकारी माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को दी ...

श्री अध्यक्ष : किसके बारे में ?

श्री परसराम मदेरणा : सब के बारे में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को जानकारी दी उसके बाद में माननीय सदस्यों ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। उस व्यवस्था के प्रश्न पर अभी चर्चा चल रही है। चर्चा यह चल रही है कि पूर्व में जब रूल 50 के अन्तर्गत अर्जेन्ट पब्लिक इपोर्टेन्स के किसी भी विषय पर नोटिस दिया जाता रहा है तो उस दिन सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व उस पर आप हमेशा व्यवस्था देते रहे हैं सरकार से तथ्य और जानकारी प्राप्त करने के लिए या उसको अस्वीकार करने के लिए, लेकिन जिन सदस्यों ने प्रस्ताव रखा है उनको बोलने का अवसर देते रहे हैं वक्तव्य से पहले या बाद में। आज जो निर्णय आपका सुनाया गया, जो आप पूर्व में निर्णय लिखकर उपाध्यक्ष महोदय को देकर चले गये, उससे हम ऐसा महसूस करते हैं कि जिन विषयों के ऊपर हम यह सोचते हैं कि यह अत्यन्त लोक महत्व के हैं और समय के अन्दर नोटिस भी सेक्रेटेरियट को दी है उस पर चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि उस पर विचार नहीं किया गया है। और उस सम्बन्ध में आपको कोई पूछताछ करनी है तो कक्ष में मिलें। तो, अध्यक्ष महोदय, पूर्व में जो परम्परायें रही हैं उन परम्पराओं को यहां सुपरसीड किया जा रहा है। यह हो सकता है कि मूल से किसी प्रश्न पर निर्णय नहीं लिया हो या एडजोर्नमेन्ट मोशन का नोटिस आपके ध्यान में नहीं लाया गया हो लेकिन जो एडजोर्नमेंट मोशन दिये गये हैं, क्योंकि उस पर अभी अध्यक्ष महोदय ने कुछ भी व्यवस्था नहीं दी है इसलिए उनके सम्बन्ध में न तो चर्चा हो सकती है और न उठाये जा सकते हैं चाहे वह लोक महत्व के हैं या नहीं हैं। हमेशा जितने भी नोटिस मिलते हैं उनके सम्बन्ध में व्यवस्था सदन के अन्दर देते हैं और व्यवस्था देने के बाद सदस्य को बोलने का अधिकार मिलता है। अगर यह अधिकार हमको नहीं मिलता है तो मैं ऐसा समझता हूं कि यह हमारे अधिकारों के ऊपर कुठाराघात होगा। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि इस सम्बन्ध में जो एक भ्रम है उस पर आप व्यवस्था दें।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आज जो व्यवस्था दी गयी उस पर सदन में बड़ा रोष प्रकट हुआ। सत्ता पक्ष की ओर से श्रम मंत्री जी ने अपना पक्ष रखा और इधर से भी अपना पक्ष रखा गया। जो माननीय सदस्य आप की व्यवस्थाओं से प्रभावित होते रहे हैं पहले भूतकाल में उन्हें मालूम है कि कहां वह कांटा चुभता है। मैं इन व्यवस्थाओं से प्रभावित रहा हूं पिछले सत्र में भी, इसलिये मैं इस सदन की मान्य परम्पराओं की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा। माननीय सदस्यों को यह भ्रम है कि आपने जो एडजोर्नमेन्ट मोशन रिजेक्ट कर दिया उस पर बोलने की इजाजत नहीं दी। आज आपने रिजेक्ट ही

(श्री रामनारायण चौधरी) :

नहीं किया आपने विदहोल्ड कर दिया और सदन में व्यवस्था को नहीं पढ़ा गया। सदन में रीड-आउट नहीं किया गया तो. मान्यवर, ऐसी व्यवस्था से आसन अपनी शक्ति का और अधिकारों का प्रदर्शन और दिग्दर्शन सदन में करवाता है। मैं रात को पढ़ रहा था, 1962 से 67 की प्रासीडिंग्स, उस समय इस प्रकार के ही प्रस्ताव उस जमाने के विपक्ष में बैठने वाले श्री भैरोंसिंह जी और दूसरे लोगों ने दिये थे, उन स्थगन प्रस्तावों को अध्यक्ष ने विदहोल्ड कर दिया था। आसन ने सदन में पढ़कर नहीं सुनाये थे उस पर ऐसी व्यवस्था हुई थी। मान्यवर, आपको स्मरण कराऊं और सदन को भी मालूम होगा कि पिछले सत्र में चिकमंगलूर के चुनावों को लेकर मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उसको विदहोल्ड कर दिया था तो मैंने आपत्ति उठाई थी। उस समय सदन में काग्नीजेंस नहीं लिया गया। मैंने कहा था, मान्यवर, कि आज बड़ी ज्यादती हो रही है। कितना अहम सवाल है। सारा विश्व इस ओर देख रहा है। इस प्रकार के अहम मसले राजस्थान की विधान सभा में जहां तीन करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं वहां नहीं उठायेंगे तो फिर कौन सा विषय होगा जो इस सदन में आयगा। आपने सदन में तो रीड-आउट नहीं किया, उसको रोक लिया। आपको रोकने का अधिकार है लेकिन आपने मुझे बोलने की इजाजत दी। तो मान्यवर, यह परम्परा इस हाउस के अन्दर डवलप हुई है, जो स्थगन प्रस्ताव अहम मसलों के ऊपर दिये जाते हैं उनके बारे में किसी न किसी रूप में चर्चा होती रही है। आज तक परम्परा इस सदन की रही है कि किसी अहम प्रश्न पर स्थगन प्रस्ताव दिया हो, उसकी चर्चा भी आपने विदहोल्ड कर ली हो, तो भी मान्यवर, यहां चर्चा हुई है। जो पुरानी परम्परायें हैं वह रामनिवास मिर्धा, जो आपकी जगह बिराजते थे, ने कायम कीं और आपने भी कायम की हैं। यह परम्परा अच्छी नहीं है। अच्छी परम्परायें वह है जो समय के साथ बदली जायं। जनता का सदन है इसमें यदि चर्चा नहीं करेंगे तो फिर कहां चर्चा होगी? मान्यवर. आपकी सदारत में पिछले दो साल में बड़ी महान परम्परायें आपने कायम की है। हमेशा प्रत्येक एडजोर्नमेंट मोशन के ऊपर विचार व्यक्त करने की इजाजत दी हैं उस परम्परा को कायम रखें और सदन में निश्चित रूप से रीड-आउट करवायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से यही निवेदन है कि जो स्थगन प्रस्तावों के नोटिस आज प्राप्त हुए उनमें एक स्थगन प्रस्ताव ऐसा था जो जरा नाजुक सा था, डेलिकेट मैटर था। उस सम्बन्ध में मैं, यही चाहता था कि विरोधी दल के माननीय नेता और गृह मन्त्री मुझ से मिलें। उस समय जब यह चर्चा चल रही थी तो माननीय श्री रघुनाथ विश्नोई वहीं पर थे। सदन से बाहर जाने से पहले यही संकेत किया था कि एक प्रस्ताव को छोड़कर, जिसके संबंध में कल विचार किया जा सकता है, दूसरे जो प्रस्ताव हैं उनको मैंने स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की और कोई व्यवस्था नहीं दी....

श्री श्योपतसिंह मकासर : वसूलियों का सवाल है....

श्री अध्यक्ष : दूसरा कोई प्रस्ताव है, आप का अधिकार अक्षुण्ण है, आप उस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कौन सा ऐसा प्रस्ताव है जिसको आपने नाजुक समझा है ?

श्री अध्यक्ष : आपका सहयोग प्राप्त करना चाहता हूं। मैं केवल संकेत ही कर सकता हूं, जोधपुर में पुलिस वाला।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष ने आपके नाम से कहा वह गलत है ?

श्री अध्यक्ष : आसन की व्यवस्था है। दूसरे किसी प्रस्ताव पर मैंने कोई व्यवस्था नहीं दी है। जो चर्चा चल रही है उसको चलाइये संक्षेप में। 2 बजे तक समाप्त करें।

श्री रामनारायण चौधरी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव पहले था।

श्री अध्यक्ष : आपका क्या स्थगन प्रस्ताव है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : वसूलियां शुरू हो रही हैं, लाखों काश्तकार....

श्री अध्यक्ष : आपका प्रस्ताव मैंने देखा। उसको मैंने एग्जामिन भी करवाया है। लाखों किसानों में कैसे असंतोष व्याप्त है....

श्री श्योपतसिंह मकासर : उड़न दस्तों के द्वारा खास तौर से वसूलियां करवाई जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : अगर आपके पास कोई ऐसा उदाहरण है तो, माननीय सदस्य श्री रामनारायण चौधरी के बाद आपको समय दूंगा।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रस्ताव था। 10 दिन से हड़ताल चल रही है, छात्रों और मैनेजमेंट में झगड़ा चल रहा है, उसका कोई निपटारा....

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में आप मुझे कक्ष में आकर मिल लीजिये, मैं विचार करूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने 10 मिनट देने के लिये फर्माया था। उपाध्यक्ष की व्यवस्था के बाद, मैं बोला नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप का क्या है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : टैक्सेज की वजह से सब चीजों के भाव बढ़ा कर आप लोगों ने जनता के साथ अन्याय किया है।

श्री अध्यक्ष : जनरल बजट का विषय है, माननीय सदस्य, मेरा निवेदन है कि राजस्थान के बजट पर जो कुछ चर्चा हो उसमें आप यह कह सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बजट पर बोलने का समय मिलेगा या नहीं....

श्री अध्यक्ष : अवश्य मिलेगा, मैं आपको समय दूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने फर्माया

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

था, 10 मिनट बोलने के लिये । जनता को व्यापारी लूट रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : अगर कोई असाधारण बात कहना चाहते हैं, तो आपको समय दूंगा ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, बुन्दु खां....

श्री अध्यक्ष : बुन्दु खाँ का मामला ? कल तो चर्चा हुई है । आपके अगल बगल दो माननीय सदस्य थे, उन्होंने विचार व्यक्त किये हैं ।

श्री गोपाल पचेरवाल : मेरा एक निवेदन है । मैं वहा से आया हूं । मेरे क्षेत्र का सवाल है । गृह मंत्री ने जो स्टेटमेन्ट दिया है वह गलत है । सही तथ्य सदन के सामने रखना चाहता हूं ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : बीकानेर में हड़ताल है....

श्री अध्यक्ष : आप मुझसे कक्ष में आकर मिल लीजिये ।

समय के अभाव के कारण आगे नही बढ़ सकता हूं, माननीय सदस्य ।

एक माननीय सदस्य : कल के लिये रख दें ।

श्री अध्यक्ष : क्या चीज रखूं, मुझे खबर पड़े तो ?

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आज स्थगन प्रस्ताव मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज के छात्रों में व्याप्त असंतोष के बारे में पेश किया था । मान्यवर, आपको, सदन को मालूम है कि श्री हरिश्चन्द्र सिंह, मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज का एक छात्र पिछले दिनों कत्ल कर दिया गया था छात्रावास के अन्दर । सोते हुए लड़के को कत्ल करके उसको जंगल ले जाकर गाड़ दिया गया था । उससे व्याप्त असंतोष के मामले को लेकर जयपुर के अन्दर छात्रों की तरफ से जयपुर बन्द का बड़ा जबर्दस्त आह्वान किया गया था....

श्री रघुनन्दन व्यास : आन ए पाईन्ट आफ इन्फार्मेशन, सर । जिस विषय पर माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह सी० बी० आई० को जांच के लिये दिया जा चुका है और जुडिसियल केस बन गया है....

श्री मूलचन्द डागा : No Judicial Case.

श्री अध्यक्ष : क्या मामला सब-जुडिस है ?

श्री मदनसिंह दांता : होम मिनिस्टर कहेंगे यह बात ।

श्री रामनारायण चौधरी : सी० बी० आई० सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की एजेन्सी है पुलिस की, उसको भी दिये जाने का प्रश्न था वह भी नहीं किया गया । वह भी असंतोष का मामला है । मान्यबर जयपुर के अन्दर छात्रों में भयंकर असंतोष व्याप्त हुआ था । मालवीया इन्जीनियरिंग कालेज के तथा दूसरे कालेज के छात्रों में जयपु रबन्द

(श्री रामनारायण चौधरी)

का ग्राह्वान कर दिया था। यदि ग्राप उस समय जयपुर में विराज रहे हों तो मालूम होगा कि जयपुर का जन जीवन ग्रस्त-व्यस्त हो गया था। राजस्थान के वरिष्ठ मंत्रियों, जिनमें शिक्षा मंत्री श्री भंवरलाल शर्मा, श्री ललितकिशोरजी चतुर्वेदी, श्री माणकचंद सुराणा, श्री कल्याण सिंह जी कालवी, प्रो० केदार इन पाँचों मंत्रियों के समक्ष मालवीय इंजीनियरिंग कालेज के स्टूडेन्ट्स की यूनियन के साथ एग्रीमेंट हुग्रा। सरकार ने ग्रपनी प्रतिबद्धता के फलस्वरूप एक निशानी छात्रों को दी थी ग्रौर वह निशानी ग्रध्यक्ष महोदय, यह थी कि राजस्थान की सरकार ने मृतक छात्र श्री हरिश्चन्द्र सिंह की जांच सी० बी० ग्राई० से कराने का निर्णय ले लिया है ग्रौर भारत सरकार के गृह मंत्रालय को इस हेतु निवेदन किया जा रहा है।

दूसरा, ग्रध्यक्ष महोदय, छात्र हरिश्चन्द्र सिंह के परिवार वालों को उचित सहायता दी जाय। तीसरे, मालवीय इंजीनियरिंग कालेज के प्रिन्सिपल के पद पर नियुक्ति ग्रावश्यक ग्रौर निर्धारित योग्यता रखने वाला व्यक्ति बी० ई० इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास व सैकिन्ड क्लास ग्रौर १० साल का ग्रनुभव रखने वाले व्यक्ति की होनी चाहिये। मान्यवर, राज्य सरकार के निर्णय पर विद्यार्थी नेताग्रों ने जयपुर बन्द के ग्राह्वान को वापिस लिया। मान्यवर, यह पत्र है राजस्थान सरकार का शिक्षा मंत्री की तरफ से, श्री भंवर लाल शर्मा ने छात्र नेता मोहम्मद ग्रब्दुल करीम, जो ग्रध्यक्ष हैं मालवीय इंजीनियरिंग कालेज के, को २२–१–७६ का लिखा है। इसके ग्रनुसार जयपुर बन्द का ग्राव्हान वापस लिया गया था। मान्यवर, इन तीनों चीजों के बारे में जो बच्चों के साथ एग्रीमेंट किया था, उसके ऊपर ग्रभी तक कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण छात्रों में ग्रसन्तोष पैदा हो रहा है ग्रौर यह हो सकता है, मान्यवर, छात्रों में ग्रशान्ति बढ़ती चली जाय ग्रौर वे कोई कदम उठाने को विवश हो जायं। ऐसा होने से, मान्यवर, जयपुर की स्थिति ऐसी बनेगी कि छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ होगा।

इसके साथ ही छात्रों में सबसे बड़ा ग्रसन्तोष का कारण यह भी है कि इस मालवीय इंजीनियरिंग कालेज की जो गवर्निंग बाडी है उसमें ग्रब तक हमेशा शिक्षा मंत्री ग्रध्यक्ष रहते ग्राए हैं। जब श्री ललित किशोर चतुर्वेदी शिक्षा मंत्री बने थे वे इसके ग्रध्यक्ष बने थे परन्तु जब उनका शिक्षा विभाग का पोर्ट फोलियो चेन्ज हो गया ग्रौर श्रीमान् भंवर लाल जी शर्मा के पास शिक्षा विभाग ग्रा गया तो उसके बाद उस गवर्निग बाड़ी का ग्रध्यक्ष रूल्स रेगुलेशन्स के मुताबिक होना चाहिये था किन्तु रूल्स में भी इस प्रकार का संशोधन कर दिया गया है कि श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ही उसके ग्रध्यक्ष बने रहे। छात्रों में ग्रसन्तोष है इसका कारण यह है कि श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ग्रब शिक्षा मंत्री नहीं रहे हैं। ग्रब उस गवर्निग बाड़ी के ग्रध्यक्ष न केवल भेदभाव कर रहे हैं बल्कि कालेज के जो नियम थे, कालेज की जो मान्यताएँ थीं उनको तोड़ रहे हैं। जो उनकी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं जो संस्कार उनमें बचपन से ही रहे हैं उस संस्कार को ग्रहण करने के लिये दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। उनके पक्ष के

(66)

(श्री रामनारायण चौधरी)

लोग, प्रभाव वाले छात्र लाभ उठाते रहे हैं जिसके कारण छात्रों में बेहद असन्तोष है। इस कालेज में, मान्यवर, कोई विद्यार्थी माइग्रेट होकर नहीं आया और आये भी होंगे माइग्रेट होकर तो वही आये होंगे जिनकी बेसिक योग्यता है और जो इस कालेज में हकदार थे लेकिन जो योग्यता रखने वाले थे और जो बाहर पढ़ते थे दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष में उनका मालवीय इंजीनियरिंग कालेज में रिक्त स्थान है। इस प्रकार के स्थानान्तरण व माइग्रेशन आज तक मालवीय इंजीनियरिंग कालेज में नहीं हुए। लेकिन जब से श्री ललित किशोर चतुर्वेदी बने, उसके बाद से इस माइग्रेशन में काफी अनियमितताएँ हुई हैं जिसके कारण छात्रों में बेहद असन्तोष है। इसके कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अशोक के० प्रधान सैकिन्ड ईयर, अशोक के० वेलानी सैकिन्ड ईयर, देवेन्द्र के० आर्य सैकिन्ड ईयर, राम किशन शर्मा सैकिन्ड ईयर, मुकेश माथुर थर्ड ईयर, राजीव माथुर सैकिन्ड ईयर, रणजीत गान्धी थर्ड ईयर, मान्यवर, ये छात्र इस वर्ष नियमों के खिलाफ महज इसलिए माइग्रेट हुए कि श्री ललित किशोर चतुर्वेदी के अनुरूप चलने वाले, आर० एस० एस० के लोग हैं और उसमें दिलचस्पी लेते हैं। कालेज में जो वर्तमान में प्रिन्सिपल हैं वे प्रिन्सिपल श्री ललित किशोर चतुर्वेदी के गुरू हैं। उनके प्रति गुरू की भावना निभाने के फलस्वरूप प्रिन्सिपल बना रखा है, यह भी छात्रों में असन्तोष का एक कारण है। ये प्रिन्सिपल साहब और श्रीमान ललित किशोर चतुर्वेदी अपने मनचाहे लोगों का ही हित करते हैं और ऐसे लोगों को ही यहां माइग्रेट करते हैं।

श्री हरिशचन्द्र सिंह की मृत्यु पर उनके घर वालों को उचित सहायता दी जाय। मान्यवर, श्री हरिशचन्द्र सिंह, जो मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज के मेधावी छात्र थे और भारत के विश्वकर्मा की योग्यता रखते थे, घर वालों को, मान्यवर, केवल पांच हजार की सहायता दी। मान्यवर, इस बात का भी छात्रों में बेहद असन्तोष है। मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज के एक अधिकारी की कार जल गई जिसमें कालेज का कोई हाथ नहीं था, उस कार के जल जाने का मुआवजा सरकार ने 42 हजार रुपया दिया, कालेज से मुआवजा दिया गया। मान्यवर, हिन्दुस्तान का वह मेधावी छात्र क्या योग्यता रख सकता था, वह आधुनिक युग का एक बड़ा आर्चीटेक्ट होता किन्तु उसके घरवालों को केवल पांच हजार का मुआवजा दिया गया और एक अधिकारी की कार जल जाने पर, जिसका कालेज से कोई सम्बन्ध नहीं था, उसको 42 हजार का मुआवजा दिया गया। मान्यवर, यही कारण है जिससे आज छात्रों में बेहद असन्तोष है, उनके अन्दर आक्रोश है, उनके अन्दर इस बात की नाराजगी है। मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा और आप कह भी रहे थे मैं बताऊंगा, यह आपका ही लिखा हुआ है, हस्ताक्षर श्री भंवर लाल शर्मा के हैं जो इस समय सदन में विराजे हैं, यह क्यों हो रहा है। उस मेधावी छात्र के परिवार वालों को केवल आप पांच हजार

(श्री रामनारायण चौधरी)

मुआवजा दें जब कि एक जिन्दगी का प्रश्न है और दूसरी ओर अधिकारी की कार, जो एक बेजान वस्तु है, के जल जाने पर उसको 42 हजार का मुआवजा दे दें। इसके औचित्य पर आप विचार करें। किस प्रकार स्टूडेन्ट्स का माइग्रेशन होगा जब कि आपने उसको प्रिन्सिपल के पद पर बिठा रखा है जो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन नहीं रखता है। मान्यवर, इसी प्रकार छात्रों के असन्तोष के कई कारण हैं। इस पद के लिए पोस्ट ग्रेजूएट डिग्री इन इन्जीनियरिंग और टेक्नोलोजी विद 20 ईयर्स एक्सपीरियन्स होना चाहिये वह भी उनमें नहीं हैं लेकिन यह दिया हुआ है कि any of the above qualification can be relaxed by the selection committee in the case of suitable candidate. यह, मान्यवर, क्या लिखा हुआ है ? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इन्जीनियरिंग और टेक्नोलोजी है लेकिन जो वर्तमान में प्रिन्सिपल हैं वे श्रीमान ललित किशोर चतुर्वेदी के गुरू हैं उनके अन्दर यह क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट इन टेक्नोलोजी, यह कह दिया; सूटेबिल केन्डीडेट अवेलेबिल नहीं है इसलिए इनको रि-कन्सीडर करने का प्रश्न सामने लाना चाहता हूं। मान्यवर, प्रोफेसर केदार को मालूम है कि प्रिन्सिपल को हटाने का तय हो गया। उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। कहां है वह त्याग पत्र ? श्रीमान्, आज चर्चा यह है कि उनको प्रमोशन दे रहे हैं। इसके बाद मैं पूछना चाहता हूं वह त्याग पत्र कहाँ गया ? कहां उनको हटाने का प्रश्न गया ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि जो छात्रों में गहरा असन्तोष व्याप्त है उसको तुरन्त दूर करें और शिक्षा मंत्री जी इसका समुचित उत्तर दें।

एक माननीय सदस्य : पहले इनको बोल लेने दीजिये। Why do you try to jump over the others ?

श्री भंवर लाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य कुछ और बोलना चाहे तो बात दूसरी है। नहीं तो मैं कुछ कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय शिक्षा मंत्री जी वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज राजस्थान का ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के अच्छे कालेजों में से एक था जिसकी हर जगह प्रशंसा करते थे। परन्तु यह जो जनता पार्टी की सरकार आई है, इस सरकार का अपने पांव जमाने के लिये एक ही तरह का नजरिया नजर आता है और वह खास तौर से यह नजर आता है कि वह एजूकेशन में प्रवेश करे। एजूकेशन में प्रवेश करने के नजरिये के कारण ही चाहे राजस्थान यूनि-वर्सिटी हो, चाहे उदयपुर यूनिवर्सिटी हो और चाहे जोधपुर यूनिवर्सिटी हो, इनके अन्दर जो मान और मर्यादायें एजूकेशन की थीं उनको तोड़ मरोड़ करके उनके उपकुलपति और प्रिंसिपल अपने आदमियों को बनाने के लिए तय कर लिया है। चाहे वे श्री वेदपाल त्यागी हो और चाहे आज के जो इस आयोग के कानसिंह जी साहब हों, चाहे इस मालवीय इंजीनियरिंग कालेज के प्रिंसिपल साहब हों,

(श्री जय कृष्ण शर्मा)

जो कायदे कानून थे उनको वलाए ताक रख कर उनको इन पदों पर बिठाया गया है। यही एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से चाहे जोधपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे मालवीय इंजीनियरिंग कालेज हो, हर जगह पर आज झगड़े हो रहे हैं। उन संस्थाओं की जो अच्छी साख थी वह साख गिरती जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है बहुत सीधा सादा है। जब इसी सरकार के शिक्षा मन्त्री ललितकिशोर जी चतुर्वेदी शिक्षा विभाग से अलग हो गए और उसी घटक के, उसी जनसंघ, भूतपूर्व जनसंघ घटक के भंवरलालजी शर्मा साहब शिक्षा मंत्री हो गए, अगर उस समिति के वे ही अध्यक्ष हो जाते तो कौन सा ऐसा अन्याय हो जाने वाला था। परन्तु मैं ऐसा मानता हूं कि गैर-कानूनी काम, हेराफेरी के काम भंवरलालजी शर्मा से नहीं हो सकते। इसलिए जनसघ और आर. एस. एस. के पांव कैसे जमें इसके लिए ललित किशोर साहब को ही अच्छा समझा और उनको उस समिति का अध्यक्ष बना दिया। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कहूं कि अगर यही आपका हाल रहा, यही अगर आपका दृष्टिकोण रहा तो आज यह दृष्टिकोण आपका नंगा रूप धारण कर चुका है इस बजट के ऊपर। अब यह सरकार राजस्थान की आर्थिक तौर से किसानों के लिए ऐसी हो रही है, शिक्षा के लिए भी इसका दृष्टिकोण ऐसा नंगा होता जा रहा है जिससे राजस्थान की जनता के सामने कई नए सवाल पैदा हों जाएंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और सब जगह अराजकता फैल जायगी। आप लोगों से बदला ले रहे हैं। आज ही अखबारों में पढ़ा है, अध्यक्ष महोदय, संजय गांधी और विद्याचरण शुक्ल को जिस जज ने सजा दी थी, आज उसको हाई कोर्ट का जज बना दिया गया है। यह मनोवृत्ति यहीं पर नहीं, हिन्दुस्तान भर के अन्दर भी चल रही है कि विरोधियों से बदला निकालो। चाहे कानसिहजी हों, चाहे वेदपाल त्यागी हों, चाहे ललिल किशोर जी के गुरु साहब हों, उनको पदों के लालच दिए गए। इस तरह से सही तौर पर स्वस्थ प्रजातंत्र कायम नहीं रह सकेगा। वह दिन दूर नहीं जब सभी जगह पर झगड़े होंगे। अभी अलवर के अन्दर आर. एस. एस. की जहां पर शाखा लगती थी, आर. एस. एस. के लोगों ने स्कीम नम्बर 2 के लोगों का जीना हराम कर दिया। वहां पर बाकायदा झगड़ा हुआ। पुलिस देर से गई और आर. एस. एस. के नाम पर कुछ नहीं किया। वहां की गरीब महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। आज हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो आप आर. एस. एस. का वर्चस्व कायम करते जा रहे हैं वह हमारे देश के लिए अभिशाप होगा, वह आपकी पार्टी के लिए भी अभिशाप होगा। आज इस बात को सोचिये, अगर आप देश में जनतंत्र कायम रखना चाहता हैं, इस देश के अन्दर स्वस्थ परम्परायें डालना चाहते हैं तो कुछ ऊपर उठें। हमारे ये मंत्री सोचें और ऊपर उठ कर के शिक्षा के क्षेत्र में काम करें मेरा यही आपसे निवेदन है। मेरा आपसे यही कहना है कि आपने जो कुछ वायदा किया है, विद्यार्थियों के साथ जो वायदा किया है उसको पूरा करो। या तो विद्यार्थियों से वायदे करो मत और करो तो पूरा करो।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

नहीं करोगे तो जैसे पहले हुआ उसी तरह से आज फिर हो सकता है। फिर बन्द का आह्वान होगा, फिर भावनायें भड़केंगी, यह बहुत ही दुःख की बात है। आप इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपनी बात से पीछे हटते जा रहे हैं।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में अपने निर्णय पर कठोरता के साथ कदम उठायें और ललित जी का मोह छोड़ें।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव था लेकिन वह समय पर नहीं पहुंच सका। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी चूंकि उत्तर देना चाहते हैं, इसलिए मैं तथ्यों पर दो मिनट में प्रकाश डालना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारे राजस्थान के लिए यह बहुत बड़े कलंक की बात रही........

श्री अध्यक्ष : आपका क्या स्थगन प्रस्ताव था ?

श्री शंकरलाल : इसी सम्बन्ध में था।

श्री मदनसिंह दांता : समय पर नहीं पहुंचा तो फिर कैसे बोल सकते हैं। आप नई व्यवस्था दे रहे हैं। जो समय पर प्रस्ताव नहीं दे सके उनको मौका दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री शंकरलाल : मैंने आपको लिख कर दिया है, मैंने प्रस्ताव भेजा है वह समय पर नहीं आया ....

श्री मदनसिंह दांता : जब समय पर नहीं आया तो आप कैसे बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री शंकरलाल : शिक्षा मंत्री महोदय कहना चाहते हैं उससे पहले मैं एक मिनट में ही अपनी बात कह देता हूं

श्री मदनसिंह दांता : फिर आप परम्परा को तोड़ेंगे। आपने स्थगन प्रस्ताव समय पर नहीं दिया फिर भी बोलना चाहते हैं। You should obey the Speaker's ruling.

श्री शंकरलाल : आप क्यों बीच में बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, इजाजत देंगे तो मैं बोलूंगा वरना बैठ जाऊंगा। यह अध्यक्ष महोदय पर है कि वे इजाजत दें या नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : आप बोलने की इजाजत देते रहे हैं।

श्री नवनीत पालीवाल : लेट आने पर कैसे बोल सकते हैं, यह कौनसी परम्परा डाल रहे हैं।

श्री शंकरलाल : मैंने तो पहले ही कह दिया कि समय पर नहीं पहुंच सका। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पहले माननीय मंत्री महोदय का सरकारी

(श्री अध्यक्ष)

जवाब सुन लीजिए । अगर फिर भी आवश्यकता समझे तो उसके पश्चात् एक मिनट बोल दीजिए ।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, जहां पर एक लड़के को मार दिया गया था, के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये । जो कुछ कहा गया है सदन में उसके एक छोटे से मुद्दे पर निवेदन करना चाहता हूं, बाकी शिक्षा मन्त्रीजी कहेंगे ।

जहां तक सी.बी.आई. से जांच कराने का प्रश्न है, लड़के मेरे से मिले हैं । उन्होंने यह कहा था कि उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच कराना चाहते हैं । तो मैंने कहा सी. बी. आई. से ? उन्होंने कहा कि हाँ, सी.बी. आई. से ही जांच कराना चाहते हैं । हमने सी. बी. आई. को पत्र लिख दिया कि जांच को अपने हाथ में ले । अभी तारीख का तो निवेदन नहीं कर सकूंगा, पांच सात मिनट के अन्दर अध्यक्ष महोदय को बता दूंगा लेकिन हमने पत्र लिखा है कि सी. बी. आई. इस केस को अपने हाथ में ले ले । उन्होंने इस केस को हाथ में नहीं लिया है, यह तथ्य रखना चाहता हूं, बाकी शिक्षा मन्त्रीजी कहेंगे ।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो आपने, गृह मन्त्रीजी ने बताया है........

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज को लेकर........

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, गृह-मन्त्रीजी ने यह बात कही है कि सी. बी. आई. ने केस हाथ में नहीं लिया । मैं जानता हूं कि सी. बी. आई. को कब कहा । 22–1 का यह पत्र शिक्षा मन्त्रीजी का मेरे पास है इसमें लिखा है कि सी. बी. आई. के माध्यम से जांच कराने हेतु राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है । 22–1 को सरकार ने निर्णय ले लिया तो आपने सी. बी. आई. को कब कहा ?........

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने पहले ही कह चुका हूं कि इस समय तारीख नहीं बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर में बता दूंगा ।

श्री शंकरलाल : यह तारीख नहीं बतला रहे हैं लेकिन शिक्षा मंत्रीजी का पत्र है उसकी प्रतिलिपि मेरे पास है जो उन्होंने अध्यक्ष छात्र संघ को लिखा है । इससे शिक्षा मन्त्रीजी इन्कार नहीं कर सकते । यह इन्होंने 22–1 को लिखा है । इसमें, अध्यक्ष महोदय, यह लिखा है कि यह राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है । 22–1 को, अध्यक्ष महोदय, निर्णय ले लिया है और आज 7 मार्च है । एक ऐसे कत्ल के मामले, जिसके लिए आपने माना है कि एक बिहार के छात्र की लाश केम्पस में पड़ी हुई मिली, उसको गिद्ध और जानवर खा रहे थे, की जांच सी. बी. आई. से कराने का निर्णय लेने की बात आपने अपने 22–1 के पत्र में लिखी है और आज आप तारीख नहीं बता सकते । इसका मतलब है, आप उदासीन हैं, दो महीने तक आप उदासीन रहे हैं । यह मेरा आरोप है । इसलिए मैं चाहता था कि आप तारीख बतावें । यह भी आपने कहा है कि हम

(श्री शंकरलाल)

छात्रों को सहायता देंगे । मैं जानना चाहूंगा, आपने क्या सहायता दी है ? जब कि एक अधिकारी को कार जल जाने पर 42 हजार की सहायता दी गई है तो एक छात्र की मृत्यु पर आपने क्या सहायता दी है ?

दूसरी बात आपने यह कही है कि प्रिन्सीपल को हटायेंगे । अध्यक्ष महोदय, आप मालूम करें, कौन सी तारीख है । दो मन्त्री बैठे हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय यूनिवर्सिटी के छात्र दिलीपसिंह की हत्या की गई थी । 72 घण्टे के अन्दर अन्दर वह केस सी. बी. आई. को हेन्ड ओवर कर दिया गया था। मान्यवर, आपको तो यह भी मालूम है कि कौन कौन लोग उसमें इन्वाल्व्ड थे । इन्जीनियरिंग कालेज में बिहार के एक छात्र की मृत्यु हो जावे और गृह मन्त्री उसको आज तक सी. बी. आई. को हेन्ड ओवर नहीं कर पायें, यह शोचनीय स्थिति है । आप इसका मुलाहिजा फर्मावें ।

श्री शंकरलाल : छात्र हड़ताल पर रहे। जयपुर बंद रहा । आप तारीख मालूम करिए ।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सी. बी. आई. को इस मामले की जांच के लिए पत्र लिखा है, इस सम्बन्ध में गृह मन्त्री महोदय ने अभी यहां पर बताया है यह पत्र किस तारीख को लिखा इसकी सूचना कुछ ही देर में वे दे देते हैं । इतना कहने के बाद भी यह उत्तेजना नहीं होनी चाहिए ।

श्री शंकरलाल : यह 22–1 को पत्र लिखा गया था ।

श्री भंवरलाल शर्मा : कुछ तो इन्तजार करिये ।

श्री शंकरलाल : यह पत्र आपने लिखा था........

श्री भंवरलाल शर्मा : इस पत्र को लिखने से इन्कार नहीं किया । तारीख भी बताने से इन्कार नहीं करते ।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज को लेकर इस विधान सभा में पहले भी चर्चा हो चुकी है । यह कहा जाता है, कानून में यह व्यवस्था है कि जो गवर्निंग बाडी है उसका अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री होगा । यह जानकारी, पता नहीं, माननीय सदस्यों को किसने दी या कौनसा कानून उन्होंने पढ़ लिया है । ऐसा नियम हो ऐसा नहीं है । आपके राज्य में कई मंत्री रहे हैं, उनमें से कोई इसका अध्यक्ष रहा हो तो उसका नाम आप बता दें........

श्री शंकरलाल : वे आर. एस. एस. के नहीं थे । आपके ललितकिशोर चतुर्वेदी रहे हैं । आपने इनको रखा हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप राजनैतिक दृष्टिकोण से इसको उछालना चाहते हैं तो आप इसके लिए स्वतन्त्र हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : डोमिनेशन के लिए आपने आर. एस. एस. के ललितकिशोर चतुर्वेदी को बनवाया था।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप विरोधी दल के भूतपूर्व नेता रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए, आप बात को तो समझिए। आप उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं क्योंकि उत्तर आपके खिलाफ आयेगा। इससे तिलमिला कर ही आप नहीं सुनना चाहते हैं तो आपकी मर्जी की बात है। पर आप सुनिए।

श्री शंकरलाल : क्या उत्तर आयेगा हमारे खिलाफ ?

श्री भंवरलाल शर्मा : जो बात मुझे कहनी है, वह तो मैं कह कर रहूंगा। आप कितना ही डिस्टर्ब करना चाहें, करिये। मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो आज यह कहते हैं कि कानून में यह व्यवस्था है कि गवर्निंग बॉडी का चेयरमेन एक्स आफिसियो शिक्षा मन्त्री हुआ करते हैं, मैं केवल इसका उत्तर दे रहा हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपने यह कहा है कि प्रिन्सीपल को बदलेंगे। टू दी पाइन्ट आइये। जो आपने लिख कर वायदा किया है, उस बात पर आइये। हमारा मतलब तो यह है कि आपने जो एग्रीमेन्ट किया है, उसको लागू करिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने कहा, ललितकिशोर को कैसे बना दिया। अब यह बात आ गई

(व्यवधान)

आप नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं इसको छोड़ देता हूं। अब रहा प्रिन्सीपल का सवाल।

श्रीमती सुमित्रासिंह : शिक्षा मन्त्री को किसने चेयरमेन बनाया ?

श्री नवनीत पालीवाल : मन्त्री महोदय को जवाब देने दीजिए।

श्री जयकृष्ण शर्मा : ललितकिशोरजी कैसे चेयरमेन बने, इसको तोड़मरोड़ कर आप कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, आप बिलकुल दृढ़तापूर्वक बोल दीजिए। यह उलझना, उलझना कुछ नहीं। कह दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रिन्सीपल के अपाइन्टमेन्ट का सवाल है, यह बात गलत है कि ललितकिशोरजी चतुर्वेदी और प्रिन्सीपल का कोई सम्बन्ध है और उनको ओबलाइज करने के लिए ही इनको प्रिन्सीपल बनाया गया है। मैं सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि जब इन्जीनियरिंग कालेज के प्रिन्सीपल की मृत्यु हुई और जगह खाली हुई तो जो सीनियर मोस्ट मि. डी. के. जैन हैं, उन सीनियर मोस्ट को प्रिन्सीपल बनाया गया। कुछ दिन बाद अपने किन्हीं कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और यह कहा कि मैं इस पद पर नहीं रह सकता। तो जो नेक्स्ट सीनियर प्रोफेसर थे उनको प्रिन्सीपल बनाया गया है और वे ही वर्तमान में प्रिन्सीपल हैं। उनको बींग दी सीनियर मोस्ट प्रोफेसर इन दी कालेज, प्रिन्सीपल बनाया गया। यह कहना

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कि ओबलाइज करने के लिए उनको बनाया गया, सरासर गलत है। आप जरा तथ्यों की जानकारी रखिए। कोई विषय आपके पास न हो तो आप आर. एस. एस. की आलोचना शुरू कर देते हैं।

श्री शंकरलाल : आर. एस. एस. को तरजीह देने के लिए ही आपने ललितकिशोर चतुर्वेदी को अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष महोदय, जब खुद मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि यह नियमों में नहीं है....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमने विद्यार्थियों को यह कहा है कि हम रेगुलर प्रिन्सीपल नियुक्त करेंगे। इसके लिए मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में विज्ञापन प्रकाशित करा दिया गया है। यथा समय नियुक्ति कर दी जाएगी।

एक माननीय सदस्य : क्या दो साल में ?

श्री भंवरलाल शर्मा : एडवर्टाइजमेन्ट निकल गया है। जो उपयुक्त होगा उसका सलेक्शन होगा और उसकी नियुक्ति कर दी जाएगी। क्यों आपको परेशानी हो रही है? व्यर्थ इतना बड़ा हौआ खड़ा कर देते हैं।

मेरा निवेदन है कि शिक्षण संस्थाओं को कृपा करके राजनीति का अखाड़ा मत बनाइये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप हमको बना रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। उल्टा आप हम पर चार्ज लगा रहे हैं।

श्री मदनसिंह दांता : आर. एस. एस. का कोई सदस्यता फार्म है क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : उसका कर्त्तव्य ही उसका फार्म है।

इन्जीनियरिंग कालेज की जो स्थिति है उससे निपटने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसको रोज रोज यहां पर चर्चा करके और मत उलझाइये। यह तकलीफ कि आर. एस. एस. के लोग कहां कहां है........

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : मन्त्री महोदय, ललितकिशोर चतुर्वेदी कैसे चेयरमेन बने, आप तो यह बता दीजिए।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मन्त्रीजी ने जो जवाब दिया....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के माननीय सदस्यों को मैं निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय की सौजन्यता का अनुचित लाभ न उठावें। आपको जो कहना हो कह दें, उनकी बात पर क्यों ध्यान देते हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी ओर से इतनी पर्मिशन मिल जाने के बाद भी मन्त्री महोदय ने कुछ नहीं बताया है इसलिये मैं निवेदन करूंगी।

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य का समय समाप्त हो गया।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य महोदया।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय मन्त्रीजी ने कुछ भी अपने विचार प्रकट नहीं किये हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मन्त्री महोदय को इस प्रकार प्रोटेक्शन दिया जाना........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या. Silence is half consent चर्चा समाप्त हुई।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, सी. बी. आई. को इस केस की जांच लेने के लिये 27–1–78 को लिख दिया गया। उसके बाद 15–2–79 को फिर रिमाइण्डर दिया गया कि इस केस को अपने अधीन ले ले। इसके साथ ही साथ माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने भी दिल्ली में सम्बन्धित मिनिस्टर पाटिलजी से इस केस को अपने अधीन लेने को कहा है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : इससे आपके प्रभाव का पता चलता है।

श्री सम्पतराम : सी. बी. आई. को देने का मतलब यह नहीं कि यह एन्टायरली उन्हीं का डिस्क्रिशन है।

श्री शंकरलाल : और जो मारा गया उसे क्या मिला।

श्री रामनारायण चौधरी : एक अधिकारी की कार जल जाने पर उसे 42 हजार दिये गये और एक लड़के की मौत पर उसके मां-बाप को 5 हजार दिये गये।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : एक आदमी की हत्या हो जाय और वह भी राजस्थान में दूसरे राज्य के निवासी की, अध्यक्ष महोदय, क्या कहेंगे लोग देश में........

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये कह रहे हैं। बहुत दुःख है, बहुत दुःख है........

श्री मदनसिंह दांता : दांतारामगढ़ के एक आदमी की कलकत्ता में हत्या हो गई। वहां की गवर्नमेंट ने 20 हजार रुपये भेजे हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : इन्सान के मरने पर 5 हजार और एक अधिकारी की कार जल जाय उसको 42 हजार।

श्री शंकरलाल : यह आपा-धापी, घटा-टोप का राज, अध्यक्ष महोदय, आपकी निगाह में........

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : बंगलोर में एक लड़के का सामान चोरी चला गया तो वहां के मुख्य मन्त्री ने जितना उसका सामान गया उसका सारा मुआवजा दिया और राजस्थान में लड़का मारा गया उसके परिवार को 5 हजार दिये, यह शर्म की बात है राजस्थान के लिये। यहां मालवीया इन्जीनियरिंग कालेज में काश्मीर के, पांडि-

श्री रामनारायण चौधरी

चेरी के, नागालैण्ड के लड़के हैं, सारे देश के लड़के पढ़ रहे हैं........

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम : मैं एक बात अर्ज करूं....

श्री रघुनाथ विश्नोई : सी. बी. आई. इसकी तफतीश करे, अपनी पुलिस क्या कर रही है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये कृपया।

श्री रामनारायण चौधरी : यह सारा इन्वेस्टीगेशन, अध्यक्ष महोदय—

(व्यवधान)

ये एन्टी आर. एस. एस. हैं। आर. एस. एस. के लड़के चाहते हैं कि जब तक हम डिमाण्ड न करें....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया मन्त्री महोदय को तो सुनिये।

श्री माणकचन्द सुराणा (आयोजना मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने मुआवजा जो दिया गया है मृतक विद्यार्थी के मां-बाप को, उसके सम्बन्ध में काफी चिन्ता व्यक्त की है। उनकी भावनाओं को ध्यान में रख कर 5 हजार का जो मुआवजा दिया गया है उसके अलावा मुख्य मन्त्री कोष से 5 हजार मुआवजा उनको और दिया जायेगा। इसके साथ में निवेदन करता हूं, अध्यक्ष महोदय, पिछला रिकार्ड जनता सरकार के पहले का भी देख लिया जाय कि उस सरकार ने किसी भी विद्यार्थी के कत्ल पर कितना मुआवजा दिया।

एक माननीय सदस्य : एक धेला भी नहीं दिया।

श्री माणकचन्द सुराणा : हमारे दस हजार के मुआवजे से दो गुना भी वे बतावें...

श्री रघुनाथ विश्नोई : जोधपुर में आप तेजा मन्दिर के मुआवजे के बारे में आश्वासन देकर आये थे उसके बारे में आपने क्या किया ?

श्री माणकचन्द सुराणा : अभी तो इन्जीनियरिंग कालेज की बात हो रही है। आपके राज में कत्ल हो गये उनका मुआवजा एक पैसे का भी आपने नहीं दिया। आपको खुद को शर्म आनी चाहिये।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर....

(व्यवधान)

सरकारी अधिकारी की कार जलने पर 42 हजार दिये और

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब इस संबंध में चर्चा नहीं होगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई बच्चे की मृत्यु

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

को रुपयों से तोल कर झगड़ा नहीं करना चाहिये। रुपये कोई महत्वपूर्ण नहीं हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस बारे में चर्चा कृपया न करे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय सदस्य को कितनी वेदना हो रही है, यह सब दिखावटी है। किसान आन्दोलन में 3 छात्र मारे गये उस वक्त तो वेदना नहीं हुई। इस तरह सारा का सारा सदन का टाइम ले रहे हैं। यह भलमनसाहत है कि हम चुपचाप सुन रहे हैं। हमारा भी स्थगन प्रस्ताव है। मगर रिपीटेडली, बार बार उसी सवाल को रख कर हमदर्दी दिखाना, यह गलत तरीका है। कांग्रेस के राज में मारे गये। रामनारायणजी मिनिस्टर थे तब भी मारे गये थे। तो फिर क्या बात हुई। यह उसी कांग्रेस की बात है जिस कांग्रेस ने लोगों को मारा है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : बंगाल में आपकी सरकार द्वारा जो मारे गये हैं वहां पर कितना मुआवजा दिया है ?

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : आप रात दिन पैसों के बारे में विचार करते हो। आप इन बातों में ज्यादा मत फंसो।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह सरकार दरिन्दों की है।

श्री एच० एन० शर्मा : इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। इनके खून से रंगे हुए हाथ हैं।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : एक व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष....

(व्यवधान)

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब दो बजे का समय हो गया है इस पर चर्चा समाप्त करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट ही अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री रामनारायण चौधरी : सरकारी अधिकारी की कार जल गई उसका मुआवजा उसको 42 हजार रुपया दिया गया है और एक बच्चे के परिवार को 10 हजार रु. दिया जा रहा है। मैं सरकार के इस उत्तर को असन्तोषजनक मानता हूं और इस सदन से वाक आउट करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री रतनलाल वर्मा : इनको पहुंचाने के लिए भी जायं दो–चार सदस्य। कहीं फिर न आ जायं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय श्री रामनारायणजी तो अपना मन्तव्य पूरा

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

करके जा रहे हैं। उनको यही ग्रादेश था कि जितना विरोध कर सकते हो उतने विरोध के साथ इस सवाल को उठाना....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप ग्रपनी बात कह दें।

श्री शंकरलाल : यह जो 10 हजार का मुग्रावजा दिया गया है इसको मैं उचित नहीं मानता हूं इसलिए वाक–ग्राउट करता हूं। एक कार के लिए तो 42 हजार मुग्रावजे के दिये जा सकते हैं ग्रौर एक ग्रादमी की जान के लिए 10 हजार। इसको भी पोलिटिकल इश्यू बना रहे हो....

श्री मदनसिंह दांता : ग्राप मौत के लिए क्या कीमत मांगते हो ? कांग्रेस वाले क्या कीमत मांगते हैं ?

श्री रतनलाल वर्मा : शर्म नहीं ग्राती है।

श्री शंकरलाल : एक बालक की हत्या हुई है ग्रौर ग्राप उसका समर्थन कर रहे हैं। ग्रादमी की जान का क्या मुग्रावजा होता है।

श्री रतनलाल वर्मा : ग्रापने हत्याएं की हैं...

श्री शंकरलाल : ग्राप लोगों को भी जनता देख लेगी।

(बहिर्गमन)

श्री रतनलाल वर्मा : पहले वाली सरकार ने हत्याएं की हैं।

श्री नारायणसिंह (मालपुरा) : ग्रध्यक्ष महोदय, हम ग्रापका संरक्षण चाहते हैं। हम सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि सदन का बहुमूल्य समय इस प्रकार से व्यतीत किया जाय।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सत्ता पक्ष वाले ही ज्यादा खराब करते हैं।

श्री नारायणसिंह : मैं निवेदन करूंगा कि समय का पालन ग्राप करायें। एक प्रश्न जब एक बार उठ चुका है तो बार बार उसको रिपीट नहीं होने दें। हमें ग्रापका संरक्षण मिलना चाहिए। हम ग्रापकी तरफ देखते हैं ग्रौर ग्राशा करते हैं कि हमें संरक्षण मिलेगा ग्रौर टाइम मिलेगा ताकि हम इस बजट के ऊपर कुछ बोल सकें।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापकी ग्रनुमति से रूल 51 की तरफ ग्रापकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं :—

"Notice of an adjournment motion shall be given before the commencement of the sitting on the day on which the motion is proposed to be made to each of the following :—

(i) the Speaker,

(ii) The Minister concerned,

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

and

(iii) The Secretary."

जब तक इन तीनों, जो इसमें निर्दिष्ट हैं, को नोटिस नहीं दिया जाता है इस प्रश्न को सदन के अन्दर उठाये जाने की अनुमति इस प्रकार से नहीं दी जा सकती है जिस प्रकार....

श्री मदनसिंह दांता : वह दिये हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : एक मिनट।

यह इसमें प्रावधान दे रखा है कि जो मुद्दे हों उनके सम्बन्ध में सरकार को जानकारी मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आपके सम्मुख नोटिस प्रस्तुत करने की बात लिखी है, इसके साथ-साथ मन्त्री को भी नोटिस दिये जाने की बात है। यहां पर जितने भी एडजोर्नमेंट मोशन दिये गये हैं उनके लिए मन्त्री को कोई नोटिस नहीं दिया गया है।

श्री मदनसिंह दांता : यह सेक्रेटेरियट की गलती है। हम तीन-तीन कापियां देते हैं और मन्त्री, गृह मन्त्री को आपका सेक्रेटेरियट नहीं भेजता है तो उसकी गलती है। हम देते हैं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसका सम्बन्ध आप जो गलत समय में वसूलियां कर रहे हैं उससे है मुझे हैरानी है, आखिर जनता पार्टी की सरकार के लोगों में कुछ दिमाग नाम की चीज भी रही है कि नहीं। यह मुझे सोचने के लिए बाध्य कर रहे हैं....

श्री बहादुरसिंह (नोहर) : आपसे उधार लेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : दिमाग उधार नहीं मिलता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी रबी की फसल की कटाई शुरू हो गई है। कुछ कटाई सरसों की हो गई है। इसके बाद चने की कटाई शुरू होने जा रही है और थोड़े दिनों के बाद गेहूं की। यह कटाई का प्रोसेस 2–2।। महीने चलेगा। इस पीरियड के अन्दर कोई आदमी या कोई अधिकारी वसूली के लिए जाय और जाकर किसानों की खड़ी फसल को या गाय, बैल और भैंस को कुर्क करे तो इस बात से बड़ी कोई बेहूदा बात नहीं हो सकती। किसानों के पास अभी पैसा नहीं है। वह कटाई में लगा हुआ है। फसल आ गई हो और फसल के आ जाने के बाद वसूली की जाय तो समझ में आ सकता है। अध्यक्ष महोदय, जिन पर लाखों रुपया बकाया है, जिन पर हजारों रुपया बकाया है उनके घर कुर्क करें, उनके बैल कुर्क करें, मेरा उन लोगों से कोई वास्ता नहीं है जिन लोगों ने गबन करके सरकार का बड़े लम्बे अर्से से पैसा खा रखा है। उनसे तो वसूली की बात समझ में आ सकती है, लेकिन जब कटाई चल रही है तो किसी की भैंस कुर्क की जाय, किसी की खड़ी फसल कुर्क की जाय, यह समझ में नहीं आता है। अभी लक्ष्मणगढ़ तहसील में जाकर आया हूं वहां पर खड़ी

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

फसल कुर्क कर ली गई यही एक घटना नहीं है। मैं अभी कोटा की बारां तहसील में जाकर आया, मुझे वहां पर यह शिकायत मिली। अभी कुछ रोज पहले मैं भरतपुर जिले में कामां, डीग और कुम्हेर क्षेत्र में जाकर आया हूं वहां पर भी यह शिकायत मिली। माननीय अध्यक्ष, मैं इससे ज्यादा और क्या कहूं, क्या कह सकता हूं कि इन दो–ढ़ाई महीनों में किसानों के पास पैसा नहीं होता है, फसल कटने के बाद पैसा आयेगा....

श्री मोहम्मद जहूर (कामां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कामां में कोई वसूली नहीं हो रही है यह गलत कह रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप गांवों में नहीं रहे हैं, वहां की बातों को नहीं जानते हैं। मैं इस बात को चैलेन्ज करता हूं।

श्री श्रवणलाल : यह झूठ बोल रहे हैं कि इस प्रकार की आम शिकायतें राजस्थान में हैं। यह वसूली राजस्थान में हो रही हैं। फसलें नहीं आई हैं और वसूलियां की जा रही है। इसके कारण लोग बहुत दुखी हैं। पम्प सैट के इन्जन के क्रूड आइल के लिए लोग इधर–उधर से पैसा लेकर आये थे उनके साथ यह किया जा रहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष, इनको हिदायत की जाय कि इस तरह से झूठ न बोलें।

श्री श्रवणलाल : माननीय सदस्य, आप स्वयं झूठ बोल रहे हैं। इस प्रकार की ज्यादतियां की जा रही हैं। उनके घरों को नीलाम किया जा रहा है। उनके बैलों को नीलाम किया जा रहा है। इस प्रकार की शिकायत आम राजस्थान में हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कामां का क्या ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहुंचूंगा कामां में। आप गांवों में जाकर यह बात कहें तो आपको मालूम हो जायगा।

(व्यवधान)

श्री श्रवणलाल : आप क्या बात करते हैं। आप मेरे साथ चलिये, मैं बताऊंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विनाश काले विपरीत बुद्धि है। यह एक बड़े पैरवी करने वाले कामां के महाराजा आ गये हैं।

(व्यवधान)

अभी परसों तो भूख हड़ताल पर बैठे थे कि हमारा इलाका डूब रहा है। उस वक्त कहते थे, कोई सुनता नहीं है हमारा इलाका डूब रहा है। अब यह महाराजा कह रहे हैं कि कोई शिकायत नहीं है। मैं वहां जाकर आया हूं। मान लीजिए, मैं नहीं गया होऊंगा लेकिन आपके ही जनता

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

पार्टी के माननीय सदस्य कह रहे हैं। कई माननीय सदस्यों ने कहा है। माननीय भटनागरजी ने कहा है।

श्री ईश्वरचन्द्र : यह बात सही है, माननीय अध्यक्ष महोदय। राजस्थान के काश्तकारों से साजिशपूर्वक लगातार दमनकारी वसूलियां हो रही हैं।

(व्यवधान)

श्री श्रवणलाल : इन्होंने हलफनामे लेकर सरपचों को सस्पेण्ड किया था।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री नारायणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सही है कि वसूली इसी प्रकार की जा रही है। यह बिल्कुल सही है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही आश्वासन चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक दृष्टान्त देता हूं। यह किस प्रकार से किया जा रहा है। रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बर सरकार के इशारे पर कलेक्टर को यह कह सकते हैं कि तुम अन्त्योदय का काम करने वाले ही नहीं हो, कलेक्टर हो। तुम्हारा काम वसूली करना है। पहले वसूली करो।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अफसरों को यह कहा गया है कि वह खूब वसूली करें।

श्री नूरा : अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में एक आदमी की जमीन कुर्क की गई है।

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में स्टेटमेण्ट दिलायें, यह वसूली बन्द की जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इन्हें इस प्रकार से वसूल करने का कोई अधिकार नहीं है। राजस्व मन्त्रीजी बैठे हैं। जल्दी ही आदेश प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री नूरा : ये सारे ···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

बहुत कहा माननीय सदस्यों ने, इधर से भी और उधर से भी। मैं दोनों की भावनाओं के साथ में अपनी भावनाएं भी

(श्री अध्यक्ष)

सम्मिलित करता हूं। यह एक मानवीय प्रश्न है। सरकार को इस बारे में जानकारी पर्याप्त रूपेण दिलाई गई है। माननीय सदस्य, विपक्ष के लिए कहा है····।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह लाखों का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : वसूली कैसे हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही आश्वासन चाहता हूं, मन्त्री महोदय से····

श्री ओंकारलाल चौहान : सहकारिता मन्त्रीजी को बोलना चाहिए। ऐसी जगहों पर वसूलियां स्थगित होनी चाहिए।

श्री बालकृष्ण थानवी : अध्यक्ष महोदय, वसूलियां की गई हैं और यहां तक हुआ है कि हरिजनों की गायें और उन्हें दी गई भू–दान की जमीनों की फसल तक उठा कर ले गये हैं। अतः यह कहना सही नहीं है कि जबरन वसूलियां नहीं की गई।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री क्या यह मानते हैं····

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मन्त्री यह स्टेटमेन्ट दें, क्या 26 जिलों में····

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : तीन प्रकार के लोगों के द्वारा वसूलियां की गई हैं, एक तो रेवेन्यू का पटवारी, दूसरा सहकारिता का अधिकारी, और तीसरा बैंक का आदमी है। ये तीन प्रकार के लोग हैं। आज हम यह आश्वासन चाहते हैं कि वसूली नहीं की जायेगी। आज रबी की फसल की कटाई की जा रही है। फसल निकालने के बाद में वसूलियां होनी चाहिए। सारे राजस्थान में आदेश पहुंच जाने चाहिए। जो छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं, जिनका हजारों में कर्जा नहीं है, जिन्होंने गबन नहीं किया है, उनसे वसूली नहीं की जाये। रोक दी जाये। तीनों मन्त्री बैठे हैं। वह आश्वासन दे दें।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस तरह से नहीं चलेगा। लाखों किसानों का सवाल है।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में घोषणा करें।

श्री कैलाश मेघवाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न स्थानों पर वसूलियों में माननीय सदस्यों ने सख्ती की बात कही है। मैं स्वयं महसूस करता हूं। जिस तरह से माननीय सदस्यों ने सख्ती की बातें रखी हैं अगर इस सख्ती से वसूलियां हो रही हैं, ऐसी वसूलियां जो स्थानीय हैं····

श्री श्योपतसिंह मकासर : This is not proper time for recovery.

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लीगल फ्रेम वर्क कर रहे हैं। हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य····

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, लीगल फ्रेम वर्क की बात अलग है। यह कह कर आप क्या यह कहना चाहते हैं कि अगर रिकवरी नहीं की तो प्लानिंग कमीशन पैसा रोक देगा इसलिए वसूलियां कर रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा शार्ट टर्म लोन को मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए और मीडियम टर्म लोन को लोंग टर्म लोन में कन्वर्ट करने के लिए, जब से यह स्थिति आई है, कई जगह ओले पड़ गये हैं, कल भी अकाल राहत मन्त्रीजी ने····

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम कह रहे हैं, यह ओलों का सवाल नहीं है। यह कटाई का सवाल है। इस समय रबी की फसल की कटाई हो रही है। It is not proper time for recovery.

श्री कैलाश मेघवाल : मुझे अफसोस है, अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय विधायक सुनना नहीं चाहते। मैंने भी उनके क्रोध और आक्रोश को शान्तिपूर्वक सुना है। जब मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं तो उनका इस तरह से उत्तेजित होना शोभा नहीं देता है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत मन्त्रीजी की अध्यक्षता में जो समिति बनी है उसने आदेश दे दिये हैं कि वसूली स्थगित की जाय। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे भी लोग हैं जो पांच-पाँच, छः छः और दस सालों से कर्जा नहीं चुका रहे हैं........

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, आप उल्टा इण्टर प्रिटेशन कर रहे हैं। जिन्होंने गबन किया है हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मुझे पुनः अफसोस है, अध्यक्ष महोदय, यह जो क्रोध है इनका अगर केवल दिखावे के लिए है तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर इनको वास्तव में चिन्ता है तो मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे मेरे पास मेरे कक्ष में, सचिवालय में या घर पर कहीं भी चर्चा कर सकते हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहाँ तक छोटे किसानों से वसूली का सम्बन्ध है, उनके बारे में विचार करने के लिए राज्य सरकार कभी भी, कोई भी कदम उठाने में पीछे नहीं रहेगी। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, एक बात समझ में नहीं आती कि दो-दो, तीन-तीन और चार-चार, पाँच पाँच सालों से जहां पर रिकवरी नहीं हो रही है वहां वे अपने प्रभाव का प्रयोग करते हैं तो क्या दिक्कत है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहली बार की वसूली में अगर सख्ती आ रही हो तो उसका सरलीकरण किया जाय लेकिन जो लोग आदतन कर्जा नहीं देने वाले हैं, उनके लिए हमने थोड़ी सक्रियता बरती है, यह बात हमने गरीब किसानों के

(श्री कैलाश मेघवाल)

हित में की है। ग्रध्यक्ष महोदय, जो लोग पांच-दस सालों से कर्जा लेकर बैठ गये हैं उनसे वसूल करके गरीबों में बांटा जायगा.........

श्री ईश्वरचन्द्र : ग्राप यह स्टेटमेन्ट दे दें कि छोटे किसानों से वसूली नहीं की जायगी।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं माननीय ईश्वरचन्द्रजी से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ग्रनुसूचित जाति, ग्रनुसूचित जनजाति ग्रौर सीमान्त कृषकों के साथ किसी भी प्रकार की सख्ती नहीं बरतेगी, सहकारिता के ऋणों के लिए इनकी जमीन नीलाम नहीं की जायेगी।

श्री बालकृष्ण बानवी : ग्राप जो कह रहे हैं कि सख्ती से वसूली नहीं की जायेगी, ग्रौर इस बारे में हमने गत साल ही ग्रादेश जारी कर दिये थे पर मेरे पास मेरे क्षेत्र के गांव छीला से जो पत्र ग्राया है उसे मैं पढ़ कर सुनाता हूं। लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं ग्रौर उन हरिजनों की गायें कुर्क की गई हैं जो कि ग्रकाल के कारण वसूली नहीं दे पाये हैं। पत्र भेजने वाले हैं मेघवाल हरिजन, श्री गोरधन राम ग्रौर श्री जैराम सन ग्रॉफ प्रभूराम। वे लिखते हैं—"नम्र निवेदन है कि साकिन छीला सो ग्रकाल राहत हैं वह ग्रापको मालूम है ऐसे ग्रकाल पड़ जाने से सरकारी लोन नहीं भरा जा सकता है।ग्रापसे प्रार्थना है कि इस साल लोन नहीं भरा जायेगा ग्रौर यह तो ग्रापसे बात हुई थी कि ग्रापको महसूस है। ऐसे होते हुए भी सरकार लोन उगराने के लिए सख्त हुक्म कर दिया है ग्रौर कुर्की से ले रहा है। गांव छीला में काफी बाकीदारों की कुर्की की है। सो इस प्रकार है कि बाकीदार बीरमाराम सन ग्रॉफ मूलाराम मेघवाल कुर्की के जरिये घर की तलासी ली तो घर में कुर्की के लायक चीजें नहीं मिली तो उन्होंने ग्रापका दिया हुग्रा भूदान की जमीन कुर्की कर दी सो नं. एल. ग्रार./40/1976 ता. 19.2.79 को ग्रौर ग्रर्ज (2) गोरधनराम नेनूराम की भी कुर्की की गई। कुर्की नं. 319 दि. 2.1.78 ता. 19.2.79 को, तो ग्रापसे प्रार्थना है कि मेघवाल बीरमाराम सन ग्रॉफ मूरलाराम जो कि ग्रापकी दी हुई भूदान यज्ञ की (जमीन) सरकार ने कुर्क कर दी है सो ग्रब हमारे यहां रहने की जगह नहीं है ग्रौर मेघवाल गोरधनराय सन ग्रॉफ नेनूराम का यही नतीजा है इसके घर यही सम्पत्ति थी यह सरकार ने कुर्की के जरिए ले ली गयी ग्रब हम लोगों का यहां रहने का ठिकाना ही नहीं है सो ग्रापसे प्रार्थना है कि ग्राप हमारी इस ग्रापत्ति को दूर करें। मेरे को ग्राशा है हमारी प्रार्थना पर पूरा-पूरा ध्यान देंगे।"

माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि हरिजनों ग्रौर गरीबों पर जबरदस्ती न करने के ग्रादेश गत साल ही दे दिये गये हैं, पर यह इस पत्र से गलत साबित हो रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

ग्रगर यह बात सही है तो फिर उन

(श्री बालकृष्ण मानवी)

अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए जिन्होंने कि हरिजनों के साथ यह ज्यादती की है। उचित कार्यवाही हेतु यह पत्र मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मदनसिंह दांता : दांता रामगढ़ में हरिजन को सड़क पर मुर्गा बनाकर जूता दिया है, मैं लेटेस्ट इनफार्मेशन देता हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम गरीबों के लिए कहते हैं, ये बड़े लोगों की बात करते हैं, यह गलत तरीका है। हम तो आम किसान की बात करते हैं। इस तरह से पहेलियां मत बुझाओ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब बिल्कुल हद हो गई, जो भी कहना था कह दिया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने उल्टा कहा है, ये अमीरों के लिए कह रहे हैं, हम गरीबों की बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने कुछ भी कहा हो, यह हमें ध्यान में है। सरकार का उत्तर–

(व्यवधान)

माननीय सदस्य अब इस बारे में चर्चा नहीं होगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : लाखों किसानों का सवाल है, मन्त्री महोदय यह कह दें कि रिकवरी का सवाल नहीं है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। इस बारे में अब चर्चा नहीं होगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सरकार की तरफ से आश्वासन देना चाहिए कि रिकवरी नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा नहीं होगी चाहे सरकार का उत्तर हो या नहीं........

(व्यवधान)

मैं इस सम्बन्ध में क्लोजर अप्लाई करता हूं, यह मेरा निर्णय है....

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं वाक आउट करता हूं। जिस तरह से मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है और प्रस्ताव को टाला है, उसकी वजह से मैं बॉयकाट करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : अब इस बारे में चर्चा नहीं होगी। कृपया सहयोग दें।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं—

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : I am very very sorry. अब चर्चा नहीं होगी ।

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है, 3–4 बार स्थगन प्रस्ताव रखा है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में भंयकर अकाल की स्थिति है । गत वर्ष भी यही स्थिति थी और इस वर्ष भी अकाल की स्थिति है । बाड़मेर जिले में 850 गांवों में से 440 गांव में अकाल की स्थिति है । जैसलमेर के सारे गांव अकाल से पीड़ित हैं, जालौर में और जोधपुर जिले में भी गांव अकाल ग्रस्त हैं और शेरगढ़ के गांव भी अकाल से प्रभावित हैं, परन्तु अभी तक राज्य सरकार ने किसी गांव को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने कभी भी ऐसा नहीं किया । हमेशा अकाल-ग्रस्त क्षेत्र घोषित होता था तो 15 दिसम्बर तक कर देते थे । लेकिन आज 7 मार्च है और अभी तक किसी गांव को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया । जिलाधीश की तरफ से सिफारिश सभी जिलों से जा चुकी है परन्तु इतनी ढील सरकार की तरफ से हो रही है, यह विडम्बना है । वसूलियां दनादन हो रही हैं और सख्ती से हो रही हैं । जो गांव गत वर्ष भी अकाल पीड़ित थे और अभी भी हैं उनमें भी पूरी तरह से वसूली की जा रही है । कांग्रेस शासन में जब कोई गांव अकालग्रस्त घोषित होता था तो हर किसान की वसूली स्थगित की जाती थी और कोर्ट के मुकदमे सस्पेंशन आफ प्रोसीडिंग्स एक्ट में स्टे किए जाते थे ।

अभी जो सहकारिता मन्त्री ने वक्तव्य दिया उससे जाहिर था कि जो वसूली स्थगित हुई है वह कुछ अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए हुई है । अकाल से सभी प्रभावित होते हैं, उनकी फसलें भी नष्ट हो जाती हैं । ऐसे किसानों की क्या हालत होती है ? जो अनुसूचित जाति व जनजाति के नहीं हैं वे भी प्रभावित होते हैं इसलिए उन लोगों के लिए राहत कार्य खोलने चाहिए ।

पानी की भी समस्या है । अकालग्रस्त गांवों में पानी का संकट हो रहा है । टैंकर्स जैसलमेर और बाड़मेर जिले में भेजे गए हैं लेकिन वे अपर्याप्त हैं । पीने का पानी प्राप्त करने का अधिकार सबको है । जहाँ लोग 10–10 मील से पानी ला रहे हैं वहाँ सरकार पानी पहुँचाने की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। आप कहते हैं काम के बदले अनाज की व्यवस्था कर दी । अकाल से हजारों गांव प्रभावित होते हैं, 8 लाख में से 5 लाख लोग प्रभावित हैं । अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 70 हजार या एक लाख लोग काम में लगे हुए होते परन्तु काम के बदले अनाज में सिर्फ दो हजार आदमी काम पर लगे हुए हैं । अकाल से पीड़ित लोगों की जनता सरकार ने घोर उपेक्षा कर रखी है । उनके प्रति सरकार का रवैया बिल्कुल असन्तोषजनक है। सरकार का मानवीय दृष्टिकोण नहीं है। पहले वर्तमान मुख्य मन्त्री भैरोंसिंहजी बार-बार आवाज उठाते थे कि इतने किसान भूख से मर गए। अब कितने लोगों की हालत खराब हो रही है ? वे लोग पंजाब व हरियाणा जा रहे हैं अपनी रोजी की व्यवस्था के लिए । सरकार जल्दी से जल्दी निर्णय ले, वसूलियों को

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

स्थगित करे और राहत कार्य खोल कर उनको संकट से बचाए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री बहादुरसिंह (नोहर) : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, मन्त्रीजी जवाब दें उससे पहले निवेदन करना चाहता हूँ कि.........

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन को जो कहना था कह दिया। आप ध्यान रखें, घड़ी को देखिए। ऐसी व्यवस्था की मैं इजाजत नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। मन्त्री महोदय, आपको बोलना है तो बोलिए।

श्री जयनारायण पूनिया (अकाल राहत मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि अकाल की वजह से हालत बहुत खराब है, बेरोजगारी फैली हुई है, भुखमरी की नौबत आ गई है। उन्होंने पानी की व्यवस्था न होने से किल्लत बताई है। इसके बावजूद स्थिति जैसी अब तक है, उस बारे में थोड़ा सा सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूँ। जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि पहले अकालग्रस्त गाँवों की बहुत पहले ही घोषणा की जाती थी और राहत देने की व्यवस्था की जाती थी किन्तु इस साल आज तक नहीं हो पाई है। मेरा निवेदन है कि इस समय अकाल नहीं है अभाव जरूर है। अनावृष्टि के कारण जो अकाल होता है, तीव्रता जो अकाल की होती है और जिस प्रकार का संकट जनता के सामने होता है वह अतिवृष्टि के कारण नहीं होता है, उसमें और इसमें फर्क होता है लेकिन इसके बावजूद भी इस सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज बेरोजगारी का प्रश्न जो बताया गया है, वह कतई गलत है। मैं बाड़मेर स्वयं होकर आया हूँ। वहाँ पर डिपार्टमेन्टल वर्क्स सफर कर रहे हैं, मजदूर नहीं मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से आते हैं। फेमिन की दर से मजदूरी के काम खोलेंगे तो कोई मजदूर नहीं आएगा। जहाँ रोजगार देने का सवाल है, जो काम के बदले अनाज में और दूसरे वर्क्स जो शुरू हो रहे हैं उनमें बेरोजगारी जैसी कोई बात हो ऐसा नहीं है। मैं मौके पर जाकर देख कर आया हूँ।

श्री नवरंगसिंह : झुंझुनूं जिले की स्थिति के बारे में बतायें। वहां चारे का इन्तजाम नहीं है।

मेजर श्री फतहसिंह : I challange the statement.

श्री नूरा : हमारे यहाँ काम के लिए तरस रहे हैं, आप कहते हैं कि वहाँ मजदूर नहीं मिलते हैं। यह बाड़मेर के लिए हो सकता है, अजमेर के लिए नहीं।

श्री जयनारायण पूनिया : जैसा राजस्व मन्त्री महोदय ने अभी बताया वसूलियाँ स्थगित कर दी गई हैं। उसके लिए आदेश निकल गए होंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब वसूलियाँ हो गईं। आपने दिसम्बर में जोधपुर में एलान किया था कि वसूलियाँ जाते ही बन्द करेंगे लेकिन दनादन वसूलियां हुईं, कुर्कियाँ निकली। आप कह रहे हैं कि अब वसूलियाँ बन्द करेंगे, मालूम कर लीजिए।

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह (रेवदर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री जी चुपचाप बैठे हैं, मैं इनफार्मेशन के लिए कहना चाहता हूं कि आज से दो महीने पहले वसूलियाँ करने की क्या जरूरत थी ? आपके आदेश के द्वारा दो महीने पहले वसूलियां शुरू कर दीं, यह अनुचित था। एक तरफ अकाल की स्थिति से किसान जूझ रहा है ऊपर से वसूली। क्या सरकार के खजाने में कमी हो गई है। समय से पहले जबरदस्ती वसूल करना क्या न्यायसंगत है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें कृपया। चर्चा समाप्त हुई।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान........

(व्यवधान)

श्री बालकृष्ण थानवी : अध्यक्ष महोदय, मेरी तहसील में........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, अब एक भी नहीं। और आगे इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के कोने-कोने से हजारों शिक्षक........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के कोने-कोने से आये हुए अध्यापक विधान सभा भवन के सामने प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। मैंने जो कुछ कहा उसको विथ-ड्रा करता हूं। मैं उसको क्रियान्विति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। समय के अभाव के कारण मैं कतई विवश हूं।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्रीजी ने केशोराय पाटन में हुई बुन्दू की हत्या के बारे में जो स्टेटमेन्ट दिया वह झूठा है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं वहां के बारे में कुछ तथ्य सदन में रखना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन की अवहेलना कर रहे हैं। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि बुन्दू खां को बोरी में लपेट कर हत्या की गयी है। उसकी पत्नी नूर बानो ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। माननीय गृह मंत्रीजी सदन में यह कहें कि वहां के थानेदार को निलम्बित कर दिया गया है। अगर गृह-मंत्रीजी यह कहते हैं तो हम बैठ जायेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे।

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, केशोरायपाटन से आने वाले विधायक सदन में सारी जानकारी देना चाहते हैं। उनको बोलने दिया जाये........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको असन्तोष व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त है लेकिन अब इस पर चर्चा नहीं होगी। व्यवस्था के ऊपर पुनर्विचार कर समय के अभाव के कारण मैं समय देने में कतई असमर्थ हूं।

(व्यवधान)

स्थान ग्रहण करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : वहां पर पुलिस ने आतंक मचा रखा है........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : अगर मुझे नहीं सुना गया तो मैं सदन का बहिष्कार करूंगा। वहां पर बुन्दू खां की हत्या हुई है........

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी सदन का पहली बार बहिष्कार करना पड़ेगा। वहां पर इस प्रकार से हत्या होती रही हैं फिर भी गृह मंत्रीजी नहीं कहें....

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायकों की भावनाओं का ख्याल नहीं किया जाता है। इस प्रकार से कार्यवाही चलती रही है और लोगों को जान से मारा जाता रहा है इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि केशोरायपाटन से आने वाले विधायक को बोलने का समय दिया जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनः विचार करें और पुनः विचार करके केशोरायपाटन से आने वाले विधायक को

(श्री एच. एन. शर्मा)

दो मिनट अपने विचार रखने की अनुमति दें।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर चाहे गृह मंत्रीजी कल अपना स्टेटमेन्ट दे दें। जो स्टेटमेन्ट दिया है वह झूठा है।

श्री एच. एन. शर्मा : पहले श्री केशोरायपाटन से आने वाले विधायक को बोलने दिया जाये। वह कुछ फैक्ट्स सदन में रखना चाहते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : हमें शर्म आ रही है। गांधी की समाधि पर शपथ लेने वाले इस तरह लड़ रहे हैं।

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे सदन में मुख्य सचेतक द्वारा धमकी दी गयी है। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। वह क्या कार्यवाही करना चाहते हैं, सदन में बताया जाये।

श्री विज्ञान मोदी (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, केशोरायपाटन से आने वाले विधायक का कहना है कि गृह मंत्रीजी का बयान गलत था। यह सदन का अधिकार है कि जो सही तथ्य हैं वह सदन के सामने आयें। मेरा विनम्र निवेदन है कि सही तथ्य रखने का मौका दें ताकि सदन के सामने सही स्थिति आ सकें।

श्री माणकलाल ठाकोर : जो केशोरायपाटन से माननीय सदस्य पधारे हैं उनको समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री कुछ बोलना चाहें तो बोलें।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : बहुत ही संगीन मामला है, अध्यक्ष महोदय। गरीब को पीट कर मार दिया। आम आदमी से झगड़ा होता तो समझ में आ सकता था।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी।

शासकीय वक्तव्य

केशोराय पाटन में पुलिस हिरासत में बुन्दू खां नामक व्यक्ति की मृत्यु

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, कल भी इस बात पर चर्चा हुई थी और आज भी माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। दरअसल यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस प्रकार की बात हो तो सरकार को कायदे कानून के मुताबिक जो कार्यवाही करनी चाहिए वह निश्चित तौर पर करनी चाहिए। मैं अदब के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो भी जुल्म होता है वह पुलिस में रजिस्टर होता है लेकिन एक व्यवस्था ऐसी भी आती है जिसको कानून बनाने वालों ने सोचा और वह यह थी कि पुलिस की कस्टडी में चाहे पुलिस ने मारा हो या किसी भी कारण से डैथ हो गयी हो क्या उसका केस पुलिस में नहीं देकर जांच नहीं की जाये ?........

श्री श्योपतसिंह मकासर : उनको

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

सस्पैंड किया जाए पहले।

श्री सम्पतराम : मेरी बात तो सुन लें। स्वतंत्र, इन्डिपेन्डेंट और निष्पक्ष जांच हो, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कानून में यह व्यवस्था है कि 176 की कार्यवाही मजिस्ट्रेट करें। 176 के अन्तर्गत जो इन्क्वायरी का स्कोप है, जो कानून के जानने वाले माननीय सदस्य होंगे, वे स्वयं जानते हैं कि एवीडेंस उसमें होती है, उसके रिश्तेदारों को, सब को मौका दिया जाता है कि उसमें अपना पक्ष रखें। यदि पुलिस में केस रजिस्टर भी करवा दूं तो मुझे सन्तोष नहीं होगा कि इस केस की जांच स्वतन्त्र रूप से हो रही है। मजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी के बाद जो कुछ भी एक्शन लेना होगा, लेंगे। मैं जितने प्रिकाशन्स ले सकता था मैंने लिये हैं। यदि केस भी रजिस्टर कर लें, पुलिस जांच करेगी चाहे सी. बी. आई हो, चाहे सी. आई. डी. हो, चाहे लोकल पुलिस हो। उससे बाहर जा कर एक मजिस्ट्रेट को जांच दी गई है। उनका फर्ज है उसके रिश्तेदारों को, सब को इत्तला दे—

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : सस्पैंन्ड नहीं किया----

श्री सम्पतराम : और कोई चीज हो उसके सामने रख सकते हैं। उस रिपोर्ट पर जो कुछ भी एक्शन लेना होगा, सरकार निश्चित रूप से एक्शन लेगी।

श्री ईश्वरचन्द्र : मुझे दुःख है, केस को समझा नहीं गया है। बूंदी में बुन्दू खां, कल कहा गया, बहुत बड़ा अपराधी था। बुन्दू खां 25 साल का नौजवान था। मामूली चोरी में पकड़ा गया। बोरी में बन्द करके गर्दन से पकड़ उल्टा लटका दिया और यहाँ तक पीटा गया कि वह मर गया। नूर बानों ने दिनांक 6–3 को एक रिपोर्ट पेश की है जो सदन की पटल पर रखता हूं। माननीय गृह मंत्री सुन लें, दफा 176 सी आर. पी. सी. में कोई मामला पेश होता है तो दफा 154 में बन्द नहीं होता है। हत्या हुई है, वहां पर थानेदार है। वह सब कुछ उस रिपोर्ट में लिखा है जो रिपोर्ट 6–3–79 की नूर बानो की, उसकी विडो की तरफ से है। उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है? क्या इस पूरे मामले की डिस्ट्रिक्ट जज से जांच कराने के लिए तैयार हैं, गृह मंत्री महोदय? क्या हैड कान्स्टेबल, थानेदार को निलम्बित करने का आदेश देंगे या नहीं देंगे?

श्री श्योपतसिंह मकासर : इस तरह के पहले आदेश हुए हैं, सस्पेंड किए गए हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : मैं दो मिनट में अपनी बात करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, केशोरायपाटन थाने में चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। 2 मार्च को राम देव को गिरफ्तार किया गया। 3 मार्च को बुन्दू खां को और सलीम को गिरफ्तार किया गया। 4 तारीख को छोटू को गिरफ्तार किया गया। चारों व्यक्तियों को अलग-अलग तारीखों में गिरफ्तार कर बिना गिरफ्तारी दिखाये 2 से 4 तारीख तक बैठाये रखा। उनको पीटा गया,

(श्री गोपाल पचेरवाल)

कहा गया कि उन्होंने चोरी की। एक होटल का ताला टूटा, 20, 25 रुपये और कुछ मिठाई वहां से गई थी। उस आरोप में इन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। बुन्दू खां नाम के व्यक्ति ने कहा कि शादी से आ रहा हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं। दो अन्य तीनों व्यक्तियों को 1500–1500 रुपये लेकर छोड़ दिया गया। बुन्दू खां ने कहा कि अगर इनको छोड़ दिया तो मैं मजिस्ट्रेट के सामने बयान दूंगा कि मेरे सामने 1500–1500 रुपये लेकर छोड़ दिया है। थानेदार ने, हैड कान्स्टेबल ने उसे सीमेंट के खाली कट्टे में बन्द करके उल्टा लटका दिया। वह मर गया। मरने के बाद, रातों रात बूंदी से पुलिस की जीप मंगवा कर बूंदी ले गये। 5 तारीख को छोटू खां, सलीम खां, राम देव को हथकड़ियां लगा कर बूंदी ले जा रहे थे तो बस में किसी ने पूछा, बुन्दू कहां है। वे रोने लगे। उन्होंने कहा, बुन्दू खां को पुलिस के लोगों ने मार दिया। इससे स्पष्ट है कि किस प्रकार से एक नौजवान व्यक्ति को घोर अपराधी मान लिया जाता है। पुलिस ने चोरी के आरोप में उस व्यक्ति को जान से मार डाला। गृह मंत्री जी, यह किस तरह से हो गया है। गृह मंत्री ने सदन में बयान दिया कि टी. बी. से मरा। यह सरासर झूठ है। पुलिस ने हत्या कर दी है। 500 आदमी मेरे घर पर बैठे हैं, क्या करें। डी. आई. जी. को फोन किया, एस. पी. को फोन किया। कलेक्टर को कहा कलेक्टर का पता नहीं। लाश को लेकर पुलिस वाले बूंदी पहुंच गये। कलेक्टर को रिपोर्ट नहीं दी गई। कलेक्टर को 11 बजे आफिस में फोन किया। वह एकदम आश्चर्य-चकित हो गये। बोले, कैसे हुआ? पुलिस ने हत्या की है। डी.एस.पी. को भेज देता हूं। कोटा के डी.एस.पी. को भेजा। श्रीमान, पुलिस ने शान्त लोगों पर 27 अश्रु गेस के गोले छोड़े। कइयों के चोटें आईं। गृह मंत्री ने कहा, थाने में आग लगाई। कई माननीय सदस्य जानते हैं वहां का थाना गली में है। 150 फीट दूर अन्दर है। जनता वहां कैसे चली गई....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

गृह मंत्री ने कहा है कि उस थाने के दरवाजे टूटे हैं। 150 फीट दूर से यह दरवाजा कैसे टूटा? मेरे साथ गृह मंत्री जी चलें और उस किवाड़ को तोड़ दें तो सदन से इस्तीफा दे दूंगा। थाने के किवाड़ कैसे टूटे, थाने का फर्नीचर कैसे टूटा। यह सारा पुलिस ने किया। जनता पर अश्रु गेस चलाई गई। पुलिस ने पथराव किया। बाजार में लाठी चार्ज किया गया। बच्चों के शरीर के ऊपर लाठियों के घाव हैं। गृह मंत्री जी कहते हैं पुलिस का थानेदार दोषी नहीं है। इनको शर्म आनी चाहिये। यही जनता सरकार है? थानेदार का दोष है, निश्चित रूप से उसका आचरण गलत है, उसको सस्पेन्ड किया जाये। अगर नहीं करेंगे तो मैं यह कहूंगा कि यह आन्दोलन जारी रहेगा। जब तक दोषी को दण्डित नहीं करेंगे तब तक आन्दोलन जारी रहेगा।

(व्यवधान)

श्री ईश्वर चन्द्र : रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखें....

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ बिश्नोई : बड़ा गम्भीर मामला है ।

श्री ईश्वर चन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एक बात बताना भूल गये....

(व्यवधान)

आर. ए. सी. के जवानों ने बुरी तरह लाठियों से पीटा है। यह पुलिस जनता की रक्षक है या भक्षक है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो दो आदमी पुलिस की कस्टडी में हैं उनकी जान भी खतरे में है। वे इस सारे वाकये के चश्मदीद गवाह हैं। अगर उनकी जान की रक्षा नहीं की गई तो बड़ा भारी आन्दोलन होने की सम्भावना है। इसलिये उन दोनों को पुलिस कस्टडी से मुक्ति दिलवाई जाये और इस कत्ल के मुकदमे को तुरन्त दर्ज किया जाये। इतना ही कह कर मैं आपको निवेदन करता हूं कि इसकी तुरन्त जुडिशियल जांच कराई जाये। जो चोटें लगी हैं लोगों के उसकी लिस्ट मैं भारी मन से सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री विज्ञान मोदी : अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मामला है। जो पुलिस की हिरासत में हैं उनको तुरन्त छोड़ा जाये। मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सदन के माननीय सदस्यों ने जो सूचनाएँ दी हैं उनको देखते हुए और केशोरायपाटन से आने वाले माननीय सदस्य की अति गम्भीरता को देखते हुए जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं सरकार उनको तुरन्त दण्डित करे और न्यायिक जांच कराने की घोषणा सदन में तुरन्त करे।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष जी, बूंदी से आने वाले सभी माननीय सदस्यों ने एक स्वर से जो घटना केशोरायपाटन में हुई है उसका वर्णन यहाँ किया है। गृह मंत्री जी ने, उन्हें जो सूचना अपने अधिकारियों से मिली है उससे इस सदन को अवगत कराया है। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने सी आर. पी. सी. के तहत एक जांच की शुरुआत कर दी है। अध्यक्ष महोदय, यह पहली घटना नहीं है जब कि पुलिस की कस्टडी में कोई आदमी मर गया हो। इस प्रकार के वाकये पूर्व में भी हुए हैं। आज फिर एक बार यह वाकया हुआ है। अब प्रश्न यह है कि गृह मंत्री जी को एक चीज सोचने की आवश्यकता है कि सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर एक बात कही है और सरकारी मशीनरी ने उनको सूचना दूसरे प्रकार की दी है। फर्क यह है कि बूंदी से आने वाले सभी माननीय सदस्यों ने सीधी सूचना के आधार पर अपने विचार प्रकट किये हैं जब कि इस सदन में माननीय गृह मंत्री जी पुलिस की रिपोर्ट से उनको अवगत करा रहे हैं। अगर गृह मंत्री जी स्वयं वहाँ गये होते और उन्होंने घटना की जांच की होती तो निश्चित रूप से कुछ और कहते। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो फर्स्ट इनफार्मेशन है, उसको बदल दिया जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, हमारी सूचना जो हम लोगों को मिली है, इस घटना से पूरी तरह कालोबोरेट करती है। बूंदी से आने वाले सभी माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को गम्भीर रूप से उठाया है।

(श्री हरिदेव जोशी)

अध्यक्ष महोदय, पुलिस ने किसी एक तारीख को एक चोरी के इल्जाम में तीन जनों को गिरफ्तार किया लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की, यह एक तथ्य है। अध्यक्ष महोदय, चोरी को बरामद करने के लिए उनको पीटा गया। पुलिस की हिरासत में आदमी मर गया तब उसको गिरफ्तार दिखाया गया। जब दूसरे मुलजिम ने यह कहा कि अमुक आदमी को पीटा गया है तब जनता में बवण्डर फैल गया। उसके बाद पोस्ट मार्टम हुआ। दूसरी चीजों के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। यह एक तथ्य है गृह मंत्री जी कि एक नौजवान लड़का पुलिस की कस्टडी में मर गया। इस चीज से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, उसकी पत्नी का इलजाम यह है कि उसको पीट पीट कर मार डाला गया है। उसने लिखित में शिकायत भी की है। आज जो क्राइसिस आफ कान्फीडेंन्स है वह यह है कि आप अपने साथियों पर विश्वास करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या पुलिस की एजेन्सी पर विश्वास करना चाहते हैं अथवा जनता के चुने हुए लोगों पर विश्वास करना चाहते हैं...

श्री रामेश्वर लाल यादव (चौमूं) : आपने भी कभी नहीं किया...

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : आप मेरी बात को तो पहले पूरी सुन लीजिये ..

(व्यवधान)

अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं बैठ जाऊं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय गृह मंत्री जी, मुझे भी कुछ निवेदन करना है। माननीय जोशी जी ने यह बात कही है कि पुलिस कस्टडी में आदमी मर गया। तो ऐसी ही घटना जब आप मुख्य मंत्री जी थे तब हुई थी। गणपत मीणा की हत्या दिवरा ग्राम तहसील चौमूं में की गई थी। वह भी पुलिस कस्टडी में मर गया था। उसको बुरी तरह पुलिस कस्टडी में पीटा गया था। उस समय आप मुख्य मंत्री जी की हैसियत से बैठे थे। उस समय मैंने आपको निवेदन किया था और आपने यह कहा था कि विधान सभा के अध्यक्ष श्री राम किशोर जी व्यास जब तक नहीं कहेंगे मैं जांच नहीं करूंगा...

(व्यवधान)

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपने उस मामले की इन्क्वायरी नहीं कराई। सत्ता पक्ष में बैठे हुए मुख्य मत्री जी से कहा लेकिन कोई जांच नहीं कराई गई। मैंने इस घटना के बारे में गृह मंत्री जी से भी निवेदन किया था। उन्होंने कहा भी था कि सारी जांच मैंने मंगवा ली है। उन कागजों में घोटाला भी लगा था। गणपत मीणा की हत्या पुलिस कस्टडी में हुई थी। उसकी बिना कारण हत्या की गई थी। अध्यक्ष महोदय, उस थानेदार ने कहा, इस नाम का कोई व्यक्ति चौमूं थाने में नहीं था। बड़े ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उसके बाद उस पर तेल छिड़क कर जलाया गया है। आपके समय में आपने भी ऐसा ही किया है।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : मैं जवाब दूंगा, आप सुन तो लें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप किसी की बात को नहीं सुनना चाहते हैं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है कि हरिदेव जी जब मुख्य मंत्री थे तब भी थाने में मौत हुई है और उसकी जांच नहीं हुई तो क्या यह शासन भी थाने में मारना उचित समझता है ?

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैंने यह नहीं कहा है। मैंने तो गृह मंत्री जी से भी कहा है कि इसकी जांच करवाई जाय।

(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता : वर्तमान जनता सरकार को तो सबक लेना चाहिये...

(व्यवधान)

आज बूंदी के माननीय सदस्यों ने जो आरोप लगाया है उस बात पर इस सदन में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की घोषणा करनी चाहिये। आज मुद्दा यह नहीं है कि हरिदेव जोशी ने क्या किया और क्या नहीं किया। मुद्दा तो यह है कि भैरोंसिंह जी की सरकार ऐसे प्रश्न पर क्या करना चाहती है।

गृह मंत्री जी आपके पास में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे यह स्पष्ट है कि उसको मारा गया था। उसके शरीर पर ग्रेवियस चोटों के निशान थे। उसको हीनियस तरीके से मारा गया था, उसकी टांगों पर चोटों के मार्क थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी है कि उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। तो आपने क्या कार्यवाही की, सवाल यह है....

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बूंदी से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो यह मांग की है कि थानेदार को और जो लोग उसके अन्दर दोषी हैं उनको तत्काल सस्पेंड किया जावे और उनके खिलाफ 302 का केस दर्ज हो, इससे हम सहमत हैं। इसीलिए ..

श्री सम्पतराम : मैं आपसे इससे बैटर राय चाहता हूं क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं। आप खुद बताइये कि इसमें कानूनी राय क्या हो सकती है....

श्री मदनसिंह दांता : I will do it.

श्री श्योपतसिंह मकासर : पुलिस की कस्टडी में मरा है इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए...

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं यह बताइये। बारां का हत्या काण्ड हुआ, गोली काण्ड हुआ और

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

अब थाने के अन्दर मारा गया, यह इस बात का प्रतीक है कि राजस्थान में अत्याचार का राज है, कानून का राज नहीं है । गृह मंत्री, आप क्या कहते हैं ? You resign first. आप में हिम्मत हो तो रिजाइन करो ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य !

श्री मदनसिंह दांता : ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर ।

(व्यवधान)

ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों की क्या इच्छा है कि सदन की कार्यवाही आगे चलाई जावे ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : इस तरह से पुलिस अत्याचार हो तो सदन की कार्यवाही नहीं चलायें । यह राजस्थान भी नहीं चलेगा । लोगों को पुलिस कस्टडी में मारा है । जिसने भी पुलिस कस्टडी में मारा है उसको सस्पेंड किया जावे ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : राज्य सरकार जहां पुलिस हत्यारों की रक्षा कर रही है वहां सदन नहीं चल सकता ।

(व्यवधान)

जहां पुलिस हत्या कर रही हो और सरकार पुलिस की रक्षा कर रही हो, गृह मंत्री मौन हों, गृह मंत्री अपनी ड्यूटी के पाबन्द नहीं हों....

श्री मदनसिंह दांता : आप कानूनी राय चाहेंगे तो मैं दूंगा ।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि मुझे शान्तिपूर्वक सुन लें । दस मिनट, आधा घण्टा जितनी देर आप अपनी बात कहना चाहें कह दें लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूं, उसको सुन लें तो अच्छा होगा ।

इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि मैं गृह मंत्री हो गया हूं तो किसी को भी जेल में डाल कर मारना चाहूंगा या किसी तरह से दोषियों को बचाना चाहता हूं । मेरे ख्याल से मैं भी एक इन्सान हूं गृह मंत्री के अलावा । मेरे दिल में भी उतनी ही तमन्ना है ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : नहीं है ।

श्री सम्पतराम : अभी इसमें दो तथ्य सामने आए हैं, अध्यक्ष महोदय । एक माननीय सदस्य ने कहा कि पुलिस ने स्वयं जलाया । पुलिस ने जलाया या क्या किया, जो बढ़िया से बढ़िया पुलिस के सीनियर अधिकारी होंगे, जो इंडिपेंडेन्ट जांच कर सकते हैं, मुझे सुनने के बाद सदन को भी संतोष होगा कि वह इंडिपेंडेन्ट जांच करेंगे, उस अधिकारी को मैं जांच करने के लिए लगाऊंगा ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : गंगानगर में आपने क्या किया ...

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : आप वक्तव्य सुन लीजिए पहले ।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गलत तरीका है ।

श्री कौशलकिशोर जैन : यह बिल्कुल गलत बात है, बीच में व्यवधान कर रहे हैं । आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जवाब देना चाहते हैं । कार्यवाही को रोकना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : गृह मंत्री ने पूछा है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री ने पूछा है कि क्या मुझ में विश्वास है । सदन को विश्वास होगा कि मैं जिस व्यक्ति को नियुक्त करूंगा वह सही जांच करेगा । मैं कहता हूं कि हमें इसमें विश्वास नहीं है....

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : हमारा विश्वास है ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : गंगानगर में क्या किया था आपने ?

श्री एच. एन. शर्मा : यह गंगानगर का प्रश्न नहीं है, बूंदी का प्रश्न है ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जब आपने पूछ लिया कि उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के ऊपर विश्वास होगा या नहीं ।

(व्यवधान)

उसकी औरत से पूछो, उसकी मां से पूछो कि उसकी क्या हालत है । तुम को अफसोस होना चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमको डूब मरना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : बूंदी वालों की बात है, आप गृह मंत्री को बोलने ही नहीं देते....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य ! सदन की कार्यवाही आगे चलाने की आपकी इच्छा है तो मैं चलाऊं अन्यथा जिस परिस्थिति का अनुभव मैं कर रहा हूं उसको देखते हुए मेरे पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि 15 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित कर दूं ।

श्री हरिदेव जोशी : कोई अगर एडमेंट हो, सुनना ही नहीं चाहे तो क्या किया जा सकता है ।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आप एक सदस्य को सारे सदन की कार्यवाही रोक देने का अधिकार देते रहेंगे ? क्या एक सदस्य को व्यवधान डालने का अधिकार देते रहेंगे ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : तीन दिन हो गए, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। हमें तुम पर विश्वास नहीं है। तुम दोषी हो। इसमें तीन दिन हो गए, आपने क्या कार्यवाही की है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० 3·18 बजे 15 मिनट के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा की कार्यवाही म. प. 3.50 बजे पुनः प्रारम्भ हुई

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

केशवराय पाटन में पुलिस हिरासत में बुन्दुखां व्यक्ति की मृत्यु

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी चाहें तो वक्तव्य दें।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष जी, ...(अश्रव्य) जहां लोगों को काम करना पड़ता है। .... (अश्रव्य) माननीय सदस्यों से मैं यह कह रहा था, अगर केस रजिस्टर कराया जाता है तो वह हो जाएगा। वह मेरे कहने की जरूरत नहीं है। लॉ में उसका प्रावधान है। मैं भी आर्डर दे सकता हूं। केस रजिस्टर कराने का अधिकार कानून में है। वह केस रजिस्टर हो सकता है। जहां तक थानेदार के सस्पेण्ड करने का प्रश्न है, थानेदार को मैंने सस्पेण्ड कर दिया है।

श्री हरिदेव जोशी : आप उसकी टैक्निकलिटी में जा रहे हैं। क्या आप थानेदार को सस्पेण्ड कर रहे हैं ?

श्री सम्पतराम : मैं किसी टैक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूं। थानेदार को मैंने सस्पेण्ड कर दिया है।

श्री हरिदेव जोशी : जांच सी. आई. डी. से करायेंगे ?

श्री सम्पतराम : जांच सी. आई. डी. से करायेंगे, मैं एग्री करता हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आज हजारों अध्यापक सारे राजस्थान से इस राजस्थान विधान सभा पर प्रदर्शन करने के लिए आये हुए हैं। सरकार अध्यापकों के हकों के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर कोई निर्णय होता है तो उसकी पालना नहीं होती है। शिक्षकों की वाजिब मांगों पर जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक देश का भविष्य क्या बनेगा, यह तो भविष्य ही बतायेगा। उनकी 13 मांगों को आपने अपने हस्ताक्षरों से स्वाभाविक माना है। जितने भी वरिष्ठ अध्यापक हैं उनका पे स्केल नहीं बदला

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जाता है। उन्होंने क्या किसी की गाय या बकरी मारी है। आपने उनके बारे में कमेटी बनाई है। एक साल से आप कोई निर्णय नहीं कर सके हैं। इसी प्रकार से ग्रामीण अध्यापकों को भत्ता देने की बात है। ऐसे पहाड़ों और जंगलों में जहां कोई जा नहीं सकता है वहां पहाड़ की चोटी पर शिक्षक बैठे रहते हैं। शहरों में स्वयं का मकान होते हुए भी सरकारी कर्मचारियों को भत्ता दिया जाता है। राजस्थान के शिक्षकों को उनका वाजिब हक मिलना चाहिए।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

पंचायत समिति के शिक्षकों को मेडिकल नहीं मिलता है। वह उनको निश्चित रूप से मिलना चाहिए।

मैं चाहूंगा कि शिक्षा मन्त्री जी उनकी वाजिब मांगों को स्वीकार करें।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के हजारों शिक्षक आज राजस्थान विधान सभा के बाहर अपना ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, 20 हजार कर्मचारी अपनी मांगों के बारे में....

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि....

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, सेक्रेटेरियेट के कर्मचारियों के लिए एक कमेटी बनाई। कोई बात की नहीं। आज 20 हजार आदमी बाहर खड़े हुए हैं।

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि को शिक्षकों से मिलने के लिए बाहर जाना चाहिए। यह जनता की सरकार है। शिक्षक नीचे खड़े हुए हैं। उनको वहां जाकर सरकार को आश्वस्त करना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : शिक्षकों को जो सरकार ने आश्वासन दिये हैं, वह पूरे करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मंत्री महोदय को नीचे जाना चाहिए और उनको सुनना चाहिए।

श्री रघुनन्दन व्यास : मंत्री महोदय नीचे जाने में डर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री नूरा : उनको आश्वासन भी देते हैं, कमेटी भी बनाई जाती है और उनसे बात नहीं की जाती है।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : जो पंचायत समितियों में काम करने वाले हैं, उनको ग्रामीण भत्ता दिया जाना चाहिए। उनकी 13 मांगों को स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री नारायणसिंह : ऑन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर, सर।

श्री रतनलाल वर्मा : आपने जो जो उन से एग्रीमेण्ट किया है, उसका पालन कीजिए। फिर सदन को जानकारी दीजिए।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के कोने-कोने से शिक्षक आये हुए हैं। हमारे शिक्षा मंत्री महोदय बहुत सीधे हैं। सादगी के अवतार हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वह वहां जाकर अपनी सादगी को जाहिर करें। उनकी मांगों को सुनें।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री नारायणसिंह : आन ए पाइण्ट आफ आर्डर, सर।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

क्या शासन पक्ष इस मूड में है कि अगर कोई माननीय सदस्य पाइन्ट आफ आर्डर रेज करे तो आप माननीय सदस्य बिराज कर उस पाइन्ट आफ आर्डर को सुनें अथवा माननीय सदस्यों की यह इच्छा है कि शिक्षकों के बारे में ही चर्चा हो? जो कुछ भी हो, उसकी ओर आपका ध्यान देने का मूड नहीं है। मुझे कहना नहीं चाहिए। आपकी जो इच्छा हो, वह मैं जानना चाहता हूं।

श्री दिग्विजयसिंह (पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपने फर्माया शासन पक्ष के लिये तो इसमें तो शासन पक्ष का कोई सवाल नहीं है। कोई पाइन्ट आफ आर्डर हो तो उस पर सदन की मंशा लेनी चाहिए।

(व्यवधान)

कोई माननीय सदस्य पाइन्ट आफ आर्डर उठाते हैं तो वह सारे सदन को सुनना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : यह जनता पार्टी नहीं है, यह तो टंटा पार्टी है।

श्री बूरा : आप सुनना नहीं चाहते हैं। आप लोगों को धोखा देते हैं।

श्री नारायणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों तो कृपा कर के ऐसी व्यवस्था करें कि दूसरे एतराज न करें, हमारे भी कुछ पल्ले पड़े और समय का सदुपयोग हो। दो–तीन आदमी बोलते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रहे हैं, और क्या उसका जवाब देना है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : जो व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय सदस्य, वह तो सीधा सादा है। सब नियम माननीय सदस्य जानते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : नहीं जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : ....नियमों की अवहेलना करने के लिए अगर माननीय सदस्य इ---

(श्री अध्यक्ष)

पक्ष के तुले हुए हैं तो आप खुद ही सोच सकते हैं, मुझे क्या करना है। शिक्षकों के सम्बन्ध में चर्चा हो, एक माननीय सदस्य बोलें, दो माननीय सदस्य बोलें, परन्तु चार चार माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगें, क्या यह उचित है। मंत्री महोदय ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। क्या ठीक बात है? विपक्ष के सदस्यों ने एक शब्द नहीं कहा लेकिन शासन पक्ष के माननीय सदस्य बोलें। मंत्री महोदय कुछ कहना चाहें, वह नहीं कह सकें। क्या आप चाहते हैं कि इस सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चले? नियमों के अन्तर्गत जो व्यवस्था है, उसके अनुसार ही कार्यवाही चल सकती है। आखिरकार मैं भी एक मनुष्य हूं। आपको क्या कह कर अनुशासनबद्ध तरीके से बांध कर सदन की कार्यवाही सुचारु ढंग से चला सकता हूं। दो हाथों से ताली बजती है। तीस हजार आदमी यहां पर आये उसकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया। एक असाधारण परिस्थिति थी, अनुमति दे दी। इस पर चर्चा की जाए, चर्चा ही नहीं, चर्चा पर चर्चा की जाय और फिर इतना व्यवधान हो कि कुछ सुनाई ही न पड़े। भावुकता एक चीज है, वास्तविकता दूसरी चीज है। सदन की गरिमा वास्तविकता से रह सकती है। अवास्तविकता से नहीं रह सकती। सदन की कार्यवाही उद्वेग, अवास्तविकता से चलना, भावुकता से चलना कुछ कठिन मुझे प्रतीत होता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कुछ तो सोचो।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर अभी शिक्षकों का एक जलूस आया था।

(व्यवधान)

मैं शिक्षकों के बारे में कह रहा हूं।

मुझे यह बताया गया कि इन शिक्षकों से मिलना मेरा दायित्व था। मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि इनके डेपूटेशन से मेरी बातचीत हो चुकी है और वे संतुष्ट हो कर गये हैं। यह सवाल है कि उनसे कोई बातचीत नहीं हो रही है, यह किसी ने गलतफहमी पैदा की है। मैं एक घण्टा पहले ही मिल कर आया हूं। माननीय परसरामजी को भी मालूम है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सचिवालय के कर्मचारी भी गिरफ्तार हुए हैं। शासन सचिवालय के कर्मचारी भी आये हैं...

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो अध्यापकों का सवाल है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : शासन सचिवालय के कर्मचारियों के बारे में आप क्या कर रहे हैं? सारा सचिवालय नीचे खड़ा है। इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। आपको ध्यान आवे या न आवे, आपकी मर्जी।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : सचिवालय के कर्मचारियों को एक दिन पहले ही आपने आश्वासन दिया था। परन्तु उनसे कोई बात नहीं हुई। कोई नहीं मिला।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सदन को यह बताया गया कि तीन आदमियों की एक कमेटी बनाई गई है। वह कमेटी अभी तक सचिवालय के कर्मचारियों से नहीं मिली है और न मिलने का उसका मूड है। वे भी आपके कर्मचारी हैं। उनके साथ बैठ कर आपको बातचीत करनी चाहिए। गिरफ्तारियां हो रही हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मंत्री, संसदीय मामलात) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला हमारे मुख्य मंत्री के विचाराधीन है। एक असामयिक निधन के कारण उनको जाना पड़ा है। आप कल तक ठहरें।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

श्री दिग्विजयसिंह (पंचायत मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं सामुदायिक विकास विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1. अधिसूचना संख्या एफ 4/एल जे/पी एस/ए आर/19/78/416 दिनांक 24 अक्टूबर, 1978

2. अधिसूचना संख्या एफ 4/एल/पी एस/ए आर/5/76/33 दिनांक 30 जनवरी, 1979

विधायी कार्य : विधेयक का पुरः स्थापन

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1979

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मंत्री,संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : बजट पर सामान्य वाद-विवाद।

श्रीमती सुमित्रासिंह।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं कल यह निवेदन कर रही थी कि जनता पार्टी के शासन संभालने के बाद में बराबर भ्रष्टाचार फैल रहा है। इस सरकार पर कांग्रेस दल के माननीय सदस्य, विरोधी दल के सदस्य इल्जाम नहीं लगा रहे हैं बल्कि सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य ही इल्जाम लगा रहे हैं। कांग्रेस के

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

शासन में, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने कभी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया है लेकिन हम सरकार पर सत्तारूढ पार्टी के ही सदस्यों ने आज सुबह ही...

(व्यवधान)

श्री श्रवणलाल : हम आपकी तरह मिनिस्टरों की चिलम नहीं भरते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे भाषण में व्यवधान डाला जा रहा है तो आपको ज्यादा समय देना होगा। माननीय सदस्य, शासन भी यह चाहता है कि मैं नियत समय में अपना भाषण समाप्त करूँ।

मै यह निवेदन कर रही थी कि आज सुबह एक प्रश्न के उत्तर में सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों ने सरकार पर यह आरोप लगाया कि यह सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रही है। उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही है। सब से अधिक दुःख की बात तो यह है कि हिन्दुस्तान के संविधान में न्यायपालिका की स्वतन्त्रता और निष्पक्षता के बारे में कहा गया है। न्यायपालिका और लोक सेवा आयोग की एक सैंक्टिटी थी, जिसके बारे में भ्रष्टाचार की शिकायत कांग्रेस के लम्बे शासन के कार्यकाल में कभी नहीं आई। उसी लोक सेवा आयोग को भ्रष्टाचार का अड्डा आपने बना दिया। न्यायिक सेवाओं का प्रारम्भ, न्याय प्रशासक के जीवन की शुरुआत भ्रष्टाचार से होगी तो क्या भ्रष्टाचार को आप मिटा पायेंगे ? यह सब विचारणीय विषय है। इसलिए भ्रष्टाचार के बारे में निवेदन करना पड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कल मैंने अपने भाषण के प्रारम्भ में बताया था कि इस साल का जो वित्त मन्त्री जी ने बजट पेश किया है इसमें राजस्थान के आर्थिक चित्र को बिल्कुल उल्टा कर दिया है और यह प्रदेश आर्थिक उत्थान से, आर्थिक प्रगति से पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछली 15 अगस्त को स्टेडियम पर जनता पार्टी की ओर से एक ब्रोसर बाँटा गया था, इस पर लिखा है अभावों से जूझता राजस्थान। यदि यह ब्रोसर इस सरकार ने नहीं दिया है तो वैसा बता दिया जाये। इसमें लिखा है कि शिक्षा जगत में 1971 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शिक्षा का प्रतिशत 19.7 था। यही नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय से जो किताब प्रकाशित हुई है, राजस्थान में प्रगति, इसमें भी सन् 1977-78 में लिट्रेसी का पर्सेन्टेज 19.7 ही दिखाया गया है। पिछले वर्ष हजारों की तादाद में स्कूल खोल देने के बाद भी हमारी शिक्षा का प्रतिशत, जो बजट एट ए ग्लान्स में दिया है, घट कर 19.1 हो गया है।

एक माननीय सदस्य : आबादी बढ़ी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आबादी बढ़ी है तो यह जिम्मेदारी भी प्रशासन की है।

हम यह मानते हैं कि राजस्थान के अन्दर लोकतन्त्र का निर्माण होने के पश्चात् भी कांग्रेस के प्रशासन के बाद में आबादी की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन लिट्रेसी का पर्सेन्टेज गिरा नहीं, यह जनता सरकार के लिए शर्म से डूब कर मर जाने की बात है।

(व्यवधान)

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने विचार प्रकट करने का पूरा अधिकार है, मुझे भाषा का प्रयोग करने का भी पूरा अधिकार है, आप लोग तसल्ली से सुनिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि पिछली बार शिक्षा के बजट के अन्दर 113 करोड़ का प्रोवीजन रखा है। उससे पहले साल इसमें 103 करोड़ का प्रोवीजन था। उस सबके बावजूद भी दो साल के अन्दर शिक्षा का प्रतिशत 19.7 से घटकर 19.1 हो गया। 6 साल से 11 साल के बच्चों की शिक्षा, संविधान के डाइ-रेक्टिव प्रिन्सिपल्स के मुताबिक अनिवार्य होनी चाहिए, इसके अन्दर भी पर्सेन्टेज गिर गया है। 6 साल से 11 साल तक के बच्चों के स्कूल जाने का पर्सेटेज इस ब्रोसर के अनुसार सन् 1977-78 में 67.4 था वह गिर कर 57.20 हो गया है। इससे अधिक ताज्जुब इस बात का है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख इस बात का है कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों के स्कूल जाने का प्रतिशत ही नहीं गिर गया लेकिन 11 से 16 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रतिशत भी गिर गया है। हमारी लिट्रेसी का प्रतिशत गिर गया है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेकार मारे-मारे सड़कों पर फिर रहे हैं और यह सरकार प्रौढ़ शिक्षा पर 70 लाख रुपये खर्च करने जा रही है। एक तरफ तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सड़कों पर विवश होकर घूम रहे हैं उन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और आप साठ साल के बूढ़े को पढ़ाने की बात कर रहे हैं।

आपने बजट में 3 लाख 60 हजार लोगों को नये रोजगार के साधन जुटाने की बात कही है। इसमें आपने यह नहीं दिया कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज में कितने नाम दर्ज हुए और कितने आदमियों को रोजगार दिया गया? इसकें आपने कोई आंकड़े नहीं दिए कि कितने ग्रेजुएट और कितने पोस्ट ग्रेजुएट ने इस साल अपने नाम दर्ज कराये हैं कितनों को रोजगार मिला? इसके आपने कोई आंकड़े नहीं दिये। आंकड़े कहां से देते, आपने रोजगार के साधन ही नहीं जुटाये। इसलिए मैं यह निवेदन करूं कि जो साम्प्रदायिक विचारधारा के लोग, खास तौर से आर. एस. एस. की विचारधारा के लोग हैं, प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से गांवों में प्रवेश करना चाहते हैं, उसके लिए यह सरकार प्रौढ़ शिक्षा का इन्तजाम करना चाहती है। आप क्या विकास करना चाहते हैं उस साठ साल के बुड्ढे का? ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट आपको गालियां निकालते हैं। यूनिवर्सिटीज का वातावरण गन्दा होता जा रहा है, सरस्वती के इन मंदिरों की आपको सैंक्टिटी बनाये रखनी चाहिये। किस प्रकार से आप वाइस चान्सलरों की नियुक्ति करते हैं? यूनिवर्सिटीज को आज पॉलिटिकल भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो हुई इनकी शिक्षा के जगत में कारगुजारी।

इसी तरह की बात पर-केपिटा इनकम की है, जो वित्त मन्त्रीजी ने कही है। आपके ही दिये हुए आंकड़े, वित्त मन्त्रीजी, बता रही हूं। यह पुस्तक जो पिछले साल दी गई थी राजस्थान सरकार के स्टेटिसटिक्स डिपार्टमेंट से, पिछले साल 1960-61 की कीमतों पर पर-केपिटा इनकम 323 थी जो

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

घट कर इस वर्ष 308 हो गई है। यह है इनकी कारगुजारी पर-केपिटा इनकम में। जनता पार्टी के प्रशासन संभालने के बाद में, हमारे विरोधी दल के माननीय नेता महोदय कल कह रहे थे, वित्त मन्त्रीजी फिगर्स की जगलरी में उलझ रहे हैं। लेकिन वे स्वयं इस बार फंस गए हैं फिगर्स की जगलरी में। मैं इस बात की जरूर प्रशंसा करूंगी कि बजट भाषण की भाषा जरूर परिमार्जित और परिष्कृत है। लेकिन इस बजट भाषण के अन्दर पिछली बार क्या फिगर्स दिए गये, पर-केपिटा इनकम पिछले वर्ष क्या थी और इस वर्ष क्या बताई है। आपके ही आंकड़े वित्त मन्त्रीजी बता रही हूं कि पर-केपिटा इनकम घट गई है आप जवाब दीजिये।

आप बात कर रहे हैं सातवें वित्त आयोग की, जितना अंश हमको उनके फार्मूले के आधार पर दिया जाना चाहिए था वह हमें नहीं मिला। पांचवें और छटे वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक जो धन राशि मिलती थी उससे सातवें वित्त आयोग में हमको कम मिली है लेकिन इसका आपने कारण नहीं बताया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट और लूंगी।

मैं यह निवेदन कर रही थी, कहने को तो बहुत कुछ है। इकॉनॉमिक और अप्लाइड रिसर्च की जो इन्स्टीट्यूशन है उसमें जो गरीबी की सीमा रेखा से लोग नीचे रखे गए थे, 56 प्रतिशत लोग हमारे यहां राजस्थान में गरीबी की सीमा रेखा से नीचे हैं और राष्ट्रीय औसत 42 प्रतिशत है। राजस्थान के सवा तीन करोड़ लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप राजस्थान के हितों की जोर से वकालत क्यों नहीं कर पाते हैं? विरोधी दल के लोगों को ले जाते, हम प्रदर्शन करते। आप वकालत नहीं कर सकते और आप हमारा सहयोग नहीं लेना चाहते हैं तो क्या राजस्थान के लोग नुकसान उठाते रहेंगे?

अध्यक्ष महोदय, इस बार विद्युत मंडल ने जो ग्रामीण ऋण की 4.66 करोड़ की योजना बनाई है। विद्युत मंडल ने किसान को आप्शन दे दिया कि फ्लेट रेट को अपना सकते हैं लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखा कि मरु क्षेत्र में जहां नीचे पानी है, वहाँ अधिक हार्स पावर की मोटर काम देती है। वे लोग अपनी जमीन और पास वाली जमीन को भी पिलाते थे लेकिन आपने कहा कि दूसरे के खेत को पानी पिलाएगा और पकड़ा जाएगा तो तीन गुना पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी। जब आपने हार्स पावर को आधार मान कर ही फ्लेट रेट तय की है तो फिर यह विसंगति कहां तक ठीक है? खास तौर से रेगिस्तानी क्षेत्रों के साथ यह बहुत बड़ा अन्याय है, उनको परेशान करने की बात है। इस विसंगति को दूर किया जाए और हार्स पावर के आधार पर फ्लेट रेट अॉप्ट करने का जो उनको अधिकार है वह उनको दिलाइये चाहे आप कुछ भी करें। आप किसी तरह का भेदभाव नहीं करें। आशा है वित्त मंत्री उत्तर के समय इस बात का उल्लेख करेंगे।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहती हूं। पिछले साल सीकर जिले में सलेदीपुरा में पाइराइट बेस्ड फर्टीलाइजर फैक्ट्री लगाने

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

की बात थी। मोहनलालजी सुखाड़िया के मुख्यमंत्रित्व में जिंकस्मेल्टर उदयपुर में लगाया तो हम समझते थे कि भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री बने हैं तो यह 220 करोड़ का प्लांट सीकर जिले में लग जाएगा लेकिन मुख्य मंत्री उस मामले में पता नहीं क्यों उदासीन रहे ? क्यों अक्षम साबित हुए कि उस कारखाने को वहां नहीं लगवा सके ? हाइड्रोलोजीकल सर्वे के आधार पर वहां अगाध पानी है तथा सलेदीपुरा फर्टीलाइजर फैक्ट्री के लिए सारी निर्धारित शर्तें पूरा करता है। काठली नदी में एवन्डंट वाटर है पानी की कमी नहीं है। हमारे मुख्य मंत्री पहले तो बहुत कहते थे कि शिक्षा का विकास नहीं, औद्योगिक विकास नहीं लेकिन इस बार बजट में एक भी बड़ा उद्योग लगाने की बात नहीं की गई है। दो साल तक केवल बातें करते रहे काटेज इन्डस्ट्री की, छोटी इन्डस्ट्रीज की। बड़ा उद्योग राजस्थान में एक भी नहीं लगा पाए हैं।

अंतिम बात। वित्त मंत्रीजी, ईमानदारी की बात यह है कि गांधीवादी होकर, शराब-बंदी के लिए आपने बजट भाषण में एक शब्द भी नहीं कहा। हम सोचते थे कि या तो बजट प्रस्तुत नहीं करेंगे और करेंगे तो राजस्थान में पूर्ण शराब बंदी होगी। लेकिन जब बजट प्रस्तुत किया गया तो आश्चर्य हुआ। एक गांधीवादी आदमी के लिए इस प्रकार इतने बड़े उसूल से अलग हटना उचित नहीं है। इस बजट के बाद जनता के अंदर आपकी छवि धूमिल हुई है।

इस बार जो बजट है वह न जोब ऑरियेंटेड है, न समाजवाद की दिशा में आगे बढ़ता है और न इसमें कोई गरीबी का हित है। वित्त मंत्रीजी, इस समय राजस्थान में या तो आर. एस. एस. का राज है या सिंहों का राज है। बजट में आपने बड़े-बड़े बिक्री कर चोरों को प्रोत्साहन दिया है, यह अवश्य है...

श्री रघुनन्दन व्यास : सिंहों के राज में श्रीमती सुमित्रा सिंह बोल रही हैं, इनकी पार्टनरशिप है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बिल्कुल सिंहों का राज है, या तो आर. एस. एस. का वर्चस्व है या सिंहों का राज है। जैसा विरोधी दल के नेता कह रहे थे जितने निगम बनाए जा रहे हैं और आयोग बनाए जा रहे हैं ये आवश्यकता के कारण नहीं बल्कि सिंहों को एडजस्ट करने के लिए बनाये जा रहे हैं। इस बजट के डंडे के जरिये वित्त मंत्री ने राजस्थान के गरीब आदमी, मेहनत करने वाले किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। यह काम आपसे करवाया गया, आपकी छवि को धूमिल करने के लिए। आपसे बिक्री कर चोरों को प्रोत्साहन दिलवाया गया, जो प्रावधान एक डेटरेंट काम करता था बिक्री कर की चोरी करने वालों के लिए, वे जुर्माना देते थे, जेल जाते थे उस प्रावधान को वापस लेने की क्या आवश्यकता थी ? यह प्रतिक्रियावादी कदम है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी चार्ज है वित्त मंत्री व सरकार पर कि इस बजट के जरिये बड़े-बड़े साहूकारों और व्यापारियों को तीन महीने तक बिक्री कर न चुकाने पर आपने सवा प्रतिशत जुर्माना अदा करने की सुविधा दी है। इस साल आपने जो नई भाषा का प्रयोग किया है और एक प्रतिशत से बढ़ा कर

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

1। प्रतिशत किया है और 1।। प्रतिशत खतम कर के सवा प्रतिशत ही किया है। तीन महीने तक भी सवा पर्सेंट और 3 साल में भी सवा पर्सेंट देना पड़ेगा तो कौन ऐसा व्यापारी है जो बिक्री कर की राशि अपने पास नहीं रखेगा ? सही बात तो यह है कि बिक्री कर राज्य सरकार का होता है व्यापारी तो कलेक्ट करता है और कलेक्ट कर के राज्य कोष में जमा कराता है। आपने जो कन्सेशन दिया है कि चाहे तीन महीने चाहे तीन साल, सवा प्रतिशत ही देना पड़ेगा, यह तो ब्याज बैंक से भी कम है। इस तरह की छूट देकर आपने प्रतिक्रियावादी होने का सबूत दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि इस बजट द्वारा आपने गरीबों और किसानों को मारा है, आपने अपना कह कर उन पर जुल्म ढाया है और बिक्री कर चोरों, साहूकारों और बड़े बड़े व्यापारियों व उद्योगपतियों को बिक्री कर की चोरी करने की सहूलियत दी है।

इन्हीं शब्दों के साथ इस बजट की जितनी भर्त्सना की जाए, निन्दा की जाए, कन्डेमेशन किया जाए, वह कम ही है।

श्री मदन सिंह दांता (दांतारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि जब कांग्रेस का राज था उस समय भी सम्पूर्ण बजट पर मैं नहीं बोलता था। इसका कारण यह है कि कोई भी राज हो, पार्टी के नियमों के आधार पर बजट बनता है। मैंने परसराम मदेरणा से पूछा था इस बजट का नाम। मैंने कहा, आप कहते हैं यह किसान का नहीं है तो फिर मेरी बुद्धि पर छोड़ दो। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जनता पार्टी का बजट वैसा ही बजट बना है जैसी कांग्रेस की योजनायें थीं। इसमें क्षमता है, ज्यादा स्कूल बना दिए। हम खर्च करते हैं तो आपको क्यों चिढ़ लगती है ? आज मैं गांव में जाता हूं तो कांग्रेस के सदस्य कहते हैं कि यह भैरोंसिंह जी कहां से बिजली के तार ले आये हमारे वाले तो नहीं ला सके थे। अब इसमें भी दुःख होता है लोगों को।

अब, मैं अध्यक्ष महोदय, शिक्षा से शुरू करता हूं। चाहे जनता पार्टी के सदस्य हों चाहे आर० एस० एस० के हों या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हों, यह मानना पड़ेगा कि शिक्षा की योजनायें कांग्रेस सरकार ने हाथ में लीं लेकिन जनता सरकार ने गांव गांव और दरख्त दरख्त के पास शिक्षा पहुंचा दी। अगर इसको चेलेन्ज करते हो तो जनता को बरगलाते हो। जनता को शिक्षा मिल रही है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : पर्सेन्टेज तो गिर गया।

श्री मदनसिंह दांता : पर्सेन्टेज तो इसलिए गिर गया कि स्कूलों के लिये मकान नहीं बना रहे हो। अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो उदाहरण देता हूं। यह जनता पार्टी ही है जिसके समय में जहाँ स्कूल नहीं थे वहाँ स्कूल खोल दिये और साथ ही साथ चेजारा और लड्ढा वाला भेजा है और पत्थर वाला भेजा है। स्कूल भवनों का निर्माण भी किया है।

अध्यक्ष महोदय, स्कूल के अलावा यातायात में भी थोड़ी सी तरक्की हुई है और यह तब से हुई है जब से श्री हरिसिंह जी आये। कम से कम एक मिनिस्टर हैं जो कि अपने वचनों के पक्के हैं चाहे सीट छोड़नी पड़े। मैंने इनको पजोखा है। गवर्न-

(श्री मदनसिंह दांता)

मेन्ट ने लिखित रूप में दिया उसको चाट गए लेकिन मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा कि he is the first minister जो हल्ले के अन्दर कूद गये और कह दिया कि क्या चाहते हो। उन्होंने बताया कि हम यह चाहते हैं। इन्होंने वर्ड आफ आनर दिया। वह वर्ड आफ आनर आज हरिसिंहजी निभा रहे हैं। यही नहीं रोडवेज के रूट पर दांता की जनता इकट्ठी होती थी। वहां की जनता ने रोडवेज की बसें चलाने के लिए कहा। इन्होंने कहा कि दांता से लेकर सीकर तक रोडवेज की बसें चलेंगी और इन्होंने चलाई। यह होता है तरीका काम करने का। जो होगा उसकी तारीफ करूंगा नहीं होगा तो मैं हमेशा कहने वाला हूं लेकिन अभी नहीं कहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं जनता से वोट लेकर आया हूं। उसने कहा है कि वस्तु स्थिति ही वहां रखना। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में भी कहा, यातायात के लिए भी कहा और अब पेय जल की बात कहता हूं।

(4.35 म.प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, यह मानना पड़ेगा कि पेय जल की योजना कांग्रेस ने रखी उस समय भैरोंसिंहजी बजट के ऊपर और उसके बारे में खराब बोलते थे। मैं ही नहीं मानता, यह कांग्रेस वाले बैठे हैं इनसे पूछ लो, योजना इनकी थी लेकिन घर घर में पानी हरिसिंहजी ले गए। पेय जल की योजना हाथ में ली गई। उपाध्यक्ष महोदय, सीकर में ही नहीं जहां कहीं पेय जल की योजना नहीं बन सकी वहां इन्होंने योजना बनाई है। इन्होंने कहा कि दो साल से रुपया खर्च किया वह कम किया तो जब गांव-गांव में योजना होगी, तो नेचरली पैसा कम होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको एक जानकारी विद्युत के सम्बन्ध में दूंगा। विद्युत के सम्बन्ध में मैं मेरे एरिया के लिए कह सकता हूं और मुझे यह कहने का हक है कि कांग्रेस के समय में सबसे ज्यादा विद्युत का विस्तार सीकर एरिया में हुआ। दांता रामगढ़ के एरिया में, मुझे खुशी है, पांच सात गांवों में ही विद्युत नहीं पहुंची है। इसलिए मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि इन पांच सात गांवों की विद्युत योजना को भी आप हाथ में लें।

अब मैं मेडिकल के सम्बन्ध में कहूंगा। सबसे पहले दुःख इस बात का हुआ कि आपने जहां मेडिकल डिस्पेन्सरी खोलने का आश्वासन दिया और जहां लाखों रुपया खर्च करके जनता ने मकान बनाये, आपने जहां पर आफिसर्स लगाये न मालूम आपको क्या जंची कि खट से वहां जो डिस्पेन्सरी बननी थी उसको समाप्त कर दिया। लोगों ने मर पच कर मकान बनवाये, लोगों ने चन्दा इकट्ठा करके मकान बनवाये, दांता रामगढ़ में और जहां भी ऐसे मकान हैं वहां आप प्राथमिकता दें ताकि जो भी आपकी तारीफ हो रही है अच्छी से अच्छी योजना के लिए वह तारीफ होती रहे।

अध्यक्ष महोदय, मैं उन मुद्दों पर नहीं बोलूंगा जिन का लीकेज हो गया। जिनके सम्बन्ध में हाई कोर्ट में डिपार्टमेंन्ट चले गए। सदन के सदस्य बोल लें लेकिन जो कानून

(श्री मदनसिंह दांता)

को समझते हैं और कान्सटीट्यूशन को समझते हैं वे उन मुद्दों पर नहीं बोलेंगे।

अब मैं सीधे सुरक्षा के लिए कुछ कहना चाहूंगा। आप जन जागरण पार्टी के लिए कह रहे थे तो जन जागरण पार्टी की पहली माँग यह है कि पानी हो या नहीं हो, खाना मिले या नहीं मिले लेकिन आज कांग्रेस के जमाने से भी ज्यादा राजस्थान में लोगों के साथ अन्याय हो रहा है वह न हो। लोगों की आज सुनवाई नहीं हो रही है। आपको सजेशन अच्छे दें तो आप मानने के लिए तैयार नहीं, कानून बतायें तो मानने के लिए तैयार नहीं। अभी बहस हो रही थी कि किसी कान्सटेबल को कैसे हटायें। मुझे मालूम है कि चार्जशीट होती है लेकिन कभी दांता ठाकुर के कहने से हटा देते हैं। यह क्या है? मैं मेरी नहीं कह रहा हूं। किसी सदस्य के कहने से सस्पेन्ड कर देते हैं लेकिन यहां सारा सदन कह रहा है कि आदमी बेईमान है तो कानून की बात कहते हो। उपाध्यक्ष महोदय, सही चीज तो पेपर वाले भी नहीं समझते। सैक्शन 197 प्रोटेक्शन आफ गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स आप हटा दो। 197 के लिये एक साल से चिल्ला रहा हूं। कांग्रेस के समय में सबसे बड़ी गलती यही हुई कि जो ब्रिटिश गवर्नमेन्ट थी उसने यह थोप दिया। आप भी अदालत में उसे खड़ा कर सकते हैं। हम नहीं ले जा सकते हैं अदालत में क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस आदमी के लिए चर्चा कर रहा हूं जो कहता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ चार्ज लगाना है तो लिखकर दो। मैंने डड्ढा चोर के लिए लिख कर दिया 273 में। मुख्य मन्त्रीजी ने शुरू में कहा था कि डड्ढा चोर नहीं अच्छा आदमी है। मैंने तब से ही कोशिश की और एन्टी-करप्शन में 4 लाख रुपये का डड्ढा के खिलाफ आरोप सिद्ध हो गया। माननीय भनोत साहब के पास भेज दिया कि इसको हटा देना चाहिए, हम मुकदमा चलाना चाहते हैं। जहां तक मेरी सही इनफार्मेशन है चीफ सेक्रेटरी ने कागज भेजे। भैरोंसिंहजी शेखावत कहते थे कि नाक से निकलवा लूंगा लेकिन नाक से निकल कर आपके पेट में भर गया भ्रष्टाचार उसको कैसे निकालोगे? कागज उनके आफिस में रहेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी इनफार्मेशन है, खेतसिंहजी अभी यहां हैं नहीं, वे ज्यादा जानते हैं कि वह कितना भ्रष्ट है। उसने 35 हजार रुपये किसी अन्य शख्स के पास रखे कि मेरी फाइल आ जाय तब दे देना। जब मैंने लिखित रूप में दिया तो वे गड़बड़ा गये। डड्ढा को आपने बचाया। राजस्थान के मुख्य मन्त्री के आफिस में यह हालत है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जो आपका एन्टी-करप्शन है वह भी अच्छी सिफारिश करता है। लेकिन अगर कागज रुक जाते हैं तो एन्टी-करप्शन का आदमी कभी हिम्मत नहीं करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट सब अच्छे होते हैं। इस बजट में सब कामों को छोड़कर जो हमने सिफारिश की है कि जो थाने में एफ० आई० आर० दर्ज करते हैं उसकी कापी मजिस्ट्रेट के पास जानी चाहिये ताकि कौनसा क्राइम है, इस बात का उसको ज्ञान होता रहे। यह अंग्रेजों के टाइम में भी था। मजिस्ट्रेट के पास कापी जानी चाहिये ताकि उसको ज्ञान हो जाय कि क्राइम कौन

(श्री मदनसिंह दांता)

सा है। यह सजेशन दिया इसे सैन्टर मानने को तैयार है। ऐसा करेंगे तो हमारे थाने सतर्क हो जायेंगे।

भारत के होम मिनिस्टर की चिट्ठी आई है। मैंने गृह मन्त्री जी को सजेशन दिया है लेकिन उसको उन्होंने देखा ही नहीं है। हम कान्क्रीट कोई चीज देते हैं तो उसको सुनते नहीं हैं। इससे मैं खुश नहीं हूं। भारत के होम मिनिस्टर से यह कहते हैं कि चोरियों में कमी हुई है और यहां आकर कहें, गड़बड़ी है। राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने एलान किया मेरे यहां लॉ एण्ड आर्डर में कोई गड़बड़ी नहीं है किन्तु इस बजट में लॉ एण्ड आर्डर के लिये पैसे बढ़ाये गये हैं। गांव-गांव में चौकीदारी सिस्टम होना चाहिये। चौकीदारी सिस्टम की बात कहता हूं तो इनको मीणे याद आते हैं। मैं कहता हूं कि एक वार्डन होना चाहिये जिसको वहां का थानेदार भी पूछे। किसी की हरकत नही बतायेगा जो ईमानदार व्यक्ति होगा। पहले जो अच्छा व्यक्ति होता था, उसकी नियुक्ति होती थी और 24 घण्टे में मालूम पड़ जाता था कि दिल्ली से आकर किस ने यहां गड़बड़ी की है।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं शराबबन्दी के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। इस कान्स्टीट्यूशन में है तो जहां तक शराब बन्दी की बात है वह कानून के तहत क्यों नहीं करें। 47 में लिखा है....

"Drugs which are injurous to health."

The Government shall make this rule.

जब "shall" शब्द आ गया तो कान्स्टीट्यूशन को गुड़काते क्यों हो। इसमें वाइन भी है, अमल भी है, जर्दा भी है........

एक माननीय सदस्य : भांग भी है।

श्री मदनसिंह दांता : हां, भांग भी है। मैं चाहूंगा जो शराबबन्दी के लिये कहने वाले लोग हैं वे इस मसले को उठाये ताकि जितनी भी खराबी की चीजें हैं, वह बन्द हों। डाक्टर से एग्जामिन करवा लीजिए, जर्दा खाने वाला जल्दी मरेगा। डाक्टर मुकर्जी हैं वे बड़े डाक्टर हैं उनका कहना है कि दारु पीने वाला भी जल्दी मरेगा और जर्दा खाने वाला भी जल्दी मरेगा।

(व्यवधान)

इसलिए दारु के लिए तो आन्दोलन करेंगे और सिगरेट के लिये नहीं करें इसमें मैं विश्वास नहीं करता हूं। अगर खतम करते हैं तो दारु गांजा, भांग, अमल, शराब सबको खतम करें। कान्स्टीट्यूशन की एक बात पकड़ लें और दूसरी बात को नहीं पकड़ें यह अच्छी बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कहता हूं जो बजट है वह सम्पूर्ण है, यह कहना अच्छा नहीं है क्योंकि जनतन्त्र को चेलेन्ज है। कोई भी जनतान्त्रिक पार्टी हो, चाहे आपकी हो, सब नकल होती है। आपको भी बावले बनाते हैं तो इनको भी बना दिया होगा।

(श्री मदनसिंह दांता)

मगर गाँव गांव में बिजली गई या नहीं, यह बजट की एक खास बात है।

जो आपकी अन्त्योदय योजना है उसके बारे में सुझाव देना चाहता हूं। अन्त्योदय योजना बकरियों से नहीं चलेगी इसलिए आप वहां टेम्पो की इजाजत दे दीजिये, टेम्पो के लिए लोन दे दीजिये। जो व्यक्ति बाहर जाता है उसको दीजिये और दूसरों से मत देने दीजिए। अन्त्योदय फेमिली में जो जाने वाले हैं उसको चार हजार रुपया और हवाई जहाज का टिकट दे देंगे तो मैं कहता हूं 6 महीने में गरीबी मिट जायगी। बकरी लड़ी मर जाती है तो वह रोता फिरता है........

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : टेम्पो भी मर जाता है।

श्री मदनसिंह दांता : वह मरता नहीं है, उसका इलाज है लेकिन बकरी जिन्दा नहीं हो सकती है, भैंस जिन्दा नहीं हो सकती है........

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : श्रीमान, बकरी का बीमा कराया हुआ है।

श्री मदनसिंह दांता : उसका तो बीमा है। मगर इस कान्स्टीट्यूशन का बीमा नहीं है। कान्स्टीट्यूशन के तहत नहीं चलेंगे तो हम कहेंगे। यही मेरा कहना है।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, विगत 30 वर्षों के काले कांग्रेस प्रशासन ने निरन्तर........

(व्यवधान)

शुरू किया उसके पहले ही........

श्री वृद्धिचन्द जैन : आप भी कांग्रेस के सदस्य रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल ऐरन : निरन्तर इस बात की दुहाई करती रही कि हम गांवों का विकास करेंगे। बड़े खेद का विषय है कि पूरे 30 वर्षों में गांवों की तरफ मुड़ कर भी इस कांग्रेस ने नहीं देखा........

(व्यवधान)

किन्तु जब से जनता सरकार बनी, जनता सरकार शासन में आई तो जो वायदे और जो बात हमने अपने घोषणा पत्र में कही थीं उसके अनुसार पहले बजट से लेकर अब इस तीसरे बजट में भी गांवों के विकास की ओर ध्यान दिया है। इस बजट में विकास के कामों पर माननीय वित्त मंत्रीजी ने 275 करोड़ रुपयों का प्रावधान कर इंगित किया है कि हम गांवों का विकास करने को कटिबद्ध हैं।

श्री मूलचन्द डागा : जोर से बोलने से आंकड़े थोड़े लम्बे होंगे।

श्री भंवरलाल ऐरन : माननीय डागाजी, सुनने की थोड़ी क्षमता रखिये।

(श्री भंवरलाल ऐरन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री महोदय से अर्ज करना चाहूंगा कि इस बजट में जो माननीय वित्त मंत्रीजी ने किसान विरोधी प्रस्ताव रखे हैं, विद्युत शुल्क में वृद्धि की है, जलप्रदाय व सिंचाई की दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है........

श्री मूलचन्द डागा : अन्दर की बात पर अब आ रहे हैं।

श्री भंवरलाल ऐरन : वह वास्तव में बहुत खेदजनक है। मैं यह कहूंगा कि केन्द्र द्वारा जो सहायता केन्द्रीय बजट में किसानों के लिए दी है उनको नकारने का प्रयास किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी समय है, इन प्रस्तावों को आप अविलम्ब वापस ले लें। इसी में राजस्थान की और राजस्थान के किसानों की भलाई है। इन वर्षों में....

(व्यवधान)

श्री नवनीत पालीवाल : आपके वक्ता के समय इसी तरह से इंट्रप्ट किया जाय तो क्या आप पसन्द करेंगे ?

श्री मूलचन्द डागा : Sometimes interruptions help the speech.

हम तो तारीफ कर रहे हैं। वह अपने अन्दर की बात कह रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : ये तो वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल ऐरन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता शासन के तीन वर्षों में अन्त्योदय योजना, राजस्व अभियान तथा काम के बदले अनाज की योजना ने उन गांवों का तो नक्शा बदल दिया है। यदि माननीय वित्त मन्त्रीजी इन प्रस्तावों को वापस नहीं लेंगे तो मैं समझता हूं कि सारे करे कराये पर पानी फिर जाएगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि शीघ्र से शीघ्र इन प्रस्तावों को वापस ले लें, इनकी क्रियान्विति नहीं करें। इन करों को वापस लेने से वे समझते हैं कि घाटा आएगा तो मैं केवल एक ही सुझाव उनको देना चाहता हूं कि विकास के कार्यों में जो व्यय हो रहा है, उस व्यय के दुरूपयोग पर अगर आप अंकुश लगा दें तो आपका जो घाटा इन करों को वापस लेने से होगा वह पूरा हो जाएगा।

एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। जब महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण दिया, मैं बड़े गौर से और ध्यान से यह जानने का प्रयास करता रहा कि सरकार की मद्यनिषेध के बारे में क्या नीति है। मैंने सोचा गांधीवादी वित्त मन्त्री शायद अपने बजट भाषण में इसका प्रावधान करेंगे इसीलिए महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है। किन्तु जब बजट भाषण पढ़ा गया तो हमें निराशा हाथ लगी। जब हम इस सत्र में आने के लिए, सत्र में भाग लेने के लिए रवाना हुए तो अखबारों के जरिये हमें यह मालूम हुआ कि माननीय वित्त मंत्रीजी अडिग हैं 1 अप्रेल, 1979 से सम्पूर्ण राज्य

(श्री भंवरलाल ऐरन)

में, सम्पूर्ण प्रदेश में नशाबन्दी लागू करने के लिए। किन्तु हमारे मुख्य मंत्री महोदय की घोंस ही कहूं, त्याग-पत्र की धमकी ने शायद उनको विचलित कर दिया। लेकिन बात बड़ी स्पष्ट है। हम वास्तव में यह जानते हैं कि माननीय वित्त मंत्री महोदय का अपना पूरा जीवन काल, सारा जीवन, जिसमें मुझे भी काफी अर्से तक आपके पास काम करने का सौभाग्य मिला है, नशाबन्दी के लिए समर्पित रहा है। आज जब वित्त मंत्रालय आपके पास है, आज जब कि केन्द्र आपको पूरी सहायता देने के लिए तैयार है, तत्पर है, आज जब कि देश के प्रधान मंत्री का वरद् हस्त आपके ऊपर है, आज जब कि 27 करोड़ की राशि इसी वर्ष देने का वायदा कर लिया है तो मैं समझता हूं कि कोई वजह नहीं कि हम 1 अप्रैल, 1979 से मद्य निषेध पूरे राजस्थान में लागू करने से किसी प्रकार से पीछे रहें। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपने फैसले पर अडिग रहें, अपने निर्णय को कार्यान्वित करें और घोषणा करें कि 1 अप्रैल, 1979 से निश्चित रूप से पूरे राजस्थान में मद्य निषेध लागू किया जाएगा।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा। आखिर इस बिक्री कर की उत्पत्ति क्या है। इतिहास साक्षी है कि बहुत साल पहले, शायद अंग्रेजों के जमाने में सबसे पहले मद्रास में मद्य निषेध लागू किया गया था उस समय उससे होने वाले घाटे की पूर्ति के लिए विकल्प के रूप में बिक्री कर की उत्पत्ति की गई थी। लेकिन शनैः शनैः मद्य निषेध समाप्त कर दिया गया और बिक्री कर हमारे कन्धों पर वैसे का वैसा ही लागू रहा। दूसरे राज्यों में भी बिक्री कर लागू कर दिया। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से, उपाध्यक्ष महोदयजी, आपकी अनुमति से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस घाटे की परवाह मत कीजिए। आपके विकास के कार्य आपको विनाश की ओर ले जायेंगे यदि आपने मद्य निषेध लागू नहीं किया। इसलिए आप इस प्रदेश को यदि विनाश से बचाना चाहते हैं, यदि आप विनाश से प्रदेश की रक्षा करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप अपने निर्णय को पूरी तौर पर लागू करें। मैं समझता हूं कि हमारे अधिकतम माननीय सदस्य, इस विधान सभा के सदस्य आपके साथ हैं, आपके निर्णय के साथ हैं। आपके साथ कन्धे से कन्धा लगा कर आगे बढ़ने को तैयार हैं।

(व्यवधान)

हमारे माननीय सदस्य परमिट की आकांक्षा कर रहे हैं कि उनको छोटा सा परमिट दे दिया जाएगा या नहीं। डागाजी को भी मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, एक बात और मैं कहना चाहूंगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान चुनाव से पूर्व निकाले हुए घोषणा पत्र की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें हमने पुरजोर शब्दों में चुनाव लड़ने से पूर्व जनता को यह विश्वास दिलाया था कि हम बिक्री कर समाप्त करेंगे...

श्री मूलचन्द डागा : अब तो विश्वासघात कर दिया।

श्री भंवरलाल ऐरन : किन्तु इस दो साल की अवधि में इस ओर अभी तक हम कतई आगे बढ़ नहीं पाये हैं बल्कि शायद उनकी दरों में वृद्धि करने की योजनायें की हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जहां तक घाटे का सवाल है, दो सुझाव श्रीमान के समक्ष रखूंगा। पहला सुझाव यह है, शायद मेरे माननीय सदस्य मुझ से इत्तफाक करें या नहीं, देवस्थान का सौ करोड़ रुपयों का सोना आज हमारे पास अनुत्पादक धन के रूप में पड़ा हुआ है। यह सोना निस्संदेह बेचा जा सकता है और इससे समस्त घाटे की पूर्ति हो जाएगी। इसके अतिरिक्त बड़े-बड़े उद्योगपतियों के पास अपनी मशीनें लगाने के अतिरिक्त सैंकड़ों बीघा, हजारों बीघा जमीन उपलब्ध है जिस पर नाजायज तौर पर कब्जा किये हुए हैं। आज यदि उनसे उस जमीन को छुड़वा कर उसे बेच दिया जावे तो काफी तादाद में राजस्थान का घाटा पूरा हो जाएगा।....

श्री मूलचन्द डागा : Time is over.

श्री दिग्विजयसिंह : One minute more.

श्री मूलचन्द डागा : टाइम बढ़ा दीजिए। अगर टाइम नहीं बढ़ाया तो पांच तो बज गये हैं साहब।

श्री उपाध्यक्ष : अभी एकाध मिनट बचा है।

श्री भंवरलाल ऐरन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने जहां इस बजट के द्वारा व्यापारियों को सहूलियतें प्रदान करने का प्रयास किया है, जहां आपने व्यापारियों को बहुत सी सहूलियतें दी हैं, वहां अभी बहुत स्कोप है। जहां पर आप....

(व्यवस्था—सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक का समय समाप्त हुआ। सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.00 बजे बृहस्पतिवार दिनांक 8 मार्च, 1979 के म. पू. 11-00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न सं० 161 का विवरण

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा राजस्थान से बाहर की गई यात्राओं का विवरण

स्थान	दिनांक	प्रयोजन	राजकोष से व्यय
1	2	3	4
दिल्ली	9–3–78 से 12–3–78	राजकीय	648–00
	13–3–78 से 14–3–78	,,	
	18–3–78 से 19–3–78	,,	
दिल्ली	2–4–78	,,	561–00
,,	5–4–78		
,,	19–4–78 से 22–4–78		
	28–4–78 से 30–4–78	,,	
,,	10–5–78 से 11–5–78	,,	357–00
	26–5–78		
	31–5–78 से 1–6–78		
दिल्ली व	8–6–78	,,	टिप्पणी :–
पटना	17–6–78 से 18–6–78	,,	
दिल्ली	26–6–78 से 1–7–78	,,	3–6–78 से आगे
,,	4–7–78 से 7–7–78	,,	की यात्राओं/प्रवासों
,,	10–7–78 से 12–7–78	,,	पर व्यय राजकोष
,,	27–7–78 से 31–7–78	,,	से नहीं उठाया गया
,,	8–8–78 से 13–8–78	,,	है।
,,	20–8–78 से 24–8–78	,,	
,,	3–9–78 से 4–9–78	,,	
,,	7–9–78		
कलकत्ता	8–9–78 से 10–9–78	,,	
दिल्ली	11–9–78		
,,	22–9–78 से 24–9–78	,,	
,,	5–10–78 से 6–10–78	,,	
,,	19–10–78		
,,	26–10–78 से 27–10–78		

1	2	3	4
दिल्ली	12–11–78		
,,	18–11–78 से 20–11–78		
,,	24–11–78 से 25–11–78		
,,	29–11–78 से 3–12–78		
,,	7–12–78 से 8–12–78		
,,	11–12–78 से 12–12–78,		
	17–12–78 से 20–12–78		
,,	27–12–78		
,,	28–12–78 से 30–12–78		
,,	4–1–79 से 16–1–79		
,,	19–1–79 से 22–1–79		
,,	4–2–79 से 6–2–79		
,,	8–2–79		
इब्राहीम पट्टी यू०पी०	9–2–79		
दिल्ली	10–2–79 से 11–2–79		
,,	14–2–79 से 15–2–79		
,,	23–2–79 से 25–2–79		

116

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न सं० 165 की सूचना

कार्यालय निदेशक आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक लेखा–2/बजट/78–79/34670 दिनांक 16–9–78

उप शासन सचिव,
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप–4),
राजस्थान, जयपुर।

विषय :—वैद्यों/हकीमों की वेतन श्रृंखला में परिवर्तन हेतु।

सन्दर्भ :—आपका पत्र संख्या प० 27(67) चि० स्वा०/ग्रुप–4/74
दिनांक 23–8–78

——

महोदय,

प्रासंगिक पत्र के साथ वैद्य श्री भागीरथ जोशी, अध्यक्ष, इन्डियन मेडिसन बोर्ड, राजस्थान, जयपुर के संलग्न प्रतिवेदनानुसार वैद्य प्रथम एवं द्वितीय ग्रेड को प्रस्तावानुसार वेतन श्रृंखलाएं देने बावत विचार करने के साथ विभागीय अन्य पदाधिकारियों की वेतन श्रृंखलाओं में भी अपेक्षित संशोधन होगा, ताकि इसी अनुपातिक क्रम में उनके वेतनमानों में असंगति नहीं रहे।

वैद्य प्रथम एवं द्वितीय ग्रेड को क्रमशः (750–1350) एवं (650–1270) की वेतन श्रृंखला देने पर विभागीय अन्य पदाधिकारियों सहित संलग्न स्टेटमेन्ट परिशिष्ट 'अ' के अनुसार वर्ष भर के लिये अनुमानित 14,70,000 (चौदह लाख सत्तर हजार रुपये) की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी।

यदि विभागीय पदाधिकारियों सहित वैद्य प्रथम एवं द्वितीय ग्रेड को क्रमशः चिकित्सा विभाग के जूनियर स्पेशलिस्ट एवं सी० ए० एस० के समकक्ष वेतन श्रृंखला प्रदान की जाय तो परिशिष्ट 'अ' के अनुसार वर्ष भर के लिये कुल 44.41 लाख (चवालीस लाख इकतालीस हजार) रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी।

अन्य प्रदेशों में वैद्यों को दिये जाने वाले वेतनमान की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

वेटरनिटी डाक्टर्स की वेतन श्रृंखला (650–1270) है।

संलग्न–2 स्टेटमेन्ट

ह०/–ताराप्रकाश जोशी
निदेशक

117

परिशिष्ट–'अ'

विभागीय अधिकारियों एवं वैद्यों को प्रस्तावित वेतन शृंखलाएं प्रदान करने पर होने वाले अनुमानित अतिरिक्त व्यय भार का विवरण

क्र० सं०	नाम पद	संख्या	प्राप्त औसत वेतन	वर्तमान वेतन शृंखला	प्रस्तावित वेतन शृंखला	सम्भावित वेतन प्रस्तावित	अन्तर प्रति पद	वर्ष भर के लिये कुल पद हेतु वांछित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	निदेशक	1	1500	1400–1900	2500 फिक्स्ड	2500	1000	12000
2.	अति० निदेशक	1	1900	1550–1900	2000–2350	1900	100	1200
3.	उप निदेशक	6	1300	930–1500	1700–2000	1700	400	28800
4.	व्यवस्थापक रसायन शाला	1	1300	930–1500	1700–2000	1700	400	4800
5.	सहायक निदेशक	2	1140	750–1350	1250–1700	1250	110	2640
6.	जिला आयुर्वेद अधिकारी	25	1140	750–1350	1250–1700	1250	110	33000
7,	प्रभारी अधिकारी रसायन शाला	4	1140	750–1350	1250–1700	1250	110	5280
8.	वैद्य ग्रेड–प्रथम	631	850	620–1100	750–1350	750	—	प्रस्तावित वेतन मान से अधिक वेतन प्राप्त करने का कोई अन्तर नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	वैद्य द्वितीय श्रेणी							
	1872	1322	630	470 – 830	650 – 1270	650	20	317280
		200	480	440 – 770	,, ,,	,,	170	408000
		220	490		,, ,,	,,	160	422400
		130	500		,, ,,	,,	150	234000
						योग		14,69,400

परिशिष्ट 'ब'

विभागीय पदाधिकारियों एवं वैद्य ग्रेड प्रथम एवं द्वितीय को चिकित्सा विभाग के समानान्तर वेतन शृंखलाएं स्वीकार किये जाने पर होने वाला सम्भावित अनुमानिक व्यय

क्र० सं०	नाम पद	सं०	वर्तमान वेतन शृंखला	प्राप्त औसत वेतन	प्रस्तावित वेतन शृंखला	सम्भावित वेतन प्रस्तावित	अन्तर प्रति पद	वर्ष भर के लिये कुल पदों हेतु वान्छित राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	निदेशक	1	1400–1900	1590	2500 फिक्स्ड	2500	1000	12000	चिकित्सा एवं स्वा० विभाग के समकक्ष
2.	अति० निदेशक	1	1550–1900	1900	2000–2350	1900	100	1200	
3.	उप निदेशक	6	930–1500	1300	1700–2000	1700	400	28800	
4.	व्यवस्थापक रसायन शाला	1	930–1500	1300	1700–2000	1700	400	4800	
5.	सहायक निदेशक	2	750–1350	1140	1250–1700	1250	110	2640	
6.	जिला आयुर्वेद अधि०	25	750–1350	1140	1250–1700	1250	110	33000	चिकित्सा विभाग के सीनियर स्पे० के समकक्ष।

119

1	2	3	4	3	6	7	8	9	10
7.	प्रभारी अधि० रसायन शाला	4	750–1350	1140	1250–1700	1250	110	5280	
8.	वैद्य प्रथम श्रेणी	631	620–1100	850	1000–1600	1000	150	1135800	चिकित्सा विभाग जूनियर स्पे० के समकक्ष
0.	वैद्य द्वितीय श्रेणी (1872)	1322	470–830	630	750–1350	750	120	1903680	
		200	440–770	480	750–1350	750	270	648000	
		220	440–770	490	750–1350	750	260	686400	
		130	440–770	500	750–1350	750	250	390000	
						योग		4851200	
						अथवा		4851000	

ह०/– निदेशक

(121)

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

शराबबंदी ग्रभियान के प्रचार में हुग्रा व्यय

173. श्री जगदीश चन्द्र शर्मा (धौलपुर) : क्या ग्राबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में शरावबंदी ग्रभियान के ग्रन्तर्गत प्रचार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितने रुपये खर्च किये जा रहे हैं, ग्रौर किस माध्यम द्वारा ?

(2) इस कार्य के लिये कौन कौन सी संस्थाग्रों को कितने कितने रुपये ग्रनुदान के रूप में इस वर्ष दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि ऐसी संस्थाग्रों को भी राज्य सरकार द्वारा ग्रार्थिक ग्रनुदान दिया गया है जिन पर पिछले ग्रनुदान राशि की गड़बड़ी की गम्भीर शिकायतें चली ग्रा रही हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि ऐसी संस्थाग्रों को भी ग्रार्थिक ग्रनुदान दिया गया है जो पेशेवर प्रचार संस्थाएं हैं ग्रौर जिन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम का भी प्रचार किया था?

उत्तर

(1) इस वर्ष राज्य में शराबबंदी ग्रभियान के प्रचार हेतु रु. 9,55,781.64 ग्रनुदान के रूप में दिये गये हैं। इनमें से 9,44,000 रु. राजस्थान नशाबन्दी मंडल को तथा 11,781.64 राजस्थान भारत स्काउट गाइड को दिये गये हैं।

(2) सूची 'क' संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(सूची प्राप्त नहीं हुई)

ग्राम ग्रामलोदा के सरपंच के खिलाफ हुई जांच

174. श्री रामेश्वरप्रसाद (जमवा-रामगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम पंचायत ग्रामलोदा पंचायत समिति विराट नगर के सरपंच के खिलाफ कुछ जांच की गई है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

(2) काम के बदले ग्रनाज योजना में उक्त सरपंच के ग्रन्य कामों की क्या राज्य सरकार जांच करावेगी ?

उत्तर

(1) काम के बदले ग्रनाज योजना के ग्रन्तर्गत कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधीश, जयपुर द्वारा जांच करवायी जा रही है। पत्रावली सदन की मेज पर रखने का ग्रभी प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी हां। जांच की कार्यवाही जारी है।

नौहर क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा

175. श्री बहादुरसिंह (नौहर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार नौहर क्षेत्र के एक अस्पताल में लेडी डाक्टर तथा स्टाफ की कमी कब तक पूरी कर देगी ?

(2) क्या राज्य सरकार नौहर तहसील के सात हजार की आबादी से ऊपर वाले गांव फेफाना, जसाणा, ललाणा, रासमपुरा, बडविराणा आदि गांवो में चिकित्सा सुविधा देने के लिये प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र आदि खोलने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) नौहर क्षेत्र में कार्यरत मातृ शिशु कल्याण केन्द्र में एक महिला चिकित्सक के रिक्त पद को कार्मिक विभाग से सहमति प्राप्त होने पर भर दिया जावेगा। इसके अलावा नौहर क्षेत्र के अस्पताल में स्वीकृत पदों में से कोई पद रिक्त नहीं है।

(2) छठी पंचवर्षीय योजना में एक पंचायत समिति क्षेत्र में एक से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रावधान नहीं है। वर्ष 1980–81 में नवीन उपकेन्द्रों की स्थापना के लिए जिला विकास समिति की सिफारिशों के साथ साथ इन ग्रामों पर भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उपकेन्द्र खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

राज्य के जिला की योजना

176. श्री उमरावसिंह (महुआ) : क्या आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वर्ष 1976 में जिला योजना बनाने का कार्य जिला सवाई माधोपुर, झालावाड़, चित्तौड़ एवं सिरोही में आरम्भ हुआ था किन्तु उन जिलों की जिला योजना तैयार नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि जिला योजना तैयार नहीं होने का कारण इन जिलों में अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होना और दो दो महीनों में राजकीय खर्चे पर अधिकारियों को बदल देना है ?

(3) राज्य में जो योजना तैयार की जाती है वह जिले का ग्रामीण क्षेत्र का अनुभव न रखने वाले अधिकारियों द्वारा तैयार की जाती है जिससे योजना का सही लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में और गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों को नहीं मिल पाया है ?

(4) क्या राज्य योजना बोर्ड को संगठित कर उसमें तकनीकी सदस्य सचिव की नियुक्ति कर राज्य की योजना को अधिक उपयोगी एवं व्यावहारिक बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक वह क्रियान्वित हो जायेगा ?

उत्तर

(1) यह सही है कि राज्य में वर्ष 1975–76 में पायलट आधार पर दस वर्षीय जिला योजना बनाने का कार्य जिला सवाई

(आयोजना मन्त्री)

माधोपुर, झालावाड़, चित्तौड़ एवं सिरोही में आरम्भ हुआ था। योजना का निर्माण दो–तीन चरणों में पूरा किया जाना था। प्रथम चरण के अन्तर्गत जिले के संसाधनों पर विश्लेषणात्मक टिप्पण तैयार किया जाना था जो पूर्ण कर लिया गया है। द्वितीय चरण में दस वर्षीय योजना बनाने का कार्य प्रगति पर है।

(2) उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि काम प्रगति पर है।

(3) योजना बनाने में सक्षम अधिकारियों द्वारा योजना तैयार कराई जाती है। इन योजनाओं के निर्माण में विभागाध्यक्ष एवं उनके जिला क्षेत्र स्थित अधिकारियों का भी योगदान होता है। योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों एवं कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है जिससे योजनाओं का लाभ उन्हें भी मिलता है।

(4) राज्य योजना बोर्ड का पुनर्गठन किया जा चुका है। इसके सदस्य सचिव, विशिष्ठ सचिव, योजना हैं। योजना बोर्ड में तकनीकी कार्य हेतु एक पूर्णकालिक आयोजना सलाहकार का प्रावधान है जिसकी नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है। ये सलाहकार योजना बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य भी होंगे।

पंचायत समितियों का गठन

177. **श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा), श्री कुन्जीलाल** (बामनवास) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य की कई तहसीलों में एक से अधिक पंचायत समितियां हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? कृपया सूची मय पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि कई पंचायत समितियां दो दो तहसीलों को मिलाकर एक एक हैं? यदि हां, तो कृपया पते सहित नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि चिकित्सालय, आयुर्वेदिक औषधालय, पशु चिकित्सालय आदि जन सुविधाओं को पंचायत समितियोंवार आवंटित करने पर ऐसी पंचायत समितियों की तहसीलें अत्यधिक घाटे व कुछ तहसीलें अत्यधिक फायदे मे हो जाती हैं?

(4) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले की पंचायत समिति नादोती मुख्यालय बामनवास भी दो तहसीलों को मिलाकर बनाई गई है, जिसमें 52 ग्राम पंचायत समिति शामिल हैं? यदि हां, तो सारी समस्याओं को देखते हुए क्या सरकार उक्त पंचायत को तहसीलवार दो पंचायत समितियों में विभाजित करेगी? यदि हां, तो कब? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

(4) जी हां। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के सम्बन्ध में दल द्वारा जो सुझाव दिया गया था, उस पर मन्त्री मण्डल द्वारा विचार विमर्श करने के पश्चात् पंचायत समिति एवं तहसीलों की सीमाओं को यथावत रखने का निर्णय ले लिया गया है।

124

तहसीलों में एक से अधिक पंचायत समितियों की सूची

क्रम सं.	नाम जिला	नाम पं. समिति	नाम तहसील
1	2	3	4
1.	अजमेर	1—जवाना	व्यावर
		2—मसूदा	,,
		3—पिसांगन	अजमेर
		4—श्रीननर	अजमेर
2.	अलवर	5—बहरोड	बहरोड
		6—नीमराना	,,
		7—गोविंदगढ़	लक्ष्मणगढ़
		8—कठूमर	,,
		9—राजगढ़	राजगढ़
		10—रेणी	,,
3.	बांसवाड़ा	11—बागीडोरा	बागीडोरा
		12—भूखिया	बागीडोरा
		13—कुशलगढ़	कुशलगढ़
		14—सज्जनगढ़	,,
4.	भरतपुर	15—कुम्हेर	भरतपुर
		16—सेवर	भरतपुर
5.	चित्तौड़गढ़	17—अछनेरा	प्रतापगढ़
		18—प्रतापगढ़	,,
		19—बेंगूं	बेंगूं
		20—भैंसरोड़गढ़	,,
6.	झुन्झुनू	21—झुन्झुनू	झुन्झुनू
		22—अलसीसर	,,
		23—बुहाना	खेतड़ी
		24—खेतड़ी	,,

1	2	3	4
		25—चिड़ावा	चिड़ावा
		26—सूरजगढ़	,,
		27—नवलगढ़	उदयपुरवाटी
		28—उदयपुरवाटी	,,
7.	जोधपुर	29—बालेसर	शेरगढ़
		30—शेरगढ़	,,
		31—बाप	फलोदी
		32—फलोदी	,,
		33—बिलाड़ा	बिलाड़ा
		34—भोपालगढ़	,,
		35—मण्डोर	जोधपुर
		36—लूनी	,,
8.	नागौर	37—मकराना	मकराना
		38—परवतसर	,,
		39—मूण्डवा	नागौर
		40—नागौर	,,
9.	पाली	41—बाली	बाली
		42—सुमेरपुर	,,
		43—देसूरी	देसूरी
		44—रानी स्टेशन	,,
		45—पाली	पाली
		46—रोहट	,,
10.	जालौर	47—भीनमाल	भीनमाल
		48—जसवन्तपुरा	,,
		49—रानीवाड़ा	,,

पंचायत समितियों की सूची जिनमें दो तहसीलें हैं

क्रम संख्या	नाम जिला	पंचायत समिति का नाम	तहसील
1.	श्रीगंगानगर	1—रायसिंहनगर	रायसिंहनगर अनूपगढ़
2.	कोटा	2—शाहबाद	शाहबाद किशनगंज
3.	सवाई माधोपुर	3—नादोती	नादोती बामनवास

झालावाड़ जिले के राष्ट्रीयकृत मार्ग

178. **श्री बालचन्द्र आर्य** (पीपलदा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले में ऐसे कितने रूट हैं जो राष्ट्रीयकरण के अन्तर्गत लिये जा चुके हैं ?

(2) क्या उन सभी रूटों पर परिवहन निगम की बस चल रही हैं ? यदि नहीं, तो बसें नहीं चलाने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सदन के पटल पर रखी गई सूची के क्रम संख्या 18 व 19 के अलावा सभी मार्गों पर निगम की वाहनें संचालित की जा रही हैं। क्रम संख्या 18 व 19 पर वर्णित योजनाओं के मार्गों की दशा खराब होने के कारण निगम ने इन योजनाओं का क्रियान्वयन अभी नहीं किया है। मार्ग की दशा ठीक होने पर इन मार्गों पर निगम द्वारा वाहन संचालन सम्भव हो सकेगा।

झालावाड़ जिले के अन्तर्गत आने वाले मार्ग

क्रम संख्या	मार्ग योजना का नाम
1.	कोटा–इकलेरा वाया दर्रा–सांगोद, खानपुर अरनिया
2.	कोटा–झालरापाटन–पिड़ावा

3. कोटा–सांगोद वाया दर्रा, कनवास

4. कोटा–बकानी वाया दर्रा झालावाड़, झालरापाटन, तीन धार

5. खानपुर–झालावाड़ रोड़

6. झालावाड़–मनोहरथाना रोड वाया पाटन–इकलेरा

7. झालावाड़–दुधालिया वाया डग–भवानी मण्डी

8. झालावाड़–पिड़ावा वाया सोयत

9. बारां–पाटन वाया झालावाड़

10. झालावाड़–झालावाड़ रोड

11. भवानी मण्डी–इकलेरा वाया पाटन

12. रामगंज मण्डी–सारोला वाया झालावाड़–पाटन

13. रामगंज मण्डी–सरड़ा

14. रामगंज मण्डी–बकानी वाया तीन धार

15. पंचपहाड़–झालावाड़ वाया पाटन

16. पचपहाड़–इकलेरा वाया पाटन

17. दहीखेड़ा–इकलेरा वाया अरनिया

18. डग–पिड़ावा वाया भरांवलिया, नन्दपुर, कोटरा, डग–चौहमला वाया नया खेड़ा, गंगाधार, भवानी मण्डी–पिड़ावा वाया सुलिया, सुनेल, डोला।

19. इकलेरा–सालपुरा वाया छीपा बड़ौद, हरनावदा, इकलेरा–मनोहरथाना वाया हरनावदा।

राज्य में विभिन्न स्थानों पर भिक्षुओं के आवास एवं प्रशिक्षण पर खर्च की गई धनराशि

181. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में किस किस जगह भिक्षुओं के रहने व उनके प्रशिक्षण के लिये किस किस प्रकार के सदन खोले गये हैं और वे कब से काम कर रहे हैं ? इन पर पिछले 3 वर्षों में कितनी कितनी धनराशि किस किस कार्य के लिये खर्च की गई और उसके कारण कितने भिक्षुक आज तक आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर हो गये हैं ?

भिक्षावृति नियंत्रण हेतु अधिनियम कब तक सरकार पास करवा लेगी और कब इसे लागू करेगी ?

उत्तर

राज्य में भिक्षुकों के रहने व उनके प्रशिक्षण के लिये जिस जिस प्रकार के सदन खोले गये हैं और वे जब से काम कर रहे हैं उसकी सूचना संलग्न परिशिष्ट में दी गई है।

गत 3 वर्षों में इन पर जिस जिस कार्य के लिये जो धनराशि व्यय हुई तथा उसके कारण जितने भिक्षुक आज तक आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर बनाये गये उसकी सूचना भी संलग्न परिशिष्ट में दे दी गई है।

भिक्षुवृत्ति नियंत्रण हेतु एक विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत किया जा चुका है।

परिशिष्ट

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सेवा सदनों का विवरण

क्र० सं०	नाम सदन	वर्ष जिसमे स्थापित किया गया	प्रकार	आवासियों की संख्या		व्यय				
				स्वीकृत	वास्तविक दिसम्बर माह	वर्ष	प्रशासनिक व्यय	आवासियों पर व्यय (भोजन, वस्त्र आदि पर)	प्रशिक्षण पर व्यय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	सेवा सदन अजमेर	1967	आवास तथा प्रशिक्षण	150	62	1975–76	78,422	74,913	52,603	2,05,938
					9	1976–77	81,330	82,550	45,333	2,09,213
					65	1977–78	95,860	75,200	53,736	2,24,796
2.	सेवा सदन जयपुर	1971	,, ,,	150	63	1975–76	73,160	48,073	5,999	1,26,171
					43	1976–77	74,348	51,299	प्रशिक्षण का व्यय	1,25,647
					57	1977–78	1,05,173	50,251	प्रशासनमेंसम्मिलितहै	1,55,424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	सेवा सदन उदयपुर	1973	आवास तथा प्रशिक्षण	25	24	1975–76	51,288	19,209	प्रशिक्षण का व्यय	70,437
					12	1976–77	47,680	21,877	प्रशासन में सम्मिलित है	69;557
					21	1977–78	66,238	20,155	,, ,,	86,393

गत 3 वर्षों में प्रत्येक सदन से आत्म निर्भर बनाये गये भिक्षुकों की संख्या

क्र० सं०	नाम सदन	भिक्षुकों की संख्या जिन्हें विभिन्न कार्यों में पुनर्वासित किया गया				
		राज्य सेवा में	प्राइवेट नौकरी में	निजी व्यवसायों में	परिवारों में पुनर्वासित	योग
1.	राजकीय सेवा सदन अजमेर	1	23	77	542	633
2.	राजकीय सेवा सदन जयपुर	2	—	37	441	480
3.	राजकीय सेवा सदन उदयपुर	—	30	21	38	89
	कुल योग	3	53	135	1021	1212

सीमेंट व केरोसिन के कोटे का आवंटन

182. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य सरकार द्वारा जिले को सीमेंट व केरोसिन तेल का जो कोटा आवंटित किया जाता है उसका आधार क्या है तथा किस किस जिले को कितना–कितना एलोट किया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) एलोट करने के बाद निर्धारित मात्रा में सीमेंट व केरोसीन पहुंचे इसके लिए क्या व्यवस्था है ?

(3) कमी को पूरा करने तथा वितरण व्यवस्था सुधारने के लिए राज्य सरकार ने अब तक क्या–क्या कदम उठाये हैं और भविष्य में क्या–क्या कदम उठाये जावेंगे ?

उत्तर

(1) सीमेंट का आवंटन, राज्य सरकार द्वारा मूल रूप से क्षेत्र विशेष की समस्याओं व जिलों की जन संख्या को ध्यान में लेकर किया जाता है।

केरोसिन तेल का आवंटन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता। तेल कम्पनियां अपने डिपो द्वारा जिले के थोक विक्रेताओं को सीधे ही आवंटन करती हैं।

वर्ष 1978 के चार त्रैमास एवं वर्ष 1979 के प्रथम त्रैमास में राज्य सरकार द्वारा जिलों को आवंटित सीमेंट की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) सीमेंट की आवंटित मात्रा जिलों में पहुंचे, इसे देखने हेतु, प्रत्येक सीमेंट फैक्ट्री में एक–एक प्रवर्तन अधिकारी या प्रवर्तन निरीक्षक की ड्यूटी लगी हुई है जो सीमेंट फैक्ट्रियों से हुई डिस्पेचेज की सूचना विभाग को प्रतिदिन देते हैं। वैगन्स की उपलब्धि के लिए रेल्वे से निरन्तर सम्पर्क रक्खा जाता है। सीमेंट फैक्ट्रियों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठक आयोजित कर, उत्पन्न समस्याओं का समाधान किया जाता है।

सीमेंट फैक्ट्रियों के स्टाकिस्टों के स्थान पर जिलाधीश द्वारा अधिकृत व्यापारियों द्वारा सीमेंट लाने की व्यवस्था करने से भी सीमेन्ट जिलों में पहुंच जाये यह व्यवस्था सम्भव हो गई है।

(3) केरोसिन तेल जिलों में समय पर पहुचे इस हेतु जयपुर स्थित तेल कम्पनियों से निरन्तर सम्पर्क किया जाता है। आयल कोर्डीनेशन कमेटी नई दिल्ली एवं रेल्वे आथरेटीज से भी निरन्तर सम्पर्क कर तेल जिलों में समय पर पहुंच जाय ऐसी व्यवस्था की जाती है।

कमी को पूरा करने के लिए अधिकारी स्तर, मन्त्री स्तर एव मुख्य मन्त्री स्तर से केन्द्रीय मन्त्रालयों, मन्त्रियों को पत्र एवं अर्द्ध शासकीय पत्र लिख कर अधिक आवंटन

(खाद्य मन्त्री)

केन्द्र से प्राप्त करने का प्रयास जारी है ।

सीमेन्ट की वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए माह अक्टूबर से फैक्ट्रियों के स्टाकिस्टों की अपेक्षा, जिलाधीशों के अधिकृत विक्रेताओं से सीमेन्ट मंगवाने की व्यवस्था की गई है ताकि कृत्रिम अभाव जो फैक्ट्रियों के स्टाकिस्ट उत्पन्न करते थे, न हों । सीमेंट का वितरण शत–प्रतिशत परमिट प्रणाली से प्रारम्भ किया गया है ताकि सीमेन्ट जरूरत वाले व्यक्तियों को ही मिले ।

केरोसिन तेल की जब कभी, कमी होती है तो इसके वितरण की मात्रा पर नियन्त्रण कर वितरण व्यवस्था का विनयमन किया जाता है ।

राजस्थान सरकार

(खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग)

मात्रा टनों में

प्रथम तिमाही 1978 से प्रथम तिमाही, 1979 तक जिलों को सीमेन्ट का आवंटन सम्बन्धी मानचित्र :—

क्र.सं.	नाम जिला	प्रथम तिमाही 1978	द्वितीय तिमाही 1978	तृतीय तिमाही 1978	चतुर्थ तिमाही 1978	प्रथम तिमाही 1979
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	5125	3350	3400	3500	2700
2.	अलवर	5050	4090	4700	4100	2900
3.	बांसवाड़ा	3050	2044	2000	2000	1236
4.	बाड़मेर	1100	1005	1000	1000	800
5.	भरतपुर	5800	4690	4700	4700	2700
6.	भीलवाड़ा	2300	1707	1750	1500	1400
7.	बीकानेर	3100	1340	1400	1400	1150
8.	बून्दी	570	900	900	900	800
9.	चित्तौड़गढ़	1900	1500	1600	1500	1300
10.	चूरू	1900	2010	2050	1800	1350
11.	डूंगरपुर	1150	771	850	850	750
12.	गंगानगर	5000	5360	5300	5200	3700
13.	जयपुर	12580	12729	13500	13800	10000
14.	जैसलमेर	385	369	400	500	500
15.	जालौर	1000	1005	1020	1000	800
16.	झालावाड़	930	750	800	800	700

1	2	3	4	5	6	7
17.	झुन्झुनू	1610	2010	2050	2000	1500
18.	जोधपुर	3200	3500	3550	3600	2800
19.	कोटा	2900	2850	3500	3500	2800
20.	नागोर	1800	1500	1600	1650	1450
21.	पाली	2100	1800	2000	2000	1500
22.	स० माधोपुर	2000	2000	2700	2700	2000
23.	सीकर	1900	2010	2050	2100	1600
24.	सिरोही	1200	1205	1250	1400	900
25.	टोंक	850	905	950	950	850
25.	उदयपुर	6500	5500	6000	6050	4400
		75,000	67,500	71,020	70,500	52,586

काम के बदले अनाज योजना के लिये केन्द्र से मिला अनाज

183. **श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर)** : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कितना अनाज केन्द्र सरकार से प्राप्त किया गया है ?

(2) काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत अब तक जिले अनुसार कितना काम और उसके बदले कितना अनाज आवंटित किया गया है ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार यह योजना राजस्थान के नगरों के विकास के लिये भी लागू किये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह योजना आगामी वर्ष भी चालू रहेगी ? यदि हां, तो इसका क्या प्रारूप और योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1978–79 में अब तक 2.28 लाख मै० टन गेहूं राज्य को प्राप्त हो चुका है।

(2) पंचायतों के काम के लिये जिलेवार गेहूं के आवण्टन की सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू की जा सकती है।

(4) जी हां। वर्ष 1979–80 में चालू कार्यों को पूर्ण करने तथा नये कार्यों को हाथ में लेने के लिये भारत सरकार से गेहूं के आवण्टन की सूचना प्राप्त होने पर ही योजना बनाई जावेगी।

विवरण

"काम के बदले अनाज" योजना के अन्तर्गत पंचायत कार्यों के लिये आवण्टित गेहूं का जिलेवार विवरण।

	नाम जिला	कितने काम हाथ में लिये गये हैं।	आवण्टित गेहूं की मात्रा (मै० टनों में)
1	2	3	4
1.	बीकानेर	550	3380
2.	चूरू	765	3870
3.	गंगानगर	398	1500
4.	अलवर	2460	5590
5.	भरतपुर	1672	5502
6.	झुन्झुनूं	2872	11210
7.	सवाईमाधोपुर	2522	8780
8.	सीकर	3066	10230
9.	जयपुर	5295	20740
10.	टोंक	672	2760
11.	अजमेर	4126	16690
12.	बाड़मेर	119	1290
13.	जैसलमेर	155	740

1	2	3	4
14.	जालौर	687	1470
15.	जोधपुर	2040	6460
16	नागौर	1892	3420
17.	पाली	1764	9230
18.	सिरोही	829	2780
19.	बूंदी	2215	5810
20.	झालावाड़	504	4088
21.	कोटा	3303	11180
22.	बांसवाड़ा	790	5070
23.	भीलवाड़ा	2085	7350
24.	चित्तौडगढ़	1130	4910
25.	डूंगरपुर	376	2130
26.	उदयपुर	2891	10770
	योग	45178	166950

नगर परिषद् जोधपुर को गृह कर की वसूली न होने से हुई हानि

184. **श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा)** : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि अधिकारियों की बेपरवाही से जोधपुर नगर परिषद् को लाखों रुपये की हानि गृह कर की वसूली नहीं होने से हुई, क्योंकि आवश्यक कानून या नियम अन्तर्गत समय पर प्रमाणांकन नहीं किया गया ? यदि हां, तो कितने धन की अनुमानित हानि कौन-कौन से वित्तीय वर्ष में हुई तथा कथित बेपरवाही करने वाले अधिकारियों के क्या नाम हैं, और उनके विरुद्ध क्या आवश्यक कार्यवाही की गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। यह सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार गृह कर की वसूली सम्भव नहीं थी।

स्कूलों में बारावफात का अवकाश

185. **श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा), श्री गोपाल पचेरवाल (केशोराय पाटन)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में बारावफात की स्कूलों में छुट्टी न रखने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के त्यौहारों एवं जयन्तियों को शिक्षण संस्थाओं में मनाये जाने की कोई योजना रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) विद्यालयों में बारावफात का अवकाश रखा जाता है।

(2) जी हां।

बालोतरा में आवासीय भूमि के पट्टे

186. **श्रीमती मदनकौर (पचपदरा)** : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती मदन कौर)

(1) बालोतरा (जिला बाड़मेर) में 22 जून, 1977 से अब तक कितने आवासीय भूमि के पट्टे वहां के लोगों को दिये गये ? पूर्व में कितने कब्जा शुदा नियमन और करके एवं नये आवासीय प्लाट बना कर दिये गये उनकी संख्या अलग अलग बतावें ?

(2) क्या यह सही है कि बालोतरा में वर्षों से कब्जा शुदा आवासीय प्लाटों का नियमन कर के पट्टे देने की समस्या गम्भीर रूप धारण कर रही है और नगरपालिका प्रशासन इस ओर जागरुक नहीं है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

(3) क्या राजस्थान आवासन मण्डल ने बालोतरा नगर में मकान बनाने की योजना बनाई है ? क्या इन मकानों के लिये नगर में भूमि आरक्षित की गई है ।

उत्तर

(1) 50 पट्टे दिए। पूर्व में 120 कब्जाशुदा भूखण्डों का नियमन हुआ एवं 173 भूखण्ड आवंटन द्वारा दिये गए।

(2) जी नहीं। नगर पालिका द्वारा उप नगर नियोजक के प्लान में संशोधन करवाया जा रहा है। संशोधन के बाद तुरन्त आवंटन की कार्यवाही संभव होगी।

(3) जी हां। परन्तु अभी तक भूमि आरक्षित नहीं की गई है।

राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

188. **श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में किन किन स्थानों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई. टी. आई.) हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार बाड़मेर जिले की बढ़ती हुई शिक्षित बेरोजगारी, विद्युत बोर्ड, जनस्वास्थय अभियान्त्रिक, भू-तल जल विभाग आदि में तकनीकी स्टाफ की कमी को दूर करने के लिये जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र इस वर्ष में खोलना आवश्यक समझती है ?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त केन्द्र की स्थापना की जायेगी ?

उत्तर

राज्य में 16 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। ये संस्थान निम्न स्थानों पर हैं :—

अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बांसवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, खेतड़ी, कोटा, नागौर, पाली रतनगढ़, सीकर, श्री गंगानगर और उदयपुर।

जी हां। शीघ्र।

सहकारी बैंकों व भूमि विकास बैंकों के चुनाव

189. **श्री शंकरलाल (जैतारण)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभिन्न जिलों में सहकारी बैंकों

(श्री शंकरलाल)

श्रौर सहकारी भूमि विकास बैंकों के चुनाव निश्चित तौर पर किस तारीख तक करवा दिये जावेंगे ?

(2) इन बैंकों के चुनाव कब तक करा दिये जाने चाहिये थे श्रौर श्रब तक नहीं कराने के क्या कारण हैं ? संक्षिप्त विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) चुनाव की निश्चित तारीख श्रभी तक बताई जाना सम्भव नहीं है क्योंकि ऋणदात्री सहकारी संस्थाश्रों के एकीकरण, पुनर्गठन एवम् उप नियमों में संशोधन की प्रक्रिया जारी है।

(2) प्रशासकों की नियुक्ति कर दिये जाने एवं श्रब एकीकरण व उपनियमों में संशोधन की प्रक्रिया जारी रहने के कारण चुनाव नहीं कराये जा सके। समस्त जिलों में उपरोक्त स्थिति एक समान है। खण्ड (1) के उत्तर से बताये गये कारणों की प्रक्रिया समाप्त होते ही चुनाव शीघ्र कराने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

भदवासी-मकोड़ी क्षेत्रों में डामर की सड़क

190. **श्री बंशीलाल सारस्वत** (ना-गौर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या खड्डी भी एक प्रमुख खनिज है ?

(2) क्या यह सही है कि भदवासी-मकोड़ी क्षेत्र, गोठ, मांगलोद एवं खेराट कीतलसर क्षेत्र में खड्डी के विपुल भण्डारों में से है ?

(3) राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों को डामर सड़क से जोड़ने की क्या योजना बनाई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। साधारण भण्डार है।

(3) जी नहीं। क्योंकि इस क्षेत्र में राजस्थान राज्य श्रौद्योगिक एवं खनिज विकास निगम एवं फर्टीलाइजर कार्पोरेशन श्रॉफ इण्डिया कार्य कर रही है जो स्वयं श्रपनी सड़क इत्यादि बनाये रखने हेतु सक्षम है।

बाग माइनर में श्राई भूमि का मुश्रावजा

191. श्री हीरालाल श्रार्य (पीपल्दा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लुहावद में किसानों को बाग माइनर के मुश्रावजे के पैसे श्रभी तक नहीं मिले हैं जब कि माइनर खुदे वर्षों बीत गये हैं ? यदि हां, तो श्रभी तक मुश्रावजे की राशि नहीं मिलने के क्या कारण हैं ?

(2) बाग माइनर सहित कितने किसानों को नहरों में गई भूमि का मुश्रावजा श्रभी तक नहीं मिल पाया है ? पीपल्दा क्षेत्र

(श्री हीरालाल आर्य)

के किसानों की सूची मय नाम तथा पता एवं रकम की सूची को सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार इस बकाया राशि के शीघ्र भुगतान किये जाने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) हां, यह स्वीकार है कि लुहावद में किसानों को वाग माइनर में अवाप्त की गई भूमि के मुआवजे का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। मुआवजे के भुगतान न करने हेतु इस कार्यालय द्वारा कार्यवाही कर भूमि अवाप्ति अधिकारी कोटा को प्रेषित कर दी गई है।

(2) वांछित तालिका संलग्न की जा रही है।

(3) बकाया राशि का भुगतान करने की कार्यवाही जारी है।

पीपल्दा क्षेत्र के बकाया भूति मुआवजे की सूची

क्र० सं०	एवार्ड नम्बर	कृषक का नाम	रकबा बीघा	रकबा बिस्वा	कुल रकम
1	2	3	4	5	6
1–	3880	मांगीलाल, रामचन्द्र, नाथू पुत्र ओंकार कलाल।	–	9	298–00
2–	2297	विरधा पुत्र हरिलाल	–	9	79–20
3–	1538	सुखलाल पुत्र गोपाल, मोतिया पुत्र गोपाल, जेन्गा पुत्र गोपाल, प्रभु पुत्र गोपाल।	3	5	303–87
4–	1781	श्री दास, लक्ष्मणदास, मथुरादास पुत्र लक्ष्मणदास, वजरंग दास पुत्र गिरधारी दास, वालदास पुत्र गिरधारी दास।	2	10	385–00
5–	3657	ग्यारसिया पुत्र हेमदा मीना	0	10	57–75
6–	2913	नाथू शाह पुत्र घासी शाह चिरागिया पुत्र ख्वाज शाह, अलारख पुत्र कालू शाह फकीर	1	7	185–62

1	2	3	4	5	6
7–	2507	मैरूं मीरा	0	12	89–10
8–	3895	घन्ना लाल, बृजमोहन, हरि नारायण पुत्र ओंकार धाकड़ ।	0	9	198–90
9–	2583	गोपीनाथ पुत्र तोलानाथ, मोंडू पुत्र मोतीनाथ ।	1	1	121–27
10–	1277	रघुनाथ, नारायण, लक्ष्मण पुत्र पन्ना (कुम्हार)	1	17	295–35
11–	3885	ओम प्रकाश पुत्र कन्हैयालाल, राम गोपाल पुत्र सदा सुख, पारवती पुत्र नन्दलाल ।	0	10	275–00
12–	3879	मैरूं पुत्र वेज्या (धाकड़) चन्द्रा पुत्र वेज्या ।	0	7	154–00
13–	2070	गोपिया पुत्र कन्हीराम (मीना)	1	10	198–00
14–	3239	विश्वबर दयाल (गुजराती)	2	4	231–00
15–	3883	केसर पत्नी बेंजनाथ लक्ष्मी चन्द पुत्र बेंजनाथ, रामनाथी पत्नी लक्ष्मीचन्द	0	19	418–00
16–	712	सुख्या पुत्र रतना मीना सुख्या पुत्र लघीराम मीना	2	10	252–45
17–	79	पंचायत वाक्ड़ान	1	00	165–00
18–	1467	श्रीनाथ पुत्र हरबक्स	3	1	474–37
19–	3582	नाथूसिंह पुत्र ओंकार	1	5	192–50
20–	1672	परधीलाल व बिरधीलाल पुत्र कालू मीना, चन्दा लाल व मांगीलाल पुत्र मैरूं मीना, जगन्नाथी बेवा जगन्नाथ मीना ।	9	1	1841–60
21–	3878	लछमन पुत्र माधो, बीरपाल पुत्र माधो	0	10	220–00
22–	2587	गोरी शंकर पुत्र ग्यारसी राम	1	12	264–00
23–	3278	मैरूं पुत्र कालू, नाथू, काना, किशन पुत्र कालू ।	4	10	442–50
24–	1103	जगन्नाथ पुत्र रतनलाल (ब्राह्मण) रतनलाल पुत्र किशन लाल (ब्राह्मण)	2	00	330–00

1	2	3	4	5	6
25–	3321	मूरी बेवा हीरा, बजरंग पुत्र धन्ना भागीरथ पुत्र ग्यारसा, सूरजमल पुत्र ग्यारसा ।	6	1	998–25
26–	3501	गोबिया पुत्र हीरालाल, रामनाथ पुत्र शंकर, भैरया पुत्र शंकर, मन्या पुत्र शंकर ।	2	0	330–00
27–	1457	बजरंगलाल पुत्र नरसिंहलाल, कन्हैयालाल पुत्र नरसिंहलाल, प्रहलाद पुत्र नरसिंहलाल ।	2	7	175–00
28–	3877	रामनिवास पुत्र केसरिया बृजमोहन पुत्र केसरिया हरिशंकर, पुत्र प्रभू ।	0	3	66–00
29–	3177	रघुनाथ पुत्र लछमन	1	5	136–50
30–	2598	श्रीमती केसर पत्नी हीरा मीना	1	10	222–75
31–	3994	किशन गोपाल, रामनारायण, प्रभु, पुत्र मन्ना लाल (ब्राह्मण)	1	5	165–00
					9564–68

राज्य सरकार से बजट प्राप्त न होने के कारण पूर्व में समस्त कृषकों को भूमि मुग्रावजा नहीं चुकाया जा सका और अब स्वीकृत बजट प्राप्त होने पर भूमि मुग्रावजा के भुगतान करने की व्यवस्था की जा सकेगी ।

राज्य का नर्मदा एवं माही नदियों से

सिंचित होने वाला क्षेत्र

192. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर :क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वह सही है कि नर्मदा एवं माही नदियों की योजनाओं से राज्य में काफी क्षेत्र सिंचित होगा ? अगर हां, तो कुल कितना क्षेत्र सिंचित होगा ?

(2) उक्त योजनाओं से राज्य में सिंचाई के लिए कब तक पानी मिल सकेगा ?

(3) क्या उक्त योजना से मुख्य सीधी नहर राज्य में लाई जावेगी ? अगर हां, तो राज्य में नहर का निर्माण कार्य कब तक शुरू करवा दिया जावेगा ? तथा इस योजना में राज्य सरकार का कुल कितना खर्चा लगेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(सिंचाई मंत्री)

नर्मदा से लगभग एक लाख हैक्टेयर तथा माही से 80,000 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी।

(2) नर्मदा से पानी तभी उपलब्ध हो सकेगा जब गुजरात नवागांव बांध व नहर का कार्य पूरा कर ले। माही से सिंचाई आंशिक रूप से 1979-80 से प्रारम्भ हो जावेगी तथा पूरी सिंचाई वर्ष 1987-88 तक होने की सम्भावना है।

(3) राजस्थान में नर्मदा की नहर गुजरात की 300 मील लम्बी नहर से लाई जावेगी। इस नहर के कार्य के लिये सर्वेक्षण कराने के बाद प्राक्कलन बना कर स्वीकृति ली जावेंगी। तब ही इसकी अनुमानित लागत बताना सम्भव होगा।

माही परियोजना की नहर पर कार्य प्रगति पर है व इसकी अनुमानित लागत 129·46 करोड़ रु० होगी।

कामां में गुड़गांव केनाल प्रोजेक्ट के ए. ईएन. का कार्यालय

193. श्री जहूर मोहम्मद (कामां): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कामां क्षेत्र में गुड़गांव केनाल निर्माणाधीन है? यदि हां, तो अब तक इसके निर्माण में कितना व्यय हुआ है? तथा इसका निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?

(2) सिंचाई के लिए काश्तकारों को पानी किन किन माह में दिया जायेगा तथा कब तक इस नहर को बारह मासी कर दिया जावेगा?

(3) क्या यह सही है कि कामां में गुडगावां केनाल प्रोजेक्ट का ए.ईएन. का दफ्तर बनाया जा रहा है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? अगर हां, तो कब तक बना दिया जायेगा?

(4) क्या यह सही है कि कामां बाढ़ नियन्त्रण खण्ड में सन् 78–79 में बाढ़ के समय सीमेन्ट के खाली कट्टे खरीदे गये? यदि हां, तो उनको कहां पर उपयोग में लिया गया? किस कीमत से खरीदे गये, प्रति कट्टा क्या कीमत है?

(5) क्या यह सही है कि बाढ़ नियन्त्रण खंड डीग में गैस की लालटेन सन् 78–79 में किराये पर ली गई थीं? यदि हां, तो कितनी ली गई और क्या किराया प्रति लालटेन, प्रति-दिन दिया गया?

(6) क्या यह सही है कि बाढ़ नियन्त्रण खण्ड डीग में गैस की लालटेन खरीदी गई? यदि हां, तो कितनी और किस कीमत से? प्रति लालटेन के हिसाब से कीमत क्या है?

उत्तर

(1) जी हां।

अब तक इसके निर्माण पर लगभग 3.60 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। योजना का कार्य वर्ष 1983–84 तक पूर्ण करने का प्रस्ताव है।

(श्री जहूर मोहम्मद)

(2) यह पानी मानसून ऋतु में ओखला वीयर पर उत्तर प्रदेश की आवश्यकता से अधिक पानी होने पर मिलेगा। औसतन मानसून ऋतु में 90 दिन यह पानी मिलेगा।

इस नहर को यमुना नदी के जल में राजस्थान का भाग मिलने पर ही बारहमासी किया जा सकेगा।

(3) जी नहीं।

क्योंकि योजना का कार्य पूर्ण होने पर इस नहर की देखभाल के लिए सहायक अभियन्ता का मुख्यालय डीग होगा।

(4) जी हां।

इन कट्टों को हरियाणा की भीषण बाढ़ के कारण पानी को नियन्त्रण करने हेतु कामां पहाड़ी ड्रेन, सीकरी बांध, पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूट्री के प्रोटेक्शन बैंक व सालपुर बांध पर उपयोग किया गया। 1 = 05 पैसे प्रति कट्टे के हिसाब से खरीदे गये।

(5) जी हां।

55 लालटेन (हण्डे) किराये पर ली गई थीं, उनका किराया प्रति लालटेन तेल सहित प्रति-दिन 10 रुपये 30 पैसे था।

(6) जी हां।

कुल 168 लालटेन खरीदी गई जिनमें से 18 लालटेन 180/– रुपये प्रति दर के हिसाब से एवं 150 लालटेन 156 रुपये 20 पैसे प्रति दर के हिसाब से खरीदी गई थीं।

परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न संख्या 43 की सूची

सूची "अ"

सूची जिन फर्मों से संयुक्त व्यवस्था परिषद, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा सामान खरीदा गया ।

क. सं.	फर्म का नाम	आदेश संख्या	सामान का विवरण	मात्रा	दर प्रति	रकम
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैं० सुमत प्रसाद जैन एण्ड सन्स, जयपुर ।	राराविम/डी डी पी/ जेएमसी/यू/डी. 1688	बुशर्ट	50,000	रु० 9.25	4,62,500/-
			पेन्ट	50,000	रु० 13.00	6,50,000/-
		दिनांक 14.8.73			योग	11,12,500/-
2.	मै० कुन्दन ट्रेडिंग कम्पनी जयपुर ।	आदेश सं. 1203	बुशर्ट	11,073	रु० 10.76	1,19,145.48
		दिनांक 13.6.75	पेन्ट	10,496	रु० 13.66	1,43,375.36
					योग	2,68,520.84

1	2	3	4	5	6	7
3.	मैं० कुन्दन ट्रे. कारपो, जयपुर।	आदेश सं. 2410–ए दिनांक 15.11.75	पेन्ट बुशर्ट	11,600 10,000	रु० 13.20 रु० 10.20	1,53,120/- 1,02,000/-
						योग 2,55,120/-
4.	मैं० पदम प्रसाद जैन एण्ड कम्पनी, जयपुर।	आदेश क्रमांक 440 दिनांक 20/21.2.75	जर्सी गर्म	25,000	रु. 29.19 पैसे से लेकर 42.14 पैसे तक विभिन्न साइ-जेज के अनुसार	8,58,740/-रु.

145

COMPERATIVE STATEMENT OF THE TENDERS OF SPORTS ARTICLES RECEIVED FROM THE VARIOUS FIRMS AGAINST SPECIFICATION No. RSEB : DDP : JMC : Sports Articles : 1974–75 for SPORTS ARTICLES DUE ON DATED 20.1.1975.

Sl. No.	Particulars	M/s Regal Sports, Station Road, Jodhpur.	M/s Liberty Sports, M. I. Road, Jaipur.	M/s Regal Sports M. I. Road, Jaipur.	M/s Jyna Sports Delhi.	M/s Akay Sports Meerut	M/s Olympia Agencies, M. I. Road, Jaipur.	M/s Dinesh & Co., Bombay.	M/s Mittal Sports M. I. Road, Jaipur	M/s Rewari Sports Products Corp., Society, Rewari.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tennis net	1. All triple full Size (Without wire) @ 125/- each. 2. All double full Size (Without wire) @ 95/- each.	1. All single Nylon @ Rs. 140/- each. 2. Cotton all double @ Rs. 120/- each.	X	Tennis Net @ 150/- each.	X	1. Special 42′ × $3\frac{1}{2}$′ 30 mesh @ Rs. 140/- each. 2. Gold Medal All double 30 Meshes @ Rs. 125/- each.	X	1. All triple nylon made @ 175/- each. 2. All double cotton yarn @ 115/- each.	X
2.	Tennis Racket	Hylite @ 75/- each	1. Shining Star Blpin @ 95/- each 2. Lawn Jwel (Chakrawati) @ Rs. 70/- each.	X	X	X	X	X	1. Pinnor Regd Ply Best with Hy-sheet Gut @ Rs. 119/- each. 2. Speedo with Lt. or Spioder Gut Rs, 69.90 each	Commonder with deed LT Gutt. @ Rs. 48/– each.
3.	Badminton Net	Cotton furistod 1. Yar with Niwar Tape & Namila Rope @ 22/- each.	1. Tournament Quality Niwar tape @ Rs. [illegible]	1. 1st quality 25 mesh twisted Niwar tape [illegible]	1. Net 33 Mesh @ Rs. 16·50 each.	1. 24 × $2\frac{1}{2}$ International size) 59030 mesh superier quality @ Rs. 32.10 each	1. Jawa International size Quod Qlty. @ 12.50 each 2. Gold Medal	X X	1. Twisted yarn 33 mesh @ Rs. 29.90 each. 2. Twisted thin quality @ Rs. 25.90	1. 33 Meshes Niwar and Manila @ Rs. 29.00 each.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				@ Rs. 23.50 each.			meshes @ Rs. 16. 95 each.		each,	
		2. Silken thread wien Latha tape @ 17.90 each.	2. 1st quality cloth tape @ Rs. 19.50. each.	2. IInd quality 25 mesh brown @ Rs. 17.50 each.	2. Net 25 Meshes @ Rs. 14. 20 each.	2. 24 × $2\frac{1}{2}$ (International size Cheap Qulty. 30 meshes @ Rs. 14.80 each.	3. Olympia @ Rs. 24.50 each	X	3. Silken theard 36 meshes @ Rs. 19.90 each.	
							4. Nylon (Olympia) @ Rs. 49.75 each.	X	4. Good Quality (popular) @ Rs. 13.40 each.	
						3. 24 × $2\frac{1}{2}$ (International size) Medium Qulty. 30 meshes @ Rs. 17.90 each.				
4.	Tennis Curtain	60' × 10' made DCM Dasuti with Niwar fitting @ 1500/.	Standard Size of blue Drill Niwar fitted @ 900/- each.	X	Standard Size @ 1150/- each.	X	X	X	60' × 90' blue Drill with niwar tape at four sides @ Rs. 790/– each.	Blue Algin Mill Convon with Niwar tape 60' × 8' set @ Rs. 1450/- each.
5.	Tennis balls	1. Matchless@ Rs. 95/- per Dozen.	1. Azad Delux @ Rs. 125/- per Dozen.	X	Pioneer @ 110/- Dozen.	Superior Quality @ 125/- Dozen.	X	X	1. Matchless @ Rs. 98/- Doz.	X
		2. Good Shot @ Rs. 75/- Doz.	2. Prince @ Rs. 92/- per Dozen.						2. Nance Court Special @ Rs. 85/- Doz.	
									3. Good Shot 60/- Dozen.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Badminton Rackets.	1. Steel shaft with 5 ply @ 24.90 each.	All Steel Mitalic @ 43.00	Complete with Ist quality Hylite 18.50	Crial wooden @ 16/- cach	×	×	×	With L. T. imported most superior.	Steel shaft challange
		2. Steel shaft silver star with 4 ply @ Rs, 21.90 each.	All wooden Olympia @ 16 00	Regal super 14/- each.	Optima wooen 13.50.				1. Slazengers demen steel shaft 49.90	Master with L. T. Gut @ Rs. 11/- each.
					Shaktiman wooden 11.00				2. Fortina steel shaft 27.90	
		3. Wooden shaft Hylite 5 ply @ 18.00	Steel shaft True shot @ 27.00		Flexican steel shaft 32/-				3. Fulkrum Regd. ISI Mark steel 29.90	
		4. Court king with 4 ply @ 12.00			Court king Steel Shaft 26.00 each.				4. Fulkrum Regd. Wooden Shaft @ 16.90	
					Champee shaft 16.00				5. Hot shaft wooden 13.40	
									6. Shield wooden @ 12.90	
7.	Shuttle cocks	1. Lily Regd. No. 195844 white of Duck feather @ 25.90 per Doz.	1. Lilly white Regd. 33/- per dozen.	White feather Ist quality 4 Torney N. 1 @ 30/- per dozen.	1. Tajmahal Duck feather 2.70/- each.	1. Seema brand imported feather Sup. qly. 34/-per Doz.	White Hen feather 1. Air India 19.95 Doz. 2. Diomond Top 14.95 Doz.	×	1. Indian or Cactus or Silvere @ 31.90 Doz. 2. Lily White Delux or India's Tournaly or Air India	1. Matchless Supr. Hen First English Cork @ Rs. 18.00 Doz.
		2. [illegible] made of	2. Minister		2. Atom					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		boonda @ 24.90 per doz. 3. Regal Spl; @ 16.90 per dozen. 4. Green Engle @ 19.00/- doz.	Regd. 28/- per doz. 3. Profenor 18/- per doz. 4. Vijay 17.50 per doz.	2. Shift 17. 50/- dozen.	Bunda 2.50 each. 3. Rita 2. 25/- each. 4. Tiptop 1-70 5. Queen 1.50 6. Boing 1.25	2. M. R. Spl. imported feather sup. qly. 35/- p. doz. 3. Gold metal 32/- p. doz. 4. Tiger brand 23.50"	3. Bluemax 15/– Doz. 4. Shield 14.90 Doz. 5. Silver Kind 16.50 Doz. 6. King 16.75 doz. 7. Jagdish Spl. 16.95 Doz Duck Feather : 8. Guide Top 25.95 Doz. 9. Golden Cup 26.50 Doz. 10. Chetak Spl. 22.50 Doz. 11. Chetak Supr. 24.95 Doz. 12: Diomond Supr. 27.95 Doz. 13. Univeral Tornly 35.00 Doz.		@ 30.90 Doz. 3. Jai Jawan Tourney or Amar Jytti @ 28.40 Doz 4. Queen or Brno Everely 26.90 Doz. 5. Rani or Air Elight or India Supr. or Heero @ 20.90 Doz. 6. Eagle or Oylmpia Vijayata ot India Super Tourney @ Rs. 19.90 Doz	2. Silver Regd. No. 261721 @ 20/- p. Doz.
8. Table Tennis Ball		Montona original (Subject to market fluctuatry due to any raise in excise duty & custom duty by Govt.) @ 1.39 each.	Montona originol @ 1.30 each.	X	Montona @ Rs. 1.75 each. Millano Crown @ Rs. 1.95 each.	Montona Original @ Rs. 1.65 each.	×	Minto Brand @ 1.32 each	1. Halex @ 21.90 per Dozen. 2. Meontona Rs. 19.90 per Dozen. 3. Poinccr Rs. 18.90 per Doz.	1. Montona Rs. 1.70 each. 2. Mintito @ 1.60 each.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Pump	Brass @ 18.90 each.	Heavy duty steel Nickled 12" × $1\frac{1}{2}$" @ 16.00	Size 12" 1) 1st Quality Brass 18.50	Long superior quality 12" × $1\frac{1}{2}$" nickled @ 10/- each.	12" × $1\frac{1}{2}$" heavy duty @ 6.75	×	×	Heavy duty 15" × $1\frac{1}{2}$" @ 15.90	12" × $1\frac{1}{2}$" size steel heavy @ Rs. 8/- each
		Steel (Duco painted) 10.90 each,	15" × $1\frac{1}{2}$" Alm. @ 16/- each.	Alm. @ 14.50 each.					Aluminium 12" × $1\frac{1}{2}$" 15.40 each Brass 12" × $1\frac{1}{2}$" 17.90 Nickled heavy 10.90 each.	
10.	Volly Ball Net	Heavy qlty. all double brown colours with white tape sample No. 13 @ 49.50 each.	All double cotton tape 10 mesh @ 33/-	1st Qulty all single white @ 58.50	Std. size @ 48.00.	Net No. 526A 9 meters best qulty @ 46.50	Ever green manila top 35.94 each	×	Most superior all double canvas tape @ 42-90	YMCA Standard 10 mesh manila rope 58/-
		All single Heavy quality all white with canvas tape & monila rope and fitted side makers @ 42.90 each.	All Single 2" canvas tape 10 mesh @ 56/- each.	2nd Qly. Niwar tape all single @ 46.50		All double 9 meshes No. 528 Medium Qly. @ Rs. 38/- each	Morgan Special 42.95	×	Twisted all single heavzy quality 39.90	Canvas and manila rope @ 58/-
						With 12 mesh for boih the qly. Rs. 2/- extra	Ginny Regd. 45.95 Nylon 52.00 each.	×	all single heavy quality 31.90 All double green tape @ 27.80	
11.	Foot Ball Bladders.	Enkay seemless latex valve No. 5 @ 3.70	Spafo blador	Sparo blador	Superior qly. Jainsons @ 3.70	×	×	×	Lace less top best quly.	Enkay No. 5 Patent No. S-85526-82123 @ 3.20 each.

1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11
			1. Enkay 4.25	Eakay latex @ 3.70					1. Zebra 4.75	
		Mohance seemless @ 3.55	2- Leader 3.75	IInd Qly. 2.80					2. Janson Seemless one ypes. 4.24.	
12.	Vol Ballty Bladder'	Enkay Seemless @ 3.70 each	Enkay No. 4 4.00	Eakay latex 1st Qly. 3.60	Superier Qly. Jainson @ 3.70	For lace less Jainson No. 4 @ 3.60	×	×	For lace less balls.	Eakay one pieces patrny No. S–88526 –82123 @ 3.10 each
		Mohances Seemless @ 3.55 each.	Lealer 3.65	IInd Quly. @ 2.70		Durox No. 5 @ 3.70 each.			1. ZEBRA 4.64 each,	
									2. Jainsons seemless @ 4.14 each	
13.	Chess (Complete)	(1) Chessman Royal @ Rs. 12.90	(1) Wooden Bd. & Wooden men @ 24/– each,	(1) Super & Heavy @ 14.50 set.	With plastic men @ 5.70 set.	9.40 each set	(1) Card Board with plastic men @ 6.25 set	×	(1) Wooden Patnted @ 12.90 set	Wooden Bord Wooden chess men 18/– each set.
		(2) Wooden with wooden Box @ Rs. 7.90 each.	(2) Wooden men Card Board Bd. @ 12/– each.	(2) IInd Qly. 6.50 set.	With Wooden men @ 9.70 set.		(2) Wooden Folding with plastic men @ Rs. 16.00 set		(2) Foxin boarded @ 6.90 set	
		(3) Chess Board Joxin Covered Best quality @ Rs. 4.90 each.	(3) Rubber plastic men and wooden Board @ 18/– each,				(3) Wooden box with chess men (P) 18.50 set.		(3) Card board 2.95 per set	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(4) Deluxe 14" @ Rs. 2.70 each.	(4) Rubber plastic men Card Board. 7/- each.						**Chess men** (1) Wooden English pattern @ Rs. 7.90 set. (2) Plastic or Rubber plastic @ Rs. 3.95 each.	
14.	Volley Ball Complele With Bladder.	**For match :** 1. Valve type 32 panel MICA Plastic coated Regd. No. 209880 in various colours @ 38.00 each. 2. Valve type 32 pannel best quality Regal De-lux @ 31.90 **For practice** 32 panel Regd. De-lux in any colour @ 27.90 T. Shape Aroisl Regd. No. 209880 Rs. 28.99	**For matches** 1. Nivia Regd. 41.50 2. Elora Regd. ISI 39.00 **For practice:** Liberty super 26.50 U-Win 27.00	Suporier 1st Quly Topic 46.50 2nd Qly. Minsure 40.00	**For matches :** 1. Gaylax 42.00 2. Vimal 37.00 **For practice :** 3. Roslin 33.00 4. Ashwin 30.00 5. Nisha 37.00 6. Vimal 35.00	Lace less type 32 pcs. T-Shape for matehes daily use **Sup. qly.** Vindha Mark Sup. qly. 38.30 Victory mark 36.30	32 Pannel laceless fully stretched semi chrome finest leather with blader international size. 1. Olympia 31.00 2. Sapna 29.00 3. Dollar 33.00 4. Neelum 35.00 5. Arco-Spl. 32.00 6. Vinso Regd. 34.00 7. Chakravati 38.00 Gold cup 8. Ginny Regd. 41.00	X	**For tournaments** Complete with blader Russin type or lace type or replaceable blader with blador International size. 1. Grandlay 32 panel 41.40 2. Olympia 32 panel 36.40 3. Play Pair 33.90 **For daily use** 1. Mittal Spl. 18 panel 29.40 2. Mewalal Delux 32.00 3. Mittal Super T-Shape @ 28.40	1. Russian Kirit Own make with one pcs blader No. 4 Eakay @ 22/-each. 2. 32 pcs Russian type 'Red' International size & weight own make with Enkay blader No. 4 @ 28/- each

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Football complete with bladder	Laceless type International size & wieght. **For matches :** 1. Valve type 32 panel MICA Plastic @ 43.75 2. Regal Delux @ 37.90 **For practice :** 1. Regal Delux 32 pancl @ 35.95 2. T. Shape Regal Superior @ 28.90	Russian type superior qly. **For matches :** 1. Nivia @ 50.50 2. Ellora 48.00 **For practice :** 1. Liberty supirior 18 pcs or 32 pcs. @ 38.00 2. U-WIN 35.00	**For matches :** Russian type complete with bladder No. 5 1. Topic 54.50 2. Winsure 46.50	**For matches :** 1. Gaylax 54/– 2. Vimal 45/– **For practice :** 1. Roslin 40/– 2. Jayna [illegible]5/–	Lace less type for match & daily use superior qly. 1. Comet 43.80 2. Loyal 44.10 3. Victory 42.60	32 panel laceless fully stretched semi chrome with bladder superier qly. International size : 1. Chakrawarti 48.00 2 Sapna 32.00 3. Olympia 34 00 4. Vinso 37.50 5. Aaros Spl. 37.00 6. Neelum 40.00 7. Dollar 42.00 8. Ginny Regd. 49.00	×	Russian type laceless International size and std. most superior 1. Olympia 32 panel 43.90 2. Mittal Superior 42.90 3. Play Fair Supd. 32 pannel 36.40 4. Mittal Sup. T. Shape 30.90 5. O. K. Spl. 28.90	1. Russian 32 pcs. own make International size & weight Enkay bladder No. 5 one pcs @ 29.00 Laceless 32 pcs International size fixed blader @ 30.00 each.
16.	Carrum (Complete)	(1) Bombay type heavy Qlty with 5 ply taek wooden fitting @ Rs. 69.90 each (2) 1st Teak Bd. with 3 ply Bd. of superior qly. ply @ 39.90 each.	(1) For tournament best quality @ 150/– each (2) Heavy quality 5 ply Board 65/– each.	(1) 1st quality heavy weight @ 69.50 (2) IInd qly. light weight 59.50 each.	(1) Tournament 48.00 each (2) Practice 43.50 each (3) Challoo 39.00 each.	**Super Qlty.** (1) Super Qlty. Carrum men 78/– each. (2) Medium Qly. Carrum 76/–each.	(1) Shoba 54.50 each (2) Olympia @ 47.95 each (3) Bombay Club @ Rs. 109.50 each.	×	(1) Most super @Rs. 155/- each (2) Good Qly. @ Rs. [illegible]0 each. (3) Most superior quality for the practice @ Rs. 79/–each.	Shishum ply 3″ Border wooden carrum men English Sheet striker @ Rs. 80/– each.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Medium Qulty. (1) Super Qly. carrum men 40.50 each. (2) Medium Qly. 38.50 ench.			(4) Most superier quality for the practice @ Rs. 53.00 each (5) ,, ,, 49.90 each.	
TERMS & CONDITIONS :										
1.	Samples	Reccived	Received	Received	Received	Received	Received	Received	Received	Received
2.	F. O. R.	Jaipur	Jaipur Store	Jaipur Store	Jaipur Store	Jaipur	Jaipur	Jaipur Store	Jaipur Store	Jaipur
3.	Delivery period	90 days	60 days	30 to 60 days	60 to 120 days	60 days	30 to 60 days	—	60 days	15 days
4.	Validity period	90 days	90 days	Upto 31-3-75	90 days	90 days	90 days	—	90 days	90 days
5.	Earnest money	FDR-No. 342/75 dt. 16-1-75 for Rs. 1000/-	Rs. 1000/- deposited vide No. 4367/67 dt. 18-1-75	Deposited vide No. 4367/67 dt. 20-1-75	Deposited cash vide No. 4367/68 dt. 20-1-75	DD Not JPR 008915/47 75 dt. 20-1-75 for Rs. 1000/-	DD No. 267519 dt. 20-1-70 for Rs. 750	—	Pay order No. 243138 dt. 18-1-75 for Rs. 1000/-	Rs. 1000/- deposited in cash vide receipt No. 4367 dt. 20-1-75
6.	Payment	90% through Bank	—	9% against the supplies	90% against RR or supplies	—	Payment against delivery	Through bank or cash	90% against receipted of challan	—
7.	Sales tax	Extra	Extra	Extra	CST @ 10% extra	Extra	Extra	—	—	Extra

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Insurance charges	Extra	—	Paid/Included	—	—	Extra 2% discount will be allowed on order exceeding 25000/– 1% discount will be allowed if the payment is made within a week's time.	—	½% discount if payment is made within 2 days.	—

परिशिष्ट-5

तारांकित प्रश्न 85 की सूची

सूची 'अ'

पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में अधिकृत ग्रामों की सूची

(अ) तहसील पंचपहाड़

1) गोविन्दपुरा
2) अरोलिया
3) खेजडियाखाल
4) अमलियाखेड़ी
5) घटोद
6) गणेशपुरा
7) नहरावद
8) गोपालपुरा
9) किशनपुरा
10) मुख्याखेडी
11) आनन्दपुरा
12) खेताखेडा
13) सेमली
14) लाडखेडा

(ब) तहसील पिड़ावा

15) सूरखेडी
16) आड़ा-खेडी
17) आकोदिया
18) अलीपुर
19) अमीनपुर
20) अमीरपुरा
21) आन्याखेडी
22) अरनिया
23) असन्दिया
24) अजीजपुर
25) बन्जारी
26) बानौर
27) बांसखेड़ी
28) बरखेड़ी
29) बरखेड़ींजादीद
30) बीजन्याखेड़ी
31) बीडसरकारी
32) भन्डार
33) भटखेडा
34) भटखेड़ाखुर्द
35) बिसमिल्लापुरा
36) बोलिया या बुजुर्ग
37) बोल्या वारी
38) बोरबन्द
39) बीरबन्द
40) बोरदा
41) बोरखेड़ी
42) चछलाई
43) चक सेमली
44) चन्द्रपुरा
45) चावड़िया
46) चवली
47) छोड़ी
48) डाबल
49) दांता
50) दौलतपुरा
51) दोवलखेड़ा
52) देवची
53) डाबला

54) डाबला भीज
55) धामनिया
56) डन्डेरा
57) धरा खेडी
58) धरमाचाखेडी
59) धरोनिया
60) धारखेड़ी
61) धतूरिया कलां
62) धतूरिया खुर्द
63) दोबड़ा
64) दोबड़ी
65) डोला
66) पर्शपुरा
67) फतेहपुर
68) फतेहगढ़
69) गडारा
70) सगरबनखेडी
71) गेलाना
72) गेलानी
73) घाटाखेड़ी
74) घाटाखेडी
75) गोविन्दपुरा
76) गुणदी
77) गुराडिया
78) हनोतिया धरोनिया
79) हनोतिया हिन्दुसिंह
80) हिनोतिया रायमल
81) हिनोतिया कोटडी
82) हरनावदा गंजा
83) हरनावदा पीथा
84) हिम्मतगढ़
85) दलाहिपुरा
86) जबलेन
87) जेताखेडी
88) झोकडी
89) झोकडिया
90) झिरनिया
91) कचराखेड़ी
92) कादरनगर
93) काली तलाई
94) काल्याखेड़ी
95) कल्याणपुरा
96) कल्याणपुरा
97) कनबाड़ी
98) कराडिया या ओसाव
99) कराडिया शेरपुर
100) सुवाव
101) केसरपुरा
102) खादलखेडी
103) खेराना
104) खजुरी
105) खलीलनगर
106) खामणी
107) खडगपुरा
108) खारपा कला
109) खारपा खुर्द
110) खंटकड
111) खेंडा निपानिया
112) खेडा सनोरिया
113) खेडी
114) खिजरपुर
115) किताखेडी
116) कोली खेडी
117) कोलवी
118) कोटडा जेतछाल
119) कोटडा प्रताप
120) कोटडी
121) कुडल खेमराज
122) कुडला प्रताप
123) लालगांव
124) लक्ष्मीपुरा
125) लोटी

126) मारूम खेडी
127) माथनिया
128) मीरपुरा
129) मोडी
130) मोहम्मदपुरा
131) मोतमीदगंज
132) मुमाना
133) मुंडला
134) नगर
135) मायाखेडी
136) नकलंग
137) नौलाई
138) निम्बाहेडा
139) निपानिया
140) मूरपुरा
141) ओडिया खेडी
142) पडियार खेडी
143) पंगारिया
144) पालखन्दा
145) पाऊ खेडीं
146) पीपलिया
147) पेटभर
148) पूरा
149) राजाखेडी
150) राजपुरा
151) राजपुरा
152) राजपुरा
153) रमाय दलपत
154) रमाय माहु
155) रामपुरियां
156) रामपुरियां
157) रामटी
158) रसुलपुरा
159) रावल
160) रूपाखेडी
161) रूपाखेडी
162) रूपारेल
163) रूपपुरा.
164) सामिया
165) रूपपुरा
166) सनोरिया
167) सारंगा खेडा
168) सरखेडी
169) सरोनिया
170) सुरवर
171) सावन्तखेडा
172) सप्यत खेडी
173) सेमली भवानी
174) सेमली चौहान
175) सेमली जन्नार
176) सेमली कल्याण
177) शेरपुर
178) श्यामपुरा
179) सिलौरी
180) सिरपोई खुर्द
181) सोयली
182) सुनारी
183) स्वासडा
184) ताल
185) लेलिया खेडी
186) टिकटिकिया
187) तुलकिया खेडी
188) तुमडिया खेडी
189) उदल्या खेडी
190) वजीरपुरा
191) यशवन्तपुरा

159

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न 86 की सूची

(प्रपत्र–अ)

क्र. सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	कुल भुगतान जो किया गया
1.	खारिया बैंक की मरम्मत का कार्य	मैसर्स इन्द्रसिंह महेन्द्रसिंह जोधपुर	3,41,224/–
2.	मुख्य बांध चैन 10 से 15 पर मुरम सप्लाई करना व बिछाने का कार्य	मैसर्स दीपक श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि. जोधपुर	18,346/–
3.	मुख्य बांध चैन 5 से 10 पर मुरम सप्लाई करना व बिछाने का कार्य	मैसर्स नेशनल श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि. जोधपुर	18,261/–
4.	मुख्य बांध चैन 15 से 21 पर मुरम सप्लाई व बिछाने का कार्य	,,	13,681/–
5.	मुरम सप्लाई एवं बिछाने का कार्य लेफ्ट फ्लेक के ऊपर।	मैसर्स दीपक श्रमिक ठेका सहकारी, समिति लि. जोधपुर।	20,473/–
			4,12,005/–

ह.
अधिशासी अभियन्ता,
जवाई नहर खण्ड
सुमेरपुर

(प्रपत्र–ब)

क्र. सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	कल भुगतान जो किया गया
1	2	3	4
1.	पडासला नहर की मरम्मत आर, डी, 6500 से 78000 गंगावाला के आगे	जोधपुर पब्लिक कोआपरेटिव लि. जोधपुर	25,393/–
2.	पडासला नहर 0 से 8 चैन	बाबूलाल गहलोत	49,290/–
3.	भावी नहर मरम्मत चैन 0 से 8	होडलसिंह	86,105/–
4.	पडासला नहर चैन 8 से 44	जागनाथ ठेका सहकारी समिति लि. जोधपुर	51,161/–
5.	भावी नहर चैन 32 से 60 तक	मैसर्स इन्द्रसिंह महेन्द्रसिंह	64,392/–
6.	भावी नहर चैन 68 से 81 तक	जागनाथ ठेका सहकारी समिति लि. जोधपुर	25,240/–
7.	गंगावाला से आगे पडासला नहर 7500 से 9500	श्री धनसिंह सांखला जोधपुर	1,77,540/–
8.	पुरानी भावी चैन 126 से 184 सफाई का कार्य	सरपंच ग्राम पंचायत	4,351/–
9.	पुरानी भावी चैन 184 से 250	श्री होडलसिंह	6,285/–
10.	आर. वी. भावी से मालकोशनी माईनर रिपेयर पडासला नहर	श्री कानाराम अचलूराम	7,727/–
11.	चैन 203 बीयर निर्माण व दीवाल का मरम्मत कार्य	श्री बाबूलाल गहलोत	3,396/–
12.	लिंक चैनल भावी रीच 7965 से 8160 क्षेत्र	मैसर्स दीपक श्रमिक ठेका सहकारी लि.	11,203/–

(161)

1	2	3	4
13.	रीच 8160 से 8640	मैसर्स अजय	27,220/-
	रीच 8640 से 9120	नेशनल ठेका सहकारी स.	27,137/-
	रीच 9120 से 9600	श्री करनीराम	27,220/-
	रीच 9600 से 10080	श्री गंगाराम	27,137/-
	रीच 10080 से 10580	श्री अोमदत टांक	27,220/-
	रीच 10580 से 11040	श्री कानीराम	27,220/-
	रीच 11040 से 11520	श्री गंगाराम	27,220/-
	रीच 11520 से 12000	मैसर्स अजय श्रमिक ठेका	29,700/-
	रीच 12000 से 12350	श्री नेशनल श्रमिक ठेका	20,120/-
	रीच 12350 से 12523	दीपक श्रमिक ठेका	9,677/-
	रीच 0 से 8 चेन पडासला	मैसर्स ज्ञानेश्वर ठेका सहकारी लि.	10,129/-
	डिसिल्टींग पडासला नहर चेन 44 से 80	मैसर्स नेशनल श्रमिक ठेका	12,914/-
		योग	7,85,530/-

ह.
अधिशासी अभियन्ता, जवाई नहर खण्ड,
सुमेरपुर

प्रपत्र–स

NAME OF WORK :– RESTORATION OF KHARLA BANK OF JASWANT SAGAR BUND

S. No.	Item.	Item of work alloted Amount	work actually executed Amount
1	2	3	4
A.	EARTH WORK ON BANK		
1.	Execution in hard hard soil dry or moist including dressing & disposal of excavated material within initial lead of 30 m and lift of 1.5 m.	726.00	2661.00
2.	Banching the base and deposting the excavated materials for bund and canals dressing etc complete in hard soil.	3092.00	3303.00
3.	Dismentlling dry syone masonry & pitching	204.00	146.00
4.	(a) Earth work for dams in moist or dry each including breaking of clods laying in layers of 15 cm thickness with dressing and the require of profile compaction of each layer with sheep foot rollers to obtain a dry density of about 1.8 with initial lead of 30 meter and initial lead of 1.5 meter (excluding charges	123238.00	125800.00

1	2	3	4
	for watering and consolidation) in hard soil.		
	(b) Extra lead of 2km kaccha	164938	168368 28
	(c) Once extra lift of 1.5 m.	6199.00	6582.40
5.	Excavation in hard soil dry or moist including dressing and disposals of excavated material with initial lead of 30 m and lift of 1.5 m.	3330.00	
6.	Excavation in loose soil, sand silt pebbles and river boulders dry or moist including disposal of excavated material within initial lead of 30 m and lift of 1.5 m.	—	3021.48
	B– Pitching.		
1.	Excavation in hard soil dry or moist including dressing and disposal of excavated material within initial lead of 30 m and lift of 1.5 m.	257.00	
2.	Dry boulder filling in required profile with filling of voids etc. complete including all lifts and leads of material as per lead statement.	2121.00	
3.	supplying & lying quarry spalls properly graded but not more than 10 cum in size with spreading in re-	9046.00	7616.25

1	2	3	4
	quired profile including all lifts and leads of material as per leads statements.		
4.	Dry stone pitching or kharanja hammer dressed with packing of voids with small stone including all lifts in required profile and leads of material as per lead statement 20 c. m. depth.	25438.00	30241.19
	C–FILTER TOE		
1.	Excavation in hard soil dry or moist including dressing and disposal of excavated material with initial leads of 30 m and lifts of 1.5 m	1491.00	
2.	Supplying and laying sand in required profile including all lifts and leads of material as per lead statement.	9532.00	1101.30
3.	Supplying and laying ballast of size 30 to 50 cm in layers and in required profile as per design includiug all lift & leads of materials as per lead statement.	14742.50	10738.83
4.	Dry boulder filling in required profile with filling of voids etc. complete including all lifts and lead of material as per lead statement.	11599.00	13500.98

(165)

1	2	3	4
	D– CUT OFF WALL		
1.	Random rubble stone masonry in cement mortar (1:6) for foundation excluding curing including all lifts and leads of material as per lead statement.	11916.00	23921.33
2.	Difference of rate of stone carriage from Jodhpur instead of Benjra quarry as per agreement.	—	19551.26
	GRAND TOTAL	397849.00	426554.50
	Deduct tender premium 20%	79970.00	85310.00
		318279.00	341244.50
		Say	341244/-

प्रपत्र-ब

क्र. सं.	काश्तकार का नाम	रकम
1.	श्री नेना पुत्र भूरा, श्री जोगा पुत्र भारमल, श्री रामचन्द्र पुत्र श्री सूगा गांव उडलियावास	4,850/-
2.	श्री हिम्मतराम, पूनाराम पुत्र श्री किशना सिरवी गांव बांकड़ो	2,225/-
3.	श्री तेजाराम पुत्र कुनाराम गांव उड़लियावास	2475/-
4.	श्री पूना पुत्र नन्दा गांव उड़लियावास	375/-
5.	श्री नारायण, शंकर पुत्र श्री सूरा जाट गांव उड़लियावास	650/-
6.	श्री पुरखा हरजी, भोला, अन्दा, सोमिया, कूनिया पुत्र श्री प्रभू गांव उड़लियावास	650/-
7.	श्री लच्छा, सूरा, हिम्मता, छोटा पुत्र श्री खूमा, माला पुत्र श्री संगा, सिम्भू पुत्र श्री पिथा, बालेया पुत्र प्रभू गांव उड़लियावास	650/-
8.	श्री शिवनाथराम पुत्र श्री विजाराम, भूराराम पुत्र नेनाराम गूजर गांव खीरिया मिठापुरा	4,925/-
9.	श्री रामा पुत्र श्री प्रेमा गांव उड़लियावास	600 -
10.	श्री दाना पुत्र नेवला गांव उड़लियावास	935 -
	योग	18,335 -

ह.
अधिशासी अभियन्ता,
जवाई नहर खंड,
सुमेरपुर

(167)

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 89 की सूची

स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित प्रौढ़ कार्यक्रम 1978-79

क्र. सं.	स्वैच्छिक संस्था का नाम	केन्द्र जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये
1	2	3
1.	खेराड़ ग्रामोद्योग संघ, सांभर अजमेर	30
2.	मेरवाड़ा खादी गामोद्योग समिति, ब्यावर	30
3.	खादी ग्रामोद्योग विकास संघ, फतेहगढ़	30
4.	अजमेर प्रौढ़ शिक्षण समिति, अजमेर	20
5.	जिला खादी ग्रामोद्योग संघ अलवर	30
6.	ग्रामोद्योग, समिति, बांसवाड़ा	30
7.	बांसवाड़ा जिला सर्वोदय मण्डल, परतापुर बांसवाड़ा	30
8.	बांसवाड़ा जिला सेवा संघ, परतापुर, बांसवाड़ा	30
9.	खादी ग्रामोद्योग समिति, वैर (भरतपुर)	30
10.	भरतपुर जिला खादी ग्रामोद्योग समिति, भरतपुर	30
11.	सेवा सदन, भीलवाड़ा	30
12.	ग्राम सेवा समिति जहाजपुर भीलवाड़ा	30
13.	खादी ग्रामोद्योग उत्पादक सहकारी समिति, रुपाहेड़ी, भीलवाड़ा	30
14.	बीकानेर जिला सर्वोदय मण्डल, बीकानेर	30
15.	भामाशाह भारती केन्द्र, चित्तौड़गढ़	30
16.	जनसेवा मण्डल, महुवा, चित्तौड़गढ़	30
17.	चूरु जिला प्रौढ़ शिक्षण समिति	30
18.	गंगानगर प्रौढ़ शिक्षण समिति	30
19.	राजस्थान खादी संघ, गोविन्दगढ़	30
20.	खादी ग्रामोद्योग, लालसोट	30
21.	राष्ट्रीय कल्याण परिषद, जयपुर।	30
22.	पोकरण खादी ग्रामोद्योग संस्थान, पोकरण, जेसलमेर	30
23.	मरुधर विकास मण्डल, जोधपुर।	30
24.	मारवाड़ खादी संघ, जोधपुर	30
25.	ग्राम सेवा सदन, मलारणा चौढ़ (स. मा.)	30

1	2	3
26.	ग्रामीण नवजागरण संस्थान, करौली	30
27.	नागौर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ नागौर	30
28.	ग्रामोद्योग समिति मारोठ, नागौर	30
29.	ग्राम स्वराज्य समिति, मकराना	30
30.	ग्राम स्वराज्य समिति, लाडनू	30
31.	ग्राम स्वराज्य समिति, डीडवाना	30
32.	विकास समिति, जसवन्तपुरा	30
33	कुचामन विकास समिति, जसवन्तपुरा	30
34.	सघन क्षेत्र योजना समिति, सी मेल, पाली	30
35.	टोंक जिला खादी ग्रामोदय समिति	60
36.	सघन क्षेत्र विकास समिति, राजसमन्द, उदयपुर	60
37.	नव निर्माण संघ, उदयपुर	30
38.	ग्रामोदय विकास मण्डल, देवगढ़	30
39.	राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान, उदयपुर	30
40.	राजस्थान बनवासी कल्याण परिषद, उदयपुर ।	30
41.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षण संस्थान, जयपुर	30
42.	राजस्थान खादी ग्राम विकास मण्डल, गोविन्दगढ़	30

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 90 की सूची

तालिका 'क'

न्याय क्षेत्र की उन कच्ची बस्तियों की गृह निर्माण सहकारी सतितियों की सूची जिनको भूमि आंवटन का कार्य दिया गया है।

क्र० सं०	नाम समिति			बस्ती का नाम
1.	सुदामापुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि०			नाहरी का नाका
2.	विश्वकर्मा गृह निर्माण सहकारी समिति लि०			नाहरी का नाका
3.	ललिता शास्त्री नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि०			नाहरी का नाका
4.	राजेन्द्र नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि०			नाहरी का नाका
5.	बालेश्वर	,,	,,	नाहरी का नाका
6.	ओमशिव	,,	,,	नाहरी का नाका
7.	श्री कृष्ण	,,	,,	नाहरी का नाका
8.	श्री गूजर बस्ती	,,	,,	नाहरी का नाका
9.	बेरियां	,,	,,	,, ,,
10.	महाराणा प्रताप	,,	,,	,, ,,
11.	मीणां	,,	,,	,, ,,
12.	बिल्लेश्वर शिव	,,	,,	,, ,,
13.	इन्दिरा	,,	,,	,, ,,
14.	प्रेम नगर	,,	,,	,, ,,
15.	सीकर हाऊस	,,	,,	,, ,,
16.	शान्ति नगर	,,	,,	,, ,,
17.	बलाई बस्ती	,,	,,	,, ,,
18.	बस्सी सीतारामपुरा 'ए'	,,	,,	,, ,,
19.	दयाल भवन	,,	,,	बड़ोदिया बस्ती
20.	अरविन्द नगर	,,	,,	बड़ोदिया बस्ती
21.	स्वामी कच्ची बस्ती	,,	,,	स्वामियों की बस्ती झोटवाड़ा रोड
22.	विकास भवन	,,	,,	हथरोई पी एन्ड टी के सामने

1	2		3
23. हसनपुरा 'ए' गृह निर्माण सहकारी समिति लि०			एन. बी. सी. के पास
24. हसनपुरा 'बी'	,,	,,	खातीपुरा रोड के पूर्व में रेगर बस्ती
25. हसनपुरा 'सी'	,,	,,	खातीपुरा रोड
26. संतोष नगर	,,	,,	नाटाणियों का बाग
27. विजय	,,	,,	बाइस गोदाम
28. गणपति	,,	,,	पुरोहित का बाग, बाइस गोदाम
29. मदरामपुरा	,,	,,	मदरामपुरा अजमेर रोड
30. मुख्य नगर मदरामपुरा	,,	,,	,, ,,
31. सुन्दर नगर	,,	,,	,, ,,
32. इन्दिरा श्रमिक	,,	,,	अजमेर रोड
33. लक्ष्मी	,,	,,	लक्ष्मी नगर
34. मुख्य सोडाला	,,	,,	अजमेर रोड
35. अशोकपुरा	,,	,,	अजमेर रोड
36. नेहरु नगर	,,	,,	अजमेर रोड
37. रामराजपुरा	,,	,,	अजमेर रोड
38. फतेहनगर	,,	,,	रेलवे स्टेशन के पास
39. हथरोई बावडी	,,	,,	हथरोई अजमेर रोड
40. जवाहरपुरी	,,	,,	परसरामपुरी
41. अम्बेश्वर	,,	,,	फतेहटीबा श्मशान के पास
42. हरि नगर ,,	,,	,,	सेन्टेंजिला स्कूल के पास
43. विवेकानन्द	,,	,,	कचरा बस्ती
44. शिवशंकर	,,	,,	धन्नादास की बगीची
45. धन्नादास की बगीची	,,	,,	धन्नादास की बगीची
46. कैलाशपुरी	,,	,,	मुस्लिम स्कूल के पीछे
47. बासवदनपुरा	,,	,,	फकीरों की डूंगरी
48. श्यामपुरी लक्ष्मीपुरी	,,	,,	हीदा की मोरी बाहर श्यामपुरी
49. गौतम बुद्ध	,,	,,	गौतम नगर
50. महावीर	,,	,,	गौतम नगर
51. बरकत कालोनी	,,	,,	पोलोविक्ट्री के पास
52. बापू पुरा	,,	,,	पोलोविक्ट्री के पास
53. कस्साबपुरा	,	,,	कस्साबपुरा एम. आई. रोड
54. शिवशक्ति	,,	,,	नाहरी का नाका
55. गोवर्धनपुरी	,,	,,	गलता घाटी

(171)

तालिका 'ख'

न्यास क्षेत्र की कच्ची बस्तियों में पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समितियों की सूची

क्र० सं०	समिति का नाम	बस्ती का नाम
1.	सुदामापुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि०	नाहरी का नाका
2.	नवयुवक ,, ,, ,,	,, ,,
3.	विश्वकर्मा ,, ,, ,,	,, ,,
4.	आजाद ,, ,, ,,	,, ,,
5.	ललिता शास्त्री,, ,, ,,	,, ,,
6.	राजेन्द्रनगर ,, ,, ,,	,, ,,
7.	बालेश्वर ,, ,, ,,	,, ,,
8.	ओम शिव ,, ,, ,,	,, ,,
9.	लोकनायक व्यास कालोनी गृ० नि० स० स०	,, ,,
10.	श्री कृष्ण गृह निर्माण सहकारी समिति लि०	,, ,,
11.	गूजर बस्ती ,, ,, ,,	,, ,,
12.	बेरियां ,, ,, ,,	,, ,,
13.	टैगोर ,, ,, ,,	,, ,,
14.	महाराणा प्रताप ,, ,,	,, ,,
15.	मीणां ,, ,, ,,	,, ,,
16.	बिल्लेश्वर शिव ,, ,,	,, ,,
17.	इन्दिरा ,, ,,	,, ,,
18.	प्रेम नगर ,, ,,	,, ,,
19.	सीकर हाऊस ,, ,,	,, ,,
20.	शांति नगर ,, ,,	,, ,,
21.	बलाई बस्ती ,, ,,	,, ,,
22.	बस्सी सीताराम पुरा गृ० नि० स० स०	बस्सी सीतारामपुरा
23.	बस्सी सीतारामपुरा 'बी' गृ० नि० स० स०	बस्सी सीतारामपुरा
24.	श्रीराम गृह निर्माण सहकारी समिति लि०	नाहरी का नाका
25.	दयाल गृह निर्माण सहकारी समिति लि०	बडौदिया
26.	अरविन्द नगर गृह निर्माण सहकारी समिति	बडोदिया
27.	स्वामी कच्ची बस्ती गृह निर्माण सहकारी समिति लि०	स्वामियों की बस्ती झोटवाडा रोड

1	2			3
28.	श्रीराम कालोनी गृह निर्माण सहकारी समिति लि०			शनिश्चर जी मन्दिर के पीछे
29.	विकास भवन	,,	,,	हथरोई पी. एन्ड. टी. के सामने
30.	बुनियादी विकास	,,	,,	अमृतपुरी
31.	नानकपुरी	,,	,,	हथरोई
32.	हथरोई गढ़ी	,,	,,	हथरोई
33.	रघुनाथपुरी	,,	,,	हथरोई
34.	हसनपुरा 'ए'	,,	,,	एन० बी० सी० के पास हसनपुरा
35.	हसनपुरा 'बी'	,,	,,	खातीपुरा रोड के पूर्व में रेगर बस्ती
36.	हसनपुरा 'सी'	,,	,,	खातीपुरा रोड
37.	संतोषनगर	,,	,,	नाटाणियों का बाग
38.	वर्मा	,,	,,	नाहरी का नाका
39.	विजय	,,	,,	बाइस गोदाम
40.	गणपति	,,	,,	बाइस गोदाम
41.	मदरामपुरा	,,	,,	मदरामपुरा अजमेर रोड
42.	मुख्यनगर मदरामपुरा	,,	,,	,, ,,
43.	सुन्दर नगर	,,	,,	,, ,,
44.	इन्दिरा श्रमिक	,,	,,	अजमेर रोड
45.	लक्ष्मी गृह	,,	,,	लक्ष्मीनगर
46.	मुख्य सोडाला	,,	,,	अजमेर रोड
47.	अशोकपुरा	,,	,,	अजमेर रोड
48.	बैकुन्ठ नगर	,,	,,	अजमेर रोड
49.	नेहरू नगर	,,	,,	अजमेर रोड
50.	शिवाजी नगर	,,	,,	अजमेर रोड
51.	रामराजपुरा	,,	,,	अजमेर रोड
52.	फतेहनगर	,,	,,	जयपुर रेलवे स्टेशन
53.	हथरोई बावड़ी	,,	,,	हथरोई अजमेर रोड
54.	वैद्यपुरी	,,	,,	आमागढ़ रोड
55.	नृसिंहपुरी	,,	,,	टीबा नायकान
56.	रामदेवपुरी	,,	,,	टीबा नायकान
57.	जवाहरपुरी	,,	,,	परसरामपुरी
58.	अम्बेश्वर	,,	,,	फतेहटीबा श्मशान के पास

(173)

1	2			3
59.	दयानन्दपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.			फतेहटीबा श्मशान के पूर्व में
60.	हरी नगर	,,	,,	सेन्टऐंजिला स्कूल के पास
61.	शिवनगर	,,	,,	,, ,,
62.	सुत्तर खाना	,,	,,	जनता कालोनी बिस्तार
63.	विवेकानन्द	,,	,,	कचरा बस्ती श्मशान रोड
64.	शिवशंकर	,,	,,	धन्नादास की बगीची
65.	धन्नादास की बगीची	,,	,,	धन्नादास की बगीची
66.	कैलाशपुरी	,,	,,	मुस्लिम स्कूल के पीछे
67.	बासबदनपुरा	,,	,,	फकीरों की डूंगरी
68.	श्यामपुरी लक्ष्मीपुरी	,	,,	श्यामपुरी हीदा की मोरी बाहर
69.	सूरज नगर	,,	,,	नाग तलाई
70.	लक्ष्मण डूंगरी	,,	,,	ईदगाह के सामने लक्ष्मण डूंगरी
71.	अमृतपुरी विकास	,,	,,	अमृतपुरी
72.	लाल कोठी	,,	,,	लाल कोठी टोंक रोड
73.	लाखा जी की ढाणी	,,	,,	लाखा जी की ढाणी टोंक रोड
74.	गौतमबुद्ध	,,	,,	गौतम नगर टोंक रोड
75.	महावीर	,,	,,	गौतम नग‘ टोंक रोड
76.	मालवीया नगर	,,	,,	ओ० टी० एस० के सामने
77.	बरकत कालोनी	,,	,,	पोलोविक्ट्री के पास
78.	बापू पुरा	,,	,,	पोलोविक्ट्री के पास
79.	कस्साबपुरा	,,	,,	कस्साबपुरा एम. आई. रोड
80.	पटेल नगर	,,	,,	नाहरी का नाका
81.	शिवशक्ति	,,	,,	नाहरी का नाका
82.	मेजर खन्ना	,,	,,	पांच बत्ती के पास
83.	लंकापुरी	,,	,,	नाहरी का नाका
84.	सीतारामपुरी	,,	,,	सीताराम बद्रीनारायण की डूंगरी
85.	करतारपुरा	,,	,,	अजमेर रोड
86.	गोवर्धनपुरी	,,	,,	गल्ताघाटी कच्ची बस्ती
87.	मंडी खटीकान	,,	,,	मंडी खटीकान
88.	भैरव नगर	,,	,,	स्वामियों की बस्ती झोटवाडा रोड
89.	महात्मा गांधी	,,	,,	टंकी के पास एस. एम. एस. हाइवे

तालिका 'ग'

न्यास क्षेत्र की उन कच्ची बस्तियों की उन गृह निर्माण सहकारी समितियों की सूची जिसमें आवंटन की कार्यवाही न्यास द्वारा पूर्ण करली गई है।

क्र. सं.	नाम समिति			वस्ती का नाम
1.	विश्वकर्मा गृह निर्माण सहकारी समिति लि.			नाहरी का नाका
2.	ललिता शास्त्री	,,	,,	नाहरी का नाका
3.	राजेन्द्र नगर	,,	,,	नाहरी का नाका
4.	बालेश्वर	,,	,,	नाहरी का नाका
5.	ओमशिव	,,	,,	नाहरी का नाका
6.	गूजर	,,	,,	नाहरी का नाका
7.	बिल्लेश्वर शिव	,,	,,	नाहरी का नाका
8.	इन्दिरा	,,	,,	नाहरी का नाका
9.	दयाल भवन	,,	,,	बडोदिया वस्ती
10.	अरविन्द नगर	,,	,,	बडोदिया वस्ती
11.	स्वामी कच्ची वस्ती		,,	स्वामियों की बस्ती झोटवाडा रोड
12.	विकास भवन	,,	,,	हथरोई पी एण्ड टी के सामने
13.	हसनपुरा 'ए'	,,	,,	एन.बी.सी. के पास
14.	हसनपुरा 'बी'	,,	,,	खातीपुरा रोड के पूर्व में रेगर बस्ती
15.	हसनपुरा 'सी'	,,	,,	खातीपुरा रोड
16.	संतोष नगर	,,	,,	नाटानियों का बाग
17.	विजय	,,	,,	बाइस गोदाम
18.	मदरामपुरा	,,	,,	मदरामपुरा अजमेर रोड
19.	मुख्य नगर मदरामपुरा		,,	मदरामपुरा अजमेर रोड
20.	सुन्दर नगर	,,	,,	मदरामपुरा अजमेर रोड
21.	लक्ष्मी	,,	,,	लक्ष्मी नगर
22.	नेहरू नगर	,,	,,	अजमेर रोड
23.	रामराजपुरा	,,	,,	रामराजपुरा राकडी अजमेर रोड

1	2			3
24.	फतेह नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि.			रेलवे स्टेशन के पास
25.	हथरोई बावडी	,,	,,	हथरोई अजमेर रोड
26.	जवाहरपुरी	,,	,,	परसरामपुरी
27.	अम्बेश्वर	,,	,,	फतेहटीबा श्मशान के पास
28.	हरिनगर	,,	,,	सेन्टजिला स्कूल के पास
29.	शिवशंकर	,,	,,	धन्नादास की बगीची
30.	धन्नादास की बगीची	,,	,,	धन्नादास की बगीची
31.	गौतमबुद्ध	,,	,,	गौतम नगर
32.	महावीर	,,	,,	गौतम नगर
33.	बरकत कालोनी	,,	,,	पोलोविक्ट्री सिनेमा के पास
34.	बापूपुरा	,,	,,	,, ,,
35.	शिवशक्ति	,,	,,	नाहरी का नाका

तालिका 'घ'

न्यास क्षेत्र की उन गृह निर्माण सहकारी समितियों की सूची जिनमें न्यास द्वारा आवंटन की कार्यवाही की गई है लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुई है।

क्र० सं०	समिति का नाम			वस्ती का नाम
1.	सुदामापुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि०			नाहरी का नाका
2.	श्री कृष्ण	,,	,,	नाहरी का नाका
3.	वेरियां	,,	,,	नाहरी का नाका
4.	महाराणा प्रताप	,,	,,	नाहरी का नाका
5.	मीणा	,,	,,	,, ,,
6.	प्रेम नगर	,,	,,	,, ,,
7.	सीकर हाउस	,,	,,	,, ,,
8.	शान्ति नगर	,,	,,	,, ,,
9.	बलाई वस्ती	,,	,,	,, ,,
10.	बस्सी सीतारामपुरा 'ए'		,,	बस्सी सीतारामपुरा
11.	गणपति	,,	,,	बाइस गोदाम पुरोहित का बाग
12.	इन्दिरा श्रमिक	,,	,,	अजमेर रोड
13.	मुख्य सोडाला	,,	,,	अजमेर रोड
14.	अशोकपुरा	,,	,,	अजमेर रोड
15.	कैलाशपुरी	,,	,,	मुस्लिम स्कूल के पीछे
16.	बासबदनपुरा	,,	,,	फकीरों की डूंगरी
17.	श्यामपुरी लक्ष्मीपुरी		,,	हीदा की मोरी बाहर श्यामपुरी
18.	विवेकानन्द	,,	,	कचरा वस्ती
19.	कस्साबपुरा	,,	,,	कस्साबपुरा एम आई रोड
20.	गोवर्धनपुरी	,,	,,	गलता घाटी कच्ची वस्ती

तालिका 'ब'

क्रमांक	नाम समिति			बस्ती का नाम
1.	ललिता शास्त्री गृह निर्माण	सहकारी	समिति लि.	नाहरी का नाका
2.	धूलेश्वर ,,	,,	,,	,,
3.	ओमशिव ,,	,,	,,	,,
4.	श्रीकृष्ण गूजर बस्ती	,,	,,	,,
5.	महाराणा प्रताप	,,	,,	,,
6.	बिल्लेश्वर शिव ,,	,,	,,	,,
7.	इन्दिरा ,,	,,	,,	,,
8.	प्रेमनगर ,,	,,	,,	,,
9.	सीकर हाउस ,,	,,	,,	,,
10.	शान्ती नगर ,,	,,	,,	,,
11.	बलाई बस्ती ,,	,,	,,	,,
12.	दयाल भवन ,,	,,	,,	बड़ोदिया बस्ती
13.	अरविन्द नगर ,,	,,	,,	,,
14.	स्वामी कच्ची बस्ती	,,	,,	स्वामियों की बस्ती झोटवाडा रोड
15.	विकास भवन ,,	,,	,,	हथरोई पी. एन्ड टी. के सामने
16.	हसनपुरा बी ,,	,,	,	खातीपुरा रोड के पूर्व में रेगर बस्ती
17.	हसनपुरा सी ,,	,,	,,	,,
18.	सन्तोष नगर ,,	,,	,,	नाटाणियों का बाग
19.	मदरामपुरा ,,	,,	,,	मदरामपुरा अजमेर रोड
20.	मुख्य नगर मदरामपुरा	,,	,,	,,
21.	सुन्दर नगर ,,	,,	,,	लक्ष्मी नगर
22.	लक्ष्मी ,,	,,	,,	,,
23.	फतेहनगर ,,	,	,,	रेलवे स्टेशन के पास
24.	हथरोई बावड़ी ,,	,,	,,	हथरोई अजमेर रोड

क्रमांक	नाम समिति				बस्ती का नाम
25.	जवाहरपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.				परसरामपुरी
26.	विवेकानन्द	,,	,,	,,	कचरा बस्ती
27.	शिवशंकर	,,	,,	,,	धन्नादास की बगीची
28.	धन्नादास की बगीची		,,	,,	धन्नादास की बगीची
29.	बासबदनपुरा		,,	,,	फकीरों की डूंगरी
30.	श्यामपुरी लक्ष्मीपुरी		,,	,,	हीदा की मोरी बाहर श्यामपुरी
31.	शिवशक्ति	,,	,,	,,	नाहरी का नाका
32.	गोवर्धनपुरी	,,	,,	,,	गलता घाटी

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 95 की सूची

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, उदपुयर (राज०)

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-69

बिन्दु क्रमांक 1 :

विगत 5 वर्षों में उदयपुर नगर के राजकीय विद्यालयों की निरीक्षण तिथियां

क्रमांक	नाम विद्यालय	74-75	75-76	76-77	77-78	78-79
1	2	3	4	5	6	7
1.	उ. मा. वि. कंवरपदा	—	24-11-75	1-2-77	—	—
2.	उ. मा. वि. गुरुगोविन्दसिंह	—	—	30-5-77 1-7-77	—	—
3.	मा. वि. अम्बामाता	—	—	20-7-76	—	2-12-78
4.	मा. वि. फतह	—	10-11-75	8-12-76	2-12-77	—
5.	मा. वि. सविनाखेड़ा	—	—	2-7-76	—	—
6.	मा. वि. धानमण्डी	26-2-75	—	2-7-76	1-7-77	2-12-78
7.	मा. वि. मॉडल	नव क्रमोन्नत विद्यालय		—	30-11-77	27-1-79
8.	मा. वि. देवाली	,,	,,	—	—	20-12-78
9.	मा. वि. प्रतापनगर	,'	,,	—	—	20-1-79
10.	उ. प्रा. वि. भूपालपुरा	11-7-74	14-7-75	—	—	8-12-78
11.	उ. प्रा. वि. भटियानीचोहटा	—	12-7-75	—	10-7-77	—

1	2	3	4	5	6	7
12.	उ. प्रा. वि. गणेशघाटी	—	12–7–75	10–7–76	—	—
13.	उ. प्रा. वि. आयड़	18–7–74	23–7–74	—	—	—
14.	उ. प्रा. वि. बिलोचिस्तान कां.	—	4–1–75	—	—	8–12–78
15.	उ. प्रा. वि. स्टेशन	24–10–74	12–7–75 5–1–76	— 2–6–77	—	12–1–79
16.	उ. प्रा. वि. किशनपोल	—	12–7–75	—	—	—
17.	उ. प्रा. वि. पानेरियों की मादड़ी	28–12–74	12–7–75	—	—	17–8–78
18.	उ. प्रा. वि. गोर्धनविलास	25–7–74	18–7–75	23–8–76	—	30–8–78
19.	उ. मा. वि. रावजी का हाटा	17–2–75	15–10–75	3–7–76	—	—
20.	उ. मा. वि. सूरजपोल टेकरी	11–7–74	12–7–75	—	—	—
21.	उ. प्रा. वि. रेलवे ट्रेनिंग स्कूल	2–8–74	25–11–75	—	—	8–12–78
22.	उ. प्रा. वि. नावघाट	29–8–74	15–11–75	—	—	—
23.	उ. प्रा. वि. नागानगरी	1–10–74	15–11–75	—	—	—
24.	उ. प्रा. वि. मांडल	4–1–75	30–11–75	माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत		
25.	उ. प्रा. वि देवाली	24–3–75	14–7–75		,,	,,
26.	उ. प्रा. वि. प्रताप नगर	28–11–74	12–7–75	2–6–77	21–11–77	मा. वि. में क्रमोन्नत
27.	प्रा. वि. भटियानी चौ.	—	9–7–75	20–8–76	25–7–77	—
28.	प्रा. वि. सिंध विद्यापीठ	10–1–75	26–8–75	2–7–76	3–8–77	2–5–78

1	2	3	4	5	6	7
29.	प्रा. वि. सुथारों की घाटी	28–10–74	2–7–75	16–8–76	27–8–77	22–11–78
30.	प्रा. वि नानीगली	9–12–74	2–7–75	17–8–76	9–3–78	—
31.	प्रा. वि. सिटी नं० 8	—	6–8–75	31–1–77	22–9–77	22–9–78
32.	प्रा. वि. दांताभेरू	2–1–75	2–1–76	31–1–77	—	5–1–79
33.	प्रा. वि. भोईवाड़ा	—	17–7–75	—	17–2–78	23–12–78
34.	प्रा. वि. आजाद नगर	—	21–11–75	—	26–8–77	21–12–78
35.	प्रा. वि. विश्वविद्या भवन	—	12–11–75	—	21–9–77	29–4–78
36.	प्रा. वि. वार्ड नं० 3	13–12–74	22–11–75	20–9–76	11–10–77	15–4–78
37.	प्रा. वि. वारियों की घाटी	12–10–74	31–3–76	9–10–76	16–3–78	25–7–78
38.	प्रा. वि. सिटी पं० 7	21–10–74	9–2–76	25–11–76	16–3–78	30–11–78
39.	प्रा. वि. मालदास की सेहृ०	31–11–74	10–12–75	6–10–76	6–7–77	23–12–78
40.	प्रा. वि. हाथी पोल	12–12–74	10–12–75	10–3–77	21–3–78	—
41.	— सिघटवाडियों की सेहरी	31–12–74	27–1–76	18–9–76	13–8–77	2–5–78
42.	प्रा. वि. वार्ड नं० 4	25–1–75	31–3–76	5–11–76	9–3–78	—
43.	प्रा. वि. गुन्दिया भेरू	—	26–8–75	8–2–77	17–2–78	25–7–78
44.	प्रा. वि. वार्ड नं० 8	20–12–74	22–10–75	13–9–76	3–3–78	21–12–78

1	2	3	4	5	6	7
45.	प्रा. वि. अशोक नगर	—	17–12–75	10–3–77	—	—
46.	प्रा वि. चाँदपोल	21–2–75	21–10–75	31–1–77	1–10–77	10–1–79
47.	प्रा. वि. ठक्कर बापा कां०	—	30–3–76	—	30–3–78	5–2–79
48.	प्रा. वि. सुन्दरवास	—	9–7–75	—	28–7–77	12–1–79
49.	प्रा. वि. सिक्ख कॉलोनी	—	10–2–76	—	25–8–77	5–1–79
50.	प्रा. वि. कृष्णपुरा	—	2–8–75	23–3–77	23–9–77	22–7–78
51.	प्रा. वि. पुँला	—	3–3–76	24–2–77	—	—
52.	प्रा. वि. अमल का काटा	—	22–11–75	2–7–76	3–7–77	21–12–78
53.	प्रा. वि. सिटी नं. 6	5–10–74	30–9–75	12–3–77	28–2–78	23–12–78
54.	प्रा. वि. वारीघाट	30–12–74	17–11–75	10–11–76	1–7–77	19–7–78
55.	प्रा. वि. ब्रह्मपोल	9–1–75	11–2–76	20–8–76	4–10–77	7–10–78
56	प्रा. वि. अम्बामाता	10–2–75	6–1–76	17–1–77	13–8–77	8–8–78
57.	प्रा. वि. मीनापाड़ा	—	13–2–76	17–3–77	15–7–77	—
58.	प्रा. वि. लम्बरदार ब्रांच	—	13–8–75	—	10–3–78	1–7–78
59.	प्रा. वि. पंचवटी	—	16–8–75	—	4–7–77	12–8–78
60.	प्रा. वि. मधुवन	—	23–3–76	22–3–77	21–3–78	25–1–79

1	2	3	4	5	6	7
61.	प्रा. वि. सरदारपुरा	—	2–7–75	27–8–76 3–3–77	—	14–9–78
62.	प्रा. वि. पुरोहितों का माद.	—	10–2–76	—	24–9–77	13–2–79
63.	प्रा. वि. धानमण्डी	6–12–74	23–3–76	15–7–77	17–3–78	23–8–78
64.	प्रा. वि. खेमपुरा	—	22–10–75	24–3–77	8–9–77	26–7–78
65.	प्रा. वि. हिरणमगरी सें. 4	—	17–1–76	9–3–77	20–9–77	12–7–78
66.	प्रा. वि. निमचमाता कॉलोनी	13–1–75	5–1–76	27–8–76	8–11–77	6–7–78
67.	प्रा. वि. सवीनाखेड़ा	—	3–2–76	2–7–76	17–3–78	19–12–78
68.	प्रा. वि. शिवाजी नगर	—	13–8–75	4–3–77	—	—
69.	प्रा. वि. गणेश नगर	—	—	31–8–76	20–9–77	—
70.	प्रा. वि. पहाड़ा	—	12–7–75	15–2–77	4–3–78	11–7–78

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न 96 की सूची

नोखा एवं कोलायत तहसील के गांवों की सूची जिनमें गत दो वर्षों में जल वितरण किया गया है।

क्र. सं.	नाम योजना	तहसील	ग्राम
1.	क्षेत्रीय योजना गुंडा	कोलायत	1–लाखासर 2–गंगरापुरा 3–सिदुका
2.	विस्तार योजना गडियाली से बंगरासर	कोलायत	1–बंगरासर
3.	विस्तार योजना क्षेत्रीय गजनेर	कोलायत	1–भोलासर भूदान 2–भोलासर चौहान 3–भोजासर
4.	क्षेत्रीय योजना जयसिंह देसर मगरा	नोखा	1–किशन सर
5.	क्षेत्रीय योजना सेना वाला मेहरानसर	नोखा	1–मेहरानसर 2–लालासर
6.	विस्तार योजना रोडा	नोखा	1–कंवालीसर
7.	विस्तार योजना सवाईसर	नोखा	1–राईसर
8.	विस्तार योजना हिदादेसर	नोखा	1– हिदादेसर (वर्ष 78–79 में स्वीकृत की गई)

जिला आयोजना समिति द्वारा प्रस्तावित नोखा तहसील एवं कोलायत तहसील के ग्रामों की सूची जिन पर नई योजनायें स्वींकृत करते समय विचार किया जायेगा।

योजना का नाम	तहसील	गांवों के नाम	आबादी
हनसासर	नोखा	1–हन्सासर	953
		2–खेमासर	311

185

1	2	3	4
		3-चारकडा	1674
		4-डावा	1169
		5-ककू	3841
		6-सारडा	2714
		7-भावला	2152
		8-उदासर	1259
		9-धारनोक	1042
		10-साउन्डा	एन. ए.
		11-नैसिग देसरमागवा	1748
		12-उदासर	919
		13-मोखा ग्राम	1442
		14-रामडा	एन. ए.
		15-धाटू	1047
		16-नाथूसर	1426
		17-सैनोसर	915
		18-कूमासर	536
		19-लूमासर	425
		20-रातडिया	393
		21-धारनोक	1042

78-79 की योजना समिति द्वारा स्वीकृत गांवों की सूची

योजना का नाम	तहसील	गांवों के नाम	जनसंख्या
हन्सासर	कोलायत	1-हाडला हाटियाना	470
		2-हाडला रावतान	260
		3-मोखा	164
		4-चानी	757
		5-सेवडा	913
		6-फूलासर	167
		7-नौखा डेया	261
		8-मानकसर	591

1	2	3	4
		9–पनवारवाला	243
		10–हिरायकिधाणी	एन. ए.
		11–कोटडी	1108
		12–मडवाला	एन. ए.
		13–इन्दूकावाला	149
		14–गोलारी	142
		15–कोटडा	185
		16–बालबाला	41
		17–कोडमदेसर	242
		18–पावूसर	178
		19–स्वरुपदेसर	एन. ए.
		20–करमीसर	63
		21–गजनेर	1627
		22–बिलनोक	1214
		23–माधोगढ़	एन. ए.
		24–मंडलहाटीयान	52
		25–चारनान	616
		26–कोलासर	308
		27–गिरामसर	1920
		28–लम्बाना	237
		29–नावडा	698
		30–सिरवानियां	264
		31–मीयाकोर	348
		32–जिन्दासर	987
		33–खेती लाई उर्जे	31
		34–झूझ	2178
		35–वीयातरी	1348
		36–शेरसनडायन	एन. ए.
		37–रानेरी	140
		38–कन्यावडा	28

निम्न योजना त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है।

क्षेत्रीय योजना गुड़ मोडायत	1–भालूरी(21)	659
	2–शेरुवाला (20)	265
	3–बोजरी (17)	413
	4–गोकल (24)	125
	5–गुड़ू (34)	1350
	6–राऊला (29)	242
	7–मानकसर (38	591)
	8–मोडायत (92)	329
	9–पंवारवाला (91)	243
	10–फलासर छोटा (94)	167
	11–फलासर बड़ा (95)	482

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 97 की सूची)

नौखा एवं कोलायत तहसील के गांवों की सूची जिनमें गत दो वर्षों में जल वितरण किया गया है।

क्र. सं.	नाम योजना	तहसील	ग्राम
1.	क्षेत्रीय योजना गुंडा	कोलायत	1. लाखासर 2. गंगरापुरा 3. सिंदुका
2.	विस्तार योजना गडियाली से बंगरासर	कोलायत	1. बंगरासर
3.	विस्तार योजना क्षेत्रीय गजनेर	कोलायत	1. भोलासर भूदान 3. भोजासर 2. भोलासर चौहान
4.	क्षेत्रीय योजना जयसिंहदेसर मगरा	नौखा	1. किशनसर
5.	क्षेत्रीय योजना सेना वाला मेहरानसर	नौखा	1. मेहरानसर 2. लालासर
6.	विस्तार योजना रोडा	नौखा	1. कंवालीसर
7.	विस्तार योजना सवाईसर	नौखा	1. राईसर
8.	विस्तार योजना हिदादेसर	नौखा	1. हिदादेसर (वर्ष 78–79 में स्वीकृत की गई)

जिला आयोजना समिति द्वारा प्रस्तावित नौखा तहसील एवं कोलायत तहसील के ग्रामों की सूची जिन पर नई योजनायें स्वीकृत करते समय विचार किया जायेगा।

योजना का नाम	तहसील	गांवों के नाम	आबादी
हन्सासर	नौखा	1. हन्सासर	953

1	2	3	4
		2. खेमासर	311
		3. चाराकडा	1674
		4. डावा	1169
		5. कक्कू	3841
		6. सारडा	2714
		7. भावला	2152
		8. उदासर	1259
		9. घारनोक	1042
		10. साउन्डा	एन. ए.
		11. नैसिंग देसरमागवा	1748
		12. उदासर.	919
		13. मोखा ग्राम	1442
		14. रामडा	एन. ए.
		15. घाट्ट	1047
		16. नाथूसर	1426
		17. सैनीसर	915
		18. कूमासर	536
		19. लूमासर	425
		20. रातडिया	393
		21. धारनोक	1042

78–79 की योजना समिति द्वारा स्वीकृत गांवों की सूची

योजना का नाम	तहसील	गावों के नाम	जनसंख्या
हुम्सासर	कोलायत	1. हाडला हाटि	470
		2. हाडला रावतान	260
		3. नौखा	164
		4. चानी	757
		5. सेवडा	913
		6. फूलासर	167

1	2	3	4
		7. नोखा डेया	261
		8. मानकसर	591
		9. पनवारबाला	243
		10. हिरायकिघाणी	एन. ए.
		11. कोटडी	1108
		12. मडवाला	एन. ए.
		13. इन्दूकाबाला	149
		14. गोलारी	142
		15. कोटडा	185
		16. बालवाला	41
		17. कोडमदेसर	242
		18. पावुसर	178
		19. स्वरूपदेसर	एन. ए.
		20. करमीसर	63
		21. गजनेर	1627
		22. बिलनोक	1214
		23. माघोगड़	एन. ए.
		24. मंडलहाटीयान	52
		25. चारनान	616
		26. कोलासर	308
		27. गिरामसर	1920
		28. लम्बानर	237
		29. नावडा	698
		30 सिरवानिया	264
		31. मीयाकोर	348
		32. जिन्दासर	987
		33. खेतीलाई उर्ज	31
		34. झूझ	2178
		35. बोयातरी	1348
		36. शेरसनडायन	एन. ए,
		37. रागेरी	140
		38. कन्यावडा	28

निम्न योजना त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु की गई है।

क्षेत्रीय योजना गुडू मोडायत	1. भालुरी (21)	659
	2. शेरवाला (20)	265
	3. बोजरी (17)	473
	4. गोकल (24)	125
	4. गुडू (34)	1350
	6. राऊला (29)	242
	7. मानकसर (38)	591
	8. मोडायत (92)	329
	9. पंवारवाला (91)	243
	10. फलासर छोटा (94)	167
	11. फलासर बडा (95)	482

परिशिष्ट–12

मलेरिया विभाग में बकाया यात्रा भत्ता की तालिका

क्र.सं.	जिले का नाम	कर्मचारियों की संख्या	बकाया राशि 1974	1975	1976	1977	1978	1979	कुल राशि	बकाया के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ग्रजमेर	139	5,000–00	–	—	8949–27	29,505–07	–	43,454–34	बजटकेग्रभावमें
2.	ग्रलवर	213	–	–	—	404–37	53,612–17	315–06	54,331–60	बजट देरी से प्रस्तुत
3.	भरतपुर	197	–	–	—	2211–40	60,312–71	1275–89	63,800–00	,, ,,
4.	बाडमेर	148	–	8,787–87	147–25	548–65	20,379–43	2235–75	32,098–95	,, ,,
5.	बांसवाड़ा	—	–	–	—	—	–	–	—	—
6.	भीलवाड़ा	155	19,000–00	–	—	19,808–86	28,431–31	–	67,247–17	बजटका ग्रभाव /प्री-ग्राडिट
7.	बून्दी	20	–	–	—	—	4,189–00	306–00	4,495–00	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	बीकानेर	93	–	606–26	1644–68	7797–38	19,639–77	891–18	30,691–97	बजटका अभाव /देरीसे आना
9.	चित्तौड़गढ़	132	–	–	155–38	879–74	19,250–88	8960–00	29,246–00	बजटका अभाव /प्रीआडिट
10.	चूरू	—	–	–	—	—	–	–	—	—
11.	डूंगरपुर	43	–	–	—	1101–40	10,874–00	128–60	12,104–00	बजटका अभाव /प्रिआडीट
12.	गंगानगर	197	–	–	—	—	37,876–79	2145–12	40,021–91	बजटका अभाव
13.	जयपुर	214	2,066–53	726–09	2,931–24	18904–94	32,007–49	–	56,983–89	बजटका अभाव /देरी से प्रस्तुत
14.	जैसलमेर	35	–	–	—	617–70	12,920–97	1216–90	14,755–57	बजटका अभाव /प्रीआडिट
15.	जालौर	73	–	–	—	—	18,704–72	404–28	19,109–00	,, ,,
16.	झुन्झुनूं	97	–	–	45–00	1712–92	23,868–73	2053–35	27,680–00	बजट देरी से प्रस्तुत
17.	जोधपुर	117	–	–	—	712–36	18,589–49	1323–69	20,625–54	बजटका अभाव /प्रीआडिट
18.	झालावाड़	106	–	–	—	—	17,268–00	413–00	17,681–00	,, ,,
19.	कोटा	157	–	–	—	—	35,165–20	688–09	35,853–29	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	नागौर	170	–	–	—	—	28,537–75	3670–88	32,208–63	बजट काअभाव
21.	पाली	—	–	–	—	—	–	–	—	— —
22.	स. माधोपुर	121	–	–	—	—	25,041–59	2140–41	27,182–00	बजटका अभाव /प्रीआडिट
23.	सीकर	121	–	–	—	—	20,106–26	2100–76	22,207–02	बजटका अभाव /देरी से आना
24.	सिरोही	125	219–81	416–91	150–25	165–44	7,524–19	1523–40	10,000–00	बजटकाअभाव /प्रीआडिट
25.	टौंक	98	–	–	—	—	23,711–14	–	23,771–14	„ „
26.	उदयपुर	138	–	40–00	2070–00	23196–00	35,078–80	–	60,385–40	„ „
	योग :—	3009	26,286–34	10577–13	7144–40	87,010–43	583122–76	31792–26	7,45,933–42	

परिशिष्ट 13

पीपल्दा क्षेत्र की सहकारी समिति के सदस्यों में 5000/- रु० तथा अधिक बकाया राशि की सूची

क्र. सं.	नाम सदस्य मय वल्दियत	जाति	ग्राम	बकाया राशि	कितने समय से बकाया है
1	2	3	4	5	6
(1) तालाब ग्राम सेवा सहकारी समिति					
1.	मदनगोपाल/लक्ष्मीनारायण	ब्राह्मण	तालाब	5240/-	2 वर्ष से
2.	देवकी नन्दन/मदनगोपाल	,,	,,	5140/-	2 वर्ष से
3.	मोतीलाल/बद्रीलाल	धाकड़	सम्मानपुरा	6268/-	2 वर्ष से
4.	शिवनारायण/बद्रीलाल	,,	,,	5153/-	1 वर्ष से
5.	सीताराम/घासीलाल	ब्रा०	खंजारी	6625/-	,,
6.	ओमप्रकाश/मदनमोहन	महाजन	खातोली	5785/-	3 वर्ष से
7.	गोपाल/रघुनाथ	धाकड़	सम्मानपुरा	5092/-	2 वर्ष से
8.	तुलसीराम/रामगोपाल	खाती	,,	8103/80	,,
9.	नन्दा/गोपाल	धाकड़	,,	5232/40	,,
10.	सत्यचन्द/प्रभूलाल	महाजन	तालाब	5996/-	3 वर्ष से
11.	रमेशचन्द/मदनमोहन	,,	खातोली	5620/-	,,
12.	धनराज/कल्याण	धाकड़	सम्मानपुरा	8025/-	2 वर्ष से
13.	कन्हैयालाल/रामकरण	,,	,,	5598/-	,,
14	केशरीलाल/देवीलाल	,,	तालाब	6610/55	,,
(2) गणेश गंज ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०					
1.	चन्दालाल/किशनलाल	मीणा	गणेशगंज	5577/-	1 वर्ष से
2.	श्रीकृष्ण/जगन्नाथ	,,	खोड़ावदा	7405/-	,,

1	2	3	4	5	6
(3) बगली ग्राम सेवा सहकारी समिति					
1.	हरिसिंह/जगन्नाथ	राजपूत	बगली	7686/–	2 वर्ष से
2.	रणवीरसिंह/गोर्वधनसिंह	,,	उदयपुरिया	6216/–	1 वर्ष से
(4) बिनायका ग्राम सेवा सहकारी समिति					
1.	सुखपाल/मथुरालाल	मीणा	बिनायका	5232/–	1 वष से
2.	सीताराम/सुखपाल	,,	,,	6095/50	,,
3.	गोगा/रामकरण	,,	,,	5013/–	,,
4.	कन्हैयालाल/सुखपाल	,,	,,	6080/50	,,
				133843/75	
(5) खातोली ग्राम सेवा सहकारी समिति					
1.	राधेश्याम/घासीलाल	ब्रा:	खातोली	6955/80	1 वर्ष से
2.	हरिग्रोम/घासीलाल	,,	,,	7753/–	,,
3.	लक्ष्मीनारायण/बजरंगलाल	,,	,,	6999/–	,,
4.	नाथूलाल/लक्ष्मीनारायण	,,	,,	7593/–	,,
5.	जमीलग्रहमद/सुल्तानग्रहमद	मुसलमान	,,	6804/75	,,
6.	ग्रब्दुलरजाक/इब्राहीम	,,	,,	6827/–	,,
7.	ग्रब्दुलहुसेन/नन्हे खां	,,	,,	8436/–	,,
8.	मदनमोहन/बद्रीलाल	महाजन	,,	5476/–	,,
9.	राजेन्द्रसिंह/नारायणसिंह	राजपूत	,,	7266/–	,,
10.	कल्याणसिंह/धूलसिंह	,,	,,	5496/25	,,
(6) जटवाड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०					
1.	गोपाल/कजोड़	मीणा	गोपालपुरा	5135/–	1 वर्ष से
(7) जोरावरपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०					
1.	रामनारायण/जगन्नाथ	धाकड़	जोरावरपुरा	8995/30	1 वर्ष से

1	2	3	4	5	6
(8) रजीया ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०					
1.	इब्राहीम खां/नियाजमोहम्मद	मुसलमान	केशोपुरा	5044/–	1 वर्ष से
(9) करवाड़ ग्राम सेवा सपकारी समिति लि०					
1.	शिवराजसिंह/लालसिंह	राजपूत	करवाड़	5134/–	1 वर्ष से
(10) बकरावदा ग्राम सेवा सहकारी समिति					
1.	जोधसिंह अमरसिंह	राजपूत	बकरावदा	5477/–	1 वर्ष से
2.	श्रीमती पदमाबाई/जोधसिंह	,,	,,	6124/–	,,
3.	सीताराम/जगन्नाथ	मीणा	,,	9340/–	,,
4.	भीमसिंह/शिवराजसिंह	राजपूत	,,	7848/50	,,
(11) बम्बूलिया ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०					
1.	रामनाथ/कन्हैयालाल	मीणा	बम्बूलिया	5058/–	1 वर्ष से
				127762/60	
(12) लुहावद ग्राम सेवा सहकारी समिति					
1.	महावीर/धूलीलाल	जाट	लुहावद	5452/–	1 वर्ष से
2.	अर्जुन/रामनाथ	,,	,,	9405/–	,,
3.	श्रीमती रामकन्या पत्नी प्रभुलाल	,,	,,	6850/75	,,
4.	धनराज/प्रभूलाल	,,	,,	8845/–	,,
(13) विजयपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०					
1.	प्रभूलाल/प्रहलाद	मीणा	केवलदा	7115/–	1 वर्ष से
2.	रामनाथ/नरसिंह लाल	नायक	विजयपुरा	6780/–	,,
3.	रामरतन/बद्रीलाल	मीणा	,,	5907/50	,,
4.	हेमराज/हरीशचन्द	,,	केवलदा	6662/–	,,
5.	बृजमोहन/फूलचन्द	धाकड़	विजयपुरा	5801/–	,,
6.	राधेश्याम/ग्यारसीराम	मीणा	,,	5855/–	,,

1	2	3	4	5	6
(14)	**रोण ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०**				
1.	चांद खां/अमीर खां	मुसलमान	रोण	5826/-	1 वर्ष से
2.	कस्तूरचन्द/अमरचन्द	महाजन	,,	7435/-	,,
3.	रामेश्वरलाल/जीवनलाल	मीणा	,,	5823/-	,,
(15)	**अयाना ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०**				
1.	श्रीमती बद्रीबाई पत्नी नाथुलाल धाकड़		अयाना	5256/75	5 वर्ष से ऊपर
2.	श्रीमती केसरबाई पत्नी वैद्यनाथ मीणा		,,	7540/50	,,
3.	गोबरीलाल/जगन्नाथ	,,	,,	9344/80	,,
4.	गोवरीलाल/माधो	,,	,,	5942/34	,,
5.	नन्दकिशोर/घनश्याम	धाकड़	,,	7171/90	,,
6.	पुरुषोत्तम/हीरालाल	मीणा	,,	6840/-	,,
7.	पुरुषोत्तम/रामगोपाल	जाट	,,	8694/-	,,
8.	बृजराजसिह/रामनारायण	जाट	,,	9923/75	,,
9.	मांगीलाल/भंवरलाल	मीणा	,,	5722/-	,,
10.	मूलचन्द/बद्रीलाल	,,	,,	5129/-	,,
11.	जगन्नाथ/पन्नालाल	,,	कुम्हारिया	5507/75	,,
12.	रामनारायण/रामनाथ	जाट	,,	6413/60	,,
13.	लक्ष्मीचन्द/वेदनाथ	मीणा	,,	9778/50	,,
14.	गणेशराम/नाथूलाल	धाकड़	,,	5177/20	,,
15.	धनिया पत्नी पुरुषोत्तम	मीणा	,,	5121/-	,,
				186420/34	
(16)	**जालोदा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०**				
1.	कृष्णगोपाल/लक्ष्मीनारायण	मीणा	जालोदा	6035/-	1 वर्ष से
2.	कृष्णगोपाल/श्रीलाल	,,	,,	10080/80	,,
3.	भेरूलाल/ओंकार	,,	,,	8059/60	,,
4.	माधोलाल/कालू	,,	,,	6063/-	,,
5.	सुरजमल/मोतीलाल	,,	,,	10030/-	,,
6.	रामेश्वर/रामकिशन	,,	दौलतपुरा	5051/-	,,

1	2	3	4	5	6
7.	माधोलाल/भेरूलाल	,,	,,	6063/–	,,
8.	रामप्रसाद/लक्ष्मीनारायण	,,	,,	6039/–	,,
9.	दीपचन्द/जगन्नाथ	,,	जालौदा	6376/–	,,
(17)	**पीपल्दा कला ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०**				
1.	बशीर/मोहमद कासम खाँ	मुसलमान	पीपलदा	5338/–	2 वर्ष से अधिक
2.	दुर्गाशंकर/गोपीनाथ	ब्राह०	,,	5979/–	1 वर्ष से
3.	बजरंगलाल/मांगीलाल	,,	,,	6468/–	,,
4.	नन्दलाल/प्रतापसिंह	राजपूत	,,	6754/–	,,
5.	हुसेन मोहम्मद/भूरे खां	मुसलमान	,,	6904/70	,,
(18)	**आयानी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०**				
1.	चतुर्भुज/गोपीलाल	मीणा	आयानी	10963/–	1 वर्ष से
2.	जगन्नाथ/किशनलाल	महाजन	,,	7111/25	,,
3.	कन्हैयालाल/शंकर	मीणा	,,	6692/45	,,
4.	राधाकिशन/गिरधारी	,,	,,	5171/97	,,
5.	रामगोपाल/जगन्नाथ	,,	,,	5377/80	,,
(19)	**नानेरा ग्राम सेवा सहकारी समिति**				
1.	चतुर्भुज/लक्ष्मणसिंह	जाट	उड़वाड़ा	6625/–	1 वर्ष से
2.	नेमीचन्द/कन्हैयालाल	महाजन	,,	7129/80	,,
3.	भंवरलाल/नारायण	,,	नानेरा	7392/75	2 वर्ष से
4.	श्री केसरीलाल/भंवरलाल	,,	,,	8143/–	,,
5.	प्रभूलाल/भंवरलाल	,,	,,	8012/80	,,
6.	प्रेमचन्द/फूलचन्द	,,	,,	9930/48	1 वर्स से
7.	पदमकुमार/पारसचन्द	,,	,,	5232/40	,,
8.	रामकिशन/शंकर	नाथ	उड़वाड़ा	5024/–	,,
9.	मथुरा/जगदेव	मीणा	,,	5347/–	,,
10.	पारसदास/कन्हैयालाल	महाजन	उड़वाड़ा	5745/–	,,
				188000/92	
11.	चांमिल/रामकल्याण	ब्रा०	,,	6133/25	,,

1	2	3	4	5	6

(20) गेता ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०

1. जगदीश/बृजमोहन	ब्रा०	गेंता	7411/40	1 वर्ष से
2. गोविन्दलाल/भंवरलाल	नागर	,,	5758/40	,,
3. तेजमल/देवीलाल	,,	,,	9000/–	,,
4. चैनसिंह/भोपालसिंह	राजपूत	,,	9971/25	,,
5. गोपालसिंह/शोरसिंह	,,	,,	9385/–	,,
6. रमेशचन्द्र/घूलीलाल	माली	,,	9920/–	,,
7. विजयसिंह/गणपतसिंह	राजपूत	,,	9467/–	,,
8. श्रीमती अमृतकंवर/अनारसिंह	,,	,,	7034/–	,,
9. रामगोपाल/माधोलाल	नागर	,,	6102/45	,,
10. रामकल्याण/गोपीलाल	नागर	,,	7668/37	,,
11. नारायणसिंह/गणपतसिंह	राजपूत	,,	5880/–	,,
12. नेनगा/शोनारायण	माली	,,	8992/–	,,
13. मांगीलाल/दयाराम	नागर	,,	5761/85	,,
14. शिवराजसिंह/तेजसिंह	राजपूत	,,	5368/–	,,
15. विक्रमसिंह/तेजसिंह	,,	,,	5211/–	,,

(21) पूसोद ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०

1. मोतीशंकर/रामकल्याण	ब्रा०	पूसोद	5314/–	1 वर्ष से
			124378/97	

महायोग कुल केसेज–115 757406/97

o

201

परिशिष्ट 14

सूची अधिकारीगण जो दस वर्ष से प्रधान कार्यालय में कार्यरत है ।

1. श्री पी० एन० शुक्ला – प्रचार अधिकारी

परिशिष्ट–"ब"

सूची उन कर्मचारियों की जो दस वर्ष से प्रधान कार्यालय में कार्यरत हैं ।

क. सं.	नाम कर्मचारी	पद
1	2	3
1.	श्री सीताराम शर्मा	कार्यालय अधीक्षक
2.	,, मोहनलाल शर्मा	निजी सहायक
3.	,, जैशिवराम गुप्ता	योजना सहायक
4.	,, वंशीधर तिवाड़ी	कार्यालय सहायक
5.	,, रामस्वरूप पारीक	कार्यालय सहायक
6.	,, राधेश्याम पारीक	कार्यालय सहायक
7.	,, मांगीलाल गुप्ता	कार्यालय सहायक
8.	,, श्री सुगनचन्द जैन	कार्यालय सहायक
9.	,, वृजेशचन्द शर्मा	कार्यालय सहायक
10.	,, आनन्दीलाल तिवाड़ी	क. लेखाकारी
11.	,, कैलाशचन्द सिंघल	क. लेखाकार
12.	,, मदनलाल शर्मा	,,
13.	,, दुर्गाप्रसाद शर्मा	,,
14.	,, धनपतमल पटवा	वरिष्ठ लेखक
15.	,, पन्नालाल चौहान	,,
16	,, सुरेन्द्रकुमार शर्मा	,,
17.	,, प्रकाशनारायण गुप्ता	स्टेनो कम टाइपिस्ट
18.	,, दामोदर शर्मा	वरिष्ठ लेखक
19.	,, ए. एच. मसी	,,
20.	,, आशाराम माथुर	,,
21.	,, दामोदरप्रसाद चौमाल	,,
22.	,, लालचन्द शर्मा	,,
23.	,, पुरूषोत्तम रस्तोगी	,,
24.	,, मदनसिंह राजावत	,,
25.	,, सुरेशचन्द कपूर	,,
26.	,, गुलाबचन्द शर्मा	,,

1	3	3
27.	श्री राधामोहन शर्मा	वरिष्ठ लेखक
28.	,, जैनेन्द्रकुमार जैन	,,
29.	,, रामबहादुर सक्सेना	,,
30.	श्रीमती उषा माथुर	,,
31.	श्री रजनीशकुमार काला	,,
32.	,, सुधाकर त्रिवेदी	,,
33.	,, मोहनलाल गुप्ता	,,
34.	श्रीमती मालती दवे	,,
35.	श्री प्रभुदयाल मीना	,,
36.	,, मदनलाल गुप्ता	,,
37.	,, जगदीशनारायण शर्मा	,,
38.	,, गुलाम —सेन खां	,,
39.	,, दामोदरलाल शर्मा	स्टेनोग्राफर
40.	,, बजरंगलाल शर्मा	,,
41.	,, सम्मानसिंह	,,
42.	,, भंवरलाल मेहता	,,
43.	,, राधेश्याम शर्मा	,,
44.	,, केवलकृष्ण शर्मा	,,
45.	,, कल्याणमल जैन	,,
46.	,, मनोहरलाल शर्मा	,,
47.	,, दयालदास	,,
48.	,, सत्यनारायण गुप्ता	,,
49.	,, कैलाशनारायण गुप्ता	,,
50.	,, श्रीकृष्ण शर्मा	वरिष्ठ लेखक
51.	,, राधेश्याम मधुरिया	कनिष्ठ लेखक
52.	,, सुरेशचन्द्र पालीवाल	,,
53.	,, कृष्णकुमार यादव	,,
54.	,, कन्हैयालाल गोस्वामी	,,
55.	,, लादूराम शर्मा	,,
56.	,, श्रीदेवकीनन्दन पारीक	,,
57.	,, स्वतंत्रकुमार मित्तल	,,
58.	कु० रवि सक्सेना	,,

1	2	3
59.	कु० सुधा मलहोत्रा	कनिष्ठ लेखक
60.	श्री सोहनलाल गर्ग	वरिष्ठ लेखक
61.	,, श्रंकटबिहारी पागल	आर्टिस्ट
62.	,, कृष्णबिहारी शर्मा	मैनेजर
63.	,, सूरजराम शर्मा	अभिनेता
64.	,, हनुमान शर्मा	,,
65.	,, लक्ष्मणसिंह	,,
66.	,, बुलाकीराम	,,
67.	,, धनीराम	,,
68.	श्रीमती पुष्पा व्यास	,,
69.	श्री महबूब खां	वाद्यवादक
70.	,, यासीन खां	,,
71.	,, घनरूपमल भण्डारी	,,
72.	,, रामपाल शर्मा	स्टेजसेटर
73.	,, श्योनाथ वर्मा	,,
74.	,, रामनाथ	मशीनमैन
75.	,, मंगलसिंह	ड्राइवर
76.	,, कन्हैयालाल शर्मा	,,
77.	,, कालूराम	,,
78.	,, दुलीचन्द	,,
79	,, छीतर	जमादार
80.	,, अब्दुललतीफ	चौकीदार
81.	,, छोटेलाल	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
82.	,, सज्जनसिंह	,,
83.	,, रामेश्वरलाल गुप्ता	,,
84.	,, करीम खां	,,
85.	,, मुकट	,,
86.	,, कल्याण	,,
87.	,, मोतीलाल गुजर	,,
88.	,, नाथूलाल शर्मा	,,
89.	,, जगन्नाथ	,,
90.	,, मोतीलाल माली	,,

1	2	3
91.	,, भंवरसिंह	एतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
92.	,, चन्दाराम	,,
93.	,, गोविन्दनारायण	,,
94.	,, गंगाराम	,,
95.	,, कानाराम	,,
96.	,, लेखुराम	,,
97.	,, परसराम	,,

(206)

परिशिष्ट–"स"

सूची अधिकारीगण जो दो वर्षों से अधिक प्रधान कार्यालय में कार्यरत हैं।

1. श्री सतीशचन्द्र माथुर, संयुक्त रजिस्ट्रार (मार्केटिंग)
2. श्री नन्दलाल कानूनगो, चीफ आडिटर

परिशिष्ट "द"

सूची उन कर्मचारियों की जो दो ढाई वर्षों से अधिक प्रधान कार्यालय में कार्यरत हैं।

क्रम सं०	नाम कर्मचारी	पद
1	2	3
1.	श्री बनवारी लाल	क. लेखाकार
2.	,, मोहनलाल गुप्ता	,,
3.	,, रतनलाल कूलवाल	वरिष्ठ लेखक
4.	,, भंवरलाल पुरोहित	,,
5.	,, घनश्याम अग्रवाल	,,
6.	कु. मंजु माथुर	कनिष्ठ लेखिका
7.	,, उषा किरण हसीजा	,,
8.	श्री भगवान मरयाणी	कनिष्ठ लिपिक
9.	,, राधेश्याम नाटाणी	,,
10.	,, रतनलाल शर्मा	,,
11.	,, रामहेत शर्मा	,,
12.	कु. सीता वाजपेयी	,,
13.	श्रीमती आशा खण्डेलवाल	,,
14.	,, निर्मला वर्मा	,,
15.	,, मरियम्मा	,,
16.	,, सुनीला टांगरी	,,
17.	,, शकुन्तला तिवाड़ी	,,
18.	श्री मानसिंह	,,
19.	,, मोतीलाल भार्गव	,,
20.	,, खेमचंद अग्रवाल	,,
21.	,, जगदीश नारायण माथुर	,,
22.	,, रमेश कुमार भाटिया	,,
23.	,, घनश्याम चोहथानी	,,
24.	,, वेदप्रकाश पारीक	,,
25.	,, नरेन्द्र कुमार अग्रवाल	,,
26.	,, लक्ष्मणदास कोरानी	,,
27.	कु. आशाबाला गोयल	,,
28.	,, मीनू गेलानी	,,
29.	,, वीना राठोड़	,,

1	2	3
30.	श्री नत्थूराम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
31.	,, बलदेव सिंह	,,
32.	,, रामसहाय	,,
33.	,, किशनलाल	,,
34.	,, रामेश्वर प्रसाद वर्मा	निरीक्षक
35.	,, वीरेन्द्र प्रसाद माथुर	,,
36.	,, नाथूलाल बेरवा	वरिष्ठ लेखक
37.	,, गोपीचंद चुग	,,
38.	,, अर्जुनमल लोढ़ा	कनिष्ठ लेखाकार
39.	,, रघुवीर सिंह	निरीक्षक (आडिट)
40.	,, पुरुषोत्तम कौशिक	,, ,,
41.	,, सीताशरण पाण्डे	,, ,,
42.	,, हनुमान सहाय खण्डेलवाल	,, ,,
43.	,, कैलाश चन्द्र श्रृंगी	,, ,,
44.	,, उमेश कुमार शर्मा	,, ,,
45.	,, प्रभुदयाल सैनी	,, ,,
46.	,, श्रीनिवास शर्मा	,, ,,
47.	,, कु. त्रिवेणी शर्मा	,, ,,

परिशिष्ट 15 [अ]

सूची ग्राम सेवा सहकारी समितियों की जिनको गत दो वर्षों में अल्पकालीन ऋण दिया गया

क्र. सं.	नाम सहकारी समिति			ऋण	ऋण राशि
1	2			3	4
1.	पडीहारी	ग्रा. से.	सह. समि. लि.	अल्पकालीन	27880
					6 000
2.	लादाडासर	,,	,,	,,	35000
					12600
3.	भानूदा	,,	,,	,,	100000
	,,	,,	,,	,,	32640
	,,	,,	,,	,,	43320
4.	परसनेऊ	,,	,,	,,	40000
5.	दाऊसर	,,	,,	,,	45000
					8620
6.	रतनसरा	,,	,,	,,	100000
	,,	,,	,,	,,	16760
	,,	,,	,,	,,	34440
7.	कुछम देसर	,,	,,	,,	105760
8.	बच्छराडा	,,	,,	,,	78050
9.	नोसरिया	,,	,,	,,	119920
10.	गोलासर	,,	,,	,,	70800
11.	लोहा	,,	,,	,,	37480
12.	खोतड़ी	,,	,,	,,	73660
13.	ढढावता	,,	,,	,,	57880
14.	नोसरिया	,,	,,	,,	42840
15.	गोलासर	,,	,,	,,	35760
16.	मेलूसर	,,	,,	,,	100000
	,,	,,	,,	,,	36300
17.	दाउसरा	,,	,,	,,	27260
18.	रतनसरा	,,	,,	,,	115480
	,,	,,	,,	,,	172320

1	2			3	4
19.	भानूदा	,,	,,	,,	87680
20.	नूंवां	,,	,,	,,	35520
21.	परसनेऊ	,,	,,	,,	22720
22.	लोहा	,,	,,	,,	45840
23.	गोलासर	,,	,,	,,	31660
24.	नोसरिया	,,	,,	,,	207022
25.	ढावतां	,,	,,	,,	87640
26.	सिनसिया	,,	,,	,,	25480
27.	कुदूदेसर	,,	,,	,,	99160
28.	खोतडी	,,	,,	,,	88740
29.	लादासर	,,	,,	,,	104840
30.	पडीहारा	,,	,,	,,	81800
31.	बछराडों	,,	,,	,,	51040
32.	भेलूसर	,,	,,	,,	82760
33.	रतनसरा	,,	,,	,,	62560
34.	खोतडी	,,	,,	,,	17080
35.	कुशुमदेसर	,,	,,	,,	20400
36.	सिनसियस	,,	,,	,,	44140
37.	गोलासर	,,	,,	,,	46920
38.	नोंसरिया	,,	,,	,,	47000
39.	सिकराली	,,	,,	,,	66880
40.	भेलूसर	,,	,,	,,	62800
41.	पडीहारा	,,	,,	,,	27580
42.	सिपसिया	,,	,,	,,	52920
43.	खां	,,	,,	,,	26880
44.	लाहाडासर	,,	,,	,,	26240
45.	खिकेराली	,,	,,	,,	84480
					31,93,890

दी चूरू सेन्ट्रल कोआप० बैंक लि० रतनगढ़ तहसील में मध्यकालीन ऋण वितरण

क्र. सं.	नाम समिति			किस्म लोन	राशि
1.	सिमसिया	ग्राम सेवा	सह. समि.	मध्यकालीन	475.0
2.	दाऊदसर	,,	,,	,,	14000
3.	गोरीसर	,,	,,	,,	16750
4.	भरपालसर	,,	,,	,,	30000
5.	लोहा	,,	,,	,,	2500
6.	ढढावता	,,	,,	,,	13500
7.	कुसुमदेसर	,,	,,	,,	10500
8.	परसनेऊ	,,	,,	,,	2500
9.	रतनसरा	,,	,,	,,	31000
10.	गोलसर	,,	,,	,,	2500
11.	नोसरिया	,,	,,	,,	4500
12.	बछराडा	,,	,,	,,	14250
					1,89,500

तहसील रतनगढ़ जिला चूरू में हाउसिंग को-आपरेटिव सोसा० को ऋण वितरण

क्र. सं.	नाम समिति	राशि
1.	पडिहारा गृह निर्माण सहकारी समिति	58,800
2.	रामसरा गृह निर्माण सहकारी समिति	1,17,600
3.	खातेड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति	1,66,400
		3,42,800

212

परिशिष्ट–16

क्र०सं०	नाम पं० स०	अध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या	अवधि जब से रिक्त है	पिछले दों वर्षों में राशि लेप्स होने का विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	राजसमन्द	—	—	—	—
2.	कुम्भलगढ़	6	दो वर्षों से रिक्त हैं	48280–00	—
3.	रेलमगरा	4	सित,78सेअक्टू,78	—	सितम्बर, 78 से एक अध्यापक के सेवा निवृत हो जाने से तथा अक्टू., 78 से तीन अध्यापकों के पद अन्य पंचायत समितियों में स्थानान्तरित हो जाने से रिक्त हैं।
4.	आमेट	—	—	—	—
5.	गिर्वा	4	—	—	—
6.	बडगांव	—	—	—	—
7.	छमनोर	2	4-2-79 व 5-2-79	—	—
8.	सलूम्बर	2	1 पद एक वर्ष से	—	1 पद छात्रों के अभाव से रिक्त है।

1	2	3	4	5	6
			1 पद गत माह से	—	1 पद गत माह में अध्यापक का स्थानान्तरण होने के कारण रिक्त है।
9.	सहाड़ा	8	1–7–78	—	—
10.	मावली	5	जनवरी, 79 से	—	—
11.	खेरवाड़ा	—	—	—	—
12.	भीण्डर	4	जनवरी, फरवरी, 79 से	—	द्वितीय वेतन शृंखला में अध्यापकों के स्थानान्तरण हो जाने से रिक्त है।
13.	गोगुन्दा	17	1977-78 3 1978-79 14	80580–00	—
14.	देवगढ़	6	10-9-78 से	—	—
15.	भीम	10	1978-79 से	—	—

नोट :—पंचायत समिति कोटड़ा, झाडल एवं घरियावद से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट-17

राजस्थान सरकार

अतारांकित प्रश्न संख्या 109 की सूचना

कार्मिक (क–3) विभाग

सं.एफ–9 (2) कार्मिक/क–3/76/ जयपुर, दिनांक 4 मई 1977

प्रेषिति–

1—समस्त शासन सचिव

2—समस्त विभागाध्यक्ष। (कलक्टरों सहित)।

विषय:—निलम्बित व्यक्तियों के मामलों का शीघ्र निपटारा।

विभागीय जांच के मामलों के शीघ्र निपटारे के सम्बन्ध में, जिनमें निलम्बित व्यक्ति अन्तवलित है, समय समय पर जारी सरकारी अनुदेशों के बावजूद यह देखा गया है कि कुछ मामलों में विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग कर्मचारी व्यक्तियों के पद-स्थापन, जन्म की तारीख वर्तमान वेतन और वेतनमान तथा सम्पूर्ण सुसंगत अभिलेख को एक स्थान पर केन्द्रित करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जैसी प्रारम्भिक सूचनाओं के साथ, अधिकथनों एवं आरोपों के प्रारूप तामील कराने में/तामील कराने के लिये इस विभाग को उपलब्ध कराने में असमर्थ है। इस सम्बन्ध में यथा समय कार्यवाही करने में व्यवधान डालने वाली कुछ वास्तविक कठिनाईयां हो सकती हैं लेकिन सम्बन्धित प्राधिकारियों को इस तथ्य को नजरअन्दाज नहीं करना चाहिये कि किसी निलम्बित व्यक्ति को सरकार की ओर से यथा समय अनुशासनिक कार्यवाहियां आरम्भ न करने के अभाव में लगातार निलम्बन की स्थिति में रखे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

2—अत: समस्त प्रशासनिक विभागों को यह आदेश दिया जाता है कि इसके पश्चात् उन्हें इस सम्बन्ध में किसी प्रभारी अधिकारी के निलम्बन की तारीख से हर हालत में 6 माह के भीतर इस विभाग को अभिकथनों एवं आरोपों का प्रारूप साथ ही इस सम्बन्ध में उपरोक्त अपेक्षित सूचना, भेज देनी चाहिये। उन मामलों में, जिनमें उन्हें वास्तव में किसी प्रकार की अड़चन का सामना करना पड़े तो उन्हें तत्पश्चात् शीघ्र इस बारे में (बेहतर हो यदि 15 दिन/एक माह के भीतर) इसके लिए कारण दर्शाते हुए इस विभाग को सूचित करना चाहिए। जैसे मामलों में जहां किसी भी प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जाता है, वहां निलम्बित व्यक्तियों को अनुशासनिक

कार्यवाही के लंबित रहते हुए उसको बहाल किये जाने के परिणामस्वरूप कार्य वापस लेने का उत्तरदायित्व वस्तुतः प्रशासनिक विभाग का होगा।

3—इसी प्रकार, विभागाध्यक्ष और कनिष्ट अधिकारी, किसी वास्तविक कठिनाई के मामले में किसी अधिकारी को 6 माह से अधिक निलंबनाधीन रखने के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

4—यह आशा की जाती है कि समस्त सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा इस महत्व-पूर्ण मुद्दे को यथोचित महत्व प्रदान किया जाएगा।

5—कृपया इस परिपत्र की सूचना शीघ्र भेजें।

ह. उमरावमल
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क–3) विभाग

संख्या एफ–9(30) कार्मिक क–3/77/ दिनांक 29–10–77

समस्त शासन सचिव।

समस्त विभागाध्यक्ष (जिलाधीश सहित)।

शासन के ध्यान में यह आया है कि कतिपय राज्याधिकारी कर्मचारी लम्बे समय से निलम्बित चले आ रहे हैं। उनकी समस्या राज्य सरकार का सदैव ध्यान आकर्षित करती रही है और इस सम्बन्ध में परिपत्र संख्या 9 (2) कार्मिक/क–3/76 दिनांक 4–5–77 भी जारी किया गया था कि किसी कर्मचारी को 6 माह से अधिक समय तक निलम्बित रखने के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष प्रशासनिक विभाग से अनुमोदन प्राप्त करलें। किन्तु वांछित परिणाम सामने नहीं आने से इस समस्या के निदान हेतु गंभीरता पूर्वक पुनः विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि जो राज्याधिकारी/कर्मचारी 6 माह से अधिक समय से निलम्बित चले आ रहे हैं उनकी बिना विभागाध्यक्ष/सचिव की जानकारी में लाये बगैर निलम्बित नहीं रखा जावे और विभागाध्यक्ष/सचिव इस बाबत प्रमाण पत्र दें कि उन्होने मामले का गहराई से अध्ययन कर लिया है और कर्मचारी/अधिकारी का निलम्बन आवश्यक है तथा कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध मामले की शीघ्र निस्तारण बाबत आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं और इसी प्रकार का प्रमाण पत्र हर 6 माह की समाप्ति पर निलम्बित अधिकारी/कर्मचारी के मामले में दिया जाता रहे जब तक कि वह बहाल नहीं हो जावे। तात्पर्य यह है कि पहला प्रमाण पत्र 6 माह की निलम्बन अवधि की समाप्ति पर दूसरा प्रमाण पत्र 12 माह की निलम्बन अवधि की समाप्ति पर, तीसरा प्रमाण पत्र 18 माह की निलम्बन अवधि समाप्ति पर आदि, इसी प्रकार।

ह. कुसुम प्रसाद,
विशिष्ठ शासन सचिव

217

जयपुर जिले की पंचायत समितियों में निलम्बित कर्मचारियों की सूची

क्र० सं०	नाम प०सं०	नाम निलम्बित कर्मचारी	निलम्बन का कारण
1	2	3	4
1)	कोटपूतली	1) श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, व. लि.	सीमेन्ट के मामले में। दिनांक 11-1-77 से निलम्बित है। जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।
		2) ,, मुरलीधर शर्मा अध्यापक	फोजदारी केस में निलम्बित है। मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है।
2)	सांगानेर	1) ,, धन्नालाल वर्मा, अध्यापक श्रीरामपुरा	दि. 18-7-72 से धारा 302, 147 तथा 323 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज होने के कारण निलम्बित किया गया है मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
3)	दूदू	1) ,, मधुसूदन पारीक, ग्रुप सचिव	ग्राम पंचायत साखून की रोकड़ का गबन करने के कारण 19-3-73 से निलम्बित है। केस एफ. आई. आर. 72 दि. 10-4-76 409 आई. पी. सी. का है। मामला मुंसिफ कोर्ट, सांभर में विचाराधीन है।
		2) ,, सत्यनारायण च. श्रे. क.	दि. 20-12-78 से अनुपस्थित होने के कारण 20-2-79 से निलम्बित है। कर्मचारी को चार्ज सीट दी जा चुकी है। कर्मचारी से उत्तर अपेक्षित है।
4)	झोटवाड़ा	1) ,, गोपाल लाल प्र. अ., प्रा. शा. गर्जसिंहपुरा	दि. 21-7-76 से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण दि. 30-10-76 को निलम्बित किया गया। डी. ई. सी. जिला परिषद् जयपुर के यहां सेवाएं समाप्त करने हेतु मामला विचाराधीन है।
5)	चाकसू	1) ,, गेंदीलाल क. लि.	गम्भीर अनियमितताओं के चार्ज के फलस्वरूप दि. 22-3-78 से निलम्बित है। चार्जशीट दी जा चुकी है। जांच जारी है।
		2) ,, पदमचन्द जैन अध्यापक	302, आई. पी. सी. के केस में मुल्जिम होने से 28-7-77 से निलम्बित है।

1	2	3	4
6)	गोविन्दगढ़	1) ,, पीथाराम ग्रुप सचिव, गोविन्दगढ़	गम्भीर अनियमितताओं के कारण दिनांक 13-10-78 से निलम्बित है। अति. जिला विकास अधिकारी, जयपुर के पत्र दिनांक 2-3-79 द्वारा पुनः जांच प्रतिवेदन विकास अधिकारी को भिजवाया गया है जिसके अनुसार विकास अधिकारी द्वारा कर्मचारी को चार्जसीट दिये जाने सम्बन्धी कार्यवाही अपेक्षित है।
7)	सांभर	1) ,, गजाधर, सहा० अध्यापक, हाथीपुरा	आदेशों की अवहेलना के कारण 1975 से निलम्बित है उसे सेवा से हटाये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। डी. ई. सी. के अनुमोदन के लिए विचाराधीन है।
8)	फागी	1) ,, प्रेमलता शर्मा अध्यापिका	दि. 6–1–76 से निलम्बित है। मामला हाई स्कूल का प्रमाण पत्र गलत पेश करने का है, जो कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट सांभर के विचाराधीन है।
		2) ,, हनुमान सहाय भट्ट, ग्रामसेवक	12–12–76 से गबन के मामले में निलम्बित है। मामला मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, सांभर के यहां चल रहा है।
9)	दौसा	1) ,, चन्द्रसिंह ग्रामसेवक (ग्रुप सचिव)	दि. 6–4–78 से शराब पीने एवं मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण निलम्बित किया गया। कर्मचारी आज तक फरार है।

परिशिष्ट–18

अतारांकित प्रश्न 112 के आदेश

1 अप्रेल, 1970 से लेकर अब तक खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा प्रसारित किये गये आदेशों का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	आदेश का नाम	राजपत्र में जारी करने की तिथि एवं भाग सं.	जारी करने का कारण	समाप्त करने की तिथि
1	2	3	4	5
1.	राजस्थान केरोसिन तेल व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1971	11–12–71 भाग 4 (ग)	केरोसीन तेल के व्यापारियों पर नियन्त्रण कर जनता को उचित मूल्य पर तेल उपलब्ध कराने हेतु ।	
2.	रास्जथान खरीफ फूड-ग्रेन्स प्रोक्योरमेंट (लेवी आन प्रोड्यूसर्स) आदेश, 1972	13–11–72 भाग 4 (ग)	भारत सरकार के निर्देशानुसार खरीफ खाद्यान्न की वसूली के लिये लेवी लगाने हेतु	22–8–73
3.	राजस्थान स्पेसिफाइड फूडग्रेन्स (सेल आफ स्टाक्स एण्ड मूवमेन्ट कन्ट्रोल) आर्डर, 1972	2–11–72 भाग 4 (ग)	राज्य से बाहर ज्वार, बाजरा एवं मक्का के निर्यात पर रोक लगाने हेतु ।	7–3–74 (भारत सरकार द्वारा)
4.	राजस्थान खाण्डसारी एण्ड गुड़ डीलर्स लाइसेन्सिंग आर्डर, 1972	7–4–72 भाग 4 (ग)	व्यापारियों पर नियन्त्रण कर जनता को उचित मूल्य पर गुड़ एवं खण्डसारी उपलब्ध कराने हेतु ।	
5.	राजस्थान अतिथि नियन्त्रण आदेश, 1972	23–8–72 भाग 4 (ग)	केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार खाद्य पदार्थों के अपव्यय को रोकने हेतु ।	27–3–78

1	2	3	4	5
6.	राजस्थान रोलर मिल्स गेहूं पैदावार (थोक एवं खुदरा) मूल्य नियन्त्रण आदेश, 1972	2-9-72 भाग 4 (ग)	गेहूं उत्पादक वस्तुओं के मूल्य पर नियन्त्रण करने हेतु।	20-9-76
7.	राजस्थान गेहूं (व्यापार विनियमन) आदेश, 1973	30-3-73 भाग 4 (ग)	केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार गेहूं के व्यापार पर नियन्त्रण करने हेतु।	
8.	राजस्थान खरीफ खाद्यान्न वसूली (व्यापारियों से उद्ग्रहण) आदेश, 1973	19-12-73 भाग 4 (ग)	केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार खरीफ खाद्यान्न की वसूली के लिये लेवी लगाने हेतु।	5-11-74
9.	राजस्थान खाद्यान्न (जमाखोरी निवारण) आदेश, 1973	12-2-73 भाग 4 (ग)	केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार खाद्यान्नों की जमाखोरी रोकने हेतु।	19-11-75
10.	राजस्थान में दूध से मावा बनाने पर रोक सम्बन्धी आदेश, 1973	30-10-73 भाग 4 (ग)	गर्मी के मौसम में दूध के भावों पर नियन्त्रण करने हेतु।	27-12-73
11.	राजस्थान में दूध से मावा बनाने पर रोक सम्बन्धी आदेश, 1973	18-5-74 भाग 4 (ग)	गर्मी के मौसम में दूध के भावों पर नियन्त्रण करने हेतु।	31-7-74
12.	राजस्थान गेहूं वसूली (व्यापारियों पर लेवी) आदेश, 1974	17-4-74 भाग 4 (ग)	केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार गेहूं वसूली लेवी हेतु।	17-8-74
13.	राजस्थान खाद्य (आहार प्रतिष्ठानों द्वारा भोजन सेवा पर रोक) आदेश, 1974	25-5-74 भाग 4 (ग)	केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार होटलों में खाद्य पदार्थों के अपव्यय को रोकने हेतु।	16-3-78

1	2	3	4	5
14.	राजस्थान गेहूं प्रावाप्ति (उत्पादकों पर उद्ग्रहण) आदेश, 1974	11–6–64 भाग 4 (ग)	केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार गेहूं वसूली लेवी द्वारा करने हेतु।	15–4–75
15.	राजस्थान पैडी वसूली (उत्पादकों से उद्ग्रहण) आदेश 1974	23–11–74 भाग 4 (ग)	केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार पैडी वसूली लेवी द्वारा करने हेतु।	13–11–75
16.	राजस्थान ज्वार वसूली (उत्पादकों से उद्ग्रहण) आदेश, 1974	5–11–74 भाग 4 (ग)	केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार ज्वार वसूली लेवी द्वारा करने हेतु।	24–3–77
17.	राजस्थान सीमेंट (लाइसेंस एवं नियंत्रण) आदेश, 1974	27–9–74 भाग 4 (ग)	सीमेंट के व्यापार पर नियंत्रण करने हेंतु।	
18.	राजस्थान गेहूं वसूली (व्यापारियों पर लेवी) आदेश, 1975	15–4–75 भाग 4 (ग)	केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार गेहूं वसूली लेवी द्वारा करने हेतु।	15–4–76
19.	राजस्थान में दूध से मावा बनाने पर रोक लगाने संबंधी आदेश, 1975	8–5–75 भाग 4 (ग)	गर्मी के मौसम में दूध के भावों पर नियंत्रण करने हेतु।	31–7–75
20.	राजस्थान दूध और दूध से निर्मित वस्तुओं का (निर्यात नियंत्रण) आदेश, 1975	9–5–75 भाग 4 (ग)	गर्मी के मौसम में दूध के भावों पर नियंत्रण करने हेतु।	31–8–75
21.	राजस्थान पैडी (वसूली उत्पादकों पर लेवी) आदेश, 1975	13–11–75 भाग 4 (ग)	केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार पैडी वसूली लेवी द्वारा करने हेतु।	15–11–76

222

1	2	3	4	5
22.	राजस्थान नियंत्रित कपड़ा (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण) आदेश, 1975	6-11-75 भाग 4 (ग)	नियन्त्रित कपड़ा के वितरण पर नियंत्रण करने हेतु।	
23.	राजस्थान खाद्यान्न (जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश, 1975	19-11-75 भाग 4 (ग)	केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार खाद्यान्नों की जमाखोरी रोकने हेतु।	20-9-77
24.	राजस्थान (आवश्यक वस्तु मूल्य एव स्टाक प्रदर्शन) आदेश, 1975	19-11-75 भाग 4 (ग)	केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण करने हेतु।	23-9-77
25.	राजस्थान गेहूं उपाप्ति (उत्पादकों पर उद्ग्रहण) आदेश, 1975	15-4-76 भाग 4 (ग)	केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार गेहूं वसूली लेवी द्वारा करने हेतु।	1'-7-76
26.	राजस्थान में दूध से मावा बनाने पर रोक लगाने सम्बन्धी आदेश, 1976	14-5-76 भाग 4 (ग)	गर्मी के मौसम में दूध के भावों पर नियन्त्रण करने हेतु।	15-7-76
27.	राजस्थान दूध और दूध से निर्मित वस्तुओं का (निर्यात नियन्त्रण आदेश, 1976	14-5-76 भाग 4 (ग)	गर्मी के मौसम में दूध के भावों पर नियन्त्रण करने हेतु।	15-7-76
28.	राजस्थान चावल उपाप्ति (उद्ग्रहण) आदेश, 1976	26-10-76 भाग 4 (ग)	भारत सरकार के निर्देशानुसार चावल वसूली लेवी द्वारा करने हेतु।	9-5-77
30.	राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थों (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976	23-11-76 भाग 4 (ग)	आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से वितरण करने हेतु।	

1	2	3	4	5
30.	राजस्थान रोलर मिल गेहूं निर्मितियां (एक्स मिल एवं खुदरा कीमत नियन्त्रण) आदेश, 1976	20–9–76 भाग 4 (ग)	भारत सरकार के निर्देशानुसार गेहूं के भावों पर नियन्त्रण करने हेतु।	
31.	राजस्थान खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1977	15–1–77 भाग 4 (ग)	भारत सरकार के निर्देशानुसार खाद्य तेल एवं तिलहन के व्यापार पर नियंत्रण करने हेतु।	
32.	राजस्थान खाद्यान्न (जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश, 1977	20–9–77 भाग 4 (ग)	भारत सरकार के निर्देशानुसार खाद्यान्नों की जमाखोरी पर नियन्त्रण करने हेतु।	
33.	राजस्थान (आवश्यक वस्तु मूल्य एवं स्टॉक प्रदर्शन) आदेश, 1977	23–9–77 भाग 4 (ग)	आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण करने हेतु।	
34.	राजस्थान में दूध से मावा बनाने पर रोक लगाने सम्बन्धी आदेश, 1977	7–5–77 भाग 4 (ग)	गर्मी के मौसम में दूध के भावों पर नियन्त्रण करने हेतु।	15–7–77
35.	राजस्थान दूध और दूध से निर्मित वस्तुओं का (निर्यात नियन्त्रण) आदेश, 1977	7–5–77 भाग 4 (ग)	गर्मी के मौसम में दूध के भावों पर नियन्त्रण करने हेतु।	15–7–77
36.	राजस्थान पेडी (निर्यात नियन्त्रण) आदेश, 1977	30–3–77 भाग 4 (ग)	भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य से पेडी के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु।	30–9–77 (भारत सरकार द्वारा)

1	2	3	4	5
37.	राजस्थान दाल व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1977	22–10–77 भाग 4 (ग)	दालों के व्यापार पर नियंत्रण करने हेतु ।	
38.	राजस्थान अतिथि नियन्त्रण आदेश, 1978	27–3–78 भाग 4 (ग)	केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार खाद्य पदार्थों के अपव्यय को रोकने हेतु ।	
39.	राजस्थान चाय (व्यापारी रजिस्ट्रीकरण तथा स्टॉक की घोषणा) आदेश, 1978	31–5–78 भाग 4 (ग)	भारत सरकार के निर्देशानुसार चाय के व्यापार पर नियन्त्रण करने हेतु ।	20–2–79
40.	राजस्थान दूध से मावा बनाने पर रोक लगाने सम्बन्धी आदेश, 1978	24–5–78 भाग 4 (ग)	गर्मी के मौसम में दूध के भावों पर नियन्त्रण करने हेतु ।	14–7–78
41.	राजस्थान दूध (निर्यात नियन्त्रण) आदेश, 1978	24–5–78 भाग 4 (ग)	गर्मी के मौसम में दूध के भावों पर नियन्त्रण करने हेतु ।	31–8–78
42.	राजस्थान दूध (निर्यात नियंत्रण) द्वितीय आदेश, 1978	24–11–78 भाग 4 (ग)	राज्य के बाहर दूध के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु ।	25–2–79

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न 114 की सूची

वृद्धावस्था/ अपंग पेन्शनरों की सूची तहसील रतनगढ़

1.	श्रीमती सुखी बेवा गीगराज अशोक स्तम्भ के पास रतनगढ़	40.00 प्र. मा.
2.	श्री ज्यानकी दास पुत्र नरसीदास स्वामी, नोसरिया	40.00
3.	श्रीमती माली बेवा घनश्यामदास स्वामी रतनगढ़	40.00
4.	,, तीजा बेवा मानाराम, भावनदेसर	40.00
5.	श्री नाथूराम पुत्र बीजाराम मेघवाल रतनगढ़	40.00
6,	,, गंगाधर पुत्र रामलाल सारस्वत ,,	40.00
7,	श्रीमती मानादेवी बेवा मालचन्द ,,	40 00
8.	,, लक्ष्मी बेवा कालूराम ,,	40.00
9.	,, सुवटी बेवा पेमाराम ,,	40.00
10.	,, सोहनी बेवा चेनरूप बैद, राजलदेसर	40.00
11.	,, हेतु ,, हनसदान चारण चारणवासी	40.00
12-	,, नानगी बेवा भीवराम रेगर, रतनगढ़	40 00
13.	,, मूली बेवा पूर्णराम रेगर ,,	40.00
14.	,, रामदेवी बेवा उमाराम रेगर ,,	40,00
15.	,, कानी देवी बेवा तुलछाराम रेगर ,,	40.00
16.	,, बिडदी देवी खांगाराम मौजक, राजलदेसर	40.00
17.	,, मगेजकंवर बेवा मंगेजसिंह राजपूत, छाजसर	,,
18.	,, शान्ती देवी बेवा छोटुराम, कनवारी	,,
19,	,, सुगनी बेवा गणपतराम ब्राहमण, रतनगढ़	,,
20.	श्री हरदेवा राम पुत्र लछीराम कुम्हार, ,,	,,
21.	श्रीमति कमला देबी बेवा लादूराम स्वामी ,,	,,
22.	,, सुखी उर्फ लक्ष्मी बेवा किसनाराम ,,	,,
23.	,, पार्वती बेवा टोडरमल सोनी ,,	,,
24.	,, खेवली बेवा भोलुराम रेगर ,,	,,
25.	,, सरस्वती देवी बेवा जसराम, पडिहारा	,,
26.	,, नसीबन बेवा कालूखां कायमखानी, बधवाली	,,
27.	,, अछना पत्नि कानसिंह राजपूत, देराजसर	,,
28.	श्री किसनसिंह पुत्र श्योनाथसिंह राजपूत, लधसर	,,

29. श्री मति प्यारा पत्नी अमराराम जाट, पडिहारा	40.00
30. ,, मोहरी पत्नी निराणाराम दरोगा ,,	,,
31. ,, गोमती पुत्री उदाराम ब्राह्मण, आवडसर	,,
32. ,, हेमी पत्नी चानाराम, रतनगढ़	,,
33. ,, समानी बाई पुत्री बचनसिंह राजपूत, भरपालसर	,,
34. ,, जडाव पत्नि गणेशाराम ढोली, रतनादेसर	,,
35. श्री मालुराम एवं पूरजी धानक, दीपसर	60.00
36. श्रीमती बाली देवी पत्नी हनुमान प्रसाद, रतनगढ़	40.00
37. श्री कानीराम पुत्र चूनीराम ब्राह्मण, परसनेऊ	,,
38. श्रीमती बल्लूकंवर पत्नी अन्नेसिंह राजपुत ,,	,,
39. ,, नथकंवर पत्नी लुणसिंह राजपुत ,,	,,
40. ,, लिछमा पत्नी गोविन्ददास ठठावता	,,
41. श्री प्रेमचन्द पुत्र मणाराम, राजलदेसर	,,
42. श्रीमति नाथी पत्नी चुनाराम ढोली परसनेऊ	,,
43. ,, भुरी पत्नी महेशदान चारण, चारणवासी	,,
44. ,, धापु पत्नी मुकनाराम ब्राहमण, कनवारी	,,
45. ,, ईमरती पत्नी हरखदास स्वामी, पडिहारा	,,
46. श्री बुधाराम पुत्र गणेशाराम मेघवाल ,,	,,
47. श्रीमति धापी पत्नी हुकमाराम मेघवाल, कनवारी	,,
48. ,, हावू पत्नी रतना राम ,, ,,	,,
49. ,, मोहरी देवी पत्नी शोभाराम मेघवाल सीतसर	,,
50. श्री कालूसिंह पुत्र प्रेमसिंह राजपूत कनवारी	,,
51. श्रीमति हेत पत्नी देवीदान चारण चारणवासी	,,
52. ,, टमक देवी पत्नि खीराजाराम नाई लाछडसर	,,
53. ,, रूकमी पत्नी लालचन्द जान्दवा	,,
54. श्री छोटूराम पुत्र कानाराम नायक परसनेऊ	,,
55. श्रीमति जडाव पत्नी डालसिंह नारसरिया	,,
56 श्री श्योलाराम पुत्र गोपालराम मेघवाल गोगासर	,,
57. श्रीमति लिछमा पुत्री मगजी दरोगा जान्डवा	,,
58. ,, केशरदेवी पत्नी लेखराम जाट ,,	,,
59. श्री प्रेमसिंह पुत्र मंगलसिंह रतनगढ़	,,
60. ,, धन्नाराम पुत्र दतराम खाती रतनगढ़	,,
61. ,, तिलकोराम पुत्र नन्दाराम मेघवाल छावडी खारी	,,
62. ,, सुरजाराम पुत्र दलाराम धानका बछरारावडा	,,
63. श्रीमति भगवती दाधीच, रतनगढ़	,,

64. ,, गोदावरी एवं उदाराम पति पत्नी रतनगढ़ 60.00
65. श्री हुकमाराम पुत्र दलाराम चापांवासी 40.00
66. ,, कालूराम पुत्र हुकमाराम एवं भोपी पति पत्नी हुडेरा 60.00
67. श्रीमति पेमा पत्नी सुरजाराम ब्राह्मण हुडेरा आथुना 40.00
68. श्री जेसराम पुत्र शेराराम ब्राह्मण रतनगढ़ ,,
69. श्रीमति सुन्दर पत्नी भूरे खां ,, ,,
70. ,, भूरी पत्नी बलराम नायक हुडेराआथुना ,,
71. ,, अणची पत्नी गोरखाराम बारमसर ,,
72. ,, सुवा बाई पत्नी हरिबाग, रतनगढ़ ,,
73. ,, भूरी पत्नि चन्द्राराम बववाली ,,
74. ,, चूनी पत्नी लुणाराम नायक खाथडी ,,
75. ,, जीरा पत्नी आदुसिंह दरोगा लघांसर ,,
76. श्री रावतराम पुत्र डुंगरराम नायक मेलसर ,,
77. ,, बनाराम एवं ज्यानी पति पत्नी, बीरमसर 60.00
78. श्रीमति कानादेवी पत्नी रूपाराम नायक घुमान्दा 40.00
79. श्री तुलछाराम पुत्र सुखाराम दरोगा एवं सजनी पत्नी तुलछाराम, बीरमसर 60.00
80. श्रीमति तुलछी पत्नी धूणीदास कामड, मोलसर 40.00
81. ,, गुलाब कंवर पत्नी मंगेज सिंह बछराराबडा ,,
82. श्री गंगाराम पुत्र बिझाराम नायक मेलसर ,,
83. श्री शिवनाथ एवं रूकमणी पति पत्नी धमोन्दा 60.00
84. ,, चन्द्रराम एवं मालीदेवी पति पत्नी टिकियासर 60.00
85. ,, दुर्गाराम पुत्र जसाराम हरिजन रतनगढ़ 40.00
86. श्रीमति भंवरी पत्नी जसाराम दरोगा नवा ,,
87. ,, बिडदी देवी पत्नी गोगाराम मेघवाल रतनादेसर ,,
88. श्री नानगराम व महादी पति पत्नी लकू 60.00
89. श्रीमति चोथकी पत्नी कुरडाराम रतनादेसर 40.00
90. श्री लादुराम पुत्र हजारीराम रतनगढ़ ,,
91. ,, खुमाण पुत्र खेमाराम रहर, रतनगढ़ ,,
92. श्रीमती मोहरी देवी पत्नी धन्नाराम, रतनगढ़ ,,
93. श्री सोहनलाल पुत्र भूरदास रतनगढ़ ,,
94. श्रीमती रूधी पुत्री शेराराम नायक रतनगढ़ ,,
95. श्री गोविन्द प्रसाद पुत्र मानीराम ,, ,,
96. श्रीमती मणी देवी पत्नी मोहनराम मालीसरछोटा ,,
97. ,, नानदेवी पत्नी जीवणाराम नायक लाछडसर ,,

98.	श्रीमती सुरजीदेवी बेवा गोपालराम खुडेराछोटा	40.00 प्रा० मा०
99.	श्री अमरूराम पुत्र गिरधारीराम जाट लाछडसर	,,
100.	श्रीमती ज्याना पत्नी दुलाराम ब्राह्मण हुडेरा	,,
101.	,, नोजकी पत्नी दुलाराम रेगर नोसरिया	,,
102.	श्री किशनाराम पुत्र मालाराम नायक छाजुसर	,,
103.	श्रीमती माणकी पत्नी सेडुराम रतनगढ़	,,
104.	,, जीवणी पत्नी चिमनीराम ,,	,,
105.	,, झुमा पत्नी मूराराम नायक ,,	,,
106.	,, गोमती पत्नी परतराम ,,	,,
107.	,, दुर्गा पत्नी टोरमल ब्राहमण ,,	,,
108.	श्री हेंमाराम पुत्र निरागाराम नाई गोलसर	,,
109.	श्रीमती मोहरी पत्नी बालुराम स्वामी रतनगढ़	,,
110.	,, नारायणी पत्नी धन्नीराम उर्जी	,,
111.	श्री कानाराम पुत्र लालाराम नायक ,,	,,
112.	श्री भागीरथ पुत्र केदारमल ब्राह्मण ,,	,,
113.	श्रीमती भगवानी देवी पत्नी भूराराम ,,	,,
114.	श्री सावरमल पुत्र टोरमल ब्राह्मण मालसर	,,
115.	श्रीमती सावित्री पत्नि गोरीशंकर रतनगढ़	,,
116.	,, मोहनी पत्नी लादुराम प्रजापति सांवतियां	,,
117.	श्री डालुराम पुत्र चुनाराम नायक कनवारी	,,
118.	श्री नरसाराम एवं झुमीदेवी पति पत्नी टिडियासर	60.00
119.	श्री रामदयाल पुत्र हरखाराम नाई सिमसिया	40.00
120.	श्रीमती चावली पत्नी गोमाराम भुखरेडी	,,
121.	,, बिडदी देवी बेवा रतनसिंह लोहा	,,
122.	,, परा पत्नी गुला मेघवाल रतनादेसर	,,
123.	श्री देवाराम पुत्र चन्द्रराम मेघवाल राजलदेसर	,,
124.	श्रीमती पतासी पत्नी चुन्नीलाल खोथडी	,,
125.	श्री अमरूराम पुत्र मोटाराम डोली जैगनियां	,,
126.	श्रीमती सुरजकंवर पत्नी दुलेसिंह राजपूत रतनसरा	,,
127.	,, गोरीदेवी पत्नी तनाराम नायक पडिहारा	,,
128.	,, रती पत्नी डूगरराम जाट लछडसर	,,
129.	,, पेपा बेवा नथूराम भाट, [illegible]	,,
130.	श्री रिछपाल पुत्र पूर्णाराम, खुडेरा [illegible]न	,,
131.	श्रीमती ज्याना पत्नि झुझाराम दरोगा, जनदवा	,,
132.	,, मोहनी पत्नी गोरूराम, बछराराछोटा	,,

133.	श्रीमति हीरा बेवा बीरमदान स्वामी बछरारावडा	40.00 प्र. मा.
134.	,, नोमी बवा भूरा काजी बीरमसर	,,
135.	,, शान्ती बेवा जंगराम धुमान्डा	,,
136.	,, सुखी पत्नी कार्नसिह कुसुमदेसर	,,
137.	,, रूपली पत्नी सुरजाराम छावडी खारी	,,
138.	,, ख्वाव बेवा मूलसिह मीचरी	,,
139.	श्रीमती केशर पत्नी रूपा कुसुमदेसर	40.00
140.	,, सुखी बेवा रिगतराम सेवग पडिहारा	,,
141.	,, परत बेवा गिरधारीराम कुम्हार ,,	,,
142.	,, सरदारी पत्नी मनसुखराम ब्राह्मण ,,	,,
143.	श्री मालाराम पुत्र रामलाल व पत्नी जोहरी, पडिहारा	60.00
144.	श्री किशना पुत्र हुणताराम धुमान्दा	40.00
145.	श्रीमती नान पुत्री राम दास स्वामी ,,	,,
146.	,, नाथी पत्नी चैनाराम तारग, राजलदेसर	,,
147.	,, हीरकंवर पत्नी मलसिह भरपालसर	,,
148.	,, कुनणी चेली मलनाथ भरपालसर	
149.	,, सुन्दर पत्नी किशनाराम ब्राह्मण छाजूसर	,,
150.	,, बीद पुत्री चौथमल ब्राह्मण भरपालसर	,,
151.	,, भवरी बाई पुत्री मंगसिह ग्रावडसर	,,
152.	,, पार्वती पत्नी हुकमाराम सुनार राजलदेसर	,,
153.	श्री बिडदाराम पुत्र कानीराम ब्राह्मण हामसुर	,,
154.	श्रीमती चन्द्रबाई पुत्री रावतसिंह राजपूत ग्रावडसर	,,
155,	श्री कानदास पुत्र हनुमानदास स्वामी माणदा	,,
156.	श्रीमती इमरती पत्नी भंवरसिह राजपूत ,,	,,
157.	,, धापी पति भुकनाराम ब्राह्मण रतनगढ़	,,
158.	,, सज्जनकंवर पत्नी ग्रनोपसिह राजपूत भरपालसर	,,
159.	,, हीरकवंर पत्नी जयसिह राजपूत ,,	,,
160.	,, रामी पत्नी उदाराम मेघवंशी दीपसर	,,
161.	,, नान पत्नी सुरजाराम मेघवाल सिरराली	,,
162.	,, गंगा पुत्री सोनीराम ब्राहमण भाणुदा	,,
163.	श्री ग्रर्जुनदास पुत्र हनूमान दास स्वामी भाणुदा	,,
164.	श्रीमती सूरज कंवर पुत्री भीमसिह ग्रावडसर	,,
165.	श्री दानाराम पुत्र बुधाराम मेधवाल रतन[illegible]	,,
166.	श्रीमती परतुजी पत्नी दानाराम डाकोत सेहला	,,
167.	श्री नथुराम पुत्र किसनराम मेघवाल खुडेरावडा	,,

168.	श्रीमती न्योजी बेवा कुरडाराम नायक रतनसारा	40.00 प्रति माह
169.	„ नान बेवा केसरा नाई „	„
170.	„ किस्तूरी पत्नी मदनाराम डाकोत सेहला	„
171.	„ मोहनी पत्नी काले खां मुसलमान „	„
172.	„ परमेश्वरी पत्नी धनराम मेघवाल खारिया	„
173.	श्री किसना राम पुत्र श्री गणपतराम जाट जालेउ	„
174.	श्रीमती सोना बेवा रामधन ब्राह्मण पडिहारा	„
175.	„ मधी बेवा गंगाधर नायक „	„
176.	श्री कानदान पुत्र जुहारदान चारण जालेउ	„
177.	श्री मालीराम पुत्र रूघाराम ब्राह्मण „	„
178.	श्रीमती तुलछी पत्नी जीवनराम गोरीसर	„
179.	श्री रिडकल सिंह पुत्र बेनसिंह राजपूत गोलसर	„
180.	श्रीमती जानकी देवी पत्नी रूपाराम पारीक रतनगढ़	„
181.	„ श्यो बाई बेवा तेजसिंह राजपूत कादिया	„
182.	„ केशरकंवर पत्नि मर्वसिंह राजपूत पडिहारा	„
183.	„ धापी बेवा धनाराम, पडिहारा	„
184.	श्री मोहनलाल एवं मालीदेवी पति पत्नी	60.00
185.	श्री धनाराम एवं भंवरी पति पत्नी कनवारी	„
186.	श्रीमती पांची पत्नी हीरसिंह राजपूत, नोसरियां	40.00
187.	„ गुलाबी पत्नी गंगाराम ढोली, मालासर	„
188.	श्री बक्सीराम पुत्र नथुराम चमार हरदेसर	„
189.	श्रीमती इमरती पत्नी गुलाराम कुम्हार „	„

———